

CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS WITH AUDIT REPORT FOR THE YEAR 2021-22



EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANIZATION

HEAD OFFICE

**BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAJI CAMA PLACE,
NEW DELHI- 110066**

INDEX

S.NO.	CONTENTS	PAGE
1.	Consolidated Balance Sheet.....	1-2
2.	Schedules forming the part of Balance Sheet.....	3-13
3.	Consolidated Income & Expenditure Account.....	15-17
4.	Schedules forming the part of Income & Expenditure Account.....	18-20
5.	Details of Fixed Assets and Investment Schedules.....	21-23
6.	Receipt and Payment Account, EPS, 1995 (Contribution Account).....	24
7.	Receipt and Payment Accounts, EDLI, 1976 (Contribution Account).....	25
8.	Receipt & Payment Accounts, EDLI, 1976 (Administration Account).....	26
9.	Schedule forming part of the Accounts.....	28-49
10.	Audit Report.....	51-63
11.	Audit Certificate.....	64-67
12.	Management Letter.....	68-80

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31-03-2022

		Amount (in Rs.)	
	Schedule	Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
<i><u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u></i>			
EPF CONTRIBUTION FUND - MEMBERS A/C			
Members Operative A/c	1	1,00,07,99,52,42,638.70	85,74,31,64,10,873.64
Members Inoperative A/c	2	49,62,70,00,178.00	39,30,85,48,158.00
RESERVES AND SURPLUS			
Special Reserve Fund	3	4,76,18,64,355.61	4,40,50,54,908.05
Interest A/c - EPF Contribution Fund	4	3,84,94,19,60,965.08	2,58,52,57,02,982.65
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	5	9,23,64,11,13,333.28	8,33,72,44,20,236.39
SUB -TOTAL - EPF CONTRIBUTION FUND		1,13,70,96,71,81,470.70	97,10,28,01,37,158.73
<i><u>Employees' Pension Scheme, 1995</u></i>			
EPS CONTRIBUTION FUND	6	68,62,01,10,75,316.22	59,95,19,34,57,324.13
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
Sundry Credits	7	30,09,61,22,393.84	28,00,46,32,964.55
SUB -TOTAL - PENSION FUND		68,92,10,71,97,710.06	60,23,19,80,90,288.68
<i><u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u></i>			
EDLI CONTRIBUTION FUND	8	3,77,56,53,90,867.05	3,45,46,28,24,683.54
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
Sundry Credits	9	72,02,27,812.58	19,05,61,543.45
SUB -TOTAL -EDLI CONTRIBUTION FUND		3,78,28,56,18,679.63	3,45,65,33,86,226.99
<i><u>Employees' Administration Fund (EPF scheme-1952)</u></i>			
EPF - ADMINISTRATION FUND	10	3,00,21,78,78,898.92	2,79,54,02,32,685.27
RESERVES AND SURPLUS			
Staff Provident Fund- Interest A/c	11	4,52,33,35,303.39	3,84,40,92,763.71
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS			
Building Construction Fund	12	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
Staff Provident Fund A/c	13	17,59,95,09,342.56	16,59,32,79,882.11
Staff Pension-cum-Gratuity A/c	14	1,51,73,02,75,201.43	1,26,49,25,29,263.29
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	15	3,36,39,20,088.88	3,32,09,91,633.76
SUB -TOTAL - EPF ADMINISTRATION FUND		4,86,30,74,60,732.23	4,38,66,36,68,125.18
<i><u>EDLI Administration Fund</u></i>			
EDLI ADMINISTRATION FUND	16	38,36,13,33,285.89	35,96,92,06,703.68
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	17	59,88,45,685.17	59,02,98,455.07
SUB -TOTAL -EDLI ADMINISTRATION FUND		38,96,01,78,971.06	36,55,95,05,158.75
GRAND TOTAL		1,91,66,62,76,37,563.70	1,65,54,35,47,86,958.30

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31-03-2022

		Amount (in Rs.)	
	Schedule	Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)
ASSETS			
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS	18	1,10,55,04,90,27,147.00	95,19,01,33,86,416.40
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	19	3,15,91,81,54,323.68	1,91,26,67,50,742.33
SUB -TOTAL - EPF CONTRIBUTION FUND		1,13,70,96,71,81,470.70	97,10,28,01,37,158.73
<i>Employees' Pension Scheme, 1995</i>			
EPS CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS	20	67,63,99,00,66,657.23	58,15,42,72,56,196.19
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	21	1,28,11,71,31,052.83	2,07,77,08,34,092.49
SUB -TOTAL - PENSION FUND		68,92,10,71,97,710.06	60,23,19,80,90,288.68
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI CONTRIBUTION FUND -INVESTMENTS	22	3,73,89,15,81,725.35	3,41,23,66,99,939.05
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	23	4,39,40,36,954.28	4,41,66,86,287.94
SUB -TOTAL -EDLI CONTRIBUTION FUND		3,78,28,56,18,679.63	3,45,65,33,86,226.99
<i>Employees' Administration Fund (EPF scheme-1952)</i>			
FIXED ASSETS	24	5,73,09,40,212.92	4,80,66,74,422.79
CAPITAL WORK IN PROGRESS	24A	8,62,77,97,453.90	8,76,26,48,856.90
EPF ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS	25	2,90,38,78,10,790.95	2,71,27,12,39,918.52
STAFF PROVIDENT FUND - INVESTEMENTS	26	21,76,76,25,965.96	20,06,89,27,030.80
PENSION CUM GRATUITY FUND - INVESTMNETS	27	1,49,61,45,02,646.14	1,24,59,71,85,322.95
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	28	10,17,87,83,662.37	9,15,69,92,573.23
SUB -TOTAL - EPF ADMINISTRATION FUND		4,86,30,74,60,732.23	4,38,66,36,68,125.19
<i>EDLI Administration Fund</i>			
EDLI ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS	29	37,54,41,13,259.76	35,05,67,39,537.16
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	30	1,41,60,65,711.30	1,50,27,65,621.58
SUB -TOTAL -EDLI ADMINISTRATION FUND		38,96,01,78,971.06	36,55,95,05,158.74
GRAND TOTAL		1,91,66,62,76,37,563.70	1,65,54,35,47,86,958.30

Sd/-

(HEMANT JAIN)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(NEELAM SHAMI RAO)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

		Amount (in Rs.)	
		Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)
<u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u>			
SCHEDULE No. 1			
EPF CONTRIBUTION FUND - MEMBERS OPERATIVE A/C			
	Opening Balance	85,74,31,64,10,873.64	75,27,15,84,00,486.83
Add :			
1	Contribution (including refund of withdrawal / loans and transferred securities) received	16,29,80,20,87,004.40	12,42,53,35,35,631.96
2	Contributions received by way of transferred securities (H.Q. Office contra.)	-16,50,98,45,311.78	20,44,03,89,203.96
3	Interest credited to members Account	6,71,38,33,23,400.00	6,28,27,10,79,080.00
4	Transferred from Inoperative A/c during the year	0.00	0.00
5	Other Receipts	84,56,61,11,704.96	20,60,98,82,348.57
6	Past Accumulations (A/c No. 1)	1,66,50,44,01,902.63	98,68,42,13,905.37
	Total	25,35,74,60,78,700.21	20,10,53,91,00,169.86
Less :			
1.	Payment made during the year to outgoing members on final settlement	4,45,18,77,00,108.10	3,65,22,59,52,102.93
2.	Premia paid on members life insurance policy	37,87,69,764.00	19,37,21,933.00
3.	Withdrawals / Loan paid during the year to the members	5,81,32,77,78,578.00	5,27,90,01,52,623.00
4.	Transferred to Inoperative A/c during the year	33,01,59,78,122.00	29,59,11,41,318.32
5.	Miscellaneous payment amount of securities transferred back to exempted establishments	42,15,70,20,363.00	40,47,01,21,805.80
	Total	11,02,06,72,46,935.10	9,63,38,10,89,783.05
	Balance as on 31st March	1,00,07,99,52,42,638.70	85,74,31,64,10,873.64
SCHEDULE No. 2			
EPF CONTRIBUTION FUND - MEMBERS INOPERATIVE A/C			
	Opening Balance	39,30,85,48,158.00	28,27,29,46,166.68
Add :			
1.	Amount transferred from Operative A/c during the year	33,01,59,78,122.00	29,59,11,41,318.32
2	Interest credited to members Account	0.00	0.00
	Total	33,01,59,78,122.00	29,59,11,41,318.32
Less :			
1	Amount transferred to Operative Members A/c during the year	0.00	0.00
2	Payment made during the year to members on settlement	22,69,75,26,102.00	18,55,55,39,327.00
	Total	22,69,75,26,102.00	18,55,55,39,327.00
	Balance as on 31st March	49,62,70,00,178.00	39,30,85,48,158.00
SCHEDULE No. 3			
Special Reserve Fund :			
	Balance as per last Balance Sheet	4,40,50,54,908.05	4,05,97,23,375.17
Add :			
1.	Amount recovered from Employers	0.00	0.00
2.	Interest on S.R.F. Account	35,68,09,447.55	34,50,76,486.89
	Total	35,68,09,447.55	34,50,76,486.89
Less :			
1.	Amount paid from Special Reserve Fund	0.00	0.00
2.	Amount transferred to Death Relief Fund	0.00	-2,55,046.00
	Total	0.00	-2,55,046.00
	Balance as on 31st March	4,76,18,64,355.61	4,40,50,54,908.05

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET		
	Current year (2021-22)	Amount (in Rs.) Previous Year (2020-21)
SCHEDULE No. 4		
Interest A/c - EPF Contribution Fund		
Opening Balance	2,58,52,57,02,982.65	2,45,44,68,93,649.74
Add :		
1. Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EPF Contribution Fund	1,26,41,62,57,982.43	13,07,88,09,332.91
Balance as on 31st March	3,84,94,19,60,965.08	2,58,52,57,02,982.65
SCHEDULE No. 5 (Current Liabilities and Provision)		
I - CURRENT LIABILITIES		
1 TDS Payable-deducted on claim settlements	23,80,43,675.00	42,71,33,722.00
2 Sundry Credits :		
A. Regional :		
a Suspense Account (Unclassified) (EPF)	44,09,32,360.86	65,93,66,159.87
b Irregular payments	10,18,31,584.73	8,35,20,026.46
c Over Payments	24,76,84,571.24	2,95,54,575.25
B. Central :		
a Amount credited to Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional) but not debited to A/c No. 5 (EPF Contribution A/c - Central)	12,13,13,339.00	12,13,13,339.00
b Excess credits to Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	1,54,95,52,666.19	1,42,07,18,511.19
c Excess credits in EPF investment A/c	0.00	0.00
d Advance from Govt. towards Disabilities Scheme	44,06,975.00	44,06,975.00
e Recovery of PMRPY Benefits during 2021-2022 [A/c No. 01]	11,19,17,514.00	10,31,42,857.00
3 Cash Book Balance		
State Bank of India (Over Draft)		
Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional)	11,72,64,12,298.54	13,58,37,22,321.90
Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	0.00	0.00
4 EPS Investment A/c-TREP Borrowing- Payable	0.00	0.00
5 Others	0.00	0.00
Total	14,54,20,94,984.56	16,43,28,78,487.67
II - PROVISIONS		
a Provision for Interest payable on Members PF A/c for the FY 2021-22	7,63,19,08,00,000.00	6,99,80,06,00,000.00
b Provision for Interest payable on Members PF A/c for the earlier years	1,45,90,82,18,348.72	1,17,49,09,41,748.72
Total	9,09,09,90,18,348.72	8,17,29,15,41,748.72
Balance as on 31st March	9,23,64,11,13,333.28	8,33,72,44,20,236.39
Employees' Pension Scheme, 1995		
SCHEDULE No. 6		
EPS Contribution Fund		
Opening Balance	59,95,19,34,57,324.13	52,78,64,75,12,008.07
Add :		
Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EPS Contribution Fund	8,66,81,76,17,992.10	7,16,54,59,45,316.06
Balance as on 31st March	68,62,01,10,75,316.22	59,95,19,34,57,324.13
SCHEDULE No. 7 -CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
Sundry Credits :		
1. Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	32,11,90,271.31	21,87,14,182.68
2. Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	1,42,90,43,138.84	1,42,90,43,138.84
b Recovery of PMRPY Benefits payable to PMRPY A/c	50,51,55,364.00	46,96,99,830.00
3. EPS Investment A/c-TREP Borrowing- Payable	0.00	0.00
Cash Book Balance		
4. State Bank of India (Over Draft)		
Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	4,70,62,35,399.74	1,66,49,45,254.55
Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	14,30,44,86,722.95	15,39,22,19,061.48
5 Amount payable to EP Fund (PMRPY)	8,83,00,11,497.00	8,83,00,11,497.00
6 Others (Excess credit of PMRPY)		
Balance as on 31st March :	30,09,61,22,393.84	28,00,46,32,964.55

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

		Amount (in Rs.)	
		Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
SCHEDULE No. 8			
EDLI Contribution Fund			
	Opening Balance	3,45,46,28,24,683.54	3,07,65,37,72,282.81
Add :	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EDLI Contribution Fund	32,10,25,66,183.51	37,80,90,52,400.73
	Balance as on 31st March	3,77,56,53,90,867.05	3,45,46,28,24,683.54
SCHEDULE No. 9- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
Sundry Credits :			
1.	Excess credit in A/c No. 21 (EDLI Cont. A/c - Regional)	3,55,99,097.37	3,37,22,813.37
2.	Excess credit in A/c No. 25 (EDLI Cont. A/c -Central)	9,64,43,612.21	9,64,43,612.21
3.	Excess credit in R.B.I. A/c	13,44,061.55	13,44,061.55
4	Excess credits in EDLI Investment A/c		
5	Amount payable to EDLI Adm. A/c	0.00	0.00
6	Cash Book Balance		
	State Bank of India (Over Draft)		
	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	0.00	0.00
	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	58,68,41,041.45	5,90,51,056.32
	Balance with Investment A/c(SCB)	0.00	0.00
7	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	72,02,27,812.58	19,05,61,543.45
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952 - Administration Fund</i>			
SCHEDULE No. 10			
EPF - ADMINISTRATION FUND			
	Opening Balance	2,79,54,02,32,685.27	2,61,23,59,77,065.22
Add :			
1.	Amount adjusted by the Regional Offices	-4,64,40,134.92	93,30,915.79
2.	Excess of Income over Expenditure during the year transferred from Income & Expenditure A/c of EPF Administration Fund	20,73,96,65,394.35	18,29,52,83,532.60
3.	Others	0.00	0.00
	Total	20,69,32,25,259.43	18,30,46,14,448.39
Less			
1.	Amount adjusted by the Regional Offices	1,55,79,045.78	3,58,828.34
2.	Excess of Expenditure over Income during the year transferred from Income & Expenditure A/c of EPF Administration Fund	0.00	0.00
3.	Others	0.00	0.00
	Total	1,55,79,045.78	3,58,828.34
	Balance as on 31st March	3,00,21,78,78,898.92	2,79,54,02,32,685.27

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

		Amount (in Rs.)	
		Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)
SCHEDULE No. 11			
Staff Provident Fund Interest Account :			
	Opening Balance	3,84,40,92,763.71	3,13,61,66,600.30
Add :			
1.	Interest realised on investment of securities	1,19,71,69,626.03	1,13,63,85,680.96
2.	Interest accrued but not due on Investments	35,36,08,934.10	36,50,60,790.22
3.	Interest due but not received on Investments	24,37,500.00	10,00,500.00
4.	Interest on S.B. Account	17,379.00	29,572.00
5.	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
	Total	1,55,32,33,439.13	1,50,24,76,543.18
Less :			
1.	Interest credited to members account	86,86,85,711.45	79,23,83,447.00
2.	Accrued Interest paid to vendors on purchase of investment	53,05,188.00	21,66,932.77
3.	Loss on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
	Total	87,39,90,899.45	79,45,50,379.77
	Balance as on 31st March	4,52,33,35,303.39	3,84,40,92,763.71
SCHEDULE No. 12			
Building Construction Fund :			
	Opening Balance	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
Add :			
1.	Provision made during the year	0.00	0.00
2.	Interest credited to the Fund	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
SCHEDULE No. 13			
A. Staff Provident Fund :			
	Opening Balance	11,46,26,62,998.22	11,11,40,33,056.87
Add :			
1.	Contribution (including refund of withdrawal)	2,18,63,55,362.99	2,19,99,87,682.35
2.	Interest credited to member's account	86,86,85,711.45	79,23,83,447.00
3.	Other receipts	2,18,96,91,436.00	25,37,87,579.00
	Total	5,24,47,32,510.44	3,24,61,58,708.35
Less :			
1.	Payment made during the year to outgoing members on final settlement	2,69,06,42,731.00	2,46,32,24,562.00
2.	Premia paid on members life insurance policy	0.00	0.00
3.	Loan paid during the year to members	26,87,41,492.00	23,60,97,312.00
4.	Other Payments (Transfer to other Regions)	2,34,99,58,121.00	19,82,06,893.00
	Total	5,30,93,42,344.00	2,89,75,28,767.00
	Balance as on 31st March	11,39,80,53,164.66	11,46,26,62,998.22
B. S.P.F. A/c transferred from other Regions :			
	Opening Balance	50,05,87,497.94	55,61,68,183.94
Add :	Amount transferred out to the Regions	2,34,99,58,121.00	19,82,06,893.00
	Total	2,85,05,45,618.94	75,43,75,076.94
Less :	Amount received from other Regions	2,18,96,91,436.00	25,37,87,579.00
	Balance as on 31st March	66,08,54,182.94	50,05,87,497.94
C. Amount payable from SPF A/c to EPF Adm. A/c			
		5,54,06,01,994.96	4,63,00,29,385.95
	Total (A+B+C)	17,59,95,09,342.56	16,59,32,79,882.11

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

		Amount (in Rs.)	
		Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)
SCHEDULE No. 14			
Staff Pension-cum-Gratuity Fund			
	Opening Balance	1,26,49,25,29,263.29	1,03,34,63,97,235.84
Add :			
1	Amount transferred from Account No. 4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	16,30,69,00,000.00	14,19,88,25,000.00
2	Interest realised on S.B. Account	13,91,484.00	10,77,749.00
3	Interest realised on Securities during the year	6,83,12,88,092.55	7,06,26,82,128.94
4	Interest accrued but not due on Investments	2,13,09,96,421.27	1,89,86,28,597.96
5	Interest due but not received on Investments	1,11,46,400.00	48,74,800.00
6	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
7	Amount paid by the Regions from A/c No. 2 (EPF Administrative Charges A/c - Regional)	6,25,90,54,562.71	5,24,55,05,359.26
	Total	31,54,07,76,960.53	28,41,15,93,635.16
Less :			
1.	Payment made by the Regions	6,25,90,54,562.71	5,24,55,05,359.26
2.	Accrued Interest paid to vendors on purchase of investments during the year	4,39,76,459.67	1,99,56,248.45
3	Loss on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
	Total	6,30,30,31,022.38	5,26,54,61,607.71
	Balance as on 31st March	1,51,73,02,75,201.43	1,26,49,25,29,263.29
SCHEDULE No. 15 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
I-CURRENT LIABILITIES			
1	New Pension Scheme Contribution Payable	1,24,04,753.01	1,72,90,196.01
2	Provision for Board's Share towards N.P.S. Payable	0.00	0.00
3	Security Deposit Refundable	1,94,24,086.32	1,92,68,475.09
4	Group Insurance Scheme (New)	48,13,610.82	51,65,198.82
5	Sundry Credits :		
	A. Regional :		
a	Suspense Account (Admn. Fund)	30,80,03,860.39	29,66,03,131.21
	B. Central :		
a	Excess credits to Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	3,21,85,494.88	3,21,85,494.88
b	Excess credits to Account No. 9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	8,29,780.00	8,29,780.00
c	Amount payable to EPF Contribution A/c	0.00	0.00
6	Cash Book Balance		
	State Bank of India : (Over Draft)		
	EPF A/c No.2 (EPF Administrative Charges A/c - Regional)	27,24,98,175.92	31,00,95,034.36
	EPF A/c No.4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	0.00	0.00
	Account No.8 (Staff Provident Fund A/c)	0.00	0.00
	Account No.9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	0.00	0.00
	Head Office	2,77,14,242.44	93,12,300.44
	PDNASS	19,35,210.08	8,00,452.00
	EPF Appellate Tribunal	0.00	0.00
7	Proportionate (1%) of Total Administration Cost Excess received from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central)	1,36,18,39,900.45	1,44,85,42,492.59
8	Others (Excess credit Pen. Cum Gratuity Fund Inv. A/c)	0.00	0.00
	Total	2,04,16,49,114.31	2,14,00,92,555.40

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Amount (in Rs.)	
		Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)
II - PROVISIONS			
a	Provision for amount transferable to A/c 9 (Staff Pension Cum Gratuity Fund)	0.00	0.00
b	Provision for Rent, Rates & Taxes Payable	0.00	0.00
c	Other Expenses Payable	1,32,22,70,974.57	1,18,08,99,078.36
	Total	1,32,22,70,974.57	1,18,08,99,078.36
	Balance as on 31st March	3,36,39,20,088.88	3,32,09,91,633.76
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 - Administration Fund			
SCHEDULE No. 16			
EDLI Administration Fund			
	Opening Balance	35,96,92,06,703.68	33,74,80,24,098.46
Add :			
1.	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EDLI Administration Fund	2,39,21,26,582.21	2,22,11,82,605.21
	Balance as on 31st March	38,36,13,33,285.89	35,96,92,06,703.68
SCHEDULE No. 17- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
a	Sundry Credits :		
1	Excess credit in A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	1,35,73,799.69	1,35,70,155.53
2	Excess credit in A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges -Central)	4,83,77,675.89	4,83,77,675.89
b	Proportionate (1%) of Total Administration Cost transferrable to A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c -Central)	0.00	0.00
c	Cash Book Balance : (Over Draft)		
	A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	6,54,913.87	6,11,319.47
	A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	53,62,39,295.72	52,77,39,304.18
d	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	59,88,45,685.17	59,02,98,455.07
Employees' Provident Fund Scheme, 1952			
SCHEDULE No. 18			
	Employees' Provident Fund - Investments	1,10,55,04,90,27,147.00	95,19,01,33,86,416.40

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

		Amount (in Rs.)	
		Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)
SCHEDULE No. 19 (Current Assets, Loans & Advances)			
I - CURRENT ASSETS			
1	Amount in Transit :		
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	7,99,60,19,088.43	4,38,59,55,590.43
2	Cash Book Balance		
	State Bank of India :		
	Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional)	0.00	0.00
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	10,06,62,14,764.51	8,41,25,76,149.49
	Reserve Bank of India :		
	E.P.F. Investment Account	58,74,83,425.73	4,22,32,45,189.20
3	Interest on EPF Investment receivable		
a	Interest accrued but not due on Investments	2,80,39,46,44,821.88	1,60,70,60,45,168.20
b	Interest due but not received on Investments	5,04,18,24,326.66	2,97,26,24,515.09
c	Interest accrued on FDRs	1,73,18,82,082.00	14,34,18,239.00
4	Sundry Debits :		
a	Suspense Account (Unclassified) :		
	Suspense Account (Unclassified) (EPF)	80,76,74,908.50	1,27,68,85,111.74
b	Irregular Payments	10,18,31,584.73	8,35,20,026.46
c	Over Payments	24,76,84,571.24	2,95,54,575.25
d	Erroneous Debit to Account Nos. 5, 8 & 9 :		
i	Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No. 5 from A/c No.1 and vice-versa	44,70,07,726.70	44,70,07,726.70
ii	Extra debit made to Account No. 5 by bank	1,63,80,249.38	10,64,11,676.86
iii	Amount debited to A/c No. 5 but not credited to A/c No.1 & vice-versa	3,67,26,624.29	3,67,26,624.29
5	Amount receivable from EPF Admn. A/c	0.00	0.00
6	Amount receivable from EPS Fund (PMRPY)	4,68,68,73,757.00	4,68,68,73,757.00
7	Amount receivable from Govt. (PMRPY)	3,06,12,07,405.00	3,06,12,07,405.00
8	Others	0.00	0.00
	Total	3,15,22,34,55,336.06	1,90,57,20,51,754.71
II - LOAN & ADVANCES			
	Special Reserve Fund (Recoverable) :		
	Balance as per last Balance Sheet	69,46,98,987.62	3,32,96,28,733.90
Add :	Amount paid to Members during the year	0.00	-2,32,632.62
Less :	Amount received from Employers	-	2,63,46,97,113.66
	Total	69,46,98,987.62	69,46,98,987.62
	Balance as on 31st March	3,15,91,81,54,323.68	1,91,26,67,50,742.33
<u>Employees' Pension Scheme, 1995</u>			
SCHEDULE No. 20			
Employees' Pension Fund -Investments		67,63,99,00,66,657.23	58,15,42,72,56,196.19

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

		Amount (in Rs.)	
		Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)
SCHEDULE No.21- CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES			
a	Cash Book Balance :		
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	0.00	0.00
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	0.00	0.00
3.	Balance in Investment Account (SCB)	20,47,77,696.04	16,56,55,465.01
b	Sundry Debits :		
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	1,61,61,90,733.70	1,47,91,48,583.05
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	-16,31,54,447.20	-16,31,54,447.20
3.	Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c. 10 to 11 & vice-versa	20,17,63,057.60	20,17,63,057.60
4.	Amount debited to A/c No.11 but not credited to A/c No. 10 & vice-versa	24,28,21,866.20	24,28,21,866.20
c	Remittance in Transit	3,23,88,15,362.68	1,70,76,51,568.68
d	Interest on EPS Fund Investment receivable		
1	Interest accrued but not due on Investments	1,18,36,08,76,795.86	75,52,85,12,493.76
2	Interest due but not received on Investments	1,85,18,43,761.65	1,03,50,86,251.50
3	Interest accrued on FDRs	43,47,81,356.00	9,20,66,964.00
4	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	1,48,25,00,000.00	20,11,40,00,000.00
5	Interest receivable under Minimum Pension scheme	0.00	4,84,52,86,606.89
e	Pension contribution receivable from Central Govt.	64,59,14,870.30	1,02,52,19,95,683.00
f	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	1,28,11,71,31,052.83	2,07,77,08,34,092.49
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
SCHEDULE No. 22			
EDLI CONTRIBUTION FUND -INVESTMENTS		3,73,89,15,81,725.35	3,41,23,66,99,939.05
SCHEDULE No.23-CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES			
a	Cash Book Balance :		
1.	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	6,17,20,732.95	8,60,14,246.60
2.	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	0.00	0.00
3.	Balance in Investment Account (SCB)	8,55,532.55	58,72,934.62
b	Remittance in Transit :		
1.	From A/c No. 21 to 25	9,74,96,579.96	9,74,96,579.96
2.	From Bank to A/c No. 25	5,32,224.15	5,32,224.15
c	Sundry Debits :		
1.	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	12,40,30,824.16	11,32,21,412.28
2.	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	1,65,96,337.50	1,65,96,337.50
3.	Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c. 21 to 25 & vice-versa	1,35,47,809.14	1,35,47,809.14
d	Interest on EDLI Fund Investment receivable		
1	Interest accrued but not due on Investments	4,00,69,89,036.25	4,02,75,21,049.69
2	Interest due but not received on Investments	4,50,53,635.62	3,37,22,000.00
3	Interest accrued on FDRs	2,72,14,242.00	2,21,61,694.00
4	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	0.00	0.00
e	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	4,39,40,36,954.28	4,41,66,86,287.94

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

		Amount (in Rs.)	
		Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)
<u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952 - Administration Fund</u>			
SCHEDULE No. 24			
FIXED ASSETS		5,73,09,40,212.92	4,80,66,74,422.79
SCHEDULE No. 25			
EPF ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS			
Special Deposit Account		2,88,28,78,10,790.95	2,69,17,12,39,918.52
FDRs		2,10,00,00,000.00	2,10,00,00,000.00
Balance as on 31st March		2,90,38,78,10,790.95	2,71,27,12,39,918.52
SCHEDULE No. 26			
EPF STAFF PROVIDENT FUND -INVESTMENTS		21,76,76,25,965.96	20,06,89,27,030.80
SCHEDULE No. 27			
EPF STAFF PENSION CUM GRATUITY FUND -INVESTMENTS		1,49,61,45,02,646.14	1,24,59,71,85,322.95
SCHEDULE No.28-CURRENT ASSETS,LOANS & ADVANCES			
1	Amount in Transit :		
a	EPF A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	5,18,03,113.18	5,18,03,113.18
b	Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	1,22,68,499.25	1,22,68,499.25
	Total	6,40,71,612.43	6,40,71,612.43
2	Cash Book Balance		
(A)	State Bank of India :		
a	EPF A/c No.2 (EPF Administrative Charges A/c- Regional)	0.00	0.00
b	EPF A/c No.4 (EPF Administrative Charges A/c- Central)	22,85,42,849.04	28,61,47,095.82
c	Account No.8 (Staff Provident Fund A/c)	1,73,26,461.19	2,15,74,203.02
d	Account No.9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	2,416.04	2,755.70
e	Head Office	0.00	0.00
f	PDNASS	0.00	0.00
g	EPF Appellate Tribunal	39,62,03,653.57	39,08,61,098.57
	Total	64,20,75,379.84	69,85,85,153.11
(B)	Reserve Bank of India :		
a	S.P.F. Investment Account	3,35,003.33	5,62,862.41
b	Pension-cum-Gratuity Investment A/c	2,84,911.80	41,80,715.44
	Total	6,19,915.13	47,43,577.85
(C)	Imprest Account	2,71,444.90	47,326.90
3	Sundry Debits :		
	Suspense Account (Unclassified) :		
a.	Suspense Account (Admn. Fund)	21,56,97,522.77	22,55,55,748.15
4	Erroneous Debit to Account Nos. 8 & 9 :		
a	Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No. 8 from A/c No. 2 and vice-versa	2,04,38,794.97	2,04,38,794.97
b	Erroneous debit made to A/c No.8 (Staff Prov. Fund A/c)	1,78,339.00	1,78,339.00
c	Erroneous debit made to A/c No.9 (Staff Pen cum Gr. A/c)	0.00	0.00
	Total	23,63,14,656.74	24,61,72,882.12

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

		Amount (in Rs.)	
		Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)
5	Recoverable Advances (Staff)		
a	Conveyance advance	17,06,262.10	23,72,427.65
b	House Building advance	26,19,95,033.44	25,43,32,187.44
c	Fan advance	73,520.80	73,520.80
d	Warm Clothing advance	1,234.75	1,234.75
e	Festival advance	5,85,206.82	74,48,406.82
f	Natural Calamity advance	1,24,600.45	1,24,600.45
g	Advance of Pay	-4,16,417.88	-4,44,670.88
h	Advance of DA/TA	1,60,64,191.94	1,64,23,302.94
i	Food grain advance	0.00	0.00
j	Advance to Staff Co-operative Canteen/Stores	1,91,444.00	1,92,944.00
k	Computer Advance	2,34,77,937.57	2,74,97,806.57
l	Unorganised Workers Social Security Scheme	0.00	0.00
m	Miscellaneous Payments	38,16,373.30	51,03,468.02
	TOTAL	30,76,19,387.29	31,31,25,228.56
6	Prepaid Expenditure	0	0.00
7	Interest on EPF Adm. Fund Investment receivable		
1	Interest accrued but not due on Special Deposit A/c	0.00	0.00
2	Interest due but not received on Special Deposit A/c	0.00	0.00
3	Interest accrued on FDRs	6,91,93,561.64	8,78,10,484.00
8	Interest on Staff Provident Fund Investment receivable		
1	Interest accrued but not due on Investments	35,36,08,934.10	36,50,60,790.22
2	Interest due but not received on Investments	24,37,500.00	10,00,500.00
9	Interest on Pension cum Gratuity Fund Investment receivable		
1	Interest accrued but not due on Investments	2,13,09,96,421.27	1,89,86,28,597.96
2	Interest due but not received on Investments	1,11,46,400.00	48,74,800.00
10	Proportionate (1%) of Total Administration Cost receivable from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central)	0.00	0.00
11	Security Deposits (Advance to parties)	3,45,57,182.20	3,29,32,829.20
12	Others (TDS refundable)		
13	Advance to Agencies/Contractors (Capital Work)	74,27,65,067.42	77,99,02,149.42
14	Accrued Interest recoverable on Advances paid to staff	4,37,11,704.45	3,00,07,255.51
15	Amount receivable from SPF a/c	5,53,93,94,494.96	4,63,00,29,385.95
	Balance as on 31st March	10,17,87,83,662.37	9,15,69,92,573.23

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET		
	Amount (in Rs.)	
	Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 - Administration Fund</i>		
SCHEDULE No. 29		
EDLI ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS		
Special Deposit Accounts	37,54,41,13,259.76	35,05,67,39,537.16
SCHEDULE No.30-CURRENT ASSETS,LOANS & ADVANCES		
A Cash Book Balance :		
1. A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	0.00	0.00
2. A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	0.00	0.00
B Remittance in Transit :		
1. From A/c No. 22 to 24	1,54,34,043.77	1,54,34,043.77
C Sundry Debits :		
1. A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	1,03,43,887.72	1,03,41,205.86
2. A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	1,18,39,758.32	1,18,39,758.32
3. Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c 22 to 24 & vice - versa	1,66,08,121.04	1,66,08,121.04
D Interest on EDLI Adm. Fund Investment receivable :		
Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
E Amount receivable from EDLI Contribution A/c	0.00	0.00
F Excess Transfer of Proportionate (1% share) of Total Administration Cost A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c Central)	1,36,18,39,900.45	1,44,85,42,492.59
G Others	0.00	0.00
Balance as on 31st March	1,41,60,65,711.30	1,50,27,65,621.58

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2022			
		Amount (in Rs.)	
	Schedule	Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)
INCOME			
<u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u>			
<u>EPF - Contributions Fund</u>			
Interest Income during the year	31	8,91,35,12,89,386.65	7,40,77,31,46,266.00
Other Income during the year	32	4,24,14,00,042.86	5,05,88,69,424.97
TOTAL INCOME - EPF CONTRIBUTION FUND (A)		8,95,59,26,89,429.51	7,45,83,20,15,690.97
<u>Employees' Pension Scheme, 1995</u>			
<u>EPS CONTRIBUTION FUND</u>			
Income from Pension Contribution	33	5,75,26,17,50,439.39	5,05,62,01,04,276.87
Interest Income during the year	34	5,06,13,94,68,757.32	4,14,72,14,33,372.44
Other Income	35	3,70,71,39,015.72	2,74,03,67,145.58
TOTAL INCOME - PENSION FUND (B)		10,85,10,83,58,212.43	9,23,08,19,04,794.89
<u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u>			
<u>EDLI CONTRIBUTION FUND</u>			
Income from Contribution from employers		25,68,46,56,001.76	21,85,15,80,328.12
Interest Income during the year	36	26,49,41,27,866.75	24,35,54,79,395.81
Other Income	37	32,04,33,070.16	18,86,10,800.08
TOTAL INCOME -EDLI CONTRIBUTION FUND (C)		52,49,92,16,938.67	46,39,56,70,524.01
<u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u>			
<u>EPF - Administration Fund</u>			
Income from Contribution, Penal Damages & 7Q Interest during the year	38	44,86,99,96,411.21	37,97,36,08,448.62
Interest income during the year	39	19,18,83,12,038.22	17,96,10,84,389.47
Receipt from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central) -Proportionate share (1%) of Total Administrative Expenses of EPFO for the current year (receivable) & arrears for earlier years received		43,91,02,592.15	38,11,72,569.52
Other Income - Miscellaneous Receipts		15,25,13,567.51	9,66,75,076.75
TOTAL INCOME - EPF ADMINISTRATION FUND (D)		64,64,99,24,609.09	56,41,25,40,484.36
<u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u>			
<u>EDLI ADMINISTRATION FUND</u>			
Income from Contribution, Penal Damages & 7Q Interest during the year	40	34,39,15,728.61	27,99,22,817.13
Interest income during the year	41	2,48,73,75,446.35	2,32,24,79,456.60
Other Income -Receipts from A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c -Regional)		212.40	-
Other Income -Receipts from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central)		-	-
TOTAL INCOME -EDLI ADMINISTRATION FUND (E)		2,83,12,91,387.36	2,60,24,02,273.73

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2022			
		Amount (in Rs.)	
EXPENDITURE	Schedule	Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)
<u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u>			
EPF- Contributions Fund			
Interest payment to the Members	42	7,63,19,08,00,000.00	6,99,80,06,00,000.00
Interest paid to vendors on purchase of securities		7,05,75,50,259.40	2,80,67,09,203.18
Loss on Sale of ETF Securities/PY adjustments		(2,01,54,47,709.62)	28,90,79,32,463.90
Interest accrued on SRF		35,68,09,447.55	34,50,76,486.89
Interest on overdraft paid to Banks		58,67,19,449.75	89,28,88,204.09
Misc-Intt. paid on deposits refunded to exempted trusts		-	-
TOTAL EXPENDITURE - EPF CONTRIBUTION FUND (A-1)		7,69,17,64,31,447.08	7,32,75,32,06,358.06
I - Excess of Income (A) over Expenditure (A-1) carried to Balance Sheet		1,26,41,62,57,982.43	13,07,88,09,332.91
<u>Employees' Pension Scheme, 1995</u>			
EPS CONTRIBUTION FUND			
Amount paid to outgoing members / beneficiaries	43	2,13,04,59,94,594.73	2,04,16,99,66,154.69
Commission to Banks for disbursement of pension		1,21,13,87,404.35	1,04,48,22,610.70
Accrued Interest paid on purchase of Investments (Securities)		3,35,19,81,796.59	1,27,49,09,950.15
Loss on Sale of ETF Securities/PY adjustments		52,85,72,364.27	-
Other payments:			
A/c No. 10 (EPS Contribution A/c Regional)		23,24,403.00	4,62,60,763.29
A/c No. 11 (EPS Contribution A/c Central)		15,04,79,657.39	-
TOTAL EXPENDITURE - PENSION FUND (B-1)		2,18,29,07,40,220.33	2,06,53,59,59,478.83
II- Excess of Income (B) over Expenditure (B-1) carried to Balance Sheet		8,66,81,76,17,992.10	7,16,54,59,45,316.06
<u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u>			
EDLI CONTRIBUTION FUND			
Assurance Benefits paid		20,25,32,21,698.68	8,54,91,37,998.84
Accrued Int. paid on purchase of Invest. (Securities)		4,99,59,955.46	3,68,90,416.44
Loss on Sale of ETF Securities		7,64,41,912.00	-
Other payments:			
A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)		1,03,414.00	5,89,708.00
A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c - Central)		1,69,23,775.02	-
TOTAL EXPENDITURE-EDLI CONTRIBUTION FUND (C-1)		20,39,66,50,755.16	8,58,66,18,123.28
III- Excess of Income (C) over Expenditure (C-1) carried to Balance Sheet		32,10,25,66,183.51	37,80,90,52,400.73

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2022			
<u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u>		Amount (in Rs.)	
EPF - Administration Fund - (100% Expenditure of EPFO)		Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)
A- Establishment Expenses			
Salaries of Officers and Staff & Bonus		12,64,44,75,988.00	10,94,44,18,529.00
Allowances and Honorarium		3,25,10,08,518.00	2,79,17,62,606.00
Grants - Welfare Funds etc		15,42,54,319.05	8,97,98,425.00
Contribution to Staff Pension cum Gratuity Fund		22,56,59,54,562.71	19,83,51,05,359.26
S.P.F., E. D.L.I. Benefits		37,76,174.00	37,70,154.00
Board's share towards N.P.S.		61,64,54,203.57	44,83,22,272.22
Interest on N.P.S. Contribution		2,63,143.00	95,379.00
Service Charges towards N.P.S.		11,15,667.32	10,83,416.36
TA & LTC		5,01,33,614.00	9,56,89,888.00
TOTAL A		39,28,74,36,189.65	34,21,00,46,028.84
B- Other Administrative Expenses			
Electricity Expenses		25,71,05,722.00	23,47,28,533.00
Postage		4,60,21,947.80	3,59,10,923.10
Printing & Stationery		11,37,42,028.00	9,63,85,145.34
Rent, Rates & Taxes		36,27,44,140.00	28,31,14,136.00
Vehicle Running & Maintenance Expenses		1,18,56,266.00	1,02,57,828.00
Telephone, Internet & Communication Charges		7,42,49,592.80	5,90,85,989.32
Insurance Expenses		0.00	0.00
Water Charges		83,66,718.00	59,59,347.00
Staff Paid from contingencies		1,08,95,13,160.03	1,12,14,78,172.63
Audit Fee		51,46,926.00	35,38,841.00
Legal Charges		10,49,30,344.00	10,29,38,167.86
Consultancy Expenses		3,18,56,670.00	3,25,44,183.00
Conveyance Hire		7,76,95,748.55	8,03,13,782.00
Advertisement & Publicity		3,42,49,480.00	1,43,51,006.00
AMC - Computers, Servers, Elect. Equip. & other Office Equip.		59,44,79,376.20	37,68,77,708.00
Travelling Expenses		16,78,94,962.00	9,79,62,854.00
Other Charges (Recurring/Non-Recurring)		21,50,63,436.46	15,65,23,341.93
Bank Commission and T.T. Charges		85,19,95,186.64	69,74,93,373.17
Maintenance of Office Buildings/Staff Quarters		24,18,73,167.00	22,36,02,751.00
Net Depreciation on Fixed Assets		33,41,80,609.61	27,35,08,988.56
Loss/Gain on Liquidation of Assets		-1,42,456.00	6,35,852.00
Provision for Building Construction Fund		0.00	0.00
Total B		4,62,28,23,025.09	3,90,72,10,922.91
TOTAL EXPENDITURE- EPF ADMINISTRATION FUND (D-1)		43,91,02,59,214.74	38,11,72,56,951.75
IV- Excess of Income (D) over Expenditure (D-1) carried to Balance Sheet		20,73,96,65,394.35	18,29,52,83,532.60
<u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u>			
EDLI ADMINISTRATION FUND			
Proportionate share (1%) in the total administrative expenditure of EPFO		43,91,02,592.15	38,11,72,569.52
Other payment:			
Account No. 22		62,213.00	47,099.00
Account No. 24		-	-
TOTAL EXPENDITURE -EDLI ADMINISTRATION FUND (E-1)		43,91,64,805.15	38,12,19,668.52
V- Excess of Income (E) over Expenditure (E-1) carried to Balance Sheet		2,39,21,26,582.21	2,22,11,82,605.21
TOTAL EARNING OF THE EPFO (I + II + III + IV + V)		10,48,46,82,34,134.61	7,87,95,02,73,187.51

Sd/-

(HEMANT JAIN)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(NEELAM SHAMI RAO)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		Amount (in Rs.)	
		Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)
<u>EPF Contributions Fund</u>			
<u>SCHEDULE No. 31</u>			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	5,47,68,70,41,568.44	5,01,94,03,06,980.50
2	Interest accrued but not due on Investments	2,80,39,46,44,821.88	1,60,70,60,45,168.20
3	Interest due but not received on Investments	5,04,18,24,326.66	2,97,26,24,515.09
4	Profit on Sale of ETF Securities	56,48,66,56,387.88	72,31,04,14,115.30
5	Interest accrued on FDRs	1,73,18,82,082.00	14,34,18,239.00
6	Interest on Regional Savings Bank Account	22,764.23	-4,61,110.22
7	Interest on Securities received from estts.	92,17,435.56	0.00
8	Interest from subscribers / members on loans	0.00	0.00
9	Excess Provision of Interest payable for earlier year - written back	0.00	2,70,07,98,358.13
Total		8,91,35,12,89,386.65	7,40,77,31,46,266.00
<u>SCHEDULE No. 32</u>			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	2,46,93,89,712.23	3,56,35,03,268.05
2	7Q Interest collected during the year	1,77,20,10,330.63	1,49,53,62,878.57
3	Other receipts (INTEREST ON S.B. A/C)	0.00	3,278.35
Total		4,24,14,00,042.86	5,05,88,69,424.97
<u>EPS Contribution Fund</u>			
<u>SCHEDULE No. 33</u>			
Income from Pension Contribution			
1	Pension contribution received from employers	4,97,19,97,84,351.98	4,40,09,53,35,773.91
2	Pension contribution received from Central Govt. during Financial Year	77,41,60,51,217.11	75,19,01,00,000.00
3	Pension contribution receivable from Central Govt. during the Financial Year	64,59,14,870.30	-9,66,53,31,497.04
Total		5,75,26,17,50,439.39	5,05,62,01,04,276.87
<u>SCHEDULE No. 34</u>			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	2,32,67,43,04,230.67	2,17,87,32,50,784.90
2	Interest accrued but not due on Investments	1,18,36,08,76,795.86	75,52,85,12,493.76
3	Interest due but not received on Investments	1,85,18,43,761.65	1,03,50,86,251.50
4	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
5	Interest accrued on FDRs	43,47,81,356.00	9,20,66,964.00
6	Interest received on Public Account of Govt. of India	1,51,33,39,00,000.00	99,10,78,23,597.00
7	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	1,48,25,00,000.00	20,11,40,00,000.00
8	Interest received under Minimum Pension scheme	0.00	0.00
9	Interest receivable under Minimum Pension scheme	0.00	97,03,76,847.89
10	Interest on Regional Savings Bank Account	12,62,613.14	3,16,433.39
Total		5,06,13,94,68,757.32	4,14,72,14,33,372.44
<u>SCHEDULE No. 35</u>			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	1,76,13,05,963.50	1,14,77,22,262.26
2	7Q Interest collected during the year	85,29,86,104.19	68,73,94,772.00
3	Other receipts - Regional Contribution A/c No. 10	1,09,28,46,948.03	90,52,50,111.32
4	Other receipts - Regional Contribution A/c No. 11	0.00	0.00
Total		3,70,71,39,015.72	2,74,03,67,145.58

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT			
		Current year (2021-22)	Amount (in Rs.) Previous Year (2020-21)
EDLI- Contribution Fund			
SCHEDULE No. 36			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	12,15,78,72,915.93	11,55,88,15,484.30
2	Interest accrued but not due on Investments	4,00,69,89,036.25	4,02,75,21,049.69
3	Interest due but not received on Investments	4,50,53,635.62	3,37,22,000.00
4	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
5	Interest accrued on FDRs	2,72,14,242.00	2,21,61,694.00
6	Interest received on Public Account of Govt. of India	10,25,69,00,000.00	8,71,38,00,000.00
7	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	0.00	0.00
8	Interest on Regional Savings Bank Account	98,036.95	-5,40,832.18
Total		26,49,41,27,866.75	24,35,54,79,395.81
SCHEDULE No. 37			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	10,47,66,195.16	6,37,80,481.48
2	7Q Interest collected during the year	5,20,79,521.97	3,70,01,490.60
3	Other receipts in A/c No. 21	16,35,17,715.00	8,78,28,828.00
4	Other receipts in A/c No. 25	69,638.03	0.00
Total		32,04,33,070.16	18,86,10,800.08
EPF - Administration Fund			
SCHEDULE No. 38			
Income from Administration Charges, Penal Damages & 7Q Interest during the year			
1	EPF Administration Charges received during the year	41,03,16,94,289.71	35,52,32,75,012.09
2	EPF Inspection Charges received during the year	3,50,84,34,432.00	2,20,30,48,430.27
3	Penal Damages collected during the year	21,83,51,662.91	15,66,79,613.10
4	7Q Interest collected during the year	11,15,16,026.59	9,06,05,393.16
Total		44,86,99,96,411.21	37,97,36,08,448.62
SCHEDULE No. 39			
Interest Income during the year			
1	Interest received on invest. during the year	19,11,88,10,388.42	17,87,29,87,361.07
2	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Interest accrued on FDRs	6,91,93,561.64	8,78,10,484.00
5	Interest on Regional Savings Bank Account	3,08,088.16	2,86,544.40
Total		19,18,83,12,038.22	17,96,10,84,389.47
Less:	Interest credited to Building Construction Fund	0.00	0.00
Total		19,18,83,12,038.22	17,96,10,84,389.47
EDLI Administration Fund			
SCHEDULE No. 40			
Income from Administration Charges, Penal Damages & 7Q Interest during the year			
1	EDLI Administration Charges received during the year	25,51,06,842.25	20,75,51,660.83
2	EDLI Inspection Charges received during the year	6,64,42,814.09	5,06,56,029.00
3	Penal Damages collected during the year	1,44,95,476.10	1,44,47,398.30
4	7Q Interest collected during the year	78,70,596.17	72,67,729.00
Total		34,39,15,728.61	27,99,22,817.13
SCHEDULE No. 41			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	2,48,73,73,722.60	2,32,24,77,798.88
2	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Interest on Savings Bank Account	1,723.75	1,657.72
Total		2,48,73,75,446.35	2,32,24,79,456.60

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		Amount (in Rs.)	
		Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)
<u>EPF Contributions Fund</u>			
SCHEDULE No. 42			
Interest payment to the Members			
1	Interest credited to Members PF A/c during the year (Including In operative A/c's)	0.00	0.00
2	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the FY 2021-22	7,63,19,08,00,000.00	6,99,80,06,00,000.00
3	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the earlier years	0.00	0.00
Total		7,63,19,08,00,000.00	6,99,80,06,00,000.00
<u>EPS Contributions Fund</u>			
SCHEDULE No. 43			
Amount paid to outgoing members / beneficiaries			
1	Withdrawal / retirement benefits	84,92,91,94,829.04	83,49,22,88,137.90
2	Life Assurance Benefits	3,363.00	0.00
3	Pension Payments	1,28,11,67,96,402.69	1,20,67,76,78,016.79
Total		2,13,04,59,94,594.73	2,04,16,99,66,154.69

Schedule No. 24

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

FIXED ASSETS 2021-22

ALL ZONAL OFFICES/ FIELD OFFICE

(ENTIRE REGION i.e. REGIONAL OFFICE INCLUDING SUB-REGIONAL OFFICES UNDER THE JURIDICITION OF THE REGION)										Amounts (in Rs.)	
S No.	Fixed Asset	Gross Block				Depreciation				Net Block	
		Cost/ Valuation at the beginning of the year	Additions of fixed assets during the year	Deletions of fixed assets during the year	Cost/Valuation at the end of the year (A)	Accumulated depreciation at the beginning of the year	Depreciation for the current year	Depreciation on fixed assets deleted during the year	Accumulated depreciation at the year end (B)	As at the Current Year-end [A-B]	As at the Previous year-end
1	Land										
a	Freehold Land	72,71,90,701.63	44,96,05,746.00	-	1,17,37,86,447.63	41,84,297.00	(41,84,297.00)	-	-	1,17,37,86,447.63	72,29,96,404.63
b	Leasehold Land	22,89,93,728.50	-	-	22,89,93,728.50	4,02,03,039.89	17,88,679.87	-	4,19,71,719.46	18,70,22,010.04	18,87,90,689.91
2	Building										
a	Building-Office	2,31,04,65,493.82	34,93,31,448.00	-	2,65,97,96,941.82	42,10,97,787.94	4,33,48,854.78	-	46,44,46,622.72	2,19,53,50,319.10	1,88,93,87,725.88
b	Lease hold Building-Office	79,84,03,534.47	4,72,74,482.00	-	84,56,78,016.47	23,96,78,105.77	91,02,484.32	-	24,87,80,590.09	59,68,97,426.38	55,87,25,428.70
c	Building -Residential	87,52,23,687.98	85,56,225.00	-	88,37,79,922.98	24,88,72,108.21	1,44,24,108.43	-	26,33,96,216.64	62,03,83,708.35	62,82,51,588.78
d	Lease hold Building-Residential	20,31,20,347.00	(4,72,74,482.00)	-	15,58,45,865.00	8,28,84,818.00	7,07,194.00	-	8,35,91,812.00	7,22,54,053.00	12,02,35,729.00
3	Plant Machinery & Equipment	96,84,588.25	42,540.00	-	97,27,108.25	45,23,835.47	9,71,713.52	-	55,01,348.99	42,25,760.26	51,60,933.78
4	Vehicles & Motor Car	1,91,80,111.04	80,200.00	1.00	1,92,50,310.04	97,71,782.58	17,25,489.14	-	1,14,87,231.72	77,53,078.32	93,86,348.46
5	Furniture & Fixtures	28,73,88,462.02	7,84,40,174.42	1,61,500.00	36,58,37,136.44	7,90,99,876.29	2,70,73,554.42	1,51,500.00	10,80,21,930.71	25,96,15,206.73	20,82,58,585.73
6	Office Equipment	11,31,87,894.52	5,30,80,837.06	1,26,150.00	16,61,82,621.58	4,84,76,231.20	2,21,47,344.34	-	7,06,23,575.53	9,55,28,046.05	9,47,21,703.33
7	Computers/Peripherals	1,05,11,53,809.37	17,18,88,751.25	1,28,397.00	1,22,29,11,963.62	72,16,36,268.85	20,87,50,161.26	-	93,03,86,430.11	28,25,25,533.51	32,85,17,340.52
8	Electrical Installations	5,70,89,388.33	1,20,88,004.00	-	6,91,57,390.33	1,52,74,180.13	55,43,732.25	-	2,08,17,912.38	4,83,39,477.95	4,17,85,206.20
9	Library Books	43,85,905.00	12,07,922.00	-	55,93,827.00	2,23,917.47	2,30,046.56	-	4,53,964.03	51,39,862.97	41,61,987.53
	Tube wells & Water Supply	20,41,345.00	6,21,289.00	7,800.00	26,55,014.00	12,98,210.87	3,59,802.64	7,800.00	16,41,413.31	10,13,600.69	7,52,134.33
10	Other Fixed Assets	2,64,14,880.13	24,76,511.00	-	2,88,91,491.13	43,44,895.76	14,03,655.43	-	57,48,651.19	2,31,42,838.94	2,20,69,984.37
11	Total	6,71,38,33,807.07	1,12,44,27,627.73	4,23,648.00	7,83,78,37,785.80	1,92,16,40,014.92	33,33,98,503.94	1,59,100.00	2,25,48,79,418.86	5,58,29,58,367.94	4,79,21,93,792.16
Depreciation											
Net Block											
S No.	Fixed Asset (INTANGIBLE)	Cost/ Valuation at the beginning of the year	Additions of fixed assets during the year	Deletions of fixed assets during the year	Cost/Valuation at the end of the year (A)	Accumulated depreciation at the beginning of the year	Depreciation for the current year	Depreciation on fixed assets deleted during the year	Accumulated depreciation at the year end (B)	As at the Current Year-end [A-B]	As at the Previous year-end
1	Computer Software	1,76,97,876.50	13,42,83,320.00	49,800.00	15,19,31,396.50	32,17,245.86	7,82,105.66	49,800.00	39,49,551.52	14,79,81,844.98	1,44,80,630.64
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	Total	1,76,97,876.50	13,42,83,320.00	49,800.00	15,19,31,396.50	32,17,245.86	7,82,105.66	49,800.00	39,49,551.52	14,79,81,844.98	1,44,80,630.64
	GRAND TOTAL	6,73,15,31,683.57	1,25,87,10,947.73	4,73,448.00	7,98,97,69,183.30	1,92,48,57,260.78	33,41,80,609.61	2,06,900.00	2,25,88,28,970.39	5,73,09,40,212.91	4,80,66,74,422.79

NOTE:- INTANGIBLE ASSETS PRIOR TO 01-04-2017, IF ANY ARE INCLUDED IN TANGIBLE ASSETS

Investment Schedule

SCHEDULE No. 18

Amount (in Rs.)

Employees' Provident Fund - Investments

S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value					Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities - CTG	15,04,09,08,52,600.00	15,09,57,95,40,511.12	4,95,98,57,30,693.00	1,18,81,93,000.00	31,59,83,71,100.00	-1,00,86,25,047.02	19,76,18,17,19,151.14	19,87,87,86,04,500.00
2(1)	Public Sector Undertaking - PSU	17,83,23,17,23,801.00	17,83,00,32,64,154.88	2,92,82,98,15,224.00	-	85,00,78,51,855.00	-5,00,49,356.83	19,80,67,49,76,890.51	19,91,04,57,71,946.00
2(2)	CBLO/TREPS	33,29,68,28,137.24	28,79,71,76,603.05	4,49,98,51,534.19	-	4,08,25,38,775.76	-	29,21,42,98,381.48	29,21,42,98,381.48
3	Private Securities	5,22,28,90,87,894.00	5,22,34,05,03,188.50	95,80,00,00,000.00	2,27,41,80,000.00	56,70,62,38,500.00	3,30,66,153.93	5,61,47,54,78,544.67	5,61,45,70,09,484.00
4	CCIL Margin Money	-	4,00,00,000.00	37,00,000.00	-	-	-	4,37,00,000.00	-
5	State Development Loans - SDL	41,08,76,67,60,700.00	41,14,88,62,81,200.46	7,18,30,41,45,117.00	1,82,47,00,000.00	1,28,76,95,04,100.00	1,45,03,98,982.00	47,04,79,82,25,235.48	48,98,62,68,86,800.00
6	State Govt Securities - STG	1,83,93,22,55,359.00	1,84,73,93,94,065.14	-	27,50,000.00	56,52,93,35,570.00	68,26,66,362.27	1,07,53,01,42,132.87	1,07,40,58,69,788.00
7	Special Deposit Scheme - SDS	5,31,68,39,26,180.62	5,31,68,39,26,180.62	-	-	-	-	5,32,83,34,51,602.10	5,32,83,34,51,602.10
8	Public Account	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ETF	7,87,98,18,71,313.65	7,87,98,18,71,313.65	3,21,55,70,96,212.98	-	72,41,48,80,918.51	-	10,17,12,43,86,608.12	10,17,12,43,86,608.12
10	LMF	-	-	3,38,19,33,41,693.00	-	2,55,24,28,98,518.13	-	82,95,04,43,174.87	82,95,04,43,174.87
11	FDR	76,80,00,00,000.00	76,80,00,00,000.00	53,76,00,00,000.00	-	76,80,00,00,000.00	-	53,76,00,00,000.00	53,76,00,00,000.00
12	Amount under reconciliation	-	-	-	(20,67,80,13,733.26)	-	-	(1,51,47,84,544.18)	-
Total		94,90,07,31,88,085.51	95,19,01,33,86,416.40	23,20,53,32,80,474.17	(14,23,56,65,311.78)	7,69,15,25,19,337.40	1,10,94,55,094.35	1,10,55,04,90,27,147.00	1,10,63,29,66,13,075.60
* Opening balance of CBLO/TREPS of Rs. 4,49,98,51,534.19 as on 01.04.2020 which was not included in PY, has been added and shown under the head Amount Invested during the year									

SCHEDULE No. 20

Employees' Pension Fund - Investments

S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value					Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities - CTG	7,68,84,86,10,700.00	7,73,90,12,88,201.01	2,41,27,04,55,746.00	-	39,10,95,28,000.00	(38,89,27,230.47)	9,76,44,90,41,177.48	9,80,11,71,92,700.00
2(1)	Public Sector Undertaking - PSU	7,90,79,80,70,060.00	7,90,75,21,97,488.98	1,12,87,87,75,000.00	-	48,84,25,33,560.00	(1,40,72,888.31)	8,55,00,25,11,927.29	8,55,07,45,36,500.00
2(2)	CBLO/TREPS	14,76,90,34,520.51	13,76,91,16,705.54	99,99,17,814.97	-	3,92,33,29,455.66	-	10,84,57,05,064.88	10,84,57,05,064.88
3	Private Securities	2,23,47,90,04,000.00	2,23,49,84,00,448.14	48,65,00,00,000.00	68,45,76,000.00	21,85,93,49,400.00	1,40,72,628.64	2,51,15,95,54,421.50	2,51,15,42,30,600.00
4	CCIL Margin Money	-	1,00,00,000.00	15,00,000.00	-	-	-	1,15,00,000.00	-
5	State Development Loans - SDL	18,57,23,45,300.00	18,61,43,39,43,720.99	2,82,78,85,71,965.00	-	55,55,09,70,900.00	62,50,36,185.09	20,88,04,65,08,650.90	20,88,43,12,15,400.00
6	State Govt Securities - STG	71,81,80,00,000.00	71,81,85,55,802.47	-	-	27,41,80,00,000.00	18,97,56,140.53	50,21,07,99,461.94	50,20,10,00,000.00
7	Special Deposit Scheme - SDS	14,00,52,28,022.64	14,00,52,28,022.64	-	-	-	-	14,00,52,28,022.64	14,00,52,28,022.64
8	Public Account	16,31,11,11,36,012.86	16,31,11,11,36,012.86	3,45,03,99,00,000.00	-	13,56,39,488.24	-	18,76,15,10,36,012.86	18,76,15,10,36,012.86
9	ETF	4,21,65,73,91,983.56	4,21,65,73,91,983.56	1,07,47,28,28,002.93	-	1,00,96,29,32,492.48	-	5,28,99,45,78,500.25	5,28,99,45,78,500.25
10	LMF	-	-	1,20,50,64,35,910.00	-	13,47,00,00,000.00	-	19,64,36,03,417.52	19,64,36,03,417.52
11	FDR	13,47,00,00,000.00	13,47,00,00,000.00	13,47,00,00,000.00	-	13,47,00,00,000.00	-	13,47,00,00,000.00	13,47,00,00,000.00
Total		58,08,32,78,21,599.57	58,15,42,72,56,196.18	12,53,07,83,82,468.90	68,45,76,000.00	3,04,77,22,83,294.37	42,78,64,713.48	87,63,99,00,66,657.23	47,76,46,72,90,205.27
* Opening balance of CBLO/TREPS of Rs. 99,98,17,814.97 as on 01.04.2020 which was not included in PY, has been added and shown under the head Amount Invested during the year									

SCHEDULE No. 22

Employees' Deposit Linked Insurance Scheme - Investments

S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value					Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities - CTG	36,16,35,92,000.00	36,16,49,91,855.35	3,00,58,73,536.00	-	1,17,84,75,000.00	(2,92,30,950.81)	38,02,17,21,342.16	38,09,47,97,000.00
2(1)	Public Sector Undertaking - PSU	44,74,90,51,000.00	44,74,99,76,524.68	6,68,20,00,000.00	-	2,20,12,51,000.00	(9,45,185.25)	49,23,16,70,710.11	49,23,88,00,000.00
2(2)	CBLO/TREPS	15,24,29,214.38	15,24,29,214.38	26,84,11,212.15	-	-	-	42,08,40,428.53	42,08,40,428.53
3	Private Securities	10,92,76,51,000.00	10,93,37,72,180.71	-	3,57,78,000.00	1,07,49,94,450.00	13,87,621.64	9,89,32,68,109.07	9,88,85,34,550.00
4	State Development Loans - SDL	1,01,65,30,73,000.00	1,01,87,40,09,668.48	16,35,36,10,000.00	-	2,68,02,18,000.00	3,62,34,019.81	1,15,61,11,67,048.65	1,15,41,55,55,000.00
5	State Govt Securities - STG	3,62,70,00,000.00	3,65,80,22,974.02	-	-	1,32,20,00,000.00	2,38,28,480.00	2,31,01,96,484.92	2,30,50,00,000.00
6	Special Deposit Scheme - SDS	2,49,76,308.05	2,49,76,308.05	-	-	-	-	2,49,76,308.05	2,49,76,308.05
7	Public Account	1,20,59,40,30,388.14	1,20,59,40,30,388.14	10,25,58,00,000.00	-	-	-	1,30,85,09,30,388.14	1,30,85,09,30,388.14
8	ETF	22,55,61,25,829.22	22,55,61,25,829.22	2,94,55,74,037.22	-	2,79,02,98,069.88	-	25,50,16,99,868.74	25,50,16,99,868.74
9	LMF	-	-	3,23,80,43,516.00	-	53,00,00,000.00	-	44,58,95,672.98	44,58,95,672.98
10	FDR	2,50,228.68	2,50,228.68	1,57,80,00,000.00	-	1,57,80,00,000.00	-	1,57,80,00,000.00	1,57,80,00,000.00
Total		3,40,45,71,78,967.45	3,41,23,66,99,939.05	44,32,75,12,301.37	3,57,78,000.00	11,67,71,36,519.68	3,12,71,995.39	3,73,89,15,81,725.36	2,41,33,61,78,825.01

Investment Schedule

SCHEDULE No. 26

EPF Staff Provident Fund -Investments

S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value				Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities -CTG	4,50,23,26,000.00	4,48,32,76,889.40	28,67,68,000.00	11,30,25,000.00	(42,51,500.81)	4,66,12,71,400.21	4,68,93,01,000.00
2(i)	Public Sector Undertaking -PSU	3,94,27,71,000.00	3,93,96,66,583.24	65,70,00,000.00	20,60,00,000.00	-41,1938.64	4,39,10,78,521.88	4,39,37,71,000.00
2(ii)	CBI/OTREPS	2,30,89,277.72	2,30,89,277.72	1,35,96,811.72	-	-	3,66,86,089.44	3,66,86,089.44
3	Private Securities	1,03,50,35,000.00	1,03,50,28,679.42	-	12,20,00,000.00	25,301.80	91,30,03,377.62	91,30,35,000.00
4	State development Loans -SDL	8,39,56,50,000.00	8,41,37,71,389.78	1,48,14,70,000.00	32,77,80,000.00	32,73,414.80	9,54,41,87,974.98	9,52,90,30,000.00
5	State Govt Securities -STG	24,60,00,000.00	24,82,34,950.33	-	8,60,00,000.00	16,98,866.60	16,05,36,083.73	16,00,00,000.00
6	Special Deposit Scheme -SDS	83,33,20,534.92	83,33,20,534.92	-	-	-	83,33,20,534.92	83,33,20,534.92
7	Public Account	-	-	-	-	-	-	-
8	ETF	1,08,25,38,715.95	1,09,25,38,715.95	12,03,49,175.11	-	-	1,21,28,87,891.06	1,21,28,87,891.06
9	LMF	-	-	15,47,10,413.00	14,00,56,320.88	-	1,46,54,082.12	1,46,54,082.12
Total		20,07,07,30,528.59	20,06,89,27,030.76	2,69,38,94,399.83	99,49,61,320.88	3,34,143.75	21,76,76,25,965.96	21,78,26,85,607.54

SCHEDULE No. 27

EPF Staff Pension cum Gratuity Fund -Investments

S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value				Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities -CTG	13,47,66,01,200.00	13,48,56,62,737.96	2,82,26,19,000.00	44,36,47,000.00	(89,37,609.64)	15,87,35,72,347.60	15,98,29,54,200.00
2(i)	Public Sector Undertaking -PSU	26,27,98,28,000.00	26,25,95,15,768.48	5,90,00,000.00	41,60,70,000.00	(35,92,074.48)	31,74,70,37,842.97	31,76,37,58,000.00
2(ii)	CBI/OTREPS	14,81,31,210.30	14,81,31,210.31	4,53,95,408.65	-	-	19,35,26,818.96	19,35,26,818.96
3	Private Securities	5,29,86,50,000.00	5,30,29,79,924.80	-	17,20,00,000.00	7,98,541.99	5,13,01,81,382.81	5,12,66,50,000.00
4	State development Loans -SDL	60,97,16,10,000.00	61,16,01,18,474.26	14,19,82,55,000.00	70,51,80,000.00	2,98,38,958.45	74,62,33,54,515.81	74,45,81,40,000.00
5	State Govt Securities -STG	74,30,00,000.00	74,75,05,100.99	-	16,40,00,000.00	25,81,583.81	58,09,43,517.18	57,80,00,000.00
6	Special Deposit Scheme -SDS	91,79,27,328.87	91,79,27,328.87	-	-	-	91,79,27,328.87	91,79,27,328.87
7	Public Account	-	-	-	-	-	-	-
8	ETF	16,57,60,06,243.67	16,57,60,06,243.53	3,68,50,03,061.38	-	-	20,16,10,08,305.05	20,16,10,08,305.05
9	LMF	1,38,535.74	(6,61,484.26)	3,88,74,24,372.00	3,49,88,13,118.70	-	38,69,49,788.04	38,69,49,788.04
Total		1,24,41,18,92,516.58	1,24,59,71,85,322.95	30,43,86,96,842.03	5,40,07,10,118.70	2,06,65,400.13	1,49,61,45,02,646.15	1,49,54,99,15,239.91

EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995									
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2021-22									
(CONTRIBUTION ACCOUNT)									
Previous Year (2020-21)	S. No.	Receipts	Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)	S. No.	Payments	Amount (in Rs.)	Current year (2021-22)	
50,60,51,08,23,590.95	1.	Opening Balance as on 01-04-2021	58,04,92,90,40,378.44		1.	Amount paid to outgoing members/beneficiaries :			
4,40,09,53,35,773.91	2.	(i) Contribution deposited by Employers	4,97,19,97,84,351.98	0.00		(a) Amount of Employee's share with interest		0.00	
75,19,01,00,000.00		(ii) Govt. contribution received during 2021-22* (including arrears)	78,06,19,66,087.41	83,49,22,88,137.90		(b) Withdrawal/Retirement benefits		84,92,91,94,829.04	
1,39,84,76,00,000.00	3.	Interest on the balance in the Public Account of Govt. of India	1,71,44,79,00,000.00	0.00		(c) Life Assurance benefits		3,363.00	
3,16,433.39	4.	Interest on Saving Bank Account	12,62,613.14	1,20,67,76,78,016.79		(d) Pension		1,28,11,67,96,402.69	
2,93,08,04,56,913.44	5.	Interest received on Securities	3,09,32,99,69,939.94		2.	Amount paid as commission for disbursement of pension			
1,83,51,17,034.26	6.	Penal Damages	2,61,42,92,067.69	1,04,48,22,610.70				1,21,13,87,404.35	
	7.	Other receipts :		0.00	3.	Amount paid towards Pension Fund Admn. Expenses		0.00	
90,52,50,111.32		(a) Regional Contribution A/c No. 10	1,09,28,46,948.03	0.00	4.	Amount of securities transferred on grant of exemption		0.00	
0.00		(b) Central Contribution A/c No. 11	0.00	1,27,49,09,950.15	5.	Amount paid as accrued interest on purchase of Securities		3,35,19,81,796.59	
					6.	Other payments :			
				4,62,60,763.29		(a) Regional Contribution A/c No. 10		23,24,403.00	
				0.00		(b) Central Contribution A/c No. 11		15,04,79,657.39	
				58,04,92,90,40,378.44	7.	Closing Balance as on 31-03-2022		66,46,91,48,94,530.57	
60,11,46,49,99,857.27		TOTAL	68,64,67,70,62,386.63	60,11,46,49,99,857.27		TOTAL		68,64,67,70,62,386.63	

*Including a sum of Rs 11,35,42,00,000.00 received from MoL&E against reimbursement of minimum pension of Rs 1000.00

Sd/-
(HEMANT JAIN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(NEELAM SHAMI RAO)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976							
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2021-22							
(CONTRIBUTION ACCOUNT)							
				Amount (in Rs.)			
Previous Year (2020-21)	S. No.	Receipts	Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)	S. No.	Payments	Current year (2021-22)
3,03,77,76,18,280.76	1.	Opening Balance as on 01-04-2021	3,42,14,90,74,449.90	8,54,91,37,998.84	1.	Assurance Benefits	20,25,32,21,698.68
21,85,15,80,328.12	2.	Contribution of Employers	25,68,46,56,001.76	0.00	2.	Amount refunded to employers on grant of exemption	0.00
9,44,20,00,000.00	3.	Interest on investment in Public Account of Govt. of India	10,25,69,00,000.00	3,68,90,416.44	3.	Amount paid as accrued interest on purchase of securities	4,99,59,955.46
15,47,64,23,996.40	4.	Interest on investment in securities	16,24,12,77,659.62		4.	Other payments in :	
425.95	5.	Interest on S.B. Accounts	98,036.95	11,30,966.13		Account No. 21	1,03,414.00
10,07,81,972.08	6.	Penal Damages & 7Q Intt.	15,68,45,717.13			Account No. 25	1,89,23,775.02
	7.	Other receipts in :		3,42,14,90,74,449.90	5.	Closing Balance as on 31-03-2022	3,74,33,22,30,375.23
8,78,28,828.00		Account No. 21	16,35,17,715.00				
0.00		Account No. 25	69,638.03				
3,50,73,62,33,831.31		TOTAL	3,94,65,24,39,218.39	3,50,73,62,33,831.31		TOTAL	3,94,65,24,39,218.39

Sd/-
(HEMANT JAIN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(NEELAM SHAMI RAO)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976									
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2021-22									
(ADMINISTRATION ACCOUNT)									
Previous Year (2020-21)	S. No.	Receipts	Current year (2021-22)	Previous Year (2020-21)	S. No.	Payments	Current year (2021-22)	Amount (in Rs.)	
33,74,77,81,432.87	1.	Opening Balance as on 01-04-2021	35,96,89,64,038.08	38,11,72,569.52	1	1% Proportionate expenditure on EPFO	43,91,02,592.15		
20,75,51,660.83	2.	Administrative Charges received from the employers	25,51,06,842.25		2	Other payments in :			
5,06,56,029.00	3	Inspection Charges received	6,64,42,814.09	47,099.00		Account No. 22	62,213.00		
2,17,15,127.30	4	Penal Damages & 7Q Init.	2,23,66,072.27	0.00		Account No. 24	0.00		
2,32,24,77,798.88	5	Interest received on Investment	2,48,73,73,722.60	35,96,89,64,038.08	3	Closing Balance as on 31-03-2022	38,36,10,90,620.29		
1,657.72	6	Interest on Savings Bank A/c	1,723.75						
	7.	Other receipts in :							
0.00		Account No. 22	212.40						
0.00		Account No. 24	0.00						
36,35,01,83,706.60		TOTAL	38,80,02,55,425.44	36,35,01,83,706.60		TOTAL	38,80,02,55,425.44		

Sd/-
(HEMANT JAIN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(NEELAM SHAMI RAO)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

**Schedule forming part of the Accounts
for the period 2021-22**

Schedule 44: Significant Accounting Policies

**Schedule 45: Contingent Liabilities and
Notes on Accounts**

Employees' Provident Fund Organisation

Schedule forming part of the Accounts for the period 2021-22

Schedule 44: Significant Accounting Policies :

1. Accounting Convention

The financial statements are prepared on accrual basis unless otherwise stated, under the historical cost convention in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of Common Format of Accounting as recommended by Government of India.

2. Investments

(A) The policy of Accounting of ETF investment has been proposed to Government of India and will be applicable after notification of proposed amendment in Schemes under EPF & MP Act., 1952. At present, ETF investments is shown at 'Cost Price'.

(B) The investment in debts securities has been valued at amortized value as per the revised accounting policy for investments as approved by Central Board in its 178th meeting held on 27.01.2007.

3. Fixed Assets:

3.1 Till 2015-16, Land & Buildings were shown together; however, in new format land is separately shown for 2015-16 onwards. Land is classified as leasehold land and freehold land.

3.2 Expenditure on all items costing more than Rs. 5,000 and having useful life more than one year is considered as capital expenditure and Depreciation on these assets will be treated as expenditure for the year.

3.3 Fixed Assets are valued at historical cost.

3.4 All assets except Land and Building, acquired before 01.04.2015 (Date of switching from cash basis to accrual basis of accounting) have been valued at nominal price @ Re. 1 per item.

Explanation:

Till F.Y.2015 -16, only Land & Building were considered as Fixed Assets, but in new system all the items falling under definition of Fixed Assets are treated as Fixed Asset and depreciation is charged accordingly. Prior to 01.04.2015 all the assets (except

Land and Building) purchased and booked as expenditure in the respective years, are valued at Re. 1 per asset and accounted for as opening assets. This is done as per guidelines of Indian Government Financial Reporting Standard (IGFRS) issued by Government Accounting Standard Advisory Board (GASAB) constituted by C&AG of India with the support of Government of India which is working on migration to accrual basis accounting in Union and State Government organisations.

4. Depreciation

- 4.1 Depreciation on fixed assets is provided on Straight Line Method at the rates specified in the Companies Act, 2013 (as amended).
- 4.2 Full rate of depreciation is provided on fixed assets, which have been used for 180 days or more and at half rate is provided if it is used for less than 180 days during the year.
- 4.3 On leasehold buildings such as buildings acquired from government agencies or lump sum payment for specified number of the year of lease, depreciation is provided on Straight Line Method with reference to lease period.
- 4.4 The lump sum lease amount paid on lease hold land is amortised proportionately every year over the lease period of the holding.
- 4.5 On freehold building depreciation is first applied for the period from date of acquisition to 01.04.2015. There after normal process of depreciation is being followed as per depreciation chart provided.

(Ref. Accounting Standards-6 and10)

Explanation: Depreciation Rate chart as per Part "C" of Schedule II of the Companies Act, 2013 is being followed for calculating depreciation.

5. Government Grants/Subsidies:

Government Grants/contribution due for the Employees' Pension Scheme and Employees Provident Fund Scheme is accounted on accrual basis.

6. Employees Dues:

- 6.1 The salary payable to staff for the month of March shall be treated as expenditure of same financial year on accrual basis, irrespective of actual date of payment.

- 6.2 The interest, on advances paid to staff will be equally distributed in the period of recovery irrespective of recovery period of the interest.

7. Lease

- 7.1 Lease rentals are expensed with reference to lease terms.
- 7.2 Rent on hired buildings, payable by the end of the year shall be accounted on accrual basis and provision to that extent shall be made.

8. Interest Income

- 8.1 Interest income on investment pertaining to the year will be treated as income of that year.
- 8.2 As actual amount is not received it will be shown proportionately, as receivable in the account head "Interest accrued but not due".
- 8.3 Interest accrued and due but not received on investments are accounted on accrual basis from 2015-16 onwards.

9. Retirement Benefits:

- 9.1 EPFO maintains separate funds for staff Pension-cum-Gratuity. The liabilities of the EPFO on the account of such items are accounted on actuarial basis at the year end. The addition or deletion to funds on account of actuarial valuation is accounted for as expenditure or income, as the case may be, of EPFO in the year of addition or deletion. According to the provisions of Accounting Standard-15, the employees' benefits should be accounted for as per the Actuarial Valuation and as per provisions. The cost of retirement benefits should be accounted for during the period for which the services are rendered.
- 9.2 Leave encashment paid during the year shall be treated as revenue expenditure of that year.

10. Revenue Recognition:

In case of any recovery through demand/recovery notice issued to employers, the revenue is recorded on cash basis. Other disclosures with regard to assessment under section 7A, damages levied under section 14 B and interest levied under section 7Q of the EPF & MP Act, 1952 is disclosed in notes to accounts.

11. Advances to contractors / Agencies for building construction :

Advances given for construction work will be treated as current asset and will be initially shown as "Advance to contractors/ agencies". On the basis of measurement at the end of the year the amount will be transferred to the head "Capital work in progress" to the extent of the work has been executed, but yet to be finally completed.

Schedule 45: Contingent Liabilities and Notes on Accounts:

1. Contingent Liabilities:

S. No.	Contingent Liability	Current year (Rs.)	Previous year (Rs.)
1.	Claims against the entity not acknowledged as debts.		
(a)	Goods & Service Tax (formerly, Service Tax)	13,08,04,05,797.00	13,08,04,05,797.00

Status of cases of Goods & Services Tax (formerly, Service Tax) as on 31-03-2022:

S. No.	Period Covered	ST demand & Nature	Status
1	2010-11	2,16,32,19,135.00	Being aggrieved with the O-I-O dated 21.08.2012 Notice filed an appeal before the Hon'ble CESTAT, Panchkula
2	2009-10	1,74,75,41,733.00	Notice filed an appeal before the Hon'ble CESTAT, New Delhi and the appeal has finally been heard on 02.05.2019 and order is reserved which is likely to be pronounced soon. In this regard, an email dated 06-05-2022 and reminder dated 09-05-2022 has been sent to empanelled CA M/s A.K. Batra & Associates to provide the outcome of hearing. The reply received on 09-05-2022 from M/s A.K. Batra & Associates which states that "since the Hon'ble CESTAT has not passed the order within three months from the date of reservation of order i.e., 02.05.2019 and the same has lapsed. Therefore, the matter is listed for re-hearing and the next date of hearing is 01.06.2022".
3	2011-12	2,73,05,33,957.00	
4	2012-13	3,41,89,46,448.00	
5	2013-14	3,02,01,34,524.00	
		13,08,03,75,797.00	

2. Capital Commitments

Estimated value of contracts remaining to be executed at the end of F.Y.2021-22, on capital account and not provided for is Rs. 26,316.11 Lakh. At the end of previous year it was Rs. 32,686.85 Lakh

NOTES ON ACCOUNTS

I. Adoption of Common Format of Accounts

The Accounts have been prepared in Common Format of Accounts approved by CAG of India and notified by Government of India vide G.S.R. No.284(E), G.S.R. No.285(E) and G.S.R. No.286(E) dated 04-04-2019.

II. Prior period Income & Expenditure

The Income and Expenditure Accounts includes the prior period expenditure for a sum of Rs. 08.54 Crore

III. Recovery of statutory dues:

1. Total statutory dues assessed under EPF & MP Act, 1952 and due for realization under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q as on 31st March, 2022 are tabulated as under:-

S. No.	Name of the scheme	Total arrear amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q (in Rs. in lakh) as on 31.03.2022		Total arrear amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q (in Rs. in lakh) as on 31.03.2021	
		Arrear	Penal Damages/ Interest	Arrear	Penal Damages/ Interest
1.	Employees Provident Fund	556,865.14	249,937.60	391,830.46	205,763.79
2.	EPF Admn. Fund	31,606.10	21,843.57	32,256.19	14,730.74
3.	Employees' Pension Fund	254,188.46	129,449.48	208,200.53	104,704.26
4.	Employees Deposit Link Insurance (EDLI) Fund	20,558.89	8,592.14	17,301.23	7,953.69
5.	EDLI Admn. Fund	762.65	416.01	681.12	308.20
Total		863,981.23	410,238.81	650,269.53	333,460.68

(Source MIS)

2. Realisable category amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q, and recovered through demand/recovery notices issued to employers, is recorded on cash basis.

3. Due to uncertainty of recovery and unable to quantify the exact amount of recovery before completion of proceedings, the recognition of revenue should be postponed as per provisions of Accounting Standard-9 with respect to revenue recognition. Further, on receipt of actual contributions amount are to be credited in EPF member's account and not on due basis.

IV. EMPLOYEES PENSION FUND :

Employees' Pension Fund actuarial valuation report has been submitted for 31-03-2016 and 31-03-2017, and has been accepted by the Government. The valuation results as on 31.03.2017 are as under:

Valuation Results:

Net Liability Bifurcation	Amount in Crore Rs.
Present Value of all the benefits	7,37,700.57
Present Value of contribution	4,03,756.28
Net Present value of all benefits (C)=(a)-(b)	3,33,944.29
Corpus as on 31-03-2017 (d)	3,18,412.38
Net Liability (c)-(d)(Actuarial Shortfall)	15,531.91

The Employees' Pension Fund actuarial valuation for 31-03-2018 and 21-03-2019 has been completed by the Actuary and the draft report is under consideration with the Central Government.

For appointment of Valuer for valuation of the Employees' Pension Fund as on 31 -03-2020 and 31-03-2021, the process of tendering is underway.

V. EMPLOYEES DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME

Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) Fund was last valued as on 31-03- 2019 and the valuation results are as under:

	Amount in (Rs. crore)
Net Liability (a)	10,779.34
Less Fund (b)	27,234.66
Surplus after Fund (b)-(a)	16,455.32

A number of amendments have been made by Central Government , vide G.S.R 299(E) dated 28.04.2021 for enhancing the benefits payable under the EDLI Scheme, 1976. These are listed as below:

1. The maximum assurance benefit payable under paragraph 22(3) of EDLI Scheme, 1976 has been enhanced to Rs. 7 lakh.
2. The Minimum Assurance benefit of Rs. 2.50 lakh payable under paragraph 22(3) of EDLI Scheme, 1976 has been implemented retrospectively w.e.f. 15.02.2020.

3. Extending the benefit payable under paragraph 22(3) of EDLI Scheme, 1976 to beneficiaries in respect of deceased member, who has been a member of the Fund for a continuous period of 12 months preceding the month in which he died.

4. The punishment for failure to submit the returns by the establishment has been extended from Rs. Four Thousand to Rs. Twenty-Five Thousand.

5. The average monthly wages drawn (maximum subject to maximum of Rs. Fifteen Thousand) during the twelve months preceeding the month in which he died multiplied by Thirty Five times plus Fifty percentage of the average balance in the account of deceased in the fund or of the Provident Fund exempted u/s 17 of the Act or u/p 27 or 27A of the EPF Scheme, 1952 as the case may be during the preceeding twelve months or during the period of his membership whichever is less, subject to the ceiling of Rs. One Lakh and Seventy Five Thousand.

The above amendments shall be in force for a period of three years from the date of notification i.e. 28.04.2021 and thereafter to be reviewed as per the financial position of the EDLI Fund.

After the above amendments, the financial position of the EDLI Fund is as under :-

	Amount in (Rs. crore)
Net Liability (a)	27,099.38
Less Fund (b)	27,234.66
Surplus after Fund (b)-(a)	135.28

VI. MEMBERS' ACCOUNTS:

(A) In-operative Accounts : The definition of Inoperative Accounts u/p 72(6) of EPF Scheme, 1952 has been amended w.e.f. 11-11-2016. The amount classified and reported as Inoperative Accounts in the Consolidated Annual Accounts for the year 2017-18 was based on the definition prior to 11-11-2016. Now the closing balances of In-operative accounts are being shown on the basis of system generated report at the end of the Financial Year. The amount in 'Inoperative Accounts' is Rs. 4,962.70 Crore and No. of such accounts is 13,41,848 as on 31-03-2022.

(B) Irregular payments, and Overpayments :

As on 31.03.2022, a sum of Rs. 10.18 crore and Rs. 24.77 crore were the closing balance under the heads "Irregular Payment" and "Overpayments" respectively, taken on the basis of figures reported by Regional Offices. After detection of over payments or irregular payments, the loss is made good by officials responsible for the same. These payments are properly accounted for and monitored by a duly constituted Over Payment Review Committee. The field offices have also filed civil suits/criminal proceedings against the employees of the Organisation as well as outsiders for the recovery in such

cases. Moreover, the Internal Audit Parties have been suitably directed to take up the issue relating to overpayments & irregular payments during the audit of the field offices.”

VII. INVESTMENTS:

(A) Investments pending for realisation -

The details of investments showing yet to realise principal amount and interest thereon along with the action taken by EPFO is annexed as **Annexure ‘A’**

(B) Refund of TDS:

The matter has been taken up with the Secretary MOL&E vide U.O. Note dated 20-06-2018 proposing therein that issue may be taken up at level of Hon’ble Minister of Labour and Employment of the Government of India with Hon’ble Minister of Finance of the Government of India for issuing necessary directions to the Income Tax authorities for refund of Rs. 8,36,98,105.70 along with interest at the earliest. Under Secretary to Govt. of India, MOL&E vide letter dated 16.07.18 has requested to furnish the information relating to Details of Tax deductors and the amount of tax deducted date wise and tax wise certificate nos. and date of each certificate. External Concurrent Auditor (ECA) of EPFO has been given the additional task of taking up the matter with Income Tax authorities. ECA has proposed the action plan and Letter for claiming refund has been prepared to claim the amount from Income Tax Department and the same is under process.

(C) Difference between the figures of Investments :

The differences in figures of Securities transferred by Exempted PF trusts to CBT on cancellation of exemption has been reconciled and an amount of Rs. 2067.60 has been adjusted this year in Annual Accounts.

The opening balance of CBLO/TREPs as on 01.04.2021 of EPF of Rs. 449.96 Cr. and EPS of Rs. 99.99 Cr. which was not reported in the last year Balance Sheet, has been added in this current year’s Investment Schedules and the adjustment entry has been made in the PY adjustment head of respective scheme.

(D) The accrued interest and penal charges claimed for payment received after the pay date as on 31.03.2022 is Rs. 2,32,791.39/- out of which Rs. 1,07,521.38/- has been recovered and custodian is following up with issuers to recover the remaining amounts.

(E) The loss on sale of DHFL securities has been adjusted from the Interest Income during the year.

(F) The market value of amount invested in ETF as on 31-03-2022 was Rs.2,26,919.18 Crore.

VIII. SUSPENSE ACCOUNTS:

Suspense Account (EPF), Schedule No.5 (Current Liabilities and Provision)	
Opening Balance	65,93,66,159.87
Add: Amount remained unclassified during the year	4,24,51,84,875.87
Total	4,90,45,51,035.74
Less: Amount cleared during the year	4,46,36,18,674.88
Closing Balance	44,09,32,360.86

Suspense Account (Adm. Fund), Schedule No. 15 (Current Liabilities and Provision)	
Opening Balance	29,66,03,131.21
Add: Amount remained unclassified during the year	2,59,62,35,391.14
Total	2,89,28,38,522.35
Less: Amount cleared during the year	2,58,48,34,661.96
Closing Balance	30,80,03,860.39

Suspense Account (EPF), Schedule No. 19 (Current Assets, Loan & Advances)	
Opening Balance	1,27,68,85,111.74
Add: Amount remained unclassified during the year	1,40,94,49,186.11
Total	2,68,63,34,297.85
Less: Amount cleared during the year	1,87,86,59,389.35
Closing Balance	80,76,74,908.50

Suspense Account (Adm. Fund), Schedule No. 28 (Current Assets, Loan & Advances)	
Opening Balance	22,55,55,748.15
Add: Amount remained unclassified during the year	29,16,06,342.94
Total	51,71,62,091.09
Less: Amount cleared during the year	30,14,64,568.32
Closing Balance	21,56,97,522.77

IX (i)-PMRPY and PMPRPY:

PMRPY and PMPRPY Schemes are flagship incentive schemes of Government of India for the generation of new employment in private sector. These schemes were launched during October, 2016 for which, the Government provides grant-in-aid through the Bank Account of EPFO at Indian Bank for this purpose.

PMRPY Scheme provides for reduction of employers responsibility of pension contribution with respect to newly inducted Provident Fund members. EPFO directly reimbursed the deducted amount from the above-mentioned bank Account.

Government of India will pay full employer's contribution (EPF & EPS both) as admissible from time to time w.e.f. 01-04-2018 for a period of three years to the new employees and to the existing beneficiaries for their remaining period of three years through EPFO. The terminal date of registration of beneficiaries through establishment is 31st March, 2019 (amendment in PMRPY was done by Government through Office Memorandum DGE-U-13015/01/2016-MP(G) dated 12-04-2018). PMPRPY scheme designated for textile sector employees had been discontinued and balance lying in account has been transferred to PMRPY scheme account.

Interest earned on savings Bank Accounts maintained for PMRPY and PMPRPY has been returned back to Government of India, while the unutilized grant-in-aid funds of both the schemes are lying in PMRPY and PMPRPY accounts separately opened for this purpose in Indian Bank. The details of the accounts is mentioned as under: -

S.No	Details of PMRPY		
1	Opening Balance (01.04.2021)		1,08,51,67,376.00
	Add		
2	Fund received from Govt. of India (MoL&E): Fund Received from Govt. of India (MoL&E) (Annexure-I)	1,90,74,66,794.00	
3	Interest Credited by Bank	30,50,440.00	1,91,05,17,234.00
	Less		
4	Amount transferred to PMPRPY A/c of Interest of FY2021-22	43,48,137.00	
5	Upfront benefits Debited from PMRPY A/c to Indian bank collection A/c Bifurcation Account no.5 (PMPRPY) Account no.11 (PMRPY)	87,18,61,399.00 2,04,61,97,387.00	
6	Interest Remitted to MoL&E, Govt. of India upto 2020-21 under GFR provision	2,57,98,498.00	2,94,82,05,421.00
	Closing Balance		4,74,79,189.00

S. No.	Details of PMPRPY		
1	Opening Balance (01.04.2021)		3,79,695.00
	Add		
2	Fund received from Govt. of India (MoL&E)	0.00	
3	Interest Credited by Bank	5,162.00	
4	Fund transferred in account from PMRPY account of Interest earned during FY 2021-22 (Annexure-II)	43,48,137.00	43,53,299.00
	Less		
5	Subsidy to employers	0.00	
6	Interest Remitted to MoL&E, Govt. of India upto 2020-21 under GFR provisions (Annexure-III)	47,27,832.00	47,27,832.00
	Closing Balance		5,162.00

IX(ii) - PMGKY:

The Government of India on 26.03.2020 announced relief package under PMGKY for the poor to help them fight the battle against Corona Virus Pandemic. As part of the said package, the Central Govt. proposes to pay 24% (employees and employers share under EPF Act) of the monthly wages into EPF accounts initially for the next three months i.e march 2020, April 2020, May 2020. The scheme was further extended for next three months i.e June 2020 to August 2020 .

S. No.	Details of PMGKY		
1	Opening Balance (01.04.2021)		7,01,05,692.00
	Add		
2	Fund received from Govt. of India (MoL&E)	00.00	
3	Interest Credited by Bank	10,15,220.00	
4.	Erroneously received from Indian Bank	1,64,212.00	11,79,432.00
	Less		
5.	Subsidy to employers	00.00	
6	Interest remitted to MoL&E, Govt. of India upto 2020-21 under GFR provisions	6,64,44,927.00	6,64,44,927.00
	Closing Balance		48,40,197.00

IX(iii)- ABRV:

ABRV was launched on October 1, 2020 to incentivise employers for creation of new employment, restoration of loss of employment through EPFO. Under this scheme Central Govt. will credit the employees and employers share, under different conditions for the period of two years.

S. No.	Details of ABRV		
1	Opening Balance (01.04.2021)		4,05,03,21,781.00
	Add		
2	Fund received from Govt. of India (MoL&E) Fund received from TSA A/c	39,30,60,67,835.00	
3	Interest Credited by Bank	2,60,06,590.00	
4.	CONTRA ENTRY(reversal of erroneously debited amount)	65,47,61,723.00	39,98,68,36,148.00
	Less		
5	Subsidy to employers Upfront benefits Debited from ABRV Scheme A/c to SBI Investment A/c 5 Upfront benefits Debited from ABRV Scheme A/c to SBI Investment A/c 11	24,63,21,86,537.00 10,73,14,50,722.00	
6	Interest Remitted to MoL&E, Govt. of India upto 2020-21 under GFR provisions	3,21,781.00	
7	CONTRA ENTRY(Erroneously debited from account)	65,47,61,723.00	36,01,87,20,763.00
	Closing Balance		8,01,84,37,166.00

X- Centralised Bank Collection Accounts:

EPFO has moved to Centralized Receipt of statutory contributions in Single Bank Account in Multiple Banks, during December, 2016 in place of earlier system of receipt in decentralized Five Collection Accounts of all the Regional/Sub-Regional Offices. Centralized Receipt of fund is being treated as under:

- Erroneous Credit against duplicate TRRN is liability, which will be refunded in future. For accounting convenience it is shown in PF Scheme Account.
- Credited un-reconciled amount is treated as liability in EPF Scheme Account. Once the amount is reconciled it will be transferred to respective accounts as contribution.
- Credits by banks for testing of transaction are treated as Misc. Income in Income and Expenditure Account. Similarly bank charges are shown in Income & Expenditure Account of EPF Scheme.

- iv. Closing balances of Single Collection Accounts is shown as bank Balance of EPF Scheme (After adjustment of transactions of other Schemes and Administration Accounts).

XI. Fixed Assets (Schedule No.24)

(A) 'Other Fixed Assets comprise the assets such as Thermometer gun, pulse oximeter, table glass, sanitizer machine, Boundry wall of Office Land, Temporary shed ,Sony TV, AC & STABLIZER etc.

(B) The details of land not registered in the name of Employees' Provident Fund Organisation is as under:-

S. No.	Name of Zone/Office	Details of Land
1	Hyderabad	Sy No. 276/2 at Allwyn Colony, Kukatpally, GO MS No. 166 dated 17.06.2016
2	Head Office	The builtup office space of EPFO Head Office,14 Bhikaiji Cama place, Hudco Vishala Buildidng was purchased from Hudco on lease basis but till date lease deed has not registered in the name of EPFO. The Book value of this Building as on 31-03-2021 is Rs.20,29,55,497.00 only after depreciation.

XII. STAFF PENSION-CUM-GRATUITY FUND :

As per provision contained in Section 5-D of the EPF & MP Act, 1952 read with Employees Provident Funds (Staff & Conditions of service) Regulations, 1962, the officers and employees of Central Board of Trustees, EPF are eligible for pension-cum-gratuity benefits as applicable to the employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay. CCS (Pension) Rules, 1972 are applicable mutatis mutandis to the employees of EPFO.

Staff Pension-cum-Gratuity Fund was created w.e.f.1st April, 1965 to enable the CBT, EPF to adequately discharge its pension and gratuity payments liabilities towards its employees. The fund is fed from the surplus of administrative charges levied on establishments. The CBT, EPF in its 174th meeting held on 23.02.2006 had approved the proposal to increase the contribution to 21% of total emoluments from 12.4% of total emoluments being transferred prior to 23.02.2006 by way of monthly transfer. The CBT, EPF in the said meeting had, inter alia, recommended that Pension-cum-Gratuity Fund may be valued by the actuary on bi-annual basis.

The actuarial valuation status as on 31.03.2022 is tabulated below:

		(Rs. in crores)
(i)	Pension	11,406.84
(ii)	NPS(Family Pension in death cases)	558.34
(iii)	Gratuity	1,058.37
(iv)	Total liabilities (i) + (ii)+(iii)	13,023.55
(v)	Available balance as on 31.03.2019	8,305.95
(vi)	Deficit (iv) – (v)	4,717.60
(vii)	Amount transferred to Pension-cum-Gratuity during the FY 2019-20	1,316.01
(viii)	Amount transferred to Pension-cum-Gratuity during the FY 2020-21	1,419.88
(ix)	Amount transferred to Pension-cum-Gratuity during the FY 2021-22	1,630.69
(x)	Deficit 31.03.2022 (vi-vii-viii-ix)	351.02

The report of the actuary has been approved by the CBT, EPF in its 226th meeting held on 05-03-2020.

XIII - Addition/deletion of any head

In case any exigency due to policy decision or statutory requirement, if new head of Account is required to be added/deleted the same shall be done with authorization from competent authority which shall be FA & CAO, EPFO.

Sd/ -
(Hemant Jain)
FA & CAO

Sd/ -
(Neelam Shami Rao)
Central P.F. Commissioner

**STATEMENT SHOWING THE POSITION OF OUTSTANDING DEFAULT OF INTEREST & MATURITY AS ON
31st MARCH, 2022**

S. No.	Name of establishment	Principal (Face Value of Security) in default	Interest due but not received	Present status
1.	M/s Uttar Pradesh Financial Corporation (Since 1st April, 2004)		58,53,43,859.00	i. EPFO invested in bonds /securities issued by M/s UPFC having face value of Rs. 25 crs. The issuer has defaulted in payment of interest since 2004. ii. To recover the dues writ petition were filed at the Hon'ble High Court at Lucknow. The Hon'ble High Court issued an interim order on 22.02.2011 directing M/s UPFC to pay the principal amount to the petitioner within a maximum period of six months. iii. Due to failure of UPFC to comply with the interim order of Hon'ble High Court of U.P. (Lucknow Bench) for payment of the principal amount, Contempt petition was filed in the High Court by RPFC, SRO, Lucknow vide Writ petition No. 1760. iv. The Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Allahabad has passed the judgement in favour of EPFO vide order dated 27.07.2018. v. In compliance with the direction of the order of Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Allahabad in The Central Board of Trustee EPF Vs. State of U.P. (W.P. No.1760), UPFC has paid the Principal amount of Rs.25 crore on 27.08.2018. vi. Standard Chartered Bank, Custodian vide e-mail dated 07.09.2018 & RO, Lucknow letter dated 29.09.2018 has confirmed that Standard Chartered Bank (SCB) has received of Rs. 25 Crore pertaining to UPFC Securities. vii. Apart from that M/s UPFC has paid an amount of Rs.27,60,00,000/- only on 05.12.2018 against the interest

				amount claimed by EPFO, which was Rs 54,33,03,987.16 as on 27.10.2018. viii. EPFO vide letter dated 10.05.2019 has again requested to the Principal Secretary, Dept. of Infrastructure & Industrial Development, State of U.P., Civil Secretariat, Lucknow to issue necessary direction for early payment of remaining overdue interest amount.
2.	M/s Richard & Cruddas (RCL) (Since March, 2002)	4,47,68,281.35	i. EPFO had taken decision to file writ petition to recover the dues. EPFO has written a letter to SCB on 25.07.2014 to collect the papers from the advocate showing that EPFO has filed its claim in BIFR case No. 509 of 1992 in respect of Richardson & Cruddas Limited (RCL) for the entire dues to be recovered. ii. The matter has been taken up with Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises to ensure the payment of the delayed payment dues vide our letter dated 19-09-2016 and dated 17-03-2017. iii. The matter has also been taken up with Chairman and Managing Director (R&CL) to take necessary action for payment of outstanding interest at the earliest vide letter dated 22-05-2017 & letter 09-11-2017 & DO letter dated 31-05-2018 to Joint Secretary, Ministry of Heavy Industries. A reminder Letter has also been sent to Joint Secretary, Department of Heavy Industries, Ministry of Heavy Industries, Govt. of India dated 05-04-2019 with the request to issue necessary direction for early payment of the outstanding overdue interest amount, SCB Custodian has been directed to take follow up action. iv. Further, a letter dated 03 March, 2022 was sent to Chairman & Managing Director, Richardson & Cruddas Ltd. to pay the outstanding overdue interest amount without any further delay and also to Joint Secretary, Dept. of Heavy industries, Ministry of Heavy Industries with request to look into the matter and	

3.	HMT Tools (HMT) Case. 1996)	Machine Limited BIFR (Since, 1996)	3,82,00,285.42	issue appropriate directions for early payment and settlement of the outstanding amounts. Response is still awaited.
				i. Recovery suits have been filed in City Civil Court Bangalore. HMT has filed an application seeking stay further proceedings invoking section 22 of SICA. Letter issued on 09-05-2013, 16-08-2014, 27-03-2015 and 05-05-2016 to advocate to furnish opinion on BIFR and to challenge the stay order and to intimate status report. Reminder has also been issued to RC, RO, Bangalore for furnishing the present status of case vide letter dated 29-05-2018 and 02-05-2019. A letter dated 22.02.2022 was sent to RO, Peenya to provide the updated status of suits files to recover the amount due from M/s HMT Ltd. ii. Vide letter dated 25.02.2022, RO Peenya has informed that suit filed by CBT, EPF has been dismissed by the Hon'ble XXX Addl. City Civil & Sessions Judge, Bengaluru vide orders dated 20/03/2020. iii. Further, RO, Peenya has informed that it is exploring the possibilities of filing a further appeal i.e, either Writ Petition or Regular First Appeal before the Hon'ble High Court of Karnataka, Bengaluru against the orders dated 20/03/2020 in consultation with the panel advocate and is also seeking legal opinion in this regard.
4.	M/s P.S.I.D.C. (Since 2014)	2,26,00,000.00	1,10,77,776.69	i. A D.O letter was sent to Chairman, PSIDC on 12-12-2014 to pay the defaulted amount. Further a D.O. letter has been issued on 19-04-2016 to Chief Secretary, Govt. of Punjab to remit all the pending due payments to CBT, EPF. ii. Further reminder to Chief Secretary, Govt. of Punjab has also been issued on 16.08.2016. iii. As no response was received, a D.O. was letter issued to Governor, RBI on 03.02.2017 to look into the matter on

				priority and issue necessary directions to the Chief Secretary, Govt of Punjab to fulfil their guarantee on bonds issued by M/s PSIDC for immediate remittance of all the pending due payments immediately. iv. Reminder has also been issued to Chief Secretary, Govt. of Punjab on 15-03-2017, 13-07-2017, 05-02-2018 and 21-05-2019 and Principal Secretary of Finance, Govt. of Punjab on 05-02-2018 and 21-05-2019. A D.O. letter is also issued to MD of PSIDC on 18.03.2020. v. A letter dated 03.03.2022 was sent to MD, PSIDC to remit the amount due to EPFO at the earliest. In response to our letter dated 03.03.2022, a letter dated 01.04.2022 is received from M/s PSIDC. In the said letter, M/s PSIDC offered to make settlement of dues at principal amount only.
5.	M/s Punjab Financial Corporation (Since 2014)	57,20,000.00	9,51,876.81	i. A D.O letter was sent to Chairman, PFC on 12-12-2014 to pay the defaulted amount. Further a D.O. letter has been issued on 19-04-2016 to Chief Secretary, Govt. of Punjab to remit all the pending due payments to CBT, EPF. ii. A reminder letter to Chief Secretary, Govt. of Punjab has also been issued on 16.08.2016. iii. As no response received, D.O. letter issued to Governor, RBI on 03.02.2017 to look into the matter on priority and issue necessary directions to the Chief Secretary, Govt of Punjab to fulfil their guarantee on bonds issued by M/s PFC for immediate remittance of all the pending due payments immediately. iv. Further reminder has also been issued to Chief Secretary, Govt. of Punjab on 27-04-2017, 19-9-2017, 13-2-2018 & 4-12-2018, 08-05-2019 and M/s PFC on 27-04-2017, 19-9-2017, 16-2-2018, endorsement letter dated 08.05.2019. v. A meeting was held in the office of PFC at Chandigarh on 27.05.2019 which was attended by representative of SCB,

				Custodian and official of EPFO, in which the claim of EPFO was strongly put forward. It was decided that PFC would schedule a Secretary level meeting and communicate about the same to all the bond holders.
6.	M/s Infrastructure Leasing & Financial Service	2,24,73,00,000.00	1,59,38,79,238.92	i. The government superseded the IL&FS board under section 241(2) of the New Companies Act, 2013 in Oct 2018. This section enables supersession of a company's board to prevent it from further mismanagement in order to protect public interest. ii. Application has been filed before NCLAT by Debenture Trustee on behalf of all debenture holders, including EPFO on 8th February 2019. Vide the order dated 12.03.2020 the Hon'ble NCLAT has accepted the resolution mechanism, including a distribution scheme, of the corporate debtor proposed by the Union of India while simultaneously rejecting the contention of some of the creditors that the resolution must be made as per scheme of Section 53 IBC. iii. Order dated 12.03.2020 has been challenged in SLP Dy No 41253/2019 and SLP Dy no 13094/2020 before the Hon'ble Supreme Court by Hindustan Zinc Employees Contributory Fund Trust. In consequence of the same the NCLAT has declined to pass interlocutory orders as evidenced from order dated 28.09.2020. iv. Now, the matter is entrusted to Legal division to file an Impleadment application in Hon. Supreme Court to protect the interests of EPFO which is under process. The resolution process is in progress.
7.	M/s DHFL	6,13,06,83,830.00	1,60,39,02,860.09	i. RBI vide order dated 20/11/2019 has superseded the Board of Directors of DHFL & appointed Shri R. Subramanian Kumar as Administrator. Application has been admitted by NCLT, Mumbai vide order dated 03/12/2019 and "Moratorium" as defined u/s 14 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

			has been ordered. ii. Further, NCLT vide order dated 07th June 2021 has approved the Resolution Plan in respect of Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL). iii. The COC approved Resolution plan submitted by Piramal Capital and Housing Finance Ltd has been approved by RBI on February 18, 2021. Competition Commission of India approved the Resolution Plan of Piramal on May 13, 2021. NCLT has approved the resolution plan on June 7, 2021. iv. As per the resolution plan, the Custodian SCB has reported receipt of Funds in r/o DHFL. The details of amount received on 29.09.2021 are as follows: v. The total amount received in cash as per resolution plan is Rs. 249.25 Crore. And the total face value of securities received from resolution process is Rs. 299.45 Crore. The total amount invested but not received as on 30.9.2021 is Rs. 613.07 Cr and the amount of Interest due but not received is Rs. 160.39 Crore. vi. Further, as suggested by ECA and Consultant, the amount of loss of principal occurred due to investment in DHFL has been adjusted in the income of financial year 2021-22 as per the provisions of the EPF Scheme.
8.	M/s Reliance Capital	Nil	5,34,63,83,561.65 i. Debenture Trustee (DT) M/s Vistra has filed original application in the Debt Recovery Tribunal against the company on 30th November 2019 where in injunction has been ordered. ii. Further EPFO has highlighted the legal complications involved in the matter and issued reminders to MCA, RBI, SEBI and MoF for taking appropriate action for initiating IBC proceedings and such other actions necessary for protecting the interests of EPFO and its subscribers. iii. RBI vide notification dated 29.11.2021 superseded the Board of Directors of M/s Reliance Capital Ltd (RCL) in view of the

				defaults by RCL in meeting the various payment obligations to its creditors and serious governance concerns which the Board has not been able to address effectively. Shri Nageswar Rao Y (Ex Executive Director, Bank of Maharashtra) has been appointed as the Administrator of the company under Section 45-IE (2) of the RBI Act. iv. The Reserve Bank on December 02, 2021 filed an application for initiation of CIRP against Reliance Capital Ltd., under Section 227 read with clause (zk) of sub-section (2) of Section 239 of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), at the Mumbai Bench of the Hon'ble National Company Law Tribunal. v. Pursuant to the order dated December 6, 2021 of the NCLT, Corporate Insolvency Resolution Process ("CIRP") has been initiated against RCL. vi. The Debenture Trustee has informed that it has filed the statement of claim to the Administrator on behalf of all the debenture holders. The amount of claim in respect of EPFO is Rs. 3,405.63 Crore. vii. Regular meetings of Committee of Creditors (CoC) are underway.
9.	NINL	2,50,000.00	13,169.86	i. Vide e-mail dated 20.02.2021M/s SCB has informed non-receipt of Interest and maturity in respect of 10.45pc Neelachal Ispat Nigam NCD Red 19Feb21 FV INR1000000 for Rs. 263,169.83. ii. Vide letter dated 02.02.2022, Indian Bank, Debenture Trustee has informed that they have share the dues payable by NINL as on 31.01.2022 with transaction advisor, SBI Capital Markets.

**Separate Audit Report of the
Comptroller & Auditor General of India
on the Accounts of Employees'
Provident Fund Organization for the
year ended 31 March 2022**

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Employees' Provident Fund Organization for the year ended 31 March 2022

Observation of CAG	Reply of EPFO
We have audited the attached Balance Sheet of Employees' Provident Fund Organization (EPFO) as at 31 March 2022, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 5A (6) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. These financial statements include the accounts of Head office, 22 Zonal offices (ZOs) including 136 Regional offices (ROs), Pandit Deen Dayal Upadhyay National Academy of Social Security (PDUNASS), EPF Appellate Tribunal, Delhi (EPFAT). Out of these, comments on the accounts of Head Office, three ZOs, four ROs, EPFAT and one Zonal Training Institute (ZTI) have been suitably included in this report. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.	1. No Comments, being factual.
2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.	2. No Comments, being factual.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall	3. No Comments required.

presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion 4. Based on our audit, we report that: i. We have obtained all the information and explanations, subject to the observations in the report, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit; ii. The consolidated Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up by EPFO in the format prescribed by the Government of India, Ministry of Finance subject to the observations in the report; iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the EPFO as required under Section 5A (5) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 in so far as it appears from our examination of such books; iv. We further report that:	4. No Comments, being factual.
A. Balance Sheet A.1 Capital Fund and Liabilities A.1.1 Building Construction Fund (Schedule -12) - ₹ 887.25 crore Schedule - 12 in Liabilities shows a Building Construction Fund of ₹887.25 crores. EPFO stated that this fund was created to make provision for construction of office buildings, staff quarters etc. and an amount of ₹887.25 crore was provided up to 2013-14. Thereafter, no provision was made as the expenditure on construction work is being met out of capital budget provided on year-to-year basis. Audit observed that as this fund is no longer being used for construction work it may be written back in accounts. During the audit of accounts for the year 2019-20, EPFO accepted the observation and replied that action has been initiated to transfer the balance to Income & Expenditure account after due process and approval of competent authority. This issue was also raised last year (Comment No. A.1). The management replied that the adjustment is under process and will be adjusted next year. However, no change/correction has been made in the financial statements for the year the year 2021-22. Thus, the above provisions have been overstated by ₹887.25 crore.	A.1 Capital Fund and Liabilities A.1.1 Building Construction Fund (Schedule -12) - ₹ 887.25 crore The action on this observation has been initiated and the fund will be written back in the EPF Administration account after following the due process in the matter.

A.2 Assets

A.2.1 Fixed Assets (Schedule -24)

A.2.1.1 Non-registration of land in name of EPFO and inadequate disclosure.

The review of above Note XI on Accounts revealed that there are a few land / building, etc. which are not registered in the name of the EPFO. These are as under:-

Sl. No.	Name of zone / office	Details of land
1	Hyderabad	Sy. No. 276/2 at Allwyn Colony, Kukapally, GOMS No. 166 dated 17.06.2016.
2	Head Office	The built-up office space of EPFO Head Office, 14 Bhikaji Cama Place, Hudco Vishala Building was purchased from Hudco on lease basis but till date lease deed has not been registered in the name of the EPFO. The book value of this building as on 31.03.2021 is Rs. 20,29,55,497/- only, after depreciation.

In the above table EPFO has not shown value of the property at Hyderabad and reasons of non-registration. Further, in relation to Head Office building the date of purchase and reason of non-registration has not been shown. The value of stamp duty / cost of registration should also have been provided in the accounts but the fact has not been disclosed. Thus, the disclosure in notes is inadequate.

A.2.1.2 Differences in opening balances of Fixed Assets of current year and closing balances of previous year accounts
During verification of opening balances of Fixed Assets from closing balances of previous year accounts, the following differences were noticed:

S. N.	Fixed Asset	Gross Block				Depreciation	
		Closing balance of 2020 -21 (Cost/value)	Opening balance of 2021 -22	Difference	Closing balance of 2020 -21 (Accumulated)	Opening balance of 2021 -22 (Accumulated)	

A.2 Assets

A.2.1 Fixed Assets (Schedule -24)

A.2.1.1 Non-registration of land in name of EPFO and inadequate disclosure.

Sl. No.	Office	Reply
1	Hyderabad	In this regard, the letter dated 31.10.2022 of Hyderabad office regarding land details has been received and will be provided to Audit Party on their next visit.
2	Head Office	The Lease Deed of office space of EPFO is to be executed with HUDCO on receipt of NOC from Land and Development Office, Nirman Bhawan New Delhi. The matter is still under process with Land and Development Office.

A.2.1.2 Differences in opening balances of Fixed Assets of current year and closing balances of previous year accounts

In this regard it is stated that the Opening Balances of Gross assets and Depreciation have been changed from Closing Balances of previous year because of inclusion of left out assets during the previous year. But the opening balance of net assets of each head is same as closing balance of last year which is accounted in the Balance Sheet. Hence, Audit observation has been complied and it is also ensured that from next year onwards, the OB of Gross value and Depreciation also will be same as previous years closing. Adjustments, if any, will be done through proper entries and same will be scrutinised at the Head Office level.

		tion at the end of the year 31.03.21)	(Cost/valua tion at the beginning of the year 01.04.22)	ed depreciatio n at the end of the year 31.03.2021)	ted depreciatio n at the beginning of 2021 -22)
1	Land				
a	Lease hold land	2290.10	2289.94	0.16	402.03
2	Building				
a	Building-Office	23160.04	23104.65	55.39	4266.36
b	Lease hold Building-Office	7710.34	7984.03	(-273.69)	2123.08
3	Plant Machinery and Equipment	98.88	96.84	2.04	47.27
4	Vehicles & Motor Car	194.06	191.60	2.46	100.17
5	Furniture & Fixtures	2881.66	2873.58	8.08	799.07
6	Office Equipments	1137.37	1131.97	5.4	490.15
7	Computers/ Peripherals	10516.06	10511.54	4.52	7220.88
8	Electrical Installations	570.99	570.69	0.30	153.03
9	Library Books	44.08	43.86	0.22	2.46
10	Tube well & Water supply	20.64	20.41	0.23	13.12
11	Other Fixed Assets	264.98	264.14	0.84	44.28
12	Computer Software	177.13	176.97	0.16	32.33

The management stated that the adjustment and scrutiny would be done at head office level from next year. The unreconciled balances need speedy action and justification.

Similar observation (Comment No. A.2.4.1) was issued to EPFO on accounts of EPFO for the year 2020-21. However, no remedial action has been taken by the EPFO

A.2.1.3 Non -providing of depreciation on Straight line Method (SLM) & Non -provision of depreciation of Intangible assets by four Regional Offices.

As per EPFO Headquarters' instructions dated 24.06.2016 depreciation is to be provided on Straight Line Method at the rates specified under the Companies Act. However, it was found that depreciation was charged on Written Down Value (WDV) method resulting in non-compliance to EPFO Headquarters' instruction.

It was further noticed that depreciation was not provided on intangible assets (computer software) for the year 2021-22 in the following ROs –

(Amount in ₹)						
RO	Cost of the assets	Additions during the year	Total	Depreciation rate to be provided on SLM@ Cost	Depreciation to be provided	Short provision during the year
Chennai	1276296	196792	1473088	31.67%	466527	0
Pondy	232958	0	232958	31.67%	71676	0
Tambaram	1037409	47920	1085329	31.67%	343726	0
Vellore	566803	0	566803	31.67%	179506	0

A.2.1.3 Non -providing of depreciation on Straight line Method (SLM) & Non -provision of depreciation of Intangible assets by four Regional Offices.

Instructions have already been issued to Regional Offices and the Straight-Line Method (SLM) will be followed for compilation of Consolidated Annual Accounts from the year 2022-23 onwards.

A.2.2 Unreconciled Investments/Securities

In previous year's report, Comment no. A.2.1 pertaining to an amount ₹1916.12 crore under the head 'Amount under reconciliation' (Investment Schedule No. 18) was issued to the EPFO and EPFO replied that the details of the differences would be provided after the completion of reconciliation process. As details/categories of the figures with details grouped under the head reconciliation in the investment with matching entries along with the total documents was not made available to audit it could not derive assurance about accuracy and transparency of amounts shown under reconciliation.

A.2.2 Unreconciled Investments/Securities

The Audit of Annual Accounts 2020-21 & 2021-22 has been completed in the year 2022 and the assurances made to the CAG will be carried out in the Annual Accounts 2022-23.

Further, in this regard, it is also to inform that the instructions were issued to all the Zonal Offices to provide the details of 'Securities received (accepted value) on cancellation of exemption'. It has been found that some ROs have booked some securities of past years in Annual Accounts 2020-21 and some reported that the amount received in cash for past accumulation was erroneously entered as the Securities in Annexure. They were directed to rectify the same in the Annual Accounts 2021-22.

Further, in respect of this comment, during the audit of accounts for the year 2021-22 EPFO replied that the amount under reconciliation has been identified and has been rectified in the annual accounts 2021-22.

Audit noticed that in the accounts for the year 2021-22, EPFO has shown an amount of ₹(-)151.47 crore under the head 'Amount under reconciliation' which has been arrived at by an entry of ₹(-) 2067.60 crore shown under the head 'Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption'. However, the details/categories of the figures with details booked under the head reconciliation in the investments with the matching entries along with supporting documents were still not made available to the audit.

In the absence of the same, audit could not derive assurance about accuracy and transparency of amounts shown under reconciliation.

A.2.3 Investments (Schedule - 25 and 29)

During the review of Schedule no. 25 and 29 it was noticed that there was difference in the amount of investments in Special Deposit Account as shown in accounts and as confirmed by the Pay and Accounts Office, as detailed below:

(Amount in ₹ crore)			
Schedule no.	Amount shown in accounts	Amount as intimated by Pay Accounts office	Difference
25 -EPF Administration Fund - Investments Special Deposit Account	28828.78	28836.40	-7.62
29 -EDLI Administration Fund - Investments Special Deposit Account	3754.41	3752.08	2.33

Similar observation (Comment No. A.2.3) was also issued last year and EPFO replied that the matter would be taken up with Reserve Bank of India for the reconciliation of difference of Balances. However, no remedial action has been taken by the EPFO.

In the above process, the total securities of Rs. -1,650.98 crore (-2,067.59+ 416.61) was reported during the year 2021-22, hence the total amount Rs. (-)2,067.59 crore was shown as amount reconciled during the year 2021-22. The process of reconciliation of Rs. -151.47 crore (2,067.59-1916.12) has been initiated and further necessary adjustments will be made in Annual Accounts 2022-23 after completion of the above process. The details of Securities for the year 2020-21 and 2021-22 will be provided to the Audit during their next visit.

A.2.3 Investments (Schedule - 25 and 29)

The difference of Rs (-)7.62 crore under Schedule 25-EPF Administration Fund Investments-Special Deposit Account and difference of Rs 2.33 crore under Schedule 29- EDLI Administration Fund Investments-Special Deposit Account pertains to the period of year 1989 to 1999.

2. In this regard, EPFO had already taken the matter with Controller of A/c, PAO (MS), MoL&E vide letter dated 16.09.2013, 26.09.2013, 30.10.2013 and 03.01.2014 to provide the bank statements of that period i.e., January 1989 onwards.

3. In response to above letters, PAO (MS), MoL&E vide letter dated 07.01.2014 informed that the bank statement/credit scroll as required by your office are very old and not traceable with MoL&E. However, they requested to depute concerned officials for reconciliation between the figures of Bank scroll and EPF/EDLI A/Cs booked by this office.

4. Accordingly, three concerned officials from Banking Section were deputed for reconciliation. However, report submitted by officials stated that no record, scroll and Broad sheet is available with MoL&E. Hence, EPFO vide letter dated 17.06.2014 requested to MoL&E for taking up the issues with RBI.

5. In response to EPFO letter dated 17.06.2014, PAO, MoL&E vide letter dated 23.06.2014 directed to take the issue with RBI directly.

Accordingly, EPFO vide letter dated 01.08.2014 requested to RBI to provide the copies of challans through which the amount was deposited with RBI from January 1989 to 13.05.1999 so as to enable this office to reconcile

the difference of Rs 7.62 crore in EPF Administration and Rs 2.33 crore in EDLI Administration. 6. In response to EPFO letter, RBI vide letter dated 08.08.2014 informed that they do not have any records of challans deposited, since the challans were to be sent immediately to concerned department of RBI, and this response has also been informed to MoL&E vide letter dated 04.09.2014. 7. In view of the above, this matter will be pursued with MoL&E to provide the earlier record to reconcile the difference and all the mentioned records will be provided to Audit team to get the para dropped.	
A.2.4 Investments in Public Accounts (Schedule No. 20 and 22) Amount booked under the head Cost of Amortization in the Annual Accounts 2019-20 was an adjustment entry for previous year. Further, the Central government has revised the Interest amount on the Public Account for the year 2018-19 vide letter dated 01.01.2020, the difference of interest was booked under amortization in Annual Accounts 2020-21. In this regard, all the necessary documents along with explanations were provided to Audit team. However, all the enclosures received from the Government and any additional information/clarification, if required, will be provided to the Audit during their next visit.	A.2.4 Investments in Public Accounts (Schedule No. 20 and 22) In previous year's report, Comment no. A.2.2, pertaining to investments in Public Account (Schedule 20 and 22) was issued to the EPFO and EPFO did not provide the supporting documents to verify the amount invested or cost of amortisation during the year. As detailed records along with all the supporting documents were not provided to the audit, the said amount was not verified by the audit. This was also pointed in the year 2019-20. Further, in respect of this comment, during the audit of accounts for the year 2021-22, EPFO replied only in respect of observation on Schedule No. 20, though, necessary supporting documents has not been provided with the reply. In this regard, in absence of proper documents audit could not verify the amount. In view of this, audit is unable to verify the correctness of the amounts appearing under the head Investment in Public Account in Schedules 20 and 22 of Annual Accounts.
B. Income and expenditure account B.1 Erroneous disclosure of Bank balance in receipt and payment Account No. 2 in EPFAppellate Tribunal, Delhi The closing balance has been shown correctly as there is only one head to record the total of closing of Cash balance and Bank balance of account-2 in the Schedule-28. However, it was inadvertently shown against Cash balance instead of bank balance in the receipt and payment Account No. 2, which will be rectified next year.	B. Income and expenditure account B.1 Erroneous disclosure of Bank balance in receipt and payment Account No. 2 in EPFAppellate Tribunal, Delhi The receipt and payment Account No. 2 in closing balance discloses cash in Cash Book as ₹39.62 crore, whereas in schedule No. 28 (Current Assets, Loans and Advances) the same amount has been shown under the head State Bank of India (Bank Balance). Thus, there is difference in nature of balances of current assets in schedule and R&P Account which needs to be reconciled.

B.2 Loss on sale of ETF securities (Schedule - 42) In previous year's report, Comment no. B.6 pertaining to an amount ₹2890.79 crore under the head 'Loss on Sale of ETF Securities/PY adjustments' was issued to the EPFO and EPFO replied that above amount is the sum of figures of ₹0.06 crore (remaining amount securities is being counted as interest income), ₹2686.51 crore (correction of disclosure of earlier years) and ₹204.22 crore (difference occurred due to the settlement of system). The reply of EPFO was not accepted by the audit as detailed records along with all the supporting documents were not provided to the audit and the amount could not be verified by the audit. Further, in respect of this comment, during the audit of accounts for the year 2021-22 EPFO submitted the same reply without any supporting documents and in the accounts for the year 2021-22, EPFO has shown (-) ₹201.54 crore under the same head which also could not be verified in absence of supporting documents.	B.2 Loss on sale of ETF securities (Schedule - 42) In this regard, it has already been replied to the Audit team with details that the amount of Rs. 2890.79 crore shown in the Annual Accounts 2020-21, was the previous year adjustments. Further, the following supporting documents of adjustments have been obtained. 1. <i>Copy of trail mails of communication with M/s SCB, Custodian dated 22-03-2021 in r/o adjustment of ₹0.06 crore,</i> 2. <i>Copy of the email dated 03-11-2022 confirming that redemption was happened in FY 2017-18 in r/o adjustment of ₹2686.51 crore.</i> 3. <i>Copy of the email dated 04-11-2022 received from SBIMF, confirming that redemption of ETF of Rs. 204.22 crore (cost price) was done on 30.03.2022 and the redemption amount of Rs 323.16 crore includes Rs. 204.22 crore as cost price and Rs. 118.94 crore as capital gain, was realised on 05.04.2022 in r/o the adjustment of ₹204.22 crore.</i> The adjustment of Rs. -201.54 during the year 2021-22 is also due to the last year adjustments. These all documents will be provided to Audit Party during their next visit.
C. Contingent Liabilities and Notes on Accounts (Schedule - 45) C.1 Annual valuation of Employees Pension Scheme C.1.1 Non finalization of Actuarial Valuation Report for Employees Pension Fund for the years from 2017-18 to 2021-22. During the review of Notes on Accounts (Note IV), it was noticed that the Employees' Pension Fund Actuarial Valuation was last conducted only up to 31 March 2017. The Actuarial Valuation from year 2017-18 to 2020-21 is stated to be under consideration / in process. No fact regarding Actuarial Valuation for year 2021-22 has been disclosed in the Notes. EPFO stated that appointment of valuer of Pension Fund for 2020-21 and 2021-22 is under process. Thus, the requirement relating to Actuarial Valuation has not been fulfilled.	C. Contingent Liabilities and Notes on Accounts (Schedule - 45) C.1 Annual valuation of Employees Pension Scheme C.1.1 Non finalization of Actuarial Valuation Report for Employees Pension Fund for the years from 2017-18 to 2021-22. The present status of the Actuarial Valuation Report for Employees' Pension Fund is as under: - Actuarial valuation for the year 2017-18 and 2018-19 was completed and report has been accepted by the Central Government. For appointment of Valuer for Valuation of the Employees' Pension Fund for 3 years (i.e., as on 31-03-2020, 31-03-2021 and 31-03-2022), tender was floated, technical and financial bids were evaluated and the L1 bidder has been recommended to the Ministry.

D. General		D. Non-reconciliation of Suspense Accounts by EPFO												
According to sub-para II (VII) under para 10.6 of the Manual of Accounting Procedure Part-I General of Employees' Provident Fund Organization, a statement showing the details of balances shown under "Unclassified Suspense" in both liabilities and Assets side should be enclosed to the balance sheet every year indicating the date of transaction, brief particulars of amounts. Vigorous drive should be launched to analyse the outstanding items under this head and to clear them. It is emphasized that the balances under unclassified suspense on both Liabilities and Assets side should be kept down to the minimum and prompt action taken to clear them. However, during the audit it was noticed that huge balances have been shown under suspense accounts.		The details of these transactions are maintained and available with concerned field offices. There is approx. 40% reduction in the suspense balance of EPF scheme during the year 2021-22.												
		<table><tr><th colspan="2">Financial Year</th><th>2020 -21</th><th>2021 -22</th></tr><tr><td rowspan="2">EPF - A/c No. 1</td><td>Debit (Assets)</td><td>127.69</td><td>80.76</td></tr><tr><td>Credit (Liability)</td><td>65.94</td><td>44.09</td></tr></table>		Financial Year		2020 -21	2021 -22	EPF - A/c No. 1	Debit (Assets)	127.69	80.76	Credit (Liability)	65.94	44.09
Financial Year		2020 -21	2021 -22											
EPF - A/c No. 1	Debit (Assets)	127.69	80.76											
	Credit (Liability)	65.94	44.09											
		Further, a drive has been initiated to dispose of the pending amount under all suspense accounts and one Nodal Officer in each field office is being deputed to drive this exercise and submit the weekly progress report of amount reconciled during that period.												

D.1.1 EPFO, Headquarters		D.1.1 EPFO, Headquarters																							
The details of funds kept in Suspense Account (Note number VIII on Accounts) as shown in financial statements for the year 2021-22 are as under: -		In this regard, it is intimated that instructions have been already issued to all Zonal Offices to submit action taken report of amount reconciled to the Head office. However, it is also to mention that these balances are the erroneous debits/credits pertaining to the earlier years and are being identified and reconciled.																							
<table><tr><th>Name of the unit</th><th>Particulars</th><th>Schedule No.</th><th>Opening Balance (in Rs.)</th><th>Closing Balance (in Rs.)</th></tr><tr><td rowspan="4">EPFO HQ, New Delhi (Consolidated Balance Sheet)</td><td>Current Liabilities and Provisions</td><td>5</td><td>65,93,66,159.87</td><td>44,09,32,360.86</td></tr><tr><td>Current Liabilities and Provisions</td><td>15</td><td>29,66,03,131.21</td><td>30,80,03,860.39</td></tr><tr><td>Current Assets, Loans and Advances</td><td>19</td><td>1,27,68,85,111.74</td><td>80,76,74,908.50</td></tr><tr><td>Current Assets, Loans and Advances</td><td>28</td><td>22,55,55,748.15</td><td>21,56,97,522.77</td></tr></table>	Name of the unit	Particulars	Schedule No.	Opening Balance (in Rs.)	Closing Balance (in Rs.)	EPFO HQ, New Delhi (Consolidated Balance Sheet)	Current Liabilities and Provisions	5	65,93,66,159.87	44,09,32,360.86	Current Liabilities and Provisions	15	29,66,03,131.21	30,80,03,860.39	Current Assets, Loans and Advances	19	1,27,68,85,111.74	80,76,74,908.50	Current Assets, Loans and Advances	28	22,55,55,748.15	21,56,97,522.77	The EPFO stated that particulars available with the concerned field offices and reconciliation will be done by concerned offices. The non-reconciliation/adjustments of above suspense balances need justification.		
Name of the unit	Particulars	Schedule No.	Opening Balance (in Rs.)	Closing Balance (in Rs.)																					
EPFO HQ, New Delhi (Consolidated Balance Sheet)	Current Liabilities and Provisions	5	65,93,66,159.87	44,09,32,360.86																					
	Current Liabilities and Provisions	15	29,66,03,131.21	30,80,03,860.39																					
	Current Assets, Loans and Advances	19	1,27,68,85,111.74	80,76,74,908.50																					
	Current Assets, Loans and Advances	28	22,55,55,748.15	21,56,97,522.77																					

D.1.2 EPFO,ZO, Wazirpur

The details of funds kept in Suspense Account as shown in financial statements of EPFO, ZO, Wazirpur for the year 2021-22 are as under: -

Name of the unit	Head	Schedule No.	Opening Balance as on 01.04.2021 (in Rs.)	Closing Balance as on 31.03.2022 (in Rs.)
EPFO ZO, Wazirpur, New Delhi	Current Liabilities	5	(-) 47,29,33,302	(-) 50,29,59,312
	Current Liabilities	15	21,06,154.16	15,05,979.16
	Current Assets	19	9,74,81,186.93	25,86,137.33

D.1.2 EPFO,ZO, Wazirpur

Directions have been issued to all the Regional Offices under the jurisdiction of Zonal Office vide letter dated 28.09.2022 to take appropriate steps to identify the amount under suspense head and the reasons thereof. Considering huge number of transactions, a few exceptional entries have to be parked in Suspense Accounts till they are identified. During the year, Suspense Account (Unclassified) EPF Schedule 19(4)(a) entries aggregating to Rs. 9,48,95,049.60 were duly identified and cleared by Regional Office, Dehradun, Haldwani and Delhi (North) respectively. Efforts are being made by respective ROs to reconcile the Suspense Account. In this regard, directions are being issued regularly to all ROs under the Zone to reconcile the pending Suspense Account of Balance Sheet.

D.1.3 EPFAppellate Tribunal, Delhi

The details of funds kept in Suspense Account as shown in financial statements of EPF Appellate Tribunal, Delhi for the year 2021-22 are as under-

Name of the unit	Head	Schedule No.	Closing Balance as 31.03.2022 (in Rs.)
CGIT (EPFAT), New Delhi	Current Liabilities Suspense Account (Admin Fund)	15	3,84,54,481.48
	Current Assets, Loans and Advances Suspense Account (Admin Fund)	28(3a)	1,00,000

D.1.3 EPFAppellate Tribunal, Delhi

Schedule No. 15 - The amount pertains to the consolidated interest accumulated in respect of the amount submitted in compliance of the provisions of section 7-O of the EPF & MP Act, 1952 under the direction passed by the Tribunal.

Schedule No. 28 - This amount is reflected from the balance sheets of the erstwhile EPFAT from the past years and the amount cannot be identified by the CGIT-cum-LC no.1 Delhi after the merger of EPFAT with 22 CGITs across the country.

D.1.4 EPFO,ZO, Chennai

There were balances under suspense account both in Assets and Liabilities side pertaining to EPF Account Number 1 and 2 -

HEAD OF ACCOUNT	(Amount in Rs.)		
	Liabilities		Assets
	2020-21	2021-22	2020-21
			2021-22

D.1.4 EPFO,ZO, Chennai

RO, Ambattur - It is submitted that there is no suspense amount added during the year 2021-22 except in account No.2, amounting to Rs.6600 which was cleared in April 2022 (An amount of Rs.6600/- paid as Cash award and book award in respect of 2 Officials has been returned. The same has been adjusted during April 2022). The figures in suspense accounts are carried forward from

Suspense Account (EPF)	7,01,21,583	65,02,299	2,32,35,573	2,32,27,184
Suspense Account (EPF ADMN)	2,40,48,731	2,59,20,163	23,21,387	21,69,652

Similarly, there are suspense accounts under Account No 10, 21 and 22 as shown below

HEAD OF ACCOUNT	Liabilities		Assets	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
Suspense Account (EPS)	29,45,298	27,79,323	*(-) 55,79,828	*(-) 56,48,448
Suspense Account EDLI	19,03,508	18,98,820	6,75,402	6,81,952
Suspense Account EDLI Admn	2,88,141	2,88,141	3,74,881	3,74,881

These suspense accounts were created due to non-adjustment of Erroneous credits and Debits. (*) It may further be seen that the asset side of the suspense account was shown as a Negative figure. In this connection EPFO Head Office New Delhi has issued a circular vide BSC-1(1)-2-2-21/Balance Sheet/Main file/3162 dated 25.3.2021 and has instructed all the Zonal offices to reduce the figures under Sundry Credits/Debits, Unclassified Suspense etc., to the maximum extent during the year 2020-21 by addressing the Bank authorities and by deputing Officers/Staff to the Bank to clear the pending entries.

D.2 Excess credits in Consolidated Financial Statements for the year 2021 -22

During the review of consolidated Financial Statements, it was noticed that there are several instances of excess credit. The details of excess credit shown in financial statements for the year 2021-22 are as under: -

Sl. No.	Particulars	Schedule No.	Balance as on 31.03.2022 (In Rs.)
1	Excess credit to Account No. 5 (EPF Contribution A/c - Central)	5 (Current Liabilities and Provision)	1,54,95,52,666.19

past period and the Office is making efforts to trace and clear the suspense accounts.

RO, Tambaram - Regarding A/c No. 2 it is clarified that:

1. The amounts of Rs. 12,74,572.25 recovered from Staff towards Loans for remitting to other ROs have not been transferred since 2017.
2. Also the amount of Rs. 1,96,007/- recovered from Staff towards PM Care Fund during April 2020 has not been transferred. The details of the same have been shared.
3. Amount of Rs. 65,192 /-received towards GIS Benefits during March 2022 has been paid in April 2022. Hence this amount will get cleared in the next Balance Sheet.

The amounts at 1 and 2 above are getting added up every year and as such the Credits are increasing.

The records are being verified for reconciling the balance amount lying under the Erroneous Debits/Erroneous Credits in respect of Account No. 1, 2, 10,21 & 22.

RO, Vellore - has informed that records related to previous years are being verified for reconciling the balance amount accumulated under the Erroneous Debits/ Erroneous Credits in r/o Account no. 1, 2, 10, 21 & 22. In Account no. 2, an Erroneous Debit of Rs. 30,675.67 in the Balance Sheet for 2021-22 has been identified and a letter/ advisory has been issued to SBI, Main Branch, Vellore requesting them to reverse the entry.

D.2 Excess credits in Consolidated Financial Statements for the year 2021 -22

On the above cited subject, it is to inform that before 2017, the collections were made in Regional Office accounts. Due to the large volume of transaction (approx. 2.5 crores per year) some erroneous debit & credit entries occurred in bank accounts, which may be seen in the schedule entries of previous years and still remain un-reconciled due to unavailability of old records and various other reasons.

Nodal officer from the concerned division of the Head Office and concerned field offices are being deputed to pursue this matter and

submit the report of progress to the Head Office for speedy disposal of these balances.																																																					
<table><tr><td>2</td><td>Excess credit to Account No. 21 (EDLI Cont. A/c - Regional)</td><td>9 (Current Liabilities and Provision)</td><td>3,55,99,097.37</td></tr><tr><td>3</td><td>Excess credit to Account No. 25 (EDLI Cont. A/c - Regional)</td><td>9 (Current Liabilities and Provision)</td><td>9,64,43,612.21</td></tr><tr><td>4</td><td>Excess credit in RBI A/c</td><td>9 (Current Liabilities and Provision)</td><td>13,44,061.55</td></tr><tr><td>5</td><td>Excess credit to Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)</td><td>15 (Current Liabilities and Provision)</td><td>3,21,85,494.88</td></tr><tr><td>6</td><td>Excess credit to Account No. 9 (Staff Pension cum Gratuity A/c)</td><td>15 (Current Liabilities and Provision)</td><td>8,29,780.00</td></tr><tr><td>7</td><td>Excess credit to Account No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)</td><td>17 (Current Liabilities and Provision)</td><td>1,35,73,799.69</td></tr><tr><td>8</td><td>Excess credit to Account No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c – Central)</td><td>17 (Current Liabilities and Provision)</td><td>4,83,77,675.89</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>1,77,79,06,187.78</td></tr></table> D.3 Discrepancies in carry-over of balance of previous year in 2021 - 22 accounts. In annual accounts of EPFO, ZO, Chennai for 2021-22, it was found that there were discrepancies between the closing balance as on 31.3.21 and opening balance as on 1.4.2021 under the following heads. <table><tr><th>Head</th><th>Closing Balance as on 31.03.2021</th><th>Opening Balance as on 01.04.2021</th></tr><tr><td>EPF Investments (Schedule 18)</td><td>3,21,61,32,23,874.82</td><td>3,41,61,56,67,075.39</td></tr><tr><td>EPS Investments (Schedule 20)</td><td>00</td><td>20,22,97,84,612.14</td></tr><tr><td>EDLI Investments (Schedule 22)</td><td>00</td><td>95,90,13,723.55</td></tr><tr><td>EPF Admn Fund. (Schedule 25)</td><td>00</td><td>1,63,45,63,713.48</td></tr><tr><td>EDLI Admn Fund (Schedule 9)</td><td>00</td><td>2,15,34,578.00</td></tr></table> (Amount in Rs.) D.3 Discrepancies in carry-over of balance of previous year in 2021 - 22 accounts. In this regard, it is informed that these new heads are added due to the transition to common format. Earlier the Balance Sheet of A/c-10, A/c-21 and a/c-22 was not prepared. This is the net transfer made by Regional accounts to Central accounts (Centralised receipts + amount transfer from A/c-1/2/10/21/22 to A/c-5/4/11/25/24) and Central to Regional A/c (from A/c-5/4/11/25/24 to A/c-1/2/10/21/22). During the year 2020-21, these amounts were inadvertently shown under the current assets and current Liabilities of respective schemes, which was rectified in the Annual Accounts 2021-22.				2	Excess credit to Account No. 21 (EDLI Cont. A/c - Regional)	9 (Current Liabilities and Provision)	3,55,99,097.37	3	Excess credit to Account No. 25 (EDLI Cont. A/c - Regional)	9 (Current Liabilities and Provision)	9,64,43,612.21	4	Excess credit in RBI A/c	9 (Current Liabilities and Provision)	13,44,061.55	5	Excess credit to Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	15 (Current Liabilities and Provision)	3,21,85,494.88	6	Excess credit to Account No. 9 (Staff Pension cum Gratuity A/c)	15 (Current Liabilities and Provision)	8,29,780.00	7	Excess credit to Account No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	17 (Current Liabilities and Provision)	1,35,73,799.69	8	Excess credit to Account No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c – Central)	17 (Current Liabilities and Provision)	4,83,77,675.89	Total			1,77,79,06,187.78	Head	Closing Balance as on 31.03.2021	Opening Balance as on 01.04.2021	EPF Investments (Schedule 18)	3,21,61,32,23,874.82	3,41,61,56,67,075.39	EPS Investments (Schedule 20)	00	20,22,97,84,612.14	EDLI Investments (Schedule 22)	00	95,90,13,723.55	EPF Admn Fund. (Schedule 25)	00	1,63,45,63,713.48	EDLI Admn Fund (Schedule 9)	00	2,15,34,578.00
2	Excess credit to Account No. 21 (EDLI Cont. A/c - Regional)	9 (Current Liabilities and Provision)	3,55,99,097.37																																																		
3	Excess credit to Account No. 25 (EDLI Cont. A/c - Regional)	9 (Current Liabilities and Provision)	9,64,43,612.21																																																		
4	Excess credit in RBI A/c	9 (Current Liabilities and Provision)	13,44,061.55																																																		
5	Excess credit to Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	15 (Current Liabilities and Provision)	3,21,85,494.88																																																		
6	Excess credit to Account No. 9 (Staff Pension cum Gratuity A/c)	15 (Current Liabilities and Provision)	8,29,780.00																																																		
7	Excess credit to Account No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	17 (Current Liabilities and Provision)	1,35,73,799.69																																																		
8	Excess credit to Account No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c – Central)	17 (Current Liabilities and Provision)	4,83,77,675.89																																																		
Total			1,77,79,06,187.78																																																		
Head	Closing Balance as on 31.03.2021	Opening Balance as on 01.04.2021																																																			
EPF Investments (Schedule 18)	3,21,61,32,23,874.82	3,41,61,56,67,075.39																																																			
EPS Investments (Schedule 20)	00	20,22,97,84,612.14																																																			
EDLI Investments (Schedule 22)	00	95,90,13,723.55																																																			
EPF Admn Fund. (Schedule 25)	00	1,63,45,63,713.48																																																			
EDLI Admn Fund (Schedule 9)	00	2,15,34,578.00																																																			
E. Grant-in-aid E.1 Grants-in-aid under the schemes No Comments, being factual.																																																					

of ₹1000 per month under EPS-1995, Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojna (PMRPY), Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojna (ABRY).
The details of grants received and utilized are as under:-

Amount in (₹ in crore)					
Name of the scheme	Opening balance as on 01/04/2021	Received during the year 2021-22	Total Grant	Grant utilized	Unutilized grant
PMRPY	108.52	250.00	358.52	291.81	66.71
ABRY	405.03	4,180.00	4,585.03	3,536.36	1,048.67
EPS-1995 (Govt share@1.16%)	Nil	17,359.20	17,359.20	17,359.20	Nil
Minimum pension of Rs 1000 per month under EPS 1995	Nil	1,135.42	1,135.42	1,119.13	16.29 (Refunded to Government)
Total	513.55	22,924.62	23,438.17	22,306.50	1,131.67

F. Management Letter Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of management of EPFO through a management letter issued separately for remedial/corrective action.	F. Management Letter No comments.
G. Lack of Response The management of the EPFO had failed to give reply to the draft Separate Audit Report within the prescribed period. During the audit, the latest status of last year observations were called for and response were received and incorporated in the report. v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts. vi. In our opinion, and to the best of our information, and according to the explanations given to us, the said financial statements, read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to comment no A.2.2, A.2.4 and B.2, whereas we are unable to express opinion on these matters and the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India: a. In so far as they relate to the Balance Sheet of the state of affairs of the Employees' Provident Fund Organisation as at 31 March 2022; and b. In so far as they relate to the Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.	G. Lack of Response The final comments of EPFO on CAG Observations are compiled after procuring the clarifications/replies from various concerned offices across the country which takes a lot of time. Therefore, the reply of Draft SAR could not be submitted within the prescribed period of one week given by the CAG.

For and on behalf of C&AG of India

-Sd-
(Sanjay Kumar Jha)
Director General of Audit
(Central Expenditure)

Place: New Delhi
Date: 31.10.2022

Annexure to Separate Audit Report

1. Adequacy of internal audit system	1. Adequacy of internal audit system
i. EPFO Headquarters had planned Internal audit 103 units including EPFO Hqrs. Out of 103 units, 94 units were actually audited during 2021-22 by the Audit Wing of EPFO. ii. The follow up action on the outstanding objection was not effective as 21441 internal audit paras were outstanding as on 31st March 2022. iii. As per sound practices of Internal Control, it is necessary to conduct internal audit in all organizations for assessing the lapses in system and other errors and deficiencies in the organisation. Further, as per Rule 236(i) and 245(3) of GFR, the accounts of the auditee organization are open for inspection by the CAG under DPC Act and also to internal audit by PAO/Ministry/Deptt or other institution. The accounts should be audited by an internal auditor after close of the financial year. However, the internal audit in EPFO/HQ has not been conducted for the year 2021-22. Total 21441 paras are still outstanding, which needs early settlement iv. The internal audit of EPFO Dwarka (West) has conducted audit upto 2021-22. However, 83 paras are outstanding relating to previous internal audit reports.	i. No comments being factual. ii. For dropping of outstanding Internal Audit Paras: - (i) Audit Division has circulated a letter to all Zonal Office for furnishing paras reply pertaining to Committee-B and Committee-A (As per FIAC circular dated 07.07.2020 which is related to dropping of paras) and Letters to all Zonal Office have already been issued to conduct a meeting of Committee-C before 31.10.2022 for dropping of outstanding Committee-C paras at the earliest iii. The Internal Audit of Head Office for the year 2021-22 was scheduled w.e.f. 01.11.2022 to 26.11.2022 as per approved Tour programme dated 26.10.2022. iv. Action is being taken in this regard.
2. Adequacy of Internal control system	2. Adequacy of Internal control system
i) Investment software and its operation During the last year observation was issued relating to some rectifications in Investment software for errors noticed in earlier years. The details of these errors as specified in records are 'incorrect reporting in Investment software and some other errors. The Investment software was stated not to be fool proof and lacked mandatory checks and validations. Department replied that necessary checks and validation to prevent similar errors have been incorporated in the Software and the reconciliation process has been strengthened. EPFO further stated in reply to previous SAR that 2 level reconciliation has been introduced. Features like edit functionality, coupon frequency, code merger, merger in custodian system have been introduced in the software.	i) Investment software and its operation As mentioned in the Para itself mandatory checks and validations have been implemented in the Software to prevent human errors in the operation of the Software and the modification are made in the software for such mandatory checks and validation.

ii) Inadequate system for regular reconciliation of Investments In view of repeated audit observations regarding un-reconciled balances in Investments, EPFO has during 2020-21 conducted reconciliation of these balances. Despite repeated un-reconciled balances, the department has not reconciled all Investments. As there is possibility of recurrence of similar un-reconciled balances occurring in future also, therefore a proper accounting policy duly approved by the governing council, for regular reconciliation of balances under different segments of the investment is required. The above observations were also communicated in the previous SAR for the period 2020-21. (iii) EPFO did not follow the basic accounting principles and annual accounts were being prepared formula based in MS Excel Programme on single entry system resulting in negative entries in annual accounts. (iv) Trial balance and head wise ledgers were not being prepared in their field units as well as EPFO Hqrs.	ii) Inadequate system for regular reconciliation of Investments It is informed that the un-reconciled balances in the Balance Sheet of 2021-22 is due to difference in the amount of transfer of securities on cancellation of exemption reported in Investment Receipt and Payment account and the amount reported by Zonal Offices in Annual Accounts. In this regard, the Investment Division had provided the details of the actual receipt of Securities received (accepted value), based on the confirmation of the acceptance of the securities received from the fund managers/Custodian/SBI, MMB to all ZOs for reconciliation. Further, as replied in the above Para (A.2.2 Unreconciled Investments/ Securities), the same is underway and may be reconciled in the FY 2022-23. iii) EPFO follows all the basic principles of accounting and significant accounting policies consented by CAG and approved by Government of India. iv) EPFO is in the process of procurement of accounting software. The same is likely to roll out in the FY 2023-24 as per the plan of action. This is being monitored at the highest level and all issues regarding the accounting units will be maintained properly with respect to ledger & Trial balance etc.
3. System of physical verification of Assets i. The physical verification of fixed assets of EPFO Hqrs. conducted during 2021-22. ii. In RO (West & South), Delhi, physical verification of fixed assets and inventory/stores was not conducted. iii. The physical verification of fixed assets of ZTI, Chennai was conducted up to 2017-18.	3. System of physical verification of Assets i. No Comments, being factual. ii. Directions have been issued to Regional Office Delhi (South) and Delhi (West) vide e-mail dated 02.11.2022 to complete the task of physical verification of fixed Assets and inventory/stores within a week and forward the Committee report to the Zonal Office with supporting documents. iii. Action is being taken.

4. System of physical verification of inventory Physical verification in respect of consumables and stationery in respect of EPFO Hqrs has been conducted during the year.	4. System of physical verification of inventory No Comments, being factual
5. Regularity in payment of statutory dues As per accounts, no payment over six months in respect of statutory dues was outstanding as on 31.03.2022.	5. Regularity in payment of statutory dues No Comments, being factual

Annexure to Management Letter

1. Current Liabilities and Provisions 1.1 Schedule - 5 (Current Liabilities and Provisions) of EPF Contribution Fund - Members Account includes an amount of ₹44.07 lakh under the head 'Advance from Govt. towards disabilities scheme'. However, this provision has not been utilized/adjusted for more than five years and therefore, the balance amount along with interest earned should be refunded to government. This issue was also raised last year but no action has been taken to update/reconcile the same.	1.1 It is submitted that the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) vide OM dated 24.02.2022 informed that the scheme for PwD was merged with the National Action Plan for skill development. Hence, the Scheme also gets discontinued at EPFO's end. Therefore, the funds will be transferred to MoSJ&E after due reconciliation with the payment yet to be made, if any following the due process and procedure in the matter.
1.2 The Consolidated Annual Accounts of the ZO, EPFO, Chennai exhibited a negative balance of ₹19.72 lakh under Schedule - 5 as Current liabilities (TDS Payable). This negative balance of TDS is actually a Current asset. Showing this as Current Liability has resulted in Understatement of Current Liability and Understatement of Current Asset by ₹19.72 lakh.	1.2 It is informed that TDS deducted in current month will be remitted only in the first week of subsequent month. The TDS paid was more than the TDS deducted in r/o Regional Office, Chennai in the consolidated Annual Accounts for the year 2020-21. Hence, the negative balance exists and the same is being looked into. Necessary instructions have been issued and rectifications will be carried out by RO, Chennai during the compilation of Annual Accounts for the year 2022-23.
1.3 Non-provisions of expenses payable On scrutiny of the Budget Control Register pertaining to RO, Chennai I & 2 for 2021-22 it was found that payment was made up to February 2022 and no provision was made towards these expenses for the month of March 2022. EB Charges - ₹4.96 lakh (Feb, 2022) Water charges ₹32,145/- (Nov, 2021 to Jan, 2022) The non-provision Security and Housekeeping charges under staff paid from contingency (other charges) ₹269318+531055 (2/2022) has resulted in understatement of liability and expenses to the tune of ₹1328100 in respect of Regional offices 1 & 2 Chennai alone. Similar cases in respect of other Regional offices (Ambattur, Vellore, Pondy and Tambaram) were not reviewed and included in the consolidated annual accounts.	1.3 Non-provision of expenses payable It is informed that the bills under the heads "Staff paid from Contingencies", for the month of March are paid in April i.e., Payments are due for the month of April only. Hence, the amounts which are not due in the month of March, was not shown as Outstanding Expenditure. However, the AG team has advised that the Outstanding Expenditure should be made on Accrual basis and not on Due basis. Hence, as directed by AG team, the expenditure on accrual basis will be shown as Outstanding Liability from the next year in the consolidated Annual Accounts.
1.4 Non provision of liability towards remittance of statutory deductions - ₹4.76 lakh In accounts of ZO, Chennai, during the year 2021-22, remittances were made lesser than the amount recovered in respect of the following recovery for	1.4 Non provision of liability towards remittance of statutory deductions - ₹4.76 lakh

remittances as shown. However, no liability was provided for the balance amount of ₹ 4.75 lakh payable for the year 2021-22.

(Amount in Rs.)

2021 -22			
Head (Remittance payable as per R&P)	Recovered	Remitted	Difference
GIS Benefit from LIC	14,89,457	13,76,156	1,13,301
Recovery for remittance to other RO	9,93,263	6,30,571	3,62,692
Total	24,82,720	20,06,727	4,75,993

GIS benefits from LIC- Rs. 1,13,301

Rs. 48,109/- - An Amount of Rs. 48,109/- received on 10/03/2022 (pertains to towards GIS benefit in respect of V. Sathya Narayanan, RO, Ambattur) AO (Retired). However the same is not paid to him due to non-receipt of confirmation of the same from RO-Chennai during March 2022. An amount of Rs.48,109/- has been remitted to him during April 2022 only after receipt of confirmation from RO-Chennai.

Rs. 65192/- - Final Settlement of GIS in r/o 2 officials has been credited on 10/03/2022 in the block year 2021-22, but the payment bifurcation details from RO, Chennai were received on 11/04/2022 and after that amount was released to two officials. Hence the difference

Out of Rs. 3,62,692-

Rs. 1,20,663/- - An amount of Rs. 1,20,663/- shown in Remittances Payable is the recovery of advance against HBA, Computer and Conveyance advance from officials who availed advance from other ROs (Presently posted in RO-Ambattur). The same has been not remitted to respective ROs.

Rs. 2,42,029/- - Out of the total recovered amount of Rs. 3,10,412/- only an amount of Rs. 68,383 was sent to respective ROs (Water Charges, License Fee and Recovery of TA). But the balance amount of Rs. 2,42,029 towards deductions under HBA, Conveyance Advance and Computer Advance for the officials who were transferred from other ROs were not sent to the respective ROs.

2. Incorrect disclosure of Liability – NPS Employers share

In accounts of EPFO, ZO, Chennai of the year 2021-22 it was seen that the closing balance of NPS under the liability side of the Balance sheet was shown as ₹ (-)1.03 lakh as below: -

Description	(Amount in Rs.)
Balance at the end of 31.3.2021	(-) 70,148
Add: Amount received during the year 2021-22	2,34,67,912

a. There is only one head to book the "New Pension Scheme Contribution Payable" in the Schedule 15 of Liability.

b. The outstanding balance of Board share towards NPS is the 1.4 times of the closing balance of NPS Liability.

<table border="1"> <tr> <td>Total</td><td>2,33,97,764</td></tr> <tr> <td>Less: Amount paid during the year 21-22</td><td>2,35,01,188</td></tr> <tr> <td>Balance at the end of 31.3.2022</td><td>-1,03,424</td></tr> </table>	Total	2,33,97,764	Less: Amount paid during the year 21-22	2,35,01,188	Balance at the end of 31.3.2022	-1,03,424	c. In the Receipts & Payments A/c-2, the amount of ₹ 3.27 crore is payment made towards NPS by the Board during the year and the amount of ₹ 2.35 crore is the Payments towards N.P.S. (Employees' Share) during the year.
Total	2,33,97,764						
Less: Amount paid during the year 21-22	2,35,01,188						
Balance at the end of 31.3.2022	-1,03,424						
a. As per the Balance sheet workings, Excess NPS was remitted to the tune of ₹ 1.03 lakh which should have been shown under Current Assets instead of exhibiting the same as negative balance under liability. b. It was further seen that under outstanding liabilities (Page 14 of 106) of consolidated annual accounts, further liability towards NPS employers share was disclosed to the tune of ₹ (-) 1.41 lakh. Reasons for the same were not disclosed. c. Also, as per the consolidated Receipts & Payments a/c of A/C No. 2 for the year 2021-22, an amount of ₹ 3.27 crore has been shown as payment made towards NPS by the Board during the year. However as per the balance sheet (Sch-15 sub -Sch-1), the amount paid during the year is shown as ₹ 2.35 crore. The discrepancy in the amount shown as paid towards NPS by the Board during the year may be reconciled.	Regarding the negative balance, it is informed that the action is being taken by the concerned Regional Offices for rectification of the negative amount.						
3. Fixed Assets (Schedule -24) 3.1 Overstatement of depreciation on other fixed assets amounting to ₹55,491/- in EPFO,ZO, Wazirpur. The above includes other fixed assets amounting to ₹82,855/-. While reviewing the depreciation on other fixed assets, it was noticed that value of the Gross Block of other fixed assets is ₹82,855/- whereas accumulated depreciation thereon is ₹1,38,346/-. The depreciation cannot exceed the gross value of the assets. Hence, the disclosure of the depreciation is not correct and the Expenditure (Depreciation) is overstated and Fixed Assets are understated by ₹55,491/-.	3. Fixed Assets (Schedule -24) 3.1 Overstatement of depreciation on other fixed assets amounting to ₹55,491/- in EPFO,ZO, Wazirpur. With reference to this Para, it is stated that necessary directions have been issued to the Regional Office, Delhi(East) as well as Regional Office, Haldwani to take appropriate steps to reconcile the same and ensure that the same is not repeated in RO wise Balance Sheet for FY 2022-23.						
3.2 Long Outstanding capital work in progress and non-capitalisation thereof amounting to ₹15 lakh Schedule 24A in the accounts of RO (West & South), Delhi discloses a balance of ₹15 lakh as capital work in progress as on 31.03.2022. Further, schedule 24A of FY 2020-21 also shows the balance of ₹15 lakh as capital work in progress. The capital work in progress is continuing for last two years and no adjustment has been made nor the work has been capitalised.	3.2 Long Outstanding capital work in progress and non-capitalisation thereof amounting to ₹15 lakh The Advance was given for construction of the Chamber of Officer in-charge which has been completed. The expenditure incurred will be capitalized under the head Furniture & Fixture and will be correctly reflected in the Balance Sheet for the FY 2022-23.						

The completed work should be identified and details be provided to audit and adjustment for completed capital work should be made in accounts.			3.3 Non attestation of Fixed Asset Register of EPFOHQ As per rule each entry of Fixed Asset should be attested by the concerned officer of section maintaining the Register. The scrutiny of Fixed Asset Register maintained at EPFO Hqrs was carried out and it was noticed that in following cases the entries of items were not attested by authorized signatory. Hence the requirement has not been complied with. <table><tr><th>Sl. No.</th><th>Particulars</th><th>Page No.</th></tr><tr><td>1</td><td>Air Freshner dispenser</td><td>270</td></tr><tr><td>2</td><td>Mobile phone</td><td>262</td></tr><tr><td>3</td><td>Tissue bending machines</td><td>260</td></tr><tr><td>4</td><td>Sanitizer Machines</td><td>255</td></tr><tr><td>5</td><td>DVR port</td><td>248</td></tr><tr><td>6</td><td>Water dispenser</td><td>243</td></tr></table>			Sl. No.	Particulars	Page No.	1	Air Freshner dispenser	270	2	Mobile phone	262	3	Tissue bending machines	260	4	Sanitizer Machines	255	5	DVR port	248	6	Water dispenser	243
Sl. No.	Particulars	Page No.																								
1	Air Freshner dispenser	270																								
2	Mobile phone	262																								
3	Tissue bending machines	260																								
4	Sanitizer Machines	255																								
5	DVR port	248																								
6	Water dispenser	243																								
3.4 In accounts of ZO, EPFO, Chennai, it was seen that an amount of ₹1.79 crore has been disclosed under work in progress at the end of 31.03.2022. In this connection, the nature of work in progress along with progress report as on 31.03.2022 was called for to confirm the Work-in Progress disclosed in the Annual Accounts. However, the same was not furnished to audit for confirmation of figures.			3.3 Non attestation of Fixed Asset Register of EPFOHQ The necessary attestation has been made by the concerned official, who has duly verified the Fixed Asset Register of EPFO, HQ.																							
3.4 The details are as under:-																										

4	Modification/Upgradation of all toilets 1 st , 3 rd floor, in RO, Ambattur Office {50% Advance}	90% of the Civil works for the upgradation of all toilets have been completed	11,83,552.00	AIR
5	Repair and renovation of B4 Qtrs, EPFO, Anna Nagar, Chennai {50% Advance}	100% of work was completed.	2,82,500.00	CPWD
6	Addition Expenditure for Electrical points & DB box with MCB to PS room & Visitor's Chamber { 50% Advance}	90% of the Electrical work was completed.	17,018.00	AIR
7	Internal & External painting for 1 st floor & 3 rd floor office building of Ro, Ambattur, Chennai {50% Advance}	80% of the painting work was completed.	9,04,692.00	AIR
8	Covering of existing shed terrace with PVC galvanised iron profile sheet & providing door windows including vitrified floor for office building of RO, Ambattur {50% Advance}	80% of the covered existing shed work was completed.	4,05,004.00	AIR
9	Repair and renovation work of B/2,3 & 5 flats of Type IV qtrs, EPF ANSQ, Anna Nagar, Chennai {50% Advance}	Work order and amount issued to CPWD on 02/2022. As on dated work has been awarded to a contractor by CPWD.	7,76,000.00	CPWD
10	Providing name board, fully covered shed for PRO including chequered tile flooring at EPF office, Ambattur, Chennai {50% Advance}	85% of the work was completed.	6,55,777.00	AIR
11	Modification & upgradation of all toilets in 1 st and 3 rd floor & Ladies toilet 2 nd instalment (25%)	90% of the civil work was completed.	5,91,776.00	AIR
12	External repairs and painting to the B Block, Type IV EPF ANSQ, Anna Nagar, Chennai (50% Advance)	Work order and amount issued to CPWD on 03/2022. As on dated work has been awarded to a contractor by CPWD.	10,68,000.00	CPWD
Total			1,11,50,683.00	

	As and when, the works are completed, the same will be included in "Capitalised during the year".																																								
4. Current Assets, Loans and Advances 4.1 Difference in opening and closing balances of Current Assets, Loans and advances amounting to ₹4.47 lakh The balance of Schedule – 28 (Current Assets, Loans and Advances) of the accounts of RO (West & South), Delhi during the year 2020-21 was shown as ₹110,55,12,556/- whereas the balance for the year 2021-22 has been shown as ₹110,50,64,792/-. The difference needs to be reconciled.	4. Current Assets, Loans and Advances 4.1 Difference in opening and closing balances of Current Assets, Loans and advances amounting to ₹4.47 lakh In the signed copy of the Balance Sheet of Regional Office, Delhi (South) & (West) (Combined), the correct amount shown under the Conveyance Advance is Rs. 2,23,882/- and not Rs.(-) 2,23,882/-. Thus, opening balance has been taken correctly and there is no difference of Rs. 4,47,764/- After taking correct amount of Rs. 2,23,882/- total of Current Assets, Loans & Advances (Schedule 28) was also correct i.e. Rs. 1,10,55,12,556/-, there is no difference in opening and closing balances of Current Assets, Loans and Advances amounting to Rs. 4.47 Lakh.																																								
4.2 Overpayments and irregular payments done by EPFO, ZO, Wazirpur, Delhi EPFO, ZO, Wazirpur has shown overpayments and irregular payments amounting to ₹1.10 lakh and ₹31.04 lakh, respectively. Details are as under: - <table><tr><th colspan="5">Details of Irregular Payments</th></tr><tr><th>Sl. No.</th><th>Particulars</th><th>Schedule No.</th><th>Opening Balance as on 01.04.2021 (in ₹)</th><th>Closing Balance as 31.03.2022 (in ₹)</th></tr><tr><td>1</td><td>Current liabilities</td><td>5</td><td>31,04,716.50</td><td>31,04,716.50</td></tr><tr><td>2</td><td>Current Assets</td><td>19</td><td>31,04,716.50</td><td>31,04,716.50</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">Details of Over Payments</th></tr><tr><th>Sl. No.</th><th>Particulars</th><th>Schedule No.</th><th>Opening Balance as on 01.04.2021 (in ₹)</th><th>Closing Balance as 31.03.2022 (in ₹)</th></tr><tr><td>1</td><td>Current liabilities</td><td>5</td><td>1,56,994.00</td><td>1,09,841.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Current Assets</td><td>19</td><td>1,56,994.00</td><td>1,09,841.00</td></tr></table> Since these are instances of overpayment/irregular payments to members these should be classified under current assets loans and advances only.	Details of Irregular Payments					Sl. No.	Particulars	Schedule No.	Opening Balance as on 01.04.2021 (in ₹)	Closing Balance as 31.03.2022 (in ₹)	1	Current liabilities	5	31,04,716.50	31,04,716.50	2	Current Assets	19	31,04,716.50	31,04,716.50	Details of Over Payments					Sl. No.	Particulars	Schedule No.	Opening Balance as on 01.04.2021 (in ₹)	Closing Balance as 31.03.2022 (in ₹)	1	Current liabilities	5	1,56,994.00	1,09,841.00	2	Current Assets	19	1,56,994.00	1,09,841.00	4.2 Overpayments and irregular payments done by EPFO, ZO, Wazirpur, Delhi It is submitted that an Over Payment of Rs. 1,09,841/- shown under Schedule 5(2c) under Current Liabilities and also booked in Schedule 19(4c) as Current Assets. The amount Rs. 1,09,841/- include Overpayment of RO, Delhi (Central) (Rs. 46,081/-) and Regional Office, Dehradun (Rs. 63,760/-) respectively. As regards recovery of overpayment in respect of RO, Delhi (Central), it is submitted that a Civil Suit on 18.11.2019 has been filed in District Court, Dwarka vide Suit No. 1300/2019 titled as CBT Versus Pawan Verma. The case was listed on 19.03.2020 waiting for the report regarding summons sent at Agra Address of the defendant and consideration of the service reports of the defendant. Further, the case was adjourned for hearing on 19.11.2020, 20.02.2021, 07.09.2021, 21.12.2021, 28.02.2022 and 13.07.2022. Next date of hearing is 03.09.2022 before the aforesaid court for further hearing. Instructions are being regularly issued to all the offices to reconcile the Irregular payments and these are being recorded in the Annual Accounts as per the Manual of Accounting procedure.
Details of Irregular Payments																																									
Sl. No.	Particulars	Schedule No.	Opening Balance as on 01.04.2021 (in ₹)	Closing Balance as 31.03.2022 (in ₹)																																					
1	Current liabilities	5	31,04,716.50	31,04,716.50																																					
2	Current Assets	19	31,04,716.50	31,04,716.50																																					
Details of Over Payments																																									
Sl. No.	Particulars	Schedule No.	Opening Balance as on 01.04.2021 (in ₹)	Closing Balance as 31.03.2022 (in ₹)																																					
1	Current liabilities	5	1,56,994.00	1,09,841.00																																					
2	Current Assets	19	1,56,994.00	1,09,841.00																																					

4.3 Difference in Opening and Closing balances of conveyance advances amounting ₹4.47 lakh EPFO, RO (West & South), Delhi has shown an amount of ₹(-)2.23 lakh as advances (Staff) in Schedule - 28 of annual accounts for the year 2021-22 and the same amount was shown in the accounts for the year 2020-21. There was no adjustment shown to audit in this regard leading to change in amount. Further, the total recoverable advances (Staff) in 2020-21 were ₹ 99.73 lakh, but due to negative balance of conveyance advances in year 2021-22 the total recoverable advances became ₹ 95.25 lakh leading to a difference of ₹4.47 lakh. The change of positive balance of ₹2.23 lakh in 2020-21 to negative balance of ₹2.23 lakh in the 2021-22 relating to conveyance advances and difference was of ₹4.47 lakh. The copy of page showing above recoverable advances provided to audit does not bear signature of any officer which needs justification.	4.3 Difference in Opening and Closing balances of conveyance advances amounting ₹4.47 lakh In the signed copy of the Balance Sheet of Regional Office, Delhi (South) & (West) (Combined), the correct amount shown under the Conveyance Advance is Rs. 2,23,882/- and not Rs. (-)2,23,882/-. Thus, opening balance has been taken correctly and there is no difference of Rs. 4,47,764/-. After taking correct amount of Rs. 2,23,882/- total of Current Assets, Loans & Advances (Schedule 28) was also correct i.e. Rs. 1,10,55,12,556/- there is no difference in opening and closing balances of Current Assets, Loans and Advances amounting to Rs. 4.47 Lakh.
5. Income and expenditure account 5.1 Discrepancy in Administration Charges shown in Receipt and Payment Accounts Scrutiny of Schedule - 38 of annual accounts of EPFO, RO (West & South), Delhi revealed that EPF Administration Charges received during the year was ₹112.20 crore. In this regard, it is stated that Administration Charges under Deposits in Accounts No. 2 is ₹(-) 25.95 lakh and Administration Charges under Centralised receipts is ₹112.37 crore as shown in Receipt and Payment Accounts. The total of these two figures of Receipt and Payment Account comes to ₹ 112.11 crore. This amount should tally with the figures shown in the EPF Administration Charges amounting to ₹ 112.20 crore. However, there is a difference of ₹ 9 lakh which needs reconciliation.	5. Income and expenditure account 5.1 Discrepancy in Administration Charges shown in Receipt and Payment Accounts There is no difference in EPF Admin Charges which has been correctly shown as Rs.112.20 Crores. The Audit Party has not added the amount reflected under Receipt & payment of Account No. 2 under sub-head Credit un-received challan S. No. (Za-(v)) which is an amount of Rs. 9,29,156/-. This is a part of Administrative Charge and same is added for Administration Charge receipt. The detailed calculation is Rs. 112.20 = {(-25.95) + 0+ 112.37 +9.29}
6. Discrepancies in financial statements of EPFO, ZOs & ROs. During the scrutiny of Financial Statements including Balance Sheet, Receipt and Payments Accounts, Income and Expenditure Account, Schedules and Sub-Schedules relating to EPFO (RO west & south, RO north and central, Delhi), (ZO Wazirpur, Delhi, ZO Madhya Pradesh & Chattisgarh, ZO Pune, ZO Punjab & HP, ZO Jharkhand & Bihar) for year 2021-22, that many pages of these documents provided to audit are not signed by the authorized signatories. However, the consolidated financial	6. Discrepancies in financial statements of EPFO, ZOs & ROs. The observation of Audit is noted and Instructions will be issued to all the offices.

accounts have been signed on each page. As per sound financial practice of preparation of annual accounts, all pages should be verified and signed by the authorized officers. Further, the notes on accounts have not been annexed to the Balance Sheet relating to zonal and regional offices. This should be attached with the Balance Sheet. Due to these discrepancies the authenticity of the unsigned pages cannot be verified.	7. Non - reconciliation/adjustment of long pending negative balances As per sound financial practice, there should not be negative balances in the accounts. The office order no. BSC-1(1)2021-22/Balance Sheet/6221 dated 17.03.2022 in its FAQs (Sl. No. 10) stated that all the payable accounts showing negative balances be reconciled and corrective measures be taken immediately. 7.1 During the scrutiny of Financial Statements of EPFO, ZO, Wazirpur, Delhi, the following negative balances were noticed: -																										
	<table><thead><tr><th>Name of the unit</th><th>Particulars</th><th>Sch. No.</th><th>Opening Balance as on 01.04.2021 (in Rs.)</th><th>Closing Balance as 31.03.2022 (in Rs.)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">EPFO ZO, Wazirpur, New Delhi</td><td>Interest A/c - EPF Contribution Fund</td><td>4</td><td>(-) 3,25,17,82,33,397.63</td><td>(-) 3,83,47,50,07,791.04</td></tr><tr><td>TDS Payable - deducted on claim settlements.</td><td>5</td><td>22,22,053.00</td><td>(-) 54,29,861</td></tr><tr><td>Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)</td><td>7</td><td>(-) 1,50,88,368.61</td><td>(-) 1,51,88,947.91</td></tr><tr><td>Staff Provident Fund Interest Account</td><td>11</td><td>(-) 74,51,17,676.65</td><td>(-) 83,17,19,687.10</td></tr></tbody></table>	Name of the unit	Particulars	Sch. No.	Opening Balance as on 01.04.2021 (in Rs.)	Closing Balance as 31.03.2022 (in Rs.)	EPFO ZO, Wazirpur, New Delhi	Interest A/c - EPF Contribution Fund	4	(-) 3,25,17,82,33,397.63	(-) 3,83,47,50,07,791.04	TDS Payable - deducted on claim settlements.	5	22,22,053.00	(-) 54,29,861	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	7	(-) 1,50,88,368.61	(-) 1,51,88,947.91	Staff Provident Fund Interest Account	11	(-) 74,51,17,676.65	(-) 83,17,19,687.10				
Name of the unit	Particulars	Sch. No.	Opening Balance as on 01.04.2021 (in Rs.)	Closing Balance as 31.03.2022 (in Rs.)																							
EPFO ZO, Wazirpur, New Delhi	Interest A/c - EPF Contribution Fund	4	(-) 3,25,17,82,33,397.63	(-) 3,83,47,50,07,791.04																							
	TDS Payable - deducted on claim settlements.	5	22,22,053.00	(-) 54,29,861																							
	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	7	(-) 1,50,88,368.61	(-) 1,51,88,947.91																							
	Staff Provident Fund Interest Account	11	(-) 74,51,17,676.65	(-) 83,17,19,687.10																							
7.2 Negative balances in financial statements of EPFO ZO (Bihar & Jharkhand) Scrutiny of financial statements of EPFO ZO (Bihar & Jharkhand) revealed that in Schedule 4 & 11 of financial statements, the following negative balances are disclosed: -		7.2 Negative balances in financial statements of EPFO ZO (Bihar & Jharkhand) In this regard, it is to inform that the Regional Offices/ Zonal Offices don't have any interest income as amount received from contribution is invested at Head Office level. Annual Accounts for the FY 2021-2022 was prepared in Common format prescribed by CAG and GOI, where the schedule-4 of EPF Interest and																									
		7. Non - reconciliation/adjustment of long pending negative balances The negative figures appeared due to the transition to common format in the Field Offices and Zonal Offices. Instructions will be issued to all ROs not to repeat in the next Annual Accounts and it will also be monitored and checked at Zonal Offices and Head Office level. 7.1 With reference to this Para, it is stated that the necessary directions have been issued to the respective Regional Offices vide letter dated 28.09.2022 to take appropriate steps to reconcile the same and ensure that the same are not repeated in the RO, Balance Sheet for FY 2022-23.																									

schedule-11 of SPF Interest are on liability side. Hence, the opening balance is negative and this has been followed in all offices of EPFO. It is also to inform that the balance of these schedules is positive in the consolidated Annual Accounts of EPFO.			
7.3 Negative balances in financial statements of EPFO ZO (Punjab and HP) In this regard, it is to inform that the Regional Offices/ Zonal Offices don't have any interest income as amount received from contribution is invested at Head Office level. The Zonal offices have income of only penal damages and 7Q interest which is less than the interest paid to members. Thus, it is negative. As from the year 2020-21 onwards, the Annual Accounts are being prepared in Common format prescribed by CAG and GOI, where the schedule-4 of EPF Interest and schedule-11 of SPF Interest are on liability side hence the closing balances are negative. It is also to inform that the balance of these schedules is positive in the consolidated Annual Accounts of EPFO.			
7.4 Negative balances in financial statements of EPFO ZO (Pune) It is to inform that the negative balance amounting to ₹ (-) 1,09,887 is the net balance, only RO Kolhapur has negative balance of Rs. (-) 240176. RO Kolhapur vide letter dated 28.10.2022 has informed that the amount Rs. (-) 240176 /-pertains to amount recovered in the years 2015-2016, 2017-18 and 2018-19 from the salaries of employees who were transferred to RO Kolhapur from other regional offices thus resulting in negative balance for RO Kolhapur and furnished the details of amount recovered. It is also informed that no advance of pay was extended by RO, Kolhapur to any officials during said period.			
7.5 Negative balances in financial statements of EPFO ZO (MP & Chhattisgarh) In this regard, it is submitted that negative balances have aroused due to wrong entry in Receipt and Payment Account -2 in Balance Sheet by RO Sagar for Rs. 34,188 in r/o TA/DA and Rs. 52,078/- in r/o Miscellaneous Payments and RO Jabalpur, and for Rs. 1,000/- in r/o Miscellaneous Payment, which pertains to			

Sl. No.	Particulars	Schedule No.	Amount (in Rs.)
1	Interest A/c -- EPF Contribution Fund Closing balance	4	- 6178,28,22,320.35
2	Staff Provident Fund Interest A/c Closing balance	11	-44,38,33,859.66

7.3 Negative balances in financial statements of EPFO ZO (Punjab and HP)

Scrutiny of financial statements of EPFO ZO (Punjab and HP), revealed that in Schedule 4 & 11 of financial statements, the following negative balances are disclosed: -

Sl. No.	Particulars	Schedule No.	Amount (in Rs.)
1	Interest A/c -- EPF Contribution Fund Closing balance	4	- 19123,32,91,938.28
2	Staff Provident Fund Interest A/c Closing balance	11	-74,82,15,461.06

7.4 Negative balances in financial statements of EPFO ZO (Pune)

The scrutiny of financial statements of EPFO ZO (Pune) as provided to audit party at HQ, revealed that in Schedule 28 of financial statements disclosed advance of pay as negative balance amounting to Rs. (-) 1,09,887. As per accounting principles the negative balances should be adjusted/reconciled at the close of the financial year and preferably should not remain in the financial statements.

7.5 Negative balances in financial statements of EPFO ZO (MP & Chhattisgarh)

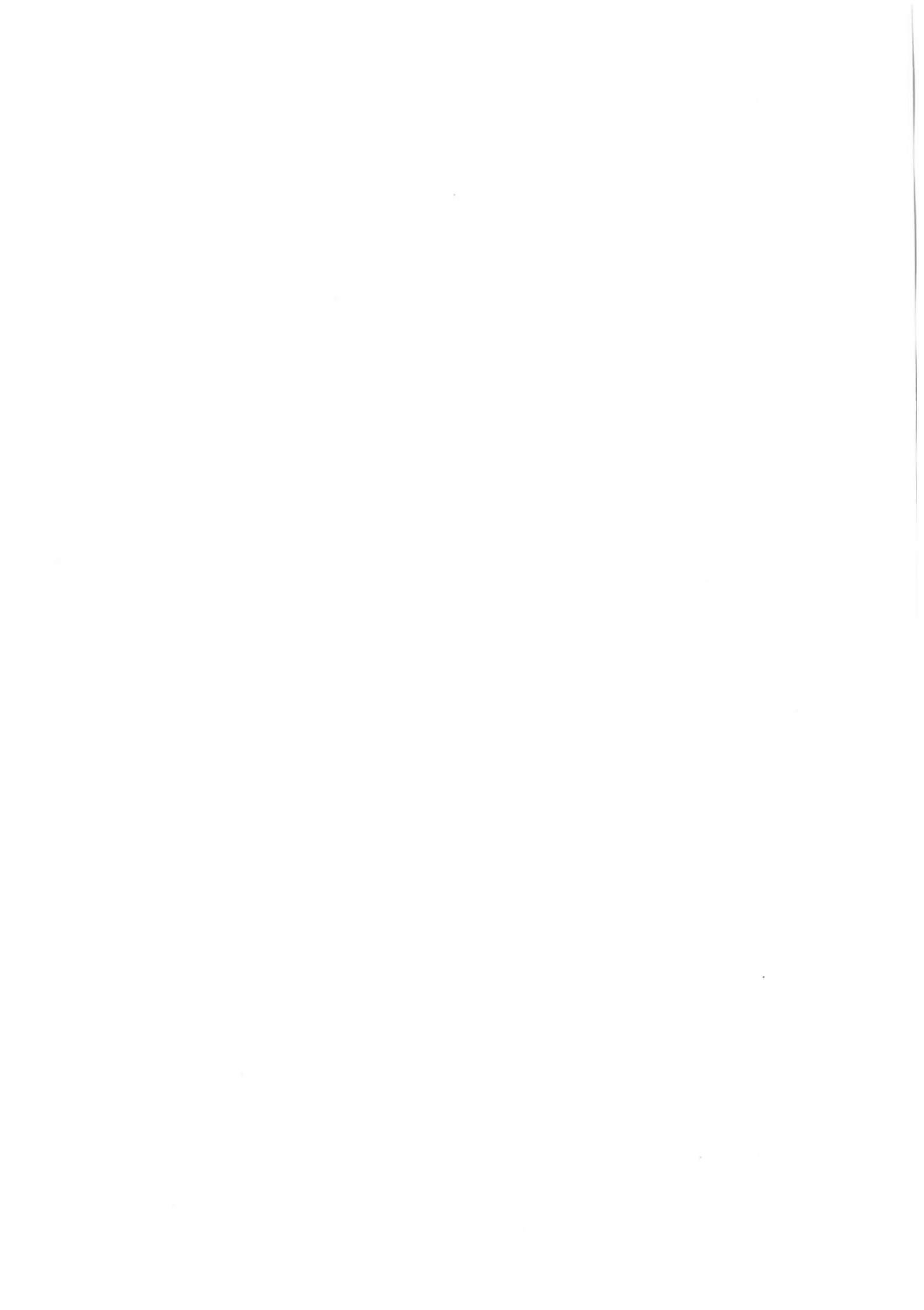
Scrutiny of financial statements of EPFO ZO (MP & Chhattisgarh) as provided to audit party at HQ, revealed that in Schedule 28 of financial statements, the following negative balances are disclosed: -

miscellaneous recoveries from salary, which stands repaid later on as the same was recovered inadvertently and corrections for the same will be made in the balance sheet for the year 2022-23.				7.6 The clarifications on Negative balances are as follows: - a) Negative balance of Administrative Charges in Balance Sheet 2021-22 is due to ECR Rejection/ Revision cases received for the year 2021-22. b) & c) The amount pertains to ECR rejections during the year 2021-22. All the contributions made by employers are credited to Central Account and the ECR rejections (the remittances returned back to employers due to wrong remittances/Error in ECR data) are debited only from the A/c No.10 and 21 maintained by Regional Office. These debits are shown as negative figure under contributions since there is no other head on the payment side to record this. d) This closing balance is not accumulated throughout the year, it is the balance of only last day. The balance cannot be hold into the accounts as it has to be transferred at the end of each day. If the last day payments are excess than receipt, it will be negative.				7.7 Incorrect accounting of employee's recoverable advances in the balance sheet It is informed that the negative balances are the recoveries of advances from employees who were transferred to this office from other regional offices thus resulting in negative balance, these pertain to previous years and are also being accumulated every year.																																										
<table><tr><th>Sl. No.</th><th>Particulars</th><th>Schedule No.</th><th>Amount (in Rs.)</th></tr><tr><td>1</td><td>Advance of TA/DA</td><td>28 (5)/h</td><td>-34,188</td></tr><tr><td>2</td><td>Miscellaneous Payments</td><td>28 (5)/m</td><td>-53,078</td></tr></table>				Sl. No.	Particulars	Schedule No.	Amount (in Rs.)	1	Advance of TA/DA	28 (5)/h	-34,188	2	Miscellaneous Payments	28 (5)/m	-53,078	7.6 In accounts of EPFO, ZO, Chennai for the year 2021-22, following negative figures have been shown- a) Administrative Charges receipts were shown under negative figure to the tune of ₹61.44 lakh in the R&P account of Account No.1 (under receipts side). As the Receipt and payment is only a consolidated cashbook, it should not show any negative figures. b) Disclosure of negative balance of (-) ₹4.75 crore in R&P Account No 10 under contributions deposited in Account No 10. c) The contributions deposited in Account No 21 during the year was disclosed as ₹ (-) ₹19.93 lakh under receipt side. As receipt is a cash inflow it is incorrect to show it as negative figure. d) In Receipt & Payment account pertaining to Account No 1, 10 & 21 the opening and closing cash at bank has been disclosed as negative figure. <table><tr><th colspan="3">(Amount in Rs.)</th></tr><tr><th>Account head</th><th>Opening cash at bank</th><th>Closing cash at bank</th></tr><tr><td>Account No 1</td><td>(-)197191892</td><td>(-) 122285278</td></tr><tr><td>10</td><td>(-) 83779667</td><td>(-) 96761065</td></tr><tr><td>21</td><td>(-) 6593505</td><td>+ 943305</td></tr></table>				(Amount in Rs.)			Account head	Opening cash at bank	Closing cash at bank	Account No 1	(-)197191892	(-) 122285278	10	(-) 83779667	(-) 96761065	21	(-) 6593505	+ 943305	7.7 Incorrect accounting of employee's recoverable advances in the balance sheet -In the Consolidated Annual accounts of ZO, Chennai, it was seen that the balances of the following recoverable advance granted to staff were incorrectly accounted and negative balances were exhibited as shown below: <table><tr><th colspan="2">Year 2021 -22</th></tr><tr><td>Conveyance Advance</td><td>2021 -22</td></tr><tr><td>OB</td><td>(-)16,56,389.00</td></tr><tr><td>Add: Further advances paid</td><td>00</td></tr><tr><td>Total</td><td>(-)16,56,389.00</td></tr><tr><td>Less: Recoveries during the year</td><td>16,665</td></tr></table>				Year 2021 -22		Conveyance Advance	2021 -22	OB	(-)16,56,389.00	Add: Further advances paid	00	Total	(-)16,56,389.00	Less: Recoveries during the year	16,665
Sl. No.	Particulars	Schedule No.	Amount (in Rs.)																																															
1	Advance of TA/DA	28 (5)/h	-34,188																																															
2	Miscellaneous Payments	28 (5)/m	-53,078																																															
(Amount in Rs.)																																																		
Account head	Opening cash at bank	Closing cash at bank																																																
Account No 1	(-)197191892	(-) 122285278																																																
10	(-) 83779667	(-) 96761065																																																
21	(-) 6593505	+ 943305																																																
Year 2021 -22																																																		
Conveyance Advance	2021 -22																																																	
OB	(-)16,56,389.00																																																	
Add: Further advances paid	00																																																	
Total	(-)16,56,389.00																																																	
Less: Recoveries during the year	16,665																																																	

Closing balance	(-) 16,73,054.00	
House Building Advance	2021 -22	
OB	(-) 32,75,475.00	
Add: Further advances paid	16,32,476.00	
Total	(-) 16,42,999.00	
Less: Recoveries during the year	2,60,336	
Closing balance	(-) 19,03,335	
Pay advance	2021 -22	
OB	(-) 2,66,723.00	
Add: Further advances paid	00	
Total	(-) 2,66,723.00	
Less: Recoveries during the year	00	
Closing balance	(-) 2,66,723.00	
7.8 Scrutiny of consolidated balance sheet of ZO, EPFO, Chennai revealed that under schedule 4 – Current Liabilities – the accumulated interest account on EPF Contribution fund at the end of March 2022 was shown as ₹(-)33560.63 crore (Account No 1). Similarly under schedule 11 – Current Liabilities – Staff Provident Fund Interest Account the accumulated balance at the end of 31.3.3022 was also shown as Negative figure to the tune of ₹ (-) 37.24 crore (Account No 2).		
7.8 In this regard, it is to inform that the Regional Offices/ Zonal Offices don't have any interest income as amount received from contribution is invested at Head Office level. The Zonal offices have only the income of only penal damages and 7Q interest which is less than the interest paid to members. Thus, it is negative. As from the year 2020-21 onwards, the Annual Accounts are being prepared in Common format prescribed by CAG and GOI, where the schedule-4 of EPF Interest and schedule-11 of SPF Interest are on liability side hence the closing balance are negative. It is also to inform that the balance of these schedules is positive in the consolidated Annual Accounts of EPFO.		
7.9 Disclosing negative figure under consolidated I&E Account of EPFAdmn fund account – ₹1.99 crore The budget head available is Pay of Establishments only whereas RO, Chennai while furnishing the Outstanding Expenses for the Year 2020-21 have furnished an amount of Rs. 1,99,98,012 under the head Pay of Officers instead of Pay of Establishments.		
7.9 Disclosing negative figure under consolidated I&E Account of EPFAdmn fund account – ₹1.99 crore In annual accounts of ZO, EPFO, Chennai, it was seen from the consolidated Income and Expenditure accounts of the year 2021-22 pertaining to EPF Administrative fund under Establishment expenses an amount of ₹98.66		

crore has been booked which includes Salaries of officers & staff and Bonus to the tune of ₹68.21 crore. Scrutiny of sub schedule to the expenses revealed the amount was arrived as detailed below: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Head</th><th>Amount in rupees</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pay to officers</td><td>(-) 1,99,98,012</td></tr> <tr> <td>Pay of Establishments</td><td>52,64,30,297</td></tr> <tr> <td>DA</td><td>13,88,78,860</td></tr> <tr> <td>Leave encashment</td><td>2,44,12,027</td></tr> <tr> <td>Leave salary and pension contribution</td><td>13,65,751</td></tr> <tr> <td>Bonus</td><td>1,11,03,635</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>68,21,92,558</td></tr> </tbody> </table> The above negative figure was booked by Regional office Chennai	Head	Amount in rupees	Pay to officers	(-) 1,99,98,012	Pay of Establishments	52,64,30,297	DA	13,88,78,860	Leave encashment	2,44,12,027	Leave salary and pension contribution	13,65,751	Bonus	1,11,03,635	Total	68,21,92,558	The same amount was shown in the sheet Reversion of Outstanding Expenses PY under the head Pay of Officers in the year 2021-22 also. The same is taken note of. Necessary rectification will be carried out during the compilation of Consolidated Annual Accounts for the year 2022-23.
Head	Amount in rupees																
Pay to officers	(-) 1,99,98,012																
Pay of Establishments	52,64,30,297																
DA	13,88,78,860																
Leave encashment	2,44,12,027																
Leave salary and pension contribution	13,65,751																
Bonus	1,11,03,635																
Total	68,21,92,558																
7.10 Negative Balance in EPF Administration Fund-Investment - ₹(-) 3,05,74,278.81 There is a negative balance of ₹3.05 crore against Schedule-25- EPF Administration Fund-Investment as on 31.3.22. The reasons for disclosing a negative balance against investment may be explained. Also, the closing balance as on 31.03.21 against EPF Administration Fund - Investment was shown as 0 (zero). However, it is seen from Schedule-25, that the opening balance as on 1.4.21 against this account is taken as ₹ (-) 1,50,93,515.45.	7.10 Negative Balance in EPF Administration Fund-Investment - ₹(-) 3,05,74,278.81 This observation and amount doesn't pertain to ZO Chennai and ROs under its jurisdiction. Hence, we are unable to identify the office. However, it is informed that this figure appears due to the transition of format. This is the difference amount of transfer made by Regional accounts to Central accounts (Centralised receipts + amount transfer from A/c-2 to A/c-4) and Central to Regional A/c (Amount transfer from A/c-4 to A/c-2).																
7.11 In accounts of EPFO, RO, Vellore as on 31.03.2022 prepared it was seen that under schedule 4 – Current Liabilities – the accumulated interest account on EPF Contribution fund at the end of March 2022 was shown as ₹(-)1451.88 crore. Similarly, under schedule 11 – Current Liabilities – Staff Provident Fund Interest Account the accumulated balance at the end of 31.03.2022 was also shown as Negative figure to the tune of ₹(-) 1.80 crore.	7.11 In this regard, it is to inform that the Regional Offices/ Zonal Offices don't have any interest income as amount received from contribution is invested at Head Office level. The Zonal offices have only the income of only penal damages and 7Q interest which is less than the interest paid to members. Thus, it is negative. As from the year 2020-21 onwards, the Annual Accounts are being prepared in Common format prescribed by CAG and GOI, where the schedule-4 of EPF Interest and schedule-11 of SPF Interest are on liability side hence the closing balance are negative. However, the balance of these schedules is positive in the consolidated Annual Accounts of EPFO.																

8. Details of Payment Insurance charges not furnished In annual accounts of EPFO, ZO, Chennai, expenditure booked under the head of Insurance charges was nil for the period 2021-22. It was noticed that the five regional offices for which the Zonal office is preparing the consolidation have three staff cars, one each with Chennai RO, Tambaram RO and Puducherry RO. Insurance amount paid for the three cars for the year 2021-22 should be booked under insurance charges. The details of the Insurance charge for the said three vehicles and any other insurance, if any, like Fire Insurance paid by any of the offices under this office was called for and the same was not furnished to audit. Due to non-furnishing of details, the outstanding liability towards Vehicle Insurance could not be ensured.	8. Details of Payment Insurance charges not furnished RO, Tambaram- It is informed that RO, Tambaram is provided with staff car and the insurance for the vehicle has been booked under the head "Maintenance and Repair of Motor Vehicles". An amount of Rs. 5,469/- has been paid as Insurance Premium to M/s. United India Insurance Company Ltd for the period 19.11.2021 to 18.11.2022. The Insurance charges for the staff car were shown in R & P A/c no. 2 under the budget head "Maintenance Expenses on Staff Car".
9. Improper information on Staff Pension cum Gratuity Fund. As per Notes on Accounts No. XII (Staff Pension cum Gratuity Fund), the Central Board of Trustees (CBT), EPF in its 174th meeting held on 23.02.2006 had approved the proposal to increase the contribution to 21 per cent of total emoluments from 12.4 per cent of total emoluments being transferred prior to 23.02.2006 by way of monthly transfer. The CBT, EPF in the said meeting had, recommended that Pension cum Gratuity Fund may be valued by the actuary on bi-annual basis. However, the actuarial report is being prepared once in two years i.e. biennial. The actuarial valuation status as on 31.03.2022 has been shown in the above note. As per sl. no. (ix), the amount transferred to the Pension cum Gratuity during the year FY 2021-22 has been shown as ₹1630.69 crore. It was further stated that the report of the actuary has been approved by the CBT, EPF in its 226th meeting held on 05.03.2020. In this regard, it is stated that the amount transferred to Pension cum Gratuity for FY 2021-22 practically not possible to be included in the report which was approved on 05.03.2020 i.e. two years before the date of financial closure of FY 2021-22. The actuarial report is being prepared once in two years i.e. biennial. However, it has been shown in note that report is being prepared on bi-annual basis which means twice in a year. Thus, the note needs correction.	9. Improper information on Staff Pension cum Gratuity Fund. The observation of Audit is noted for compliance and necessary corrections will be made in Annual Accounts 2022-23.



वर्ष 2021-2022 के समेकित वार्षिक लेखे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

मुख्यालय

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस

नई दिल्ली – 110 066

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ
1.	समेकित तुलन पत्र.....	82-83
2.	तुलन पत्र के भाग के रूप में शामिल अनुसूचियां.....	84-94
3.	समेकित आय एवं व्यय लेखा.....	96-98
4.	आय एवं व्यय के रूप में शामिल अनुसूचियां.....	99-101
5.	अंचल संपत्तियों और निवेश अनुसूचियों का विवरण.....	102-104
6.	प्राप्ति एवं भुगतान खाते, क.पें.यो.,1995 (अंशदान लेखा).....	105
7.	प्राप्ति एवं भुगतान खाते, क.नि.स.बी., 1976 (अंशदान लेखा).....	106
8.	प्राप्ति एवं भुगतान खाते, क.नि.स.बी., 1976 (प्रशासकीय लेखा).....	107
9.	लेखों के भाग के रूप में अनुसूची.....	109-133
10.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट.....	134-147
11.	लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र.....	148-150
12.	प्रबंधन पत्र.....	151-165

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2022 तक समेकित तुलनपत्र			
		राशि - रुपये में	
	अनुसूची	चालू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)
पूँजी निधि एवं देयताएं			
<i>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</i>			
क.भ.नि. अंशदान निधि- सदस्यों के खाते			
सदस्यों के सक्रिय खाते	1	1,00,07,99,52,42,638.70	85,74,31,64,10,873.64
सदस्यों के निष्क्रिय खाते	2	49,62,70,00,178.00	39,30,85,48,158.00
आरक्षित एवं अधिशेष			
विशेष आरक्षित निधि	3	4,76,18,64,355.61	4,40,50,54,908.05
ब्याज खाता- क.भ.नि. अंशदान निधि	4	3,84,94,19,60,965.08	2,58,52,57,02,982.65
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	5	9,23,64,11,13,333.28	8,33,72,44,20,236.39
उप जोड़ - क.भ.नि. अंशदान निधि		1,13,70,96,71,81,470.70	97,10,28,01,37,158.73
<i>कर्मचारी पेंशन योजना, 1995</i>			
क.पें.यो. अंशदान निधि	6	68,62,01,10,75,316.22	59,95,19,34,57,324.13
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
विविध क्रेडिट	7	30,09,61,22,393.84	28,00,46,32,964.55
उप जोड़ - पेंशन निधि		68,92,10,71,97,710.06	60,23,19,80,90,288.68
<i>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976</i>			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि	8	3,77,56,53,90,867.05	3,45,46,28,24,683.54
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
विविध क्रेडिट	9	72,02,27,812.58	19,05,61,543.45
उप जोड़ - क.नि.स.बी. अंशदान निधि		3,78,28,56,18,679.63	3,45,65,33,86,226.99
<i>कर्मचारी प्रशासन निधि (कभनि योजना - 1952)</i>			
क.भ.नि. -प्रशासन निधि	10	3,00,21,78,78,898.92	2,79,54,02,32,685.27
आरक्षित एवं अधिशेष			
स्टाफ भविष्य निधि - ब्याज खाता	11	4,52,33,35,303.39	3,84,40,92,763.71
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि			
भवन निर्माण निधि	12	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
स्टाफ भविष्य निधि लेखा	13	17,59,95,09,342.56	16,59,32,79,882.11
स्टाफ पेंशन सह: उपदान लेखा	14	1,51,73,02,75,201.43	1,26,49,25,29,263.29
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	15	3,36,39,20,088.88	3,32,09,91,633.76
उप जोड़- क.भ.नि. प्रशासन निधि		4,86,30,74,60,732.23	4,38,66,36,68,125.18
<i>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासन निधि</i>			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि	16	38,36,13,33,285.89	35,96,92,06,703.68
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	17	59,88,45,685.17	59,02,98,455.07
उप जोड़ - क.नि.स.बी. प्रशासन निधि		38,96,01,78,971.06	36,55,95,05,158.75
कुल जोड़		1,91,66,62,76,37,563.70	1,65,54,35,47,86,958.30

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
31-03-2022 तक समेकित तुलनपत्र

	अनुसूची	चालू वर्ष (2021-22)	राशि - रुपये में पिछला वर्ष (2020-21)
परिसम्पत्तियां			
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. अंशदान निधि - निवेश	18	1,10,55,04,90,27,147.00	95,19,01,33,86,416.40
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	19	3,15,91,81,54,323.68	1,91,26,67,50,742.33
उप जोड़ - क.भ.नि. अंशदान निधि		1,13,70,96,71,81,470.70	97,10,28,01,37,158.73
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.प.यो. अंशदान निधि - निवेश	20	67,63,99,00,66,657.23	58,15,42,72,56,196.19
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	21	1,28,11,71,31,052.83	2,07,77,08,34,092.49
उप जोड़ - पेंशन निधि		68,92,10,71,97,710.06	60,23,19,80,90,288.68
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी.अंशदान निधि - निवेश	22	3,73,89,15,81,725.35	3,41,23,66,99,939.05
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	23	4,39,40,36,954.28	4,41,66,86,287.94
उप जोड़ - क.नि.स.बी.अंशदान निधि		3,78,28,56,18,679.63	3,45,65,33,86,226.99
कर्मचारी प्रशासन निधि (कमनि योजना, 1952)			
अचल परिसंपत्तियां	24	5,73,09,40,212.92	4,80,66,74,422.79
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	24A	8,62,77,97,453.90	8,76,26,48,856.90
क.भ.नि. प्रशासन निधि - निवेश	25	2,90,38,78,10,790.95	2,71,27,12,39,918.52
स्टाफ भविष्य निधि - निवेश	26	21,76,76,25,965.96	20,06,89,27,030.80
पेंशन - सह - ग्रेच्युटी निधि- निवेश	27	1,49,61,45,02,646.14	1,24,59,71,85,322.95
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	28	10,17,87,83,662.37	9,15,69,92,573.23
उप जोड़ - क.भ.नि. प्रशासन निधि		4,86,30,74,60,732.23	4,38,66,36,68,125.19
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासन निधि			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि - निवेश	29	37,54,41,13,259.76	35,05,67,39,537.16
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	30	1,41,60,65,711.30	1,50,27,65,621.58
उप जोड़ - क.नि.स.बी. प्रशासन निधि		38,96,01,78,971.06	36,55,95,05,158.74
कुल जोड़		1,91,66,62,76,37,563.70	1,65,54,35,47,86,958.30

हस्ता/-

(हेमंत जैन)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता/-

(नीलम शमी राव)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं

		राशि - रुपये में	
		चालू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
अनुसूची संख्या 1			
क.भ.नि. अंशदान निधि - सदस्यों के सक्रिय खाते			
	प्रारंभिक शेष	85,74,31,64,10,873.64	75,27,15,84,00,486.83
जोड़े :			
1.	प्राप्त अंशदान (ऋण/प्रत्याहरण की वापसी और अंतरित प्रतिभूतियां)	16,29,80,20,87,004.40	12,42,53,35,35,631.96
2.	प्रतिभूतियों के अंतरण से प्राप्त अंशदान (मुख्यालय कान्टा.)	-16,50,98,45,311.78	20,44,03,89,203.96
3.	सदस्यों के खाते में जमा ब्याज	6,71,38,33,23,400.00	6,28,27,10,79,080.00
4.	वर्ष के दौरान निष्क्रिय खाते से अंतरित	0.00	0.00
5.	अन्य प्राप्तियां	84,56,61,11,704.96	20,60,98,82,348.57
6.	पिछली जमाएं (बैंक अंतरण) (खाता संख्या 1)	1,66,50,44,01,902.63	98,68,42,13,905.37
	जोड़	25,35,74,60,78,700.21	20,10,53,91,00,169.86
घटाएं :			
1.	छोड़कर जाने वाले सदस्यों को अंतिम निपटान पर वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	4,45,18,77,00,108.10	3,65,22,59,52,102.93
2.	सदस्यों के जीवन बीमा पॉलिसी पर अदा किया गया प्रीमियम	37,87,69,764.00	19,37,21,933.00
3.	सदस्यों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया प्रत्याहरण/ऋण	5,81,32,77,78,578.00	5,27,90,01,52,623.00
4.	वर्ष के दौरान निष्क्रिय खाते से अंतरित	33,01,59,78,122.00	29,59,11,41,318.32
5.	प्रतिभूतियों की विविध भुगतान राशि छूट प्राप्त स्थापनाओं में वापस अंतरित	42,15,70,20,363.00	40,47,01,21,805.80
	जोड़	11,02,06,72,46,935.10	9,63,38,10,89,783.05
	31 मार्च को शेष	1,00,07,99,52,42,638.70	85,74,31,64,10,873.64
अनुसूची संख्या 2			
क.भ.नि. अंशदान निधि - सदस्यों के निष्क्रिय खाते			
	प्रारंभिक शेष	39,30,85,48,158.00	28,27,29,46,166.68
जोड़े :			
1.	वर्ष के दौरान सक्रिय खाते से अंतरित राशि	33,01,59,78,122.00	29,59,11,41,318.32
2.	सदस्यों के खाते में जमा ब्याज	0.00	0.00
	जोड़	33,01,59,78,122.00	29,59,11,41,318.32
घटाएं :			
1.	वर्ष के दौरान सक्रिय सदस्यों के खाते में अंतरित राशि	0.00	0.00
2.	निपटान पर सदस्यों पर वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	22,69,75,26,102.00	18,55,55,39,327.00
	जोड़	22,69,75,26,102.00	18,55,55,39,327.00
	31 मार्च को शेष	49,62,70,00,178.00	39,30,85,48,158.00
अनुसूची संख्या -3			
विशेष आरक्षित निधि :			
	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	4,40,50,54,908.05	4,05,97,23,375.17
जोड़े :			
1.	नियोक्ताओं से वसूल की गई राशि	0.00	0.00
2.	एस.आर.एफ. खाते पर ब्याज	35,68,09,447.55	34,50,76,486.89
	जोड़	35,68,09,447.55	34,50,76,486.89
घटाएं :			
1.	विशेष आरक्षित निधि से भुगतान की गई राशि	0.00	0.00
2.	मृत्यु राहत कोष में अंतरित राशि	0.00	-2,55,046.00
	जोड़	0.00	-2,55,046.00
	31 मार्च को शेष	4,76,18,64,355.61	4,40,50,54,908.05

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं

		राशि - रुपये में	
		चालू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)
अनुसूची संख्या - 4			
ब्याज खाता-क.भ.नि. अंशदान निधि			
प्रारंभिक शेष			
जोड़े :		2,58,52,57,02,982.65	2,45,44,68,93,649.74
1.	क.भ.नि. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अंग्रेजित व्यय से अधिक आय	1,26,41,62,57,982.43	13,07,88,09,332.91
	31 मार्च को शेष	3,84,94,19,60,965.08	2,58,52,57,02,982.65
अनुसूची संख्या - 5 (वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)			
I - वर्तमान देयताएं			
1	टीडीएस देय -दावा निपटान पर कटौती	23,80,43,675.00	42,71,33,722.00
2	विविध क्रेडिट :		
	अ. क्षेत्रीय:		
क	उच्चत खाता (अवर्गीकृत) (क.भ.नि.)	44,09,32,360.86	65,93,66,159.87
ख	अनियमित भुगतान	10,18,31,584.73	8,35,20,026.46
ग	अधिक भुगतान	24,76,84,571.24	2,95,54,575.25
	ब. केन्द्रीय :		
क	खाता संख्या 1 में जमा राशि (क.भ.नि. अंशदान खाता-क्षेत्रीय) परंतु खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय) में नाम नहीं हुई	12,13,13,339.00	12,13,13,339.00
ख	खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय) में अतिरिक्त जमा	1,54,95,52,666.19	1,42,07,18,511.19
ग	क.भ.नि. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा	0.00	0.00
घ	अशक्तता योजना के लिए सरकार से अग्रिम	44,06,975.00	44,06,975.00
ड.	2019-2020 के दौरान पीएमआरपीवाई लाभों की वसूली [खाता सं. 01]	11,19,17,514.00	10,31,42,857.00
3	रोकड़ बही में शेष :		
	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता संख्या 1 (क.भ.नि. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	11,72,64,12,298.54	13,58,37,22,321.90
	खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	0.00	0.00
4	क.पें.यो.निवेश लेखा-टीआरईपी ऋण-देय	0.00	0.00
5	अन्य	0.00	0.00
	जोड़	14,54,20,94,984.56	16,43,28,78,487.67
II - प्रावधान			
क	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सदस्यों के भविष्य निधि खाते पर देय ब्याज का प्रावधान	7,63,19,08,00,000.00	6,99,80,06,00,000.00
ख	पिछले वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यों के भविष्य निधि खाते पर देय ब्याज का प्रावधान	1,45,90,82,18,348.72	1,17,49,09,41,748.72
	जोड़	9,09,09,90,18,348.72	8,17,29,15,41,748.72
	31 मार्च को शेष	9,23,64,11,13,333.28	8,33,72,44,20,236.39
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
अनुसूची संख्या 6			
क.पें.यो. अंशदान निधि			
प्रारंभिक शेष			
जोड़े :	क.पें.यो. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अंग्रेजित व्यय से अधिक आय	59,95,19,34,57,324.13	52,78,64,75,12,008.07
	31 मार्च को शेष	8,66,81,76,17,992.10	7,16,54,59,45,316.06
		68,62,01,10,75,316.22	59,95,19,34,57,324.13
अनुसूची संख्या 7 - (वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)			
विविध क्रेडिट :			
1.	खाता संख्या 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	32,11,90,271.31	21,87,14,182.68
2.	खाता संख्या 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	1,42,90,43,138.84	1,42,90,43,138.84
ख	पीएमआरपीवाई खातों में देय पीएमआरपीवाई लाभों की वसूली	50,51,55,364.00	46,96,99,830.00
3.	क.पें.यो.निवेश लेखा-टीआरईपी ऋण-देय	0.00	0.00
	रोकड़ बही में शेष		
4.	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता संख्या 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	4,70,62,35,399.74	1,66,49,45,254.55
	खाता संख्या 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	14,30,44,86,722.95	15,39,22,19,061.48
5	क.भ. निधि (पीएमआरपीवाई) में देय राशि	8,83,00,11,497.00	8,83,00,11,497.00
6	अन्य (पीएमआरपीवाई की अतिरिक्त जमा)		
	31 मार्च को शेष	30,09,61,22,393.84	28,00,46,32,964.55

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं

		राशि - रुपये में	
		चालू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
अनुसूची संख्या 8			
क.नि.स.बी.यो. अंशदान निधि			
	प्रारंभिक शेष	3,45,46,28,24,683.54	3,07,65,37,72,282.81
जोड़ :	क.नि.स.बी.यो. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अग्रहित व्यय से अधिक आय	32,10,25,66,183.51	37,80,90,52,400.73
	31 मार्च को शेष	3,77,56,53,90,867.05	3,45,46,28,24,683.54
अनुसूची संख्या 9- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
विविध क्रेडिट :			
1.	खाता संख्या 21 में अतिरिक्त जमा (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता क्षेत्रीय)	3,55,99,097.37	3,37,22,813.37
2.	खाता संख्या 25 में अतिरिक्त जमा (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता केंद्रीय)	9,64,43,612.21	9,64,43,612.21
3.	भारतीय रिजर्व बैंक खाते में अतिरिक्त जमा	13,44,061.55	13,44,061.55
4.	क.नि.स.बी.यो. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा		
5.	क.नि.स.बी.यो. प्रशासनिक खाते में देय राशि	0.00	0.00
6.	रोकड़ बही में शेष		
	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता संख्या 21 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	0.00	0.00
	खाता संख्या 25 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-केंद्रीय)	58,68,41,041.45	5,90,51,056.32
	निवेश खाते में शेष (एससीबी)	0.00	0.00
7.	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	72,02,27,812.58	19,05,61,543.45
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952- प्रशासन निधि			
अनुसूची संख्या 10			
क.भ.नि.- प्रशासन निधि			
	प्रारंभिक शेष	2,79,54,02,32,685.27	2,61,23,59,77,065.22
जोड़ :			
1.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित राशि	-4,64,40,134.92	93,30,915.79
2.	क.भ.नि. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाते से वर्ष के दौरान अंतरित व्यय से अधिक आय	20,73,96,65,394.35	18,29,52,83,532.60
3.	अन्य	0.00	0.00
	जोड़	20,69,32,25,259.43	18,30,46,14,448.39
घटाएं			
1.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित राशि	1,55,79,045.78	3,58,828.34
2.	क.भ.नि. प्रशासन निधि के व्यय एवं आय खाते से वर्ष के दौरान अंतरित किया गया आय से अधिक व्यय	0.00	0.00
3.	अन्य	0.00	0.00
	जोड़	1,55,79,045.78	3,58,828.34
	31 मार्च को शेष	3,00,21,78,78,898.92	2,79,54,02,32,685.27
अनुसूची संख्या 11			
स्टाफ भविष्य निधि ब्याज खाता			
	प्रारंभिक शेष	3,84,40,92,763.71	3,13,61,66,600.30
जोड़ :			
1	प्रतिभूतियों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	1,19,71,69,626.03	1,13,63,85,680.96
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	35,36,08,934.10	36,50,60,790.22
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	24,37,500.00	10,00,500.00
4	बचत खाता पर ब्याज	17,379.00	29,572.00
5	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
	जोड़	1,55,32,33,439.13	1,50,24,76,543.18
घटाएं			
1	सदस्यों के खाते में जमा किया गया ब्याज	86,86,85,711.45	79,23,83,447.00
2	निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अर्जित ब्याज	53,05,188.00	21,66,932.77
3	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि	0.00	0.00
	जोड़	87,39,90,899.45	79,45,50,379.77
	31 मार्च को शेष	4,52,33,35,303.39	3,84,40,92,763.71

अनुसूचियां जो तलनपत्र का भाग हैं

		राशि - रुपये में	
		चालू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)
अनुसूची संख्या. 12			
भवन निर्माण निधि:			
प्रारंभिक शेष			
जोड़ें:		8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
1.	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
2	निधि में जमा किया गया ब्याज	0.00	0.00
		0.00	0.00
31 मार्च को शेष		8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
अनुसूची संख्या. 13			
क स्टाफ भविष्य निधि:			
प्रारंभिक शेष			
जोड़ें:		11,46,26,62,998.22	11,11,40,33,056.87
1.	अंशदान (प्रत्याहरण की वापसी सहित)		
2.	सदस्य के खाते में जमा किया गया ब्याज	2,18,63,55,362.99	2,19,99,87,682.35
3.	अन्य प्राप्तियां	86,86,85,711.45	79,23,83,447.00
		2,18,96,91,436.00	25,37,87,579.00
जोड़		5,24,47,32,510.44	3,24,61,58,708.35
घटाएं:			
1.	वर्ष के दौरान निर्गामी सदस्यों को अंतिम निपटान के रूप में अदा की गई राशि		
2.	सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसियों पर प्रीमियम की अदायगी	2,69,06,42,731.00	2,46,32,24,562.00
3.	वर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण	0.00	0.00
4.	अन्य अदायगियां (अन्य क्षेत्रों को अंतरण)	26,87,41,492.00	23,60,97,312.00
		2,34,99,58,121.00	19,82,06,893.00
जोड़		5,30,93,42,344.00	2,89,75,28,767.00
31 मार्च को शेष		11,39,80,53,164.66	11,46,26,62,998.22
ख. अन्य क्षेत्रों से अंतरित स्टाफ भविष्य निधि खाता :			
प्रारंभिक शेष			
जोड़ें:	क्षेत्रों को अंतरित की गई राशि	50,05,87,497.94	55,61,68,183.94
		2,34,99,58,121.00	19,82,06,893.00
जोड़		2,85,05,45,618.94	75,43,75,076.94
घटाएं: अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राशि		2,18,96,91,436.00	25,37,87,579.00
31 मार्च को शेष		66,08,54,182.94	50,05,87,497.94
ग. एसपीएफ खाता से कभनि प्रशा खाता में देय राशि		5,54,06,01,994.96	4,63,00,29,385.95
जोड़ (क+ख+ग)		17,59,95,09,342.56	16,59,32,79,882.11

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं

		राशि - रुपये में	
		चालू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)
अनुसूची संख्या. 14			
स्टाफ पेंशन सह-ग्रेज्युटी निधि			
	प्रारंभिक शेष	1,26,49,25,29,263.29	1,03,34,63,97,235.84
जोड़:			
1.	खाता सं.4 से अंतरित राशि (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - केंद्रीय)	16,30,69,00,000.00	14,19,88,25,000.00
2.	बचत खाता पर वसूल किया गया ब्याज	13,91,484.00	10,77,749.00
3.	वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों पर वसूल किया गया ब्याज	6,83,12,88,092.55	7,06,26,82,128.94
4.	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	2,13,09,96,421.27	1,89,86,28,597.96
5.	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	1,11,46,400.00	48,74,800.00
6.	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
7.	क्षेत्रों द्वारा खाता सं.2 (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - क्षेत्रीय) से दी गई राशि	6,25,90,54,562.71	5,24,55,05,359.26
	जोड़	31,54,07,76,960.53	28,41,15,93,635.16
घटाएं:			
1.	क्षेत्रों द्वारा किए गए भुगतान	6,25,90,54,562.71	5,24,55,05,359.26
2.	वर्ष के दौरान निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अर्जित ब्याज	4,39,76,459.67	1,99,56,248.45
3.	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि	0.00	0.00
	जोड़	6,30,30,31,022.38	5,26,54,61,607.71
	31 मार्च को शेष	1,51,73,02,75,201.43	1,26,49,25,29,263.29
अनुसूची संख्या. 15 - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान			
I - वर्तमान दायित्व			
1	नई पेंशन योजना का देय अंशदान	1,24,04,753.01	1,72,90,196.01
2	देय एन.पी.एस. पर बोर्ड के अंशदान हेतु प्रावधान	0.00	0.00
3	रिफंडेबल प्रतिभूति जमा	1,94,24,086.32	1,92,68,475.09
4	ग्रुप बीमा योजना (नया)	48,13,610.82	51,65,198.82
5	विविध जमा:		
	क. क्षेत्रीय:		
क	उच्चतम खाता (प्रशासन निधि)	30,80,03,860.39	29,66,03,131.21
	ख. केंद्रीय:		
क	खाता सं.8 में (स्टाफ भविष्य निधि खाता) अतिरिक्त जमा	3,21,85,494.88	3,21,85,494.88
ख	खाता सं.9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेज्युटी खाता) में अतिरिक्त जमा	8,29,780.00	8,29,780.00
ग	क.भ.नि. अंशदान खाता के लिए देय राशि	0.00	0.00
6	रोकड़ बही शेष		
	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-क्षेत्रीय)	27,24,98,175.92	31,00,95,034.36
	क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	0.00	0.00
	खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	0.00	0.00
	खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेज्युटी खाता)	0.00	0.00
	मुख्यालय	2,77,14,242.44	93,12,300.44
	पीडीनास	19,35,210.08	8,00,452.00
	क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण	0.00	0.00
7	खाता सं. 24 से प्राप्त कुल अतिरिक्त प्रशासनिक लागत के समानुपातिक (1%) (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय)	1,36,18,39,900.45	1,44,85,42,492.59
8	अन्य (पेंशन सह ग्रेज्युटी निधि निवेश खाते में अतिरिक्त जमा)	0.00	0.00
	जोड़	2,04,16,49,114.31	2,14,00,92,555.40

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं

		राशि - रुपये में	
		चालू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)
II - प्रावधान			
क	खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेजुटी खाता) को अंतरणीय राशि के लिए प्रावधान	0.00	0.00
ख	देय किराया, दर एवं करों के लिए प्रावधान	0.00	0.00
ग	अन्य देय व्यय	1,32,22,70,974.57	1,18,08,99,078.36
	जोड़	1,32,22,70,974.57	1,18,08,99,078.36
	31 मार्च को शेष	3,36,39,20,088.88	3,32,09,91,633.76
क.नि.स.बी. योजना, 1976 - प्रशासन निधि			
अनुसूची संख्या. 16			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि			
	प्रारंभिक शेष	35,96,92,06,703.68	33,74,80,24,098.46
जोड़:			
1.	क.नि.स.बी. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाते से अग्रेषित व्यय से आय की राशि	2,39,21,26,582.21	2,22,11,82,605.21
	31 मार्च को शेष	38,36,13,33,285.89	35,96,92,06,703.68
अनुसूची संख्या. 17- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
क.	विविध जमा:		
1	खाता सं. 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -क्षेत्रीय) में अतिरिक्त जमा	1,35,73,799.69	1,35,70,155.53
2	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय) में अतिरिक्त जमा	4,83,77,675.89	4,83,77,675.89
ख.	खाता सं. 4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय) को अंतरणीय कुल प्रशासनिक लागत से समानुपातिक (1%)	0.00	0.00
ग.	रोकड बही शेष: (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता सं. 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -क्षेत्रीय)	6,54,913.87	6,11,319.47
	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय)	53,62,39,295.72	52,77,39,304.18
घ.	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	59,88,45,685.17	59,02,98,455.07
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
अनुसूची संख्या. 18			
कर्मचारी भविष्य निधि- निवेश		1,10,55,04,90,27,147.00	95,19,01,33,86,416.40

अनसूचियां जो तलनपत्र का भाग हैं

		राशि - रुपये में	
		चालू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)
अनसूची संख्या. 19 (चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम)			
I - चालू परिसंपत्तियां			
1	मार्गस्थ राशि :		
	खाता सं. 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता - केंद्रीय)	7,99,60,19,088.43	4,38,69,55,590.43
2	रोकड़ बही शेष		
	भारतीय स्टेट बैंक		
	खाता सं. 1 (क.भ.नि. अंशदान खाता - क्षेत्रीय)	0.00	0.00
	खाता सं. 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता - केंद्रीय)	10,06,62,14,764.51	8,41,25,76,149.49
	भारतीय रिजर्व बैंक :		
	क.भ.नि. निवेश खाता	58,74,83,425.73	4,22,32,45,189.20
3	प्राप्त क.भ.नि. निवेश पर ब्याज		
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	2,80,39,46,44,821.88	1,60,70,60,45,168.20
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	5,04,18,24,326.66	2,97,26,24,515.09
	एफ.डी.आर. पर उपार्जित ब्याज	1,73,18,82,082.00	14,34,18,239.00
4	विविध नामें:		
	क उंचत खाता (अवर्गीकृत)		
	उंचत खाता (अवर्गीकृत) (क.भ.नि.)	80,76,74,908.50	1,27,68,85,111.74
	ख अनियमित भुगतान	10,18,31,584.73	8,35,20,026.46
	ग अधिक भुगतान	24,76,84,571.24	2,95,54,575.25
	घ खाता सं. 5, 8 एवं 9 में वृटिपूर्ण नामें :		
	i क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 5 से खाता सं.1 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में दी गई अतिरिक्त राशि	44,70,07,726.70	44,70,07,726.70
	ii बैंक द्वारा खाता सं.5 में किया गया अधिक नामें	1,63,80,249.38	10,64,11,676.86
	iii खाता 5 को डेबिट की गई परंतु खाता सं.1 में जमा नहीं की गई राशि तथा इसके विपरीत	3,67,26,624.29	3,67,26,624.29
5	क.भ.नि. प्रशासन खाते से प्राप्त राशि	0.00	0.00
6	क.पं.यो.फंड से प्राप्त राशि (पीएमआरपीवाई)	4,68,68,73,757.00	4,68,68,73,757.00
7	सरकार से प्राप्त राशि। (पीएमआरपीवाई)	3,06,12,07,405.00	3,06,12,07,405.00
8	अन्य	0.00	0.00
	जोड़	3,15,22,34,55,336.06	1,90,57,20,51,754.71
II - ऋण एवं अग्रिम			
	विशेष रिजर्व निधि (वसूलनीय) :		
	पिछले तलन पत्र के अनुसार शेष	69,46,98,987.62	3,32,96,28,733.90
जोड़:	वर्ष के दौरान सदस्यों को भुगतान की गई राशि	0.00	-2,32,632.62
घटाएं:	नियोक्ताओं से प्राप्त की गई राशि	-	2,63,46,97,113.66
	जोड़	69,46,98,987.62	69,46,98,987.62
	31 मार्च को शेष	3,15,91,81,54,323.68	1,91,26,67,50,742.33
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
अनसूची संख्या. 20			
कर्मचारी पेंशन योजना- निवेश		67,63,99,00,66,657.23	58,15,42,72,56,196.19

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं

		राशि - रुपये में	
		चालू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)
अनुसूची संख्या. 21 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
क	रोकड़ बही शेष:		
1.	खाता सं. 10 (क.पं.यो. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	0.00	0.00
2.	खाता सं. 11 (क.पं.यो. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	0.00	0.00
3.	निवेश खाते में शेष (एससीबी)	20,47,77,696.04	16,56,55,465.01
ख	विविध नामें:		
1.	खाता सं. 10 (क.पं.यो. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	1,61,61,90,733.70	1,47,91,48,583.05
2.	खाता सं. 11 (क.पं.यो. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	-16,31,54,447.20	-16,31,54,447.20
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 10 से खाता सं.11 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में गणना की गई अतिरिक्त राशि	20,17,63,057.60	20,17,63,057.60
4.	खाता 11 को डेबिट की गई परंतु खाता सं.10 में जमा नहीं की गई राशि तथा इसके विपरीत	24,28,21,866.20	24,28,21,866.20
ग	प्रेषण में मार्गस्थ राशि	3,23,88,15,362.68	1,70,76,51,568.68
घ	प्राप्त्य क.पं.यो. निवेश निधि पर ब्याज		
1	निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	1,18,36,08,76,795.86	75,52,85,12,493.76
2	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त्य ब्याज	1,85,18,43,761.65	1,03,50,86,251.50
3	एफ.डी.आर. पर उपाजित ब्याज	43,47,81,356.00	9,20,66,964.00
4	भारत सरकार के लोक लेखा पर प्राप्त्य ब्याज	1,48,25,00,000.00	20,11,40,00,000.00
5	न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त्य ब्याज	0.00	4,84,52,86,606.89
इ	केंद्र सरकार से प्राप्त्य पेंशन अंशदान	64,59,14,870.30	1,02,52,19,95,683.00
च	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	1,28,11,71,31,052.83	2,07,77,08,34,092.49
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
अनुसूची संख्या. 22			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि- निवेश			
		3,73,89,15,81,725.35	3,41,23,66,99,939.05
अनुसूची संख्या. 23 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
क	रोकड़ बही शेष:		
1.	खाता सं. 21 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	6,17,20,732.95	8,60,14,246.60
2.	खाता सं. 25 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	0.00	0.00
3.	निवेश खाते में शेष राशि (एससीबी)	8,55,532.55	58,72,934.62
ख	प्रेषण में मार्गस्थ राशि :		
1.	खाता सं. 21 से 25	9,74,96,579.96	9,74,96,579.96
2.	बैंक से खाता सं. 25	5,32,224.15	5,32,224.15
ग	विविध नामें:		
1.	खाता सं. 21 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	12,40,30,824.16	11,32,21,412.28
2.	खाता सं. 25 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	1,65,96,337.50	1,65,96,337.50
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 21 से खाता सं.25 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में दी गई अतिरिक्त राशि	1,35,47,809.14	1,35,47,809.14
घ	प्राप्त्य क.नि.स.बी. निवेश निधि पर ब्याज		
1	निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	4,00,69,89,036.25	4,02,75,21,049.69
2	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त्य ब्याज	4,50,53,635.62	3,37,22,000.00
3	एफ.डी.आर. पर उपाजित ब्याज	2,72,14,242.00	2,21,61,694.00
4	भारत सरकार के लोक लेखा पर प्राप्त्य ब्याज	0.00	0.00
इ	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	4,39,40,36,954.28	4,41,66,86,287.94

अनुसूचियां जो तालनपत्र का भाग हैं

		राशि - रुपये में	
		चालू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 - प्रशासन निधि			
अनुसूची संख्या. 24			
अचल संपत्तियां		5,73,09,40,212.92	4,80,66,74,422.79
अनुसूची संख्या. 25			
क.भ.नि. प्रशासन निधि - निवेश		2,88,28,78,10,790.95	2,69,17,12,39,918.52
विशेष जमा खाता		2,10,00,00,000.00	2,10,00,00,000.00
एफ.डी.आर.		2,90,38,78,10,790.95	2,71,27,12,39,918.52
	31 मार्च को शेष		
अनुसूची संख्या. 26			
क.भ.नि. स्टाफ भविष्य निधि - निवेश		21,76,76,25,965.96	20,06,89,27,030.80
अनुसूची संख्या. 27			
क.भ.नि. स्टाफ पेंशन सह-ग्रेज्युटी निधि - निवेश		1,49,61,45,02,646.14	1,24,59,71,85,322.95
अनुसूची संख्या. 28 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
1 मार्गस्थ राशि :			
क क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)		5,18,03,113.18	5,18,03,113.18
ख खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)		1,22,68,499.25	1,22,68,499.25
	जोड़	6,40,71,612.43	6,40,71,612.43
2 रोकड बही शेष			
(क) भारतीय स्टेट बैंक :		0.00	0.00
क क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-क्षेत्रीय)		22,85,42,849.04	28,61,47,095.82
ख क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)		1,73,26,461.19	2,15,74,203.02
ग खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)		2,416.04	2,755.70
घ खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेज्युटी खाता)		0.00	0.00
ङ मुख्यालय		0.00	0.00
च पीडीनास		39,62,03,653.57	39,08,61,098.57
छ क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण		64,20,75,379.84	69,85,85,153.11
	जोड़		
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक :		3,35,003.33	5,62,862.41
क स्टाफ भविष्य निधि निवेश खाता		2,84,911.80	41,80,715.44
ख स्टाफ पेंशन सह-ग्रेज्युटी निवेश खाता		6,19,915.13	47,43,577.85
	जोड़	2,71,444.90	47,326.90
(ग) अग्रदाय लेखा			
3 विविध नामें:			
उचंत खाता (अवर्गीकृत)		21,56,97,522.77	22,55,55,748.15
क उचंत खाता (प्रशासन निधि)			
4 खाता नं. 8 एवं 9 को वृद्धिपूर्ण नामें:			
क खाता 2 से खाता सं.8 तथा इसके विपरीत अंतरण के मामले में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अधिक राशि दर्ज		2,04,38,794.97	2,04,38,794.97
ख अंशदान खाता सं.8 (स्टाफ भ.नि. खाता) में किए गए वृद्धिपूर्ण नामें		1,78,339.00	1,78,339.00
ग अंशदान खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन सह-ग्रेज्युटी खाता) में किए गए वृद्धिपूर्ण नामें		0.00	0.00
	जोड़	23,63,14,656.74	24,61,72,882.12

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं

		राशि - रुपये में	
		चालू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)
5	वसूलनीय अग्रिम (स्टाफ)		
क	वाहन अग्रिम		
ख	गृह निर्माण अग्रिम	17,06,262.10	23,72,427.65
ग	पंखा अग्रिम	26,19,95,033.44	25,43,32,187.44
घ	गरम कपडा अग्रिम	73,520.80	73,520.80
ङ	त्योहार अग्रिम	1,234.75	1,234.75
च	प्राकृतिक विपदा अग्रिम	5,85,206.82	74,48,406.82
छ	वेतन का अग्रिम	1,24,600.45	1,24,600.45
ज	डी.ए./ टी.ए. अग्रिम	-4,16,417.88	-4,44,670.88
झ	अनाज अग्रिम	1,60,64,191.94	1,64,23,302.94
ञ	स्टाफ सहकारी कैन्टीन/स्टोर हेतु अग्रिम	0.00	0.00
ट	कंप्यूटर अग्रिम	1,91,444.00	1,92,944.00
ठ	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना	2,34,77,937.57	2,74,97,806.57
ड	विविध भुगतान	0.00	0.00
	जोड़	38,16,373.30	51,03,468.02
6	पूर्व भुगतान (प्रोपेड) व्यय	30,76,19,387.29	31,31,25,228.56
		0	0.00
7	प्राप्य क.भ.नि. प्रशासन निधि निवेश पर ब्याज		
	विशेष जमा खाता पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	0.00	0.00
	विशेष जमा खाता पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	0.00	0.00
	एफ.डी.आर. पर उपार्जित ब्याज	6,91,93,561.64	8,78,10,484.00
8	प्राप्य स्टाफ भविष्य निधि निवेश पर ब्याज		
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	35,36,08,934.10	36,50,60,790.22
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	24,37,500.00	10,00,500.00
9	प्राप्य पेंशन सह-ग्रेज्यूटी निधि में निवेश पर ब्याज		
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	2,13,09,96,421.27	1,89,86,28,597.96
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	1,11,46,400.00	48,74,800.00
10	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय) से प्राप्य जोड़ प्रशासनिक लागत से समानुपातिक (1%)	0.00	0.00
11	सुरक्षा जमा (पार्टियों को अग्रिम)	3,45,57,182.20	3,29,32,829.20
12	अन्य (रिफंडेबल टीडीएस)		
13	एजेंसियों / ठेकेदारों को अग्रिम (पूँजी कार्य)	74,27,65,067.42	77,99,02,149.42
14	स्टाफ को भुगतान किए गए अग्रिमों पर वसूली योग्य उपार्जित ब्याज	4,37,11,704.45	3,00,07,255.51
15	एसपीएफ खाते से प्राप्य राशि	5,53,93,94,494.96	4,63,00,29,385.95
	31 मार्च को शेष	10,17,87,83,662.37	9,15,69,92,573.23

अनुसूचियां जो तलनपत्र का भाग हैं

		राशि - रुपये में	
		चालू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 - प्रशासन निधि			
अनुसूची संख्या. 29			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि-निवेश		37,54,41,13,259.76	35,05,67,39,537.16
विशेष जमा खाते			
अनुसूची संख्या-30 -वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
क	रोकड़ बही शेष :	0.00	0.00
1.	लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-क्षेत्रीय)	0.00	0.00
2.	लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-केन्द्रीय)		
ख	मार्गस्थ प्रेषण :	1,54,34,043.77	1,54,34,043.77
1.	लेखा संख्या 22 से 24		
ग	विविध नामे :	1,03,43,887.72	1,03,41,205.86
1.	लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-क्षेत्रीय)	1,18,39,758.32	1,18,39,758.32
2.	लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-केन्द्रीय)		
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखा संख्या 22 से 24 तथा विलोमत : में अंतरण के रूप में गणना की गई अतिरिक्त राशि	1,66,08,121.04	1,66,08,121.04
घ	क.नि.स.बी. प्रशासन निधि निवेश पर प्राप्ति योग्य ब्याज	0.00	0.00
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	0.00	0.00
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	0.00	0.00
ङ	क.नि.स.बी. अंशदान लेखे से प्राप्ति योग्य राशि		
च	जोड़ प्रशासनिक लागत का समानुपातिक अतिरिक्त अंतरण (1% भाग) लेखा संख्या-4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार लेखा-केन्द्रीय)	1,36,18,39,900.45	1,44,85,42,492.59
		0.00	0.00
छ	अन्य	1,41,60,65,711.30	1,50,27,65,621.58
	31 मार्च को शेष		

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा			
		राशि - रुपये में	
	अनुसूची	चालू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)
आय			
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - अंशदान निधि			
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	31	8,91,35,12,89,386.65	7,40,77,31,46,266.00
वर्ष के दौरान अन्य आय	32	4,24,14,00,042.86	5,05,88,69,424.97
कुल आय- क.भ.नि. अंशदान निधि (क)		8,95,59,26,89,429.51	7,45,83,20,15,690.97
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.पें.नि. - अंशदान निधि			
पेंशन अंशदान से आय	33	5,75,26,17,50,439.39	5,05,62,01,04,276.87
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	34	5,06,13,94,68,757.32	4,14,72,14,33,372.44
अन्य आय	35	3,70,71,39,015.72	2,74,03,67,145.58
कुल आय- पेंशन निधि (ख)		10,85,10,83,58,212.43	9,23,08,19,04,794.89
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि			
नियोक्ताओं के अंशदान से आय		25,68,46,56,001.76	21,85,15,80,328.12
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	36	26,49,41,27,866.75	24,35,54,79,395.81
अन्य आय	37	32,04,33,070.16	18,86,10,800.08
कुल आय-क.नि.स.बी. अंशदान निधि(ग)		52,49,92,16,938.67	46,39,56,70,524.01
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - प्रशासन निधि			
वर्ष के दौरान अंशदान, शास्तिक नुकसानी एवं 7 क्यू ब्याज से आय	38	44,86,99,96,411.21	37,97,36,08,448.62
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	39	19,18,83,12,038.22	17,96,10,84,389.47
लेखा संख्या-24 से प्राप्त (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा केन्द्रीय) वर्तमान वर्ष के लिए क.भ.नि.सं. के कुल प्रशासनिक खर्च (प्राप्ति योग्य) एवं पिछले वर्षों के बकाया की प्राप्ति का समानुपातिक अंश (1%)		43,91,02,592.15	38,11,72,569.52
अन्य आय-विविध प्राप्ति		15,25,13,567.51	9,66,75,076.75
कुल आय-क.भ.नि. प्रशासन निधि(घ)		64,64,99,24,609.09	56,41,25,40,484.36
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि			
वर्ष के दौरान अंशदान, शास्तिक नुकसानी एवं 7 क्यू ब्याज से आय	40	34,39,15,728.61	27,99,22,817.13
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	41	2,48,73,75,446.35	2,32,24,79,456.60
अन्य आय-लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा - क्षेत्रीय) से प्राप्ति		212.40	
अन्य आय -लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा - केन्द्रीय) से प्राप्ति			-
कुल आय-क.नि.स.बी. प्रशासन निधि (ङ)		2,83,12,91,387.36	2,60,24,02,273.73

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा

व्यय	अनुसूची	चालू वर्ष (2021-22)	राशि - रुपये में पिछला वर्ष (2020-21)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - अंशदान निधि			
सदस्यों को ब्याज भुगतान	42	7,63,19,08,00,000.00	6,99,80,06,00,000.00
प्रतिभूतियों की खरीद हेतु विक्रेताओं को ब्याज भुगतान		7,05,75,50,259.40	2,80,67,09,203.18
ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर नुकसान / पिछले वर्ष का समायोजन		(2,01,54,47,709.62)	28,90,79,32,463.90
विशेष आरक्षित निधि पर उपार्जित ब्याज		35,68,09,447.55	34,50,76,486.89
ओवरड्राफ्ट हेतु बैंकों को ब्याज भुगतान		58,67,19,449.75	89,28,88,204.09
विविध- जमाओं पर ब्याज की छूट प्राप्त न्यासों को वापसी		-	-
कुल व्यय-क.भ.नि. अंशदान निधि (क-1)		7,69,17,64,31,447.08	7,32,75,32,06,358.06
I-व्यय (क-1) से अधिक आय (क) तुलनपत्र में अंग्रेषित		1,26,41,62,57,982.43	13,07,88,09,332.91
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.पें.यो. - अंशदान निधि			
जाने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि	43	2,13,04,59,94,594.73	2,04,16,99,66,154.69
पेंशन के संचितरण हेतु बैंकों को कमीशन		1,21,13,87,404.35	1,04,48,22,610.70
निवेशों(प्रतिभूतियों) की खरीद पर उपार्जित ब्याज का भुगतान		3,35,19,81,796.59	1,27,49,09,950.15
ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर नुकसान		52,85,72,364.27	-
अन्य भुगतान			
लेखा सं-10 (क.पें.यो. अंशदान लेखा सं- क्षेत्रीय)		23,24,403.00	4,62,60,763.29
लेखा सं-11 (क.पें.यो. अंशदान लेखा सं- केंद्रीय)		15,04,79,657.39	
कुल व्यय- पेंशन निधि (ख-1)		2,18,29,07,40,220.33	2,06,53,59,59,478.83
II-व्यय (ख-1) से अधिक आय (ख) तुलनपत्र में अंग्रेषित		8,66,81,76,17,992.10	7,16,54,59,45,316.06
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी.अंशदान निधि			
बीमा लाभ भुगतान		20,25,32,21,698.68	8,54,91,37,998.84
निवेशों (प्रतिभूतियों) की खरीद पर उपार्जित ब्याज का भुगतान		4,99,59,955.46	3,68,90,416.44
ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर नुकसान		7,64,41,912.00	-
अन्य भुगतान			
लेखा सं-21 (क.नि.स.बी. अंशदान लेखा सं- क्षेत्रीय)		1,03,414.00	5,89,708.00
लेखा सं-25 (क.नि.स.बी. अंशदान लेखा सं- केंद्रीय)		1,69,23,775.02	-
कुल व्यय-क.नि.स.बी. अंशदान निधि (ग-1)		20,39,66,50,755.16	8,58,66,18,123.28
III-व्यय (ग-1) से अधिक आय (ग) तुलनपत्र में अंग्रेषित		32,10,25,66,183.51	37,80,90,52,400.73

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा			
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			राशि - रुपये में
क.भ.नि. - प्रशासन निधि - (क.भ.नि.सं. का 100% व्यय)	चालू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)	
क-स्थापना व्यय			
अधिकारियों एवं स्टाफ का वेतन तथा बोनस	12,64,44,75,988.00	10,94,44,18,529.00	
भत्ते तथा मानदेय	3,25,10,08,518.00	2,79,17,62,606.00	
अनुदान - कल्याण निधि आदि	15,42,54,319.05	8,97,98,425.00	
स्टाफ पेंशन सह ग्रेज्यूटि निधि में अंशदान	22,56,59,54,562.71	19,83,51,05,359.26	
स्टाफ भ.नि., ई.डी.एल.आई. लाभ	37,76,174.00	37,70,154.00	
एन.पी.एस. के लिए बॉर्ड का हिस्सा	61,64,54,203.57	44,83,22,272.22	
एन.पी.एस. अंशदान पर ब्याज	2,63,143.00	95,379.00	
एन.पी.एस. के लिए सेवा प्रभार	11,15,667.32	10,83,416.36	
टीए एवं एल.टी.सी	5,01,33,614.00	9,56,89,888.00	
जोड़ क	39,28,74,36,189.65	34,21,00,46,028.84	
ख-अन्य प्रशासनिक व्यय			
विद्युत पर खर्च	25,71,05,722.00	23,47,28,533.00	
डाक पर खर्च	4,60,21,947.80	3,59,10,923.10	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	11,37,42,028.00	9,63,85,145.34	
किराया, दर तथा कर	36,27,44,140.00	28,31,14,136.00	
वाहन चालन एवं रखरखाव पर खर्च	1,18,56,266.00	1,02,57,828.00	
दूरभाष, इंटरनेट तथा संचार प्रभार	7,42,49,592.80	5,90,85,989.32	
बीमा खर्च	0.00	0.00	
जल प्रभार	83,66,718.00	59,59,347.00	
आकस्मिकताओं से स्टाफ को भुगतान	1,08,95,13,160.03	1,12,14,78,172.63	
लेखापरीक्षा शुल्क	51,46,926.00	35,38,841.00	
विधि प्रभार	10,49,30,344.00	10,29,38,167.86	
परामर्श व्यय	3,18,56,670.00	3,25,44,183.00	
वाहन किराया	7,76,95,748.55	8,03,13,782.00	
विज्ञापन एवं प्रचार	3,42,49,480.00	1,43,51,006.00	
ए.एम.सी - कंप्यूटर, सर्वर, बिजली उपकरण तथा अन्य कार्यालय उपकरण	59,44,79,376.20	37,68,77,708.00	
यात्रा खर्च	16,78,94,962.00	9,79,62,854.00	
अन्य प्रभार (आवर्ती/अनावर्ती)	21,50,63,436.46	15,65,23,341.93	
बैंक कमिशन एवं टी.टी. प्रभार	85,19,95,186.64	69,74,93,373.17	
कार्यालय भवन / स्टाफ क्वार्टर्स का रखरखाव	24,18,73,167.00	22,36,02,751.00	
अचल संपत्ति का निवल ह्रास	33,41,80,609.61	27,35,08,988.56	
परिसंपत्तियों के परिसमापन पर हानि/लाभ	-1,42,456.00	6,35,852.00	
भवन निर्माण निधि के लिए प्रावधान	0.00	0.00	
जोड़ ख	4,62,28,23,025.09	3,90,72,10,922.91	
कुल व्यय - क.भ.नि. प्रशासन निधि (घ-1)	43,91,02,59,214.74	38,11,72,56,951.75	
IV-व्यय (घ-1) से अधिक आय (घ) तुलनपत्र में अंग्रेषित	20,73,96,65,394.35	18,29,52,83,532.60	
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी.प्रशासन निधि			
क.भ.नि.सं. के कुल प्रशासनिक व्यय में समानुपातिक अंश (1 प्रतिशत)	43,91,02,592.15	38,11,72,569.52	
अन्य भुगतान:			
लेखा सं-22	62,213.00	47,099.00	
लेखा सं-24	-	-	
कुल व्यय क.नि.स.बी. प्रशासन निधि (इ-1)	43,91,64,805.15	38,12,19,668.52	
V- व्यय (इ-1) से अधिक आय (इ) तुलनपत्र में अंग्रेषित	2,39,21,26,582.21	2,22,11,82,605.21	
क.भ.नि.संगठन की जोड़ आय (I + II + III + IV + V)	10,48,46,82,34,134.61	7,87,95,02,73,187.51	

हस्ता/-

(हेमंत जैन)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता/-

(नीलम शमी राव)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं		
	चालू वर्ष (2021-22)	राशि - रुपये में पिछला वर्ष (2020-21)
क.भ.नि.अंशदान निधि		
अनुसूची संख्या. 31		
वर्ष के दौरान ब्याज से आय		
1 वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	5,47,68,70,41,568.44	5,01,94,03,06,980.50
2 निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	2,80,39,46,44,821.88	1,60,70,60,45,168.20
3 निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	5,04,18,24,326.66	2,97,26,24,515.09
4 ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	56,48,66,56,387.88	72,31,04,14,115.30
5 एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	1,73,18,82,082.00	14,34,18,239.00
6 क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	22,764.23	-4,61,110.22
7 स्थापनाओं से प्राप्त प्रतिभूतियों पर ब्याज	92,17,435.56	0.00
8 ऋणों पर अंशदाताओं/सदस्यों से प्राप्त ब्याज	0.00	0.00
9 पूर्व वर्षों के लिए ब्याज हेतु अतिरिक्त उपबंध- वापस लिखा गया	0.00	2,70,07,98,358.13
जोड़	8,91,35,12,89,386.65	7,40,77,31,46,266.00
अनुसूची संख्या. 32		
वर्ष के दौरान अन्य आय		
1 वर्ष के दौरान वसूली गई शास्तिक नुकसानी	2,46,93,89,712.23	3,56,35,03,268.05
2 वर्ष के दौरान वसूला गया 7क्यू ब्याज	1,77,20,10,330.63	1,49,53,62,878.57
3 अन्य प्राप्तियां (बचत बैंक खाते पर ब्याज)	0.00	3,278.35
जोड़	4,24,14,00,042.86	5,05,88,69,424.97
क.पं.यौ. अंशदान निधि		
अनुसूची संख्या. 33		
पेंशन अंशदान से प्राप्त आय		
1 नियोक्ताओं से प्राप्त पेंशन अंशदान	4,97,19,97,84,351.98	4,40,09,53,35,773.91
2 केन्द्र सरकार से प्राप्त पेंशन अंशदान	77,41,60,51,217.11	75,19,01,00,000.00
3 केन्द्र सरकार से प्राप्त योग्य पेंशन अंशदान	64,59,14,870.30	-9,66,53,31,497.04
जोड़	5,75,26,17,50,439.39	5,05,62,01,04,276.87
अनुसूची संख्या. 34		
वर्ष के दौरान ब्याज से आय		
1 वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	2,32,67,43,04,230.67	2,17,87,32,50,784.90
2 निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	1,18,36,08,76,795.86	75,52,85,12,493.76
3 निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	1,85,18,43,761.65	1,03,50,86,251.50
4 ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
5 एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	43,47,81,356.00	9,20,66,964.00
6 भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्त ब्याज	1,51,33,39,00,000.00	99,10,78,23,597.00
7 भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्त योग्य ब्याज	1,48,25,00,000.00	20,11,40,00,000.00
8 न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त ब्याज	0.00	0.00
9 न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त योग्य ब्याज	0.00	97,03,76,847.89
10 क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	12,62,613.14	3,16,433.39
जोड़	5,06,13,94,68,757.32	4,14,72,14,33,372.44
अनुसूची संख्या. 35		
वर्ष के दौरान अन्य आय		
1 वर्ष के दौरान वसूली गई शास्तिक नुकसानी	1,76,13,05,963.50	1,14,77,22,262.26
2 वर्ष के दौरान वसूला गया 7क्यू ब्याज	85,29,86,104.19	68,73,94,772.00
3 अन्य प्राप्तियां- क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-10	1,09,28,46,948.03	90,52,50,111.32
4 अन्य प्राप्तियां- क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-11	0.00	0.00
जोड़	3,70,71,39,015.72	2,74,03,67,145.58

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं		
	चालू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)
राशि - रुपये में		
क.नि.स.बी. अंशदान निधि		
अनुसूची संख्या. 36		
वर्ष के दौरान ब्याज से आय		
1 वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	12,15,78,72,915.93	11,55,88,15,484.30
2 निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	4,00,69,89,036.25	4,02,75,21,049.69
3 निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	4,50,53,635.62	3,37,22,000.00
4 ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
5 एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	2,72,14,242.00	2,21,61,694.00
6 भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्त ब्याज	10,25,69,00,000.00	8,71,38,00,000.00
7 भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्ति योग्य ब्याज	0.00	0.00
8 क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	98,036.95	-5,40,832.18
जोड़	26,49,41,27,866.75	24,35,54,79,395.81
अनुसूची संख्या. 37		
वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य आय		
1 वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	10,47,66,195.16	6,37,80,481.48
2 वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	5,20,79,521.97	3,70,01,490.60
3 लेखा संख्या 21 में अन्य प्राप्ति	16,35,17,715.00	8,78,28,828.00
4 लेखा संख्या 25 में अन्य प्राप्ति	69,638.03	0.00
जोड़	32,04,33,070.16	18,86,10,800.08
क.भ.नि. - प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या 38		
वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रभार, शास्तिक नुकसानी एवं 7क्यू ब्याज से हुई आय		
1 वर्ष के दौरान प्राप्त क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार	41,03,16,94,289.71	35,52,32,75,012.09
2 वर्ष के दौरान प्राप्त क.भ.नि. निरीक्षण प्रभार	3,50,84,34,432.00	2,20,30,48,430.27
3 वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	21,83,51,662.91	15,66,79,613.10
4 वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	11,15,16,026.59	9,06,05,393.16
जोड़	44,86,99,96,411.21	37,97,36,08,448.62
अनुसूची संख्या. 39		
वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त आय		
1 वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	19,11,88,10,388.42	17,87,29,87,361.07
2 अर्जित ब्याज परंतु निवेश पर देय नहीं	0.00	0.00
3 देय ब्याज परंतु निवेश पर प्राप्त नहीं	0.00	0.00
4 सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज	6,91,93,561.64	8,78,10,484.00
5 क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	3,08,088.16	2,86,544.40
जोड़	19,18,83,12,038.22	17,96,10,84,389.47
घटाएँ: भवन निर्माण निधि पर क्रेडिट किया गया ब्याज	0.00	0.00
जोड़	19,18,83,12,038.22	17,96,10,84,389.47
क.नि.स.बी.यो.प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या.40		
वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रभारों, शास्तिक नुकसानी एवं 7क्यू ब्याज से हुई आय		
1 वर्ष के दौरान प्राप्त क.नि.स.बी.यो.प्रशासन प्रभार	25,51,06,842.25	20,75,51,660.83
2 वर्ष के दौरान प्राप्त क.नि.स.बी.यो.निरीक्षण प्रभार	6,64,42,814.09	5,06,56,029.00
3 वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	1,44,95,476.10	1,44,47,398.30
4 वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	78,70,596.17	72,67,729.00
जोड़	34,39,15,728.61	27,99,22,817.13
अनुसूची संख्या.41		
वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त आय		
1 वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	2,48,73,73,722.60	2,32,24,77,798.88
2 अर्जित ब्याज परंतु निवेश पर देय नहीं	0.00	0.00
3 देय ब्याज परंतु निवेश पर प्राप्त नहीं	0.00	0.00
4 बचत बैंक खाते पर ब्याज	1,723.75	1,657.72
जोड़	2,48,73,75,446.35	2,32,24,79,456.60

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं		
	चालू वर्ष (2021-22)	राशि - रुपये में पिछला वर्ष (2020-21)
क.भ.नि.अंशदान निधि		
अनुसूची संख्या.42		
सदस्यों को ब्याज का भुगतान		
1	वर्ष के दौरान सदस्यों के भविष्य निधि खातों पर क्रेडिट ब्याज (निष्क्रिय खातों सहित)	0.00
2	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सदस्यों के भ.नि. खातों पर देय ब्याज का प्रावधान	7,63,19,08,00,000.00
3	पूर्व के वर्षों के लिए सदस्यों के भ.नि. खातों पर देय ब्याज का प्रावधान	0.00
	जोड़	7,63,19,08,00,000.00
क.पे.यो. अंशदान निधि		
अनुसूची सं- 43		
सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि		
1	प्रत्याहरण/सेवानिवृत्ति लाभ	84,92,91,94,829.04
2	जीवन बीमा लाभ	3,363.00
3	पेंशन भुगतान	1,28,11,67,96,402.69
	जोड़	2,13,04,59,94,594.73
		2,04,16,99,66,154.69

क्र.सं	अवतल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक	
		वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अवतल परिसंपत्तियों में वृद्धि	वर्ष के दौरान अवतल परिसंपत्तियों में कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन (ए)	वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यहास	वर्ष के अंत में संचित मूल्यहास	वर्ष के अंत में चालू वर्ष के लिए मूल्यहास	वर्ष के अंत में संचित मूल्यहास (बी)	चालू वर्ष के अंत में (ए-बी)	पिछले वर्ष के अंत में
1	भूमि										
a	फ्री होल्ड भूमि	727,160,701.63	446,605,746.00	-	1,173,766,447.63	4,164,297.00	-	(4,164,297.00)	-	1,173,766,447.63	722,996,404.63
b	लीज होल्ड भूमि	228,993,729.50	-	-	228,993,729.50	40,203,039.89	-	1,768,679.87	41,971,719.46	187,022,010.04	188,790,689.91
2	भवन										
a	भवन-कार्यालय	2,310,465,493.82	349,331,448.00	-	2,659,796,941.82	421,097,767.94	-	43,348,854.78	464,446,622.72	2,195,350,319.10	1,889,367,725.88
b	लीज होल्ड भवन-कार्यालय	798,403,534.47	47,274,482.00	-	845,678,016.47	239,678,105.77	-	9,102,484.32	248,780,590.09	596,897,426.38	558,725,428.70
c	भवन-आवासीय	875,223,697.99	8,556,225.00	-	883,779,922.99	248,972,108.21	-	14,424,108.43	263,396,216.64	620,383,706.35	626,251,589.78
d	लीज होल्ड भवन- आवासीय	203,120,347.00	(47,274,482.00)	-	155,845,865.00	82,884,618.00	-	707,194.00	83,591,812.00	72,254,053.00	120,235,729.00
3	संपन्न मशीनों एवं उपकरण	9,684,669.25	42,540.00	-	9,727,109.25	4,623,635.47	-	977,719.52	5,601,348.99	4,225,760.26	5,160,933.78
4	वाहन एवं मोटर कार	19,160,111.04	90,200.00	1.00	19,250,310.04	9,771,762.58	-	1,725,469.14	11,487,231.72	7,753,078.32	9,388,348.46
5	फर्नीचर एवं फिक्सचर	287,358,462.02	78,440,174.42	161,500.00	365,637,136.44	79,089,876.29	151,500.00	27,073,554.42	108,021,930.71	259,615,205.73	208,258,585.73
6	कार्यालय उपकरण	113,197,994.52	53,080,837.06	126,150.00	166,152,621.58	48,476,231.20	-	22,147,344.34	70,623,575.53	95,529,046.05	64,721,703.33
7	कंप्यूटर/पेरिफेरल	1,051,153,609.37	171,866,751.25	128,397.00	1,222,911,963.62	721,896,268.85	-	208,750,161.28	830,386,430.11	282,525,533.51	329,517,340.52
8	इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन	57,069,386.33	12,088,004.00	-	69,157,390.33	15,274,180.13	-	5,543,732.25	453,984.03	48,339,477.95	41,795,206.20
9	पुस्तकावली की पुस्तकें	4,385,905.00	1,207,922.00	-	5,593,827.00	223,917.47	-	230,046.56	1,641,413.31	5,139,862.97	4,161,987.53
10	टयूबवेल एवं जल आपूर्ति	2,041,345.00	621,269.00	7,600.00	2,655,014.00	1,288,210.57	-	359,802.64	7,600.00	1,013,690.69	752,134.33
11	अन्य अवतल परिसंपत्तियां	26,414,980.13	2,476,511.00	-	28,891,491.13	4,344,985.76	-	1,403,655.43	5,748,651.19	23,142,839.94	22,069,984.37
कुल		6,713,833,807.07	1,124,427,627.73	423,648.00	7,837,837,785.80	1,921,640,014.92	159,100.00	333,398,503.94	2,254,879,418.86	5,582,958,367.94	4,792,193,782.15
सकल ब्लॉक											शुद्ध ब्लॉक
क्र.सं	अवतल परिसंपत्तियां	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अवतल परिसंपत्तियों में वृद्धि	वर्ष के दौरान अवतल परिसंपत्तियों में कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन (ए)	वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यहास	वर्ष के अंत में संचित मूल्यहास	वर्ष के अंत में चालू वर्ष के लिए मूल्यहास	वर्ष के अंत में संचित मूल्यहास (बी)	चालू वर्ष के अंत में (ए-बी)	पिछले वर्ष के अंत में
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	17,697,876.50	134,283,320.00	49,800.00	151,931,396.50	3,217,245.86	-	782,105.66	3,949,551.52	147,981,844.98	14,480,630.64
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3	कुल	17,697,876.50	134,283,320.00	49,800.00	151,931,396.50	3,217,245.86	49,800.00	782,105.66	3,949,551.52	147,981,844.98	14,480,630.64
	कुल योग	6,731,531,683.57	1,258,710,947.73	473,448.00	7,989,769,183.30	1,924,857,260.78	208,900.00	334,180,609.61	2,256,828,970.39	5,730,940,212.91	4,896,674,422.79

नोट:- 01-04-2017 से पहले की अमूर्त संपत्ति, यदि कोई मूर्त संपत्ति में शामिल है

अनुसूची सं. 18

कर्मचारी भविष्य निधि-निवेश

क्र.सं.	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	छूट रद्द होने के पश्चात् प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य/ समावोधन राशि	चाहू मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित/लागत मूल्य					परिशोधित/लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.डी.	1,504,080,852,600.00	1,509,579,540,511.12	485,985,730,883.00	1,189,193,000.00	31,588,371,100.00	-1,006,825,047.02	1,976,161,716,151.14	1,987,878,804,500.00
2(a)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	1,783,231,723,801.00	1,783,003,284,154.88	282,629,815,224.00	-	85,007,951,955.00	-50,049,356.83	1,990,674,976,880.51	1,991,045,771,948.00
2(b)	सीबीएलओ टीआरपीएस	33,296,828,137.24	28,787,178,603.05	4,498,651,534.19	-	4,062,538,775.76	-	29,214,289,861.48	29,214,289,861.48
3	निजी प्रतिभूतियां	522,288,087,894.00	522,340,803,186.80	95,800,000,000.00	2,274,180,000.00	58,708,238,500.00	33,086,153.83	561,475,478,544.67	561,457,009,494.00
4	सीसीआईएल मार्बिन वन राशि	-	40,000,000.00	3,700,000.00	-	-	-	43,700,000.00	-
5	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	4,106,786,780,700.00	4,114,886,281,200.46	718,304,145,117.00	1,824,700,000.00	128,769,504,100.00	1,450,396,982.00	4,704,795,225,235.46	4,698,828,988,800.00
6	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.डी.	183,832,255,359.00	184,738,394,065.14	-	2,750,000.00	56,523,335,570.00	682,686,362.27	107,550,142,132.87	107,405,688,788.00
7	विशेष जमा योजना-एस.टी.एस.	531,833,928,180.82	531,683,926,180.82	-	1,149,525,421.48	-	-	532,833,451,602.10	532,833,451,602.10
8	लोक लेखा	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ई.टी.एफ	767,981,971,313.85	767,981,971,313.85	321,557,096,212.98	-	72,414,680,918.51	-	1,017,124,386,808.12	1,017,124,386,808.12
10	एल.एस.एफ	-	-	386,193,341,888.00	-	255,242,898,518.13	-	82,950,449,174.87	82,950,449,174.87
11	एफ.डी.आर	76,800,000,000.00	76,800,000,000.00	53,780,000,000.00	-	76,800,000,000.00	-	53,780,000,000.00	53,780,000,000.00
12	समावोधन के अंतर्गत राशि जोड़	9,490,073,186,085.51	9,519,013,386,416.40	2,320,533,280,474.17	(20,876,013,733.28)	-	-	(1,514,784,544.18)	-
* 01.04.2020 को सीबीएलओटीआरपीएस का प्रारंभिक शेष रु. 4,49,96,51,534.19 जो कि पीवाई में शामिल नहीं था, को जोड़ा गया है और वर्ष के दौरान निवेश की गई राशि खोई के तहत दिखाया गया है		-	-	-	(14,235,685,311.76)	769,192,519,337.40	1,109,455,094.35	11,055,049,027,147.00	11,063,286,613,075.60

अनुसूची सं. 20

कर्मचारी पेंशन निधि-निवेश

क्र.सं.	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चाहू मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित/लागत मूल्य					परिशोधित/लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.डी.	768,846,610,700.00	773,901,286,201.01	241,270,455,746.00	-	38,108,828,000.00	(386,827,230.47)	978,449,041,177.48	980,117,192,700.00
2(a)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	790,788,070,080.00	790,752,197,488.98	112,878,775,000.00	-	48,842,533,560.00	(14,072,988.31)	855,002,511,827.29	855,074,536,500.00
2(b)	सीबीएलओ टीआरपीएस	14,788,034,520.51	13,788,116,705.54	999,917,814.97	-	3,823,229,455.85	-	10,845,705,064.86	10,845,705,064.86
3	निजी प्रतिभूतियां	223,478,004,000.00	223,488,400,448.14	48,650,000,000.00	684,578,000.00	21,859,349,400.00	14,072,626.64	251,159,554,421.50	251,154,230,600.00
4	सीसीआईएल मार्बिन वन राशि	-	10,000,000.00	1,500,000.00	-	-	-	11,500,000.00	-
5	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	1,857,572,346,300.00	1,861,438,843,720.89	282,788,571,985.00	-	55,550,970,900.00	625,036,185.08	2,068,048,508,650.89	2,068,431,215,400.00
6	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.डी.	71,819,000,000.00	71,818,555,602.47	-	-	21,418,000,000.00	188,758,140.53	50,210,789,461.94	50,207,000,000.00
7	विशेष जमा योजना-एस.टी.एस.	14,005,228,022.64	14,005,228,022.64	-	-	-	-	14,005,228,022.64	14,005,228,022.64
8	लोक लेखा	1,831,111,136,012.86	1,831,111,136,012.86	345,039,900,000.00	-	-	-	1,976,151,036,012.86	-
9	ई.टी.एफ	421,657,391,983.56	421,657,391,983.56	107,472,828,002.88	-	135,639,488.24	-	528,894,578,500.25	528,894,578,500.25
10	एल.एस.एफ	-	-	120,506,435,910.00	-	100,862,832,492.48	-	18,843,603,417.52	19,949,603,417.52
11	एफ.डी.आर	13,470,000,000.00	13,470,000,000.00	13,470,000,000.00	-	13,470,000,000.00	-	13,470,000,000.00	-
* 01.04.2020 को सीबीएलओटीआरपीएस का प्रारंभिक शेष रु. 98,99,17,814.97 जो पीवाई में शामिल नहीं था, को जोड़ा गया है और वर्ष के दौरान निवेश की गई राशि खोई के तहत दिखाया गया है		5,808,327,821,599.57	5,815,427,256,196.18	1,253,078,382,468.90	684,576,000.00	304,772,283,294.37	427,864,713.48	6,763,980,066,657.23	4,776,467,290,205.27

अनुसूची सं. 22

कर्मचारी निधिप सहबद्ध बीमा योजना-निवेश

क्र.सं.	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चाहू मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित/लागत मूल्य					परिशोधित/लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.डी.	38,163,592,000.00	38,164,991,855.25	3,005,973,536.00	-	1,178,475,000.00	(29,230,950.81)	38,021,721,342.16	38,084,797,000.00
2(a)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	44,758,051,000.00	44,749,976,524.86	6,682,000,000.00	-	2,201,251,000.00	(945,185.25)	49,231,670,710.11	49,238,800,000.00
2(b)	सीबीएलओ टीआरपीएस	152,429,214.38	152,429,214.38	288,411,212.12	-	-	-	420,840,426.53	420,840,426.53
3	निजी प्रतिभूतियां	10,827,851,000.00	10,833,772,180.71	-	35,778,000.00	-	1,387,621.64	9,883,288,109.07	9,888,534,550.00
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	101,653,073,000.00	101,874,009,888.46	16,353,610,000.00	-	2,580,218,000.00	36,234,019.81	115,811,167,648.85	115,415,535,000.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.डी.	3,827,000,000.00	3,856,022,974.92	-	-	1,322,000,000.00	23,826,490.00	2,310,196,484.92	2,305,000,000.00
6	विशेष जमा योजना-एस.टी.एस.	24,978,308.05	24,978,308.05	-	-	-	-	24,978,308.05	24,978,308.05
7	लोक लेखा	120,594,030,388.14	120,594,030,388.14	10,256,900,000.00	-	-	-	130,850,930,388.14	-
8	ई.टी.एफ	22,558,125,629.22	22,558,125,629.22	2,945,574,037.22	-	-	-	25,501,899,866.74	25,501,899,866.44
9	एल.एस.एफ	250,226.66	250,226.66	3,236,043,516.00	-	-	-	445,985,672.98	445,985,672.98
10	एफ.डी.आर	340,457,178,967.45	341,236,695,939.05	44,327,512,301.37	35,778,000.00	11,677,136,519.68	31,271,995.39	1,578,114,767.00	241,336,178,825.01

निवेश अनुसूची

अनुसूची सं.26

क.भ.नि.स्टाफ भविष्य निधि-निवेश

क्र.सं.	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चाहू मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित/लागत मूल्य				परिशोधित/लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी	4,502,325,000.00	4,483,276,899.40	286,768,000.00	113,025,000.00	(4,251,500.81)	4,661,271,400.21	4,669,301,000.00
2(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	3,942,771,000.00	3,939,666,583.24	657,000,000.00	206,000,000.00	-41,1938.64	4,391,078,521.88	4,393,771,000.00
2(ii)	सीबीएलओ टीआरपीएस	23,089,277.72	23,089,277.72	13,596,811.72	-	-	36,686,089.44	36,686,089.44
3	निजी प्रतिभूतियां	1,035,035,000.00	1,035,028,679.42	-	122,000,000.00	25,301.80	913,003,377.62	913,035,000.00
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	8,395,650,000.00	8,413,771,389.78	1,461,470,000.00	327,780,000.00	3,273,414.80	9,544,187,974.98	9,529,030,000.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी	246,000,000.00	248,234,950.33	-	86,000,000.00	1,698,866.60	160,536,083.73	160,000,000.00
6	विशेष जमा योजना-एस.टी.एस	833,320,534.92	833,320,534.92	-	-	-	833,320,534.92	833,320,534.92
7	लोक सेवा	-	-	-	-	-	-	-
8	ई.टी.एफ	1,092,538,715.95	1,092,538,715.95	120,349,175.11	-	-	1,212,887,891.06	1,212,887,891.06
9	एल.एम.एफ	-	-	154,710,413.00	140,056,320.88	-	14,654,092.12	14,654,092.12
	जोड़	20,070,730,528.59	20,068,927,030.76	2,693,894,399.83	994,861,320.88	334,143.75	21,767,625,965.96	21,782,685,607.54

अनुसूची सं.27

क.भ.नि.स्टाफ पेंशन सह ट्रैच्युटि निधि-निवेश

क्र.सं.	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चाहू मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित/लागत मूल्य				परिशोधित/लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी	13,476,601,200.00	13,485,862,737.96	2,822,619,000.00	443,647,000.00	(8,837,609.64)	15,873,572,347.60	15,962,954,200.00
2(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	26,279,828,000.00	26,269,515,768.49	5,900,000,000.00	416,070,000.00	(3,592,074.48)	31,747,037,842.97	31,763,758,000.00
2(ii)	सीबीएलओ टीआरपीएस	148,131,210.30	148,131,210.31	45,395,408.65	-	-	193,526,618.96	193,526,618.95
3	निजी प्रतिभूतियां	5,298,650,000.00	5,302,979,924.80	-	172,000,000.00	798,541.99	5,130,181,382.81	5,126,650,000.00
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	60,971,610,000.00	61,160,118,474.26	14,198,255,000.00	705,180,000.00	29,838,958.45	74,623,354,515.81	74,458,140,000.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी	743,000,000.00	747,505,100.99	-	164,000,000.00	2,561,583.81	580,943,517.18	579,000,000.00
6	विशेष जमा योजना-एस.टी.एस	917,927,326.87	917,927,326.87	-	-	-	917,927,326.87	917,927,326.87
7	लोक सेवा	-	-	-	-	-	-	-
8	ई.टी.एफ	16,576,006,243.67	16,576,006,243.53	3,585,003,061.38	-	-	20,161,009,304.91	20,161,009,305.05
9	एल.एम.एफ	138,535.74	(661,464.26)	3,887,424,372.00	3,499,813,118.70	-	386,949,789.04	386,949,789.04
	जोड़	124,411,892,516.58	124,597,185,322.95	30,438,696,842.03	5,400,710,118.70	20,669,400.13	149,614,502,646.15	149,549,915,239.91

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

वर्ष 2021-22 के लिए प्राप्ति तथा अदायगी लेखा

(अंशदान लेखा)

पिछला वर्ष (2020-21)	क्र.सं.	प्राप्तियां	चाहू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)	क्र.सं.	अदायगियां	चाहू वर्ष (2021-22)	राशि - रुपये में
5,060,510,823,590.95	1.	01-04-2021 को आदि शेष	5,804,929,040,378.44		1.	सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को दी गयी राशि:		
440,095,335,773.91	2.	(i) नियोजकों का अंशदान	497,199,784,351.98	0.00		(क) कर्मचारियों के भाग की ब्याज सहित राशि		0.00
75,190,100,000.00		(ii) 2021-2022 * के दौरान सरकार का अंशदान (बकाया सहित)	78,061,966,087.41	83,492,288,137.90		(ख) प्रत्याहरण/सेवानिवृत्ति लाभ	84,929,194,829.04	
139,847,600,000.00	3.	भारत सरकार के लोक लेखा में शेष राशि पर ब्याज।	171,447,900,000.00	0.00		(ग) जीवन बीमा लाभ		3,363.00
316,433.39	4.	बचत बैंक खातों पर ब्याज	1,262,613.14	120,677,678,016.79		(घ) पेंशन	128,116,796,402.69	
293,080,456,913.44	5.	प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	309,329,969,939.94	1,044,822,610.70	2.	पेंशन के संवितरण के लिए कमीशन के रूप में भुगतान की गई राशि	1,211,387,404.35	
1,835,117,034.26	6.	शास्तिक नुकसानी	2,614,292,067.69	0.00	3.	पेंशन निधि में दी गई राशि प्रशासकीय व्यय		0.00
	7.	अन्य प्राप्तियां :		0.00	4.	छूट देने पर अंतरित की गई प्रतिभूतियों की राशि		0.00
905,250,111.32		(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10	1,092,846,948.03	1,274,909,950.15	5.	प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज के रूप में अदा की गई राशि	3,351,981,796.59	
0.00		(ख) केंद्रीय अंशदान लेखा सं. 11	0.00		6.	अन्य भुगतान :		
				46,260,763.29		(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10	2,324,403.00	
				0.00		(ख) केंद्रीय अंशदान लेखा सं. 11	150,479,657.39	
				5,804,929,040,378.44	7.	31-03-2022 को अंत शेष	6,646,914,894,530.57	
6,011,464,999,857.27		जोड़	6,864,677,062,386.63	6,011,464,999,857.27		जोड़	6,864,677,062,386.63	

* 1000.00 रुपये की न्यूनतम पेंशन की प्रतिभूति के खिलाफ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त 11,35,42,00,000.00 रुपये की राशि सहित

हस्ता/-

(हेमंत जैन)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता/-

(नीलम शमी राव)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976

वर्ष 2021-22 के लिए प्राप्ति तथा अदायगियां

(अंशदान लेखा)

पिछला वर्ष (2020-21)		प्राप्ति		चाहू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)	क्र.सं.	अदायगियां	चाहू वर्ष (2021-22)
क्र.सं.		क्र.सं.						
303,777,618,280.76	1.	01-04-2021 को आदि शेष		342,149,074,449.90	8,549,137,998.84	1.	बीमा लाभ	20,253,221,998.68
21,851,580,328.12	2.	नियोक्ताओं का अंशदान		25,684,656,001.76	0.00	2.	छूट प्रदान करने पर नियोक्ताओं को वापस की गई राशि	0.00
9,442,000,000.00	3.	भारत सरकार के लोक लेखा में निवेश पर ब्याज		10,256,900,000.00	36,890,416.44	3.	प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज के रूप में अदा की गई राशि	49,959,955.46
15,476,423,996.40	4.	प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज		16,241,277,659.62	1,130,966.13	4.	अन्य अदायगियां	103,414.00
425.95	5.	बचत बैंक खातों पर ब्याज		98,036.95			लेखा संख्या 21	
100,781,972.08	6.	शासिक नुकसानी एवं धारा 7 क्यू के अंतर्गत ब्याज		156,845,717.13			लेखा संख्या 25	16,923,775.02
	7.	अन्य प्राप्ति:			342,149,074,449.90	5.	31-03-2022 को अंत शेष	374,332,230,375.23
87,828,828.00		लेखा संख्या 21		163,517,715.00				
0.00		लेखा संख्या 25		69,638.03				
350,736,233,831.31		जोड़		394,652,439,218.39	350,736,233,831.31		जोड़	394,652,439,218.39

हस्ता/-

(हेमंत जैन)

वित्तीय सहायकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता/-

(नीलम शमी राव)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976

वर्ष 2021-22 के लिए प्राप्ति तथा अदायगियां

(प्रशासनिक लेखा)

पिछला वर्ष (2020-21)	क्र.सं.	प्राप्ति	चाहू वर्ष (2021-22)	पिछला वर्ष (2020-21)	क्र.सं.	अदायगियां	चाहू वर्ष (2021-22)
33,747,781,432.87	1.	01-04-2021 को आदि शेष	35,968,964,038.08	381,172,569.52	1	कर्मचारी पर 1% अनुपातिक	439,102,592.15
207,551,660.83	2.	नियोक्ताओं से प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	255,106,842.25		2	अन्य प्राप्ति:	
50,656,029.00	3	प्राप्त निरीक्षण प्रभार	66,442,814.09	47,099.00		लेखा संख्या 22	62,213.00
21,715,127.30	4	शास्तिक नुकसानी एवं 7 व्ष ब्याज	22,366,072.27	0.00		लेखा संख्या 24	0.00
2,322,477,798.88	5	निवेश पर प्राप्त ब्याज	2,487,373,722.60	35,968,964,038.08	3	31-03-2022 को अंतशेष	38,361,090,620.29
1,657.72	6	बचत बैंक खाते पर ब्याज	1,723.75				
	7.	अन्य प्राप्ति:					
0.00		लेखा संख्या 22	212.40				
0.00		लेखा संख्या 24	0.00				
36,350,183,706.60		जोड़	38,800,255,425.44	36,350,183,706.60		जोड़	38,800,255,425.44

हस्ता/-

(हेमंत जैन)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता/-

(नीलम शमी राव)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूची जो 2021-22 की अवधि के
लिए खातों का भाग होगी

अनुसूची 44 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

अनुसूची 45 : आकस्मिक देयताएं एवं लेखों
पर नोट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
अनुसूची जो 2021-22 की अवधि के लिए खातों का भाग होगी

अनुसूची 44 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन पद्धति

भारत सरकार द्वारा लागू अनिवार्य लेखा मानकों तथा निर्धारित लेखों के सामान्य प्रारूप की संबंधित प्रस्तुतिकरण आवश्यकताओं के अनुरूप परंपरागत लागत पद्धति के अंतर्गत एक्रुअल आधार पर, अगर कुछ और न कहा गया हो, वित्तीय विवरणियों को तैयार किया जाता है।

2. निवेश

(क) भारत सरकार को ईटीएफ निवेश की लेखांकन नीति का प्रस्ताव दिया गया है तथा यह क.भ.नि.एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत योजनाओं में प्रस्तावित संशोधन की अधिसूचना के बाद लागू होगा। वर्तमान में, ईटीएफ निवेश 'लागत मूल्य' पर दिखाया जा रहा है।

(ख) केंद्रीय बोर्ड द्वारा 27.01.2007 को आयोजित अपनी 178 वीं बैठक में अनुमोदित निवेश के लिए संशोधित लेखांकन नीति के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को परिशोधन मूल्य पर आंका गया है।

3. अचल परिसंपत्तियां:

3.1 वर्ष 2015-16 तक भूमि एवं भवन एक साथ दर्शाए जाते थे, हालांकि 2015-2016 से नए फार्मेट में भूमि को अलग दिखाया गया। भूमि को लीज़होल्ड भूमि एवं फ्री होल्ड भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.2 सभी मदों पर 5,000/- रु. से अधिक व्यय तथा जो एक वर्ष से अधिक के लिए प्रयोग में लाया जाता है, को पूंजीगत व्यय के रूप में देखा जाता है तथा ऐसी परिसंपत्ति पर मूल्यहास को वर्ष के दौरान किया गया खर्च माना जाएगा।

3.3 अचल परिसंपत्तियों को परंपरागत लागत पर दर्शाया जाता है।

3.4 भूमि तथा भवन के अतिरिक्त सभी अचल परिसंपत्तियां जिनका 01.04.2015 (लेखांकन के रोकड़ आधार से एक्रुअल आधार पर स्विच करने की तिथि) से पहले अधिग्रहण किया गया, का मूल्यांकन रूपए 1/- प्रति मद के सांकेतिक मूल्य पर किया जाता है।

स्पष्टीकरण :

वित्तीय वर्ष 2015-16 तक, केवल भूमि एवं भवन को अचल परिसंपत्ति माना जाता था, किंतु नई प्रणाली में अचल परिसंपत्तियों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली सभी मदों को अचल परिसंपत्ति के रूप में लिया जाता है तथा तदनुसार मूल्यहास लगाया जाता है। 01.04.2015 से पहले, खरीदी गई तथा संबंधित वर्ष में व्यय के रूप में बुक की गई सभी परिसंपत्तियों (भूमि एवं भवन को छोड़कर) का मूल्यांकन रूपए 1/- प्रति परिसंपत्ति पर किया गया और प्रारंभिक परिसंपत्ति के रूप में लेखांकन किया गया। यह भारत सरकार के समर्थन से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा गठित सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसबी), जो संघ और राज्य सरकार के संगठनों में एकुअल आधारित लेखांकन की ओर अंतरण पर कार्य कर रहा है, द्वारा जारी भारत सरकार के वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई.जी.एफ.आर.एस.) के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है।

4. मूल्यहास

- 4.1 अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास सीधी कटौती प्रणाली पर कंपनी अधिनियम, 2013 (संशोधित) में निर्दिष्ट दरों से किया गया है।
- 4.2 वर्ष के दौरान, जिसे 180 दिन अथवा अधिक के लिए उपयोग की गई अचल परिसंपत्तियों पर पूरी दर से और 180 दिन से कम के लिए उपयोग की गई आधी दर से अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास किया गया।
- 4.3 लीज़ होल्ड भवनों जैसे जिन भवनों का सरकारी एजेंसियों से अधिग्रहण किया गया या लीज़ के निर्धारित वर्षों के लिए किए गए एकमुश्त भुगतान, पर लीज़ अवधि के संदर्भ में सीधी कटौती प्रणाली पर मूल्यहास किया गया।
- 4.4 लीज़ होल्ड भूमि पर अदा की गई एकमुश्त लीज़ राशि का लीज़ अवधि के दौरान प्रतिवर्ष आनुपातिक रूप से परिशोधन किया जाता है।
- 4.5 फ्री होल्ड भवन पर पहले अधिग्रहण की तिथि से 01.04.2015 तक मूल्यहास लगाया गया। उसके बाद मूल्यहास चार्ट (मानचित्र) के अनुसार मूल्यहास की सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

(संदर्भ-लेखा मानक-6 एवं 10)

स्पष्टीकरण: मूल्यहास की गणना करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग "सी" के अनुसार मूल्यहास दर चार्ट का अनुसरण किया जा रहा है।

5. सरकारी अनुदान /सब्सिडी

कर्मचारी पेंशन योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लिए देय सरकारी अनुदान अंशदान का एकुअल आधार पर लेखांकन किया जाता है।

6. कर्मचारी देय:

6.1 मार्च माह के लिए कर्मचारियों को देय वेतन को, भुगतान की वास्तविक तिथि पर ध्यान दिए बगैर एकुअल आधार पर उसी वित्तीय वर्ष का व्यय माना जाए।

6.2 कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज को ब्याज की वसूली अवधि पर ध्यान दिए बगैर वसूली की अवधि में समान रूप से वितरित किया जाएगा।

7. लीज़

7.1 लीज़ शर्तों के संदर्भ में लीज़ का व्यय किया जाता है।

7.2 किराए के भवनों के लिए वर्ष के अंत में देय किराए का एकुअल आधार पर लेखांकन किया जाएगा तथा इस संबंध में व्यवस्था की जाएगी।

8. ब्याज से आय

8.1 वर्ष से संबंधित निवेश पर ब्याज से आय को उस वर्ष की आय माना जाएगा।

8.2 चूंकि वास्तविक राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसे "ब्याज संचित परंतु अप्राप्त" लेखा शीर्ष के अंतर्गत आनुपातिक रूप में दर्शाया जाएगा।

8.3 निवेश पर उपार्जित एवं देय पर अप्राप्त ब्याज का 2015-16 से एकुअल आधार पर लेखांकन किया जाएगा।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 क.भ.नि.सं. पेंशन-सह-ग्रेच्युटि के लिए पृथक निधि का रखरखाव करता है। क.भ.नि.सं. की इस मद से संबंधित मदों का बीमांकक आधार पर वर्ष के अंत में लेखांकन किया जाता है। बीमांकक मूल्यांकन के चलते निधि में जोड़ अथवा घटाव का क.भ.नि.सं. की आय अथवा व्यय, जैसा भी मामला हो, के रूप में लेखांकन किया जाता है। लेखांकन मानक-15 के उपबंधों के अनुसार, कर्मचारियों के लाभों का बीमांकक मूल्यांकन एवं उपबंधों के अनुसार लेखांकन किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति लाभ लागत का उसी अवधि के लिए लेखांकन किया जाना चाहिए जिसमें सेवा की गई है।

9.2 वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अवकाश नकदीकरण को उस वर्ष का राजस्व व्यय माना जाना चाहिए।

10. राजस्व मान्यता

नियोक्ताओं को जारी मांग/ वसूली नोटिस के माध्यम से किसी वसूली के मामले में, राजस्व को रोकड़ आधार पर लिया जाता है। क.भ.नि. एवं प्र.उ. अधिनियम 1952 की धारा 7ए के अंतर्गत निर्धारण, धारा 14बी के अंतर्गत लगाई गई नुकसानी तथा 7क्यू के अंतर्गत लगाए गए ब्याज से संबंधित अन्य प्रकटीकरण, लेखों में नोट पर किया गया है।

11. भवन निर्माण के लिए ठेकेदारों / एजेंसियों को अग्रिम

निर्माण कार्य के लिए दिए गए अग्रिम को चालू परिसंपत्ति माना जाएगा और शुरुआत में "ठेकेदारों / एजेंसियों को अग्रिम" के रूप में दर्शाया जाएगा। वर्ष के अंत में नपाई के आधार पर, किए गए परंतु अंतिम रूप से पूरे नहीं किए गए काम के अनुसार राशि को "पूँजीगत कार्य प्रगति पर" शीर्ष में हस्तांतरित किया जाएगा।

अनुसूची 45 : आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट

1. आकस्मिक देयताएं

क्र.सं.	आकस्मिक देयताएं	चालू वर्ष (रु)	पिछले वर्ष (रु)
1	वे वस्तुएं जिन्हें ऋण नहीं माना गया, के संबंध में किए गए दावे		
(क)	वस्तु एवं सेवा कर (पूर्व में सेवा कर)	13,08,04,05,797.00	13,08,04,05,797.00

31-03-2022 को माल और सेवा कर (पूर्व में सेवा कर) के मामलों की स्थिति:

क्र.सं.	अवधि	सेवा कर की मांग एवं प्रकृति	स्थिति
1	2010-11	2,16,32,19,135.00	ओ-आई-ओ दिनांक 21.08.2012 से असंतुष्ट होने के कारण माननीय सीईएसटीएटी, पंचकुला के समक्ष अपील दायर की गई
2	2009-10	1,74,75,41,733.00	नोटिस ने माननीय सीईएसटीएटी, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की और अपील पर अंततः 02.05.2019 को सुनवाई हुई और आदेश सुरक्षित है जिसे जल्द ही घोषित किए जाने की संभावना है। इस संबंध में, पैनल में शामिल सीए मैसर्स ए.के. बत्रा एंड एसोसिएट्स को सुनवाई का परिणाम उपलब्ध कराने के लिए 06-05-2022 को ईमेल तथा 09-05-2022 को अनुस्मरण भेजा गया। मेसर्स ए.के. बत्रा एंड एसोसिएट्स से 09-05-2022 को उत्तर प्राप्त हुआ जिसके अनुसार "चूंकि माननीय सीईएसटीएटी ने आदेश को सुरक्षित रखने की तारीख यानी 02.05.2019 से तीन महीने के भीतर आदेश पारित नहीं किया और वह समाप्त हो गया। इसलिए, मामले को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है और सुनवाई की अगली तारीख 01.06.2022 है।"
3	2011-12	2,73,05,33,957.00	
4	2012-13	3,41,89,46,448.00	
5	2013-14	3,02,01,34,524.00	
		13,08,03,75,797.00	

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में पूंजी खाते पर कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष तथा उपलब्ध नहीं कराए गए अनुबंधों का अनुमानित मूल्य 26,316.11 लाख रुपये हैं। पिछले वर्ष के अंत में यह 32,686.85 लाख रुपये था।

लेखों पर नोट

I. सामान्य लेखा प्रारूप अपनाना

लेखे भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित और भारत सरकार के जीएसआर संख्या 284(ई), जीएसआर संख्या 285(ई) और जीएसआर संख्या 286(ई) दिनांक 04.04.2019 के तहत अधिसूचित सामान्य लेखा प्रारूप में तैयार किए गए हैं।

II. पूर्व अवधि हेतु आय एवं व्यय

आय और व्यय लेखों में पूर्व अवधि का 08.54 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है।

III. सांविधिक देयों की वसूली

- 31 मार्च, 2022 तक कभनि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कुल निर्धारित सांविधिक देय एवं धारा 7ए के अंतर्गत वसूली हेतु देय, 14-बी के अंतर्गत नुकसानी तथा 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज की राशि को नीचे तालिका में दिखाया गया है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	31.03.2022 तक 7ए के अंतर्गत निर्धारित बकाया राशि, 14 बी के अंतर्गत नुकसानी एवं 7क्यू अंतर्गत निर्धारित ब्याज (रु लाख में)		31.03.2021 तक 7ए के अंतर्गत कुल बकाया राशि, 14 बी के अंतर्गत नुकसानी एवं 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज (रु लाख में)	
		बकाया	दांडिक नुकसानी/ ब्याज	बकाया	दांडिक नुकसानी/ ब्याज
1.	कर्मचारी भविष्य निधि	556,865.14	249,937.60	391,830.46	205,763.79
2.	क.भ.नि. प्रशा. निधि	31,606.10	21,843.57	32,256.19	14,730.74
3.	कर्मचारी पेंशन निधि	254,188.46	129,449.48	208,200.53	104,704.26
4.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ई.डी.एल.आई.) निधि	20,558.89	8,592.14	17,301.23	7,953.69
5.	ई.डी.एल.आई. प्रशा. निधि	762.65	416.01	681.12	308.20
कुल		863,981.23	410,238.81	650,269.53	333,460.68

(स्रोत एमआईएस)

- 7ए के अंतर्गत प्राप्य श्रेणी राशि, 14-बी के अंतर्गत नुकसानी एवं 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज तथा नियोक्ताओं को जारी मांग/ वसूली नोटिस के माध्यम से वसूली, सभी के संबंध में राजस्व नकद आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है।

3. वसूली की अनिश्चितता के कारण तथा कार्यवाही पूर्ण होने से पहले वसूली की सटीक राशि का पता न चल पाने के कारण, राजस्व की पहचान के संबंध में लेखांकन मानक-9 के उपबंधों के अनुसार राजस्व पहचान को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, वास्तविक अंशदान राशि की प्राप्ति होने पर इसे क.भ.नि. सदस्य खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए न कि देय के आधार पर।

IV. कर्मचारी पेंशन निधि:

31.03.2016 और 31.03.2017 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि की अंतिम बीमांकन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है एवं सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। 31.03.2017 को मूल्यांकन परिणाम इस प्रकार हैं:-

मूल्यांकन परिणाम:

कुल देयता वर्गीकरण	रूपए करोड़ में
(क) सभी लाभों का वर्तमान मूल्य	7,37,700.57
(ख) अंशदान का वर्तमान मूल्य	4,03,756.28
सभी लाभों का कुल वर्तमान मूल्य (ग)=(क)-(ख)	3,33,944.29
31-03-2017 को राशि संग्रह (घ)	3,18,412.38
कुल देयता (ग)-(घ) (बीमांकक कमी)	15,531.91

31-03-2018 और 31-03-2019 को कर्मचारी पेंशन निधि बीमांकन मूल्यांकन को बीमांकक द्वारा पूरा किया गया है और मसौदा रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

31.03.2020 एवं 31.03.2021 तक कर्मचारी पेंशन निधि के मूल्यांकन हेतु बीमांकक की नियुक्ति हेतु आरएफपी, सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा प्रक्रियाधीन है।

V. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना:

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ई.डी.एल.आई.) निधि का बीमांकक मूल्यांकन अंतिम बार वर्ष 31.03.2019 के लिए किया गया तथा मूल्यांकन परिणाम निम्नानुसार है:

	राशि (रूपए करोड़ में)
निवल देयता (क)	10,779.34
घटायें: निधि (ख)	27,234.66
निधि के पश्चात अधिशेष (ख) - (क)	16,455.32

क.नि.स.बी. योजना, 1976 के तहत देय लाभों को बढ़ाने के लिए के.न्या.बो., क.भ.नि. द्वारा कई संशोधनों को मंजूरी दी गई है। इन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

1. क.नि.स.बी. योजना, 1976 के पैराग्राफ 22(3) के तहत देय अधिकतम बीमा लाभ को बढ़ाकर रु. 7 लाख कर दिया गया।
2. क.नि.स.बी. योजना, 1976 के पैरा 22(3) के तहत देय रुपये 2.50 लाख के न्यूनतम बीमा लाभ को 15.02.2020 से लागू किया गया।
3. मृतक सदस्य, जो उस माह से पहले लगातार 12 महीने की अवधि के लिए निधि का सदस्य रहा है जिसमें उसकी मृत्यु हुई थी के संबंध में लाभार्थियों को, क.नि.स.बी. योजना, 1976 के पैराग्राफ 22(3) के तहत देय लाभ का विस्तार।
4. स्थापना द्वारा रिटर्न जमा न करने के लिए दंड को चार हजार रुपये से बढ़ाकर रु. पच्चीस हजार कर दिया गया।
5. जिस महीने में सदस्य की मृत्यु हुई, उससे पहले के बारह महीनों के दौरान आहरित औसत मासिक वेतन (अधिकतम पंद्रह हजार रुपये तक) को पैंतीस से गुणा करके मृतक के खाते में निधि में औसत शेष का पचास प्रतिशत या अधिनियम की धारा 17 या ईपीएफ योजना, 1952 की धारा 27 या 27ए, जैसा भी मामला हो, से पहले के बारह महीनों के दौरान या उसकी सदस्यता की अवधि के दौरान, जो भी कम हो, के तहत भविष्य निधि से छूट दी गई है, जो एक लाख पचहत्तर हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है।

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना की तारीख यानी 28.04.2021 से तीन साल की अवधि के लिए लागू होंगे और उसके बाद ईडीएलआई फंड की वित्तीय स्थिति के अनुसार समीक्षा की जाएगी।

उपरोक्त संशोधनों के बाद, ईडीएलआई फंड की वित्तीय स्थिति इस प्रकार है: -

	राशि (रुपए करोड़ में)
निवल देयता (क)	27,099.38
घटायें: निधि (ख)	27,234.66
निधि के पश्चात अधिशेष (ख) - (क)	135.28

VI. सदस्य खाते:

(क) **निष्क्रिय खाते:** कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72 (6) के अंतर्गत निष्क्रिय खातों की परिभाषा में दिनांक 11-11-2016 को संशोधन किया गया। वर्ष 2017-18 के समेकित वार्षिक लेखों में निष्क्रिय खातों के रूप में परिभाषित एवं रिपोर्ट की गई राशि 11-11-2016 से पहले की परिभाषा पर आधारित है। अब निष्क्रिय खातों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के अंत में सिस्टम द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर दर्शाए जा रहे हैं। दिनांक 31-03-2022 तक 'निष्क्रिय खातों' में 4,962.70 करोड़ रुपये की राशि है और ऐसे खातों की संख्या 13,41,848 है।

(ख) अनियमित भुगतान और अधिक भुगतान

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर दिनांक 31.3.2022 को, क्रमशः रु. 10.18 करोड़ और रु. 24.77 करोड़ "अनियमित भुगतान" और "अधिक भुगतान" शीर्ष में अंतर्शेष थे। अधिक भुगतान या अनियमित भुगतान की जानकारी होने पर नुकसान की भरपाई उस नुकसान के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों से की जाती है। इन भुगतानों को समुचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है तथा विधिवत गठित अधिक भुगतान समिति द्वारा इसकी मॉनीटरिंग की जाती है। फील्ड कार्यालयों द्वारा ऐसे मामलों में संलिप्त संगठन के कर्मचारियों एवं बाह्य व्यक्तियों पर सिविल/अपराधिक मुकदमें दायर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आंतरिक लेखा दलों को उचित निदेश दिए गए हैं कि फील्ड कार्यालयों के ऑडिट के दौरान अधिक भुगतान एवं अनियमित भुगतान के मामलों की जांच करें।

VII. निवेश

(क) वसूली हेतु लंबित निवेश

अभी भी वसूली के लिए मूल राशि एवं इस पर ब्याज को दर्शाते हुए निवेश का विवरण एवं क.भ.नि.स द्वारा की गई कार्रवाई परिशिष्ट -'क' पर संलग्न है।

(ख) टी.डी.एस. का रिफंड

काटी गई राशि को ब्याज सहित वापस करने संबंधी मामले को यू-ओ नोट दिनांक 20.06.2018 द्वारा सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ उठाया गया है, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया कि माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार के स्तर पर रु. 8,36,98,105.70 की राशि ब्याज सहित शीघ्रतम लौटाने के लिए माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार के साथ आयकर प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु मामले को उठाया जाए। अवर सचिव भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पत्र दिनांक 16.07.2018 द्वारा अनुरोध किया है कि टैक्स कटौती का विवरण, काटे गए टैक्स, तिथिवार एवं टैक्सवार प्रमाणपत्र संख्या एवं प्रत्येक प्रमाणपत्र की तिथि सहित सूचना उपलब्ध कराई जाए। ईपीएफओ के बाहरी समवर्ती लेखा परीक्षक (ईसीए) को आयकर अधिकारियों के साथ मामले को उठाने का अतिरिक्त कार्य दिया गया। ईसीए ने कार्य योजना प्रस्तावित की और आयकर विभाग से राशि का दावा करने के लिए रिफंड का दावा करने के लिए पत्र तैयार किया गया और यह प्रक्रियाधीन है।

(ग) निवेश के आंकड़ों के बीच अंतर

छूट को रद्द करने पर छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यासों द्वारा के.न्या.बोर्ड को हस्तांतरित प्रतिभूतियों के आंकड़ों में अंतर का समाधान किया गया है और 2067.60 रु को इस वर्ष वार्षिक लेखों में समायोजित किया गया है।

01.04.2021 को सीबीएलओ/टीआरईपी का क.भ.नि. का प्रारंभिक शेष रु. 449.96 करोड़ और क.पें.यो. का रु. 99.99 करोड़ था जो पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में रिपोर्ट नहीं किया गया था, इसे चालू वर्ष की निवेश अनुसूचियों में जोड़ा गया है और संबंधित योजना के पिछला वर्ष समायोजन शीर्ष में समायोजन प्रविष्टि की गई है।

(डी) 31.03.2022 को भुगतान तिथि के बाद प्राप्त भुगतान के लिए दावा किया गया अर्जित ब्याज और दंडात्मक शुल्क रु 2,32,791.39/- था जिसमें से रु. 1,07,521.38/- की वसूली की गई है और शेष राशि की वसूली के लिए कस्टोडियन जारीकर्ताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं।

(ई) डीएचएफएल प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि को वर्ष के दौरान ब्याज आय से समायोजित किया गया है।

(एफ) 31-03-2022 को ईटीएफ में निवेश की गई राशि का बाजार मूल्य 2,26,919.18 करोड़ रुपये था।

VIII. उचंत खाते:

उचंत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 5 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	
प्रारंभिक शेष	65,93,66,159.87
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	4,24,51,84,875.87
कुल	4,90,45,51,035.74
घटाएं: वर्ष के दौरान समाशोधित की गई राशि	4,46,36,18,674.88
अंत: शेष	44,09,32,360.86

उचंत खाता (प्राशासनिक निधि), अनुसूची संख्या 15 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	
प्रारंभिक शेष	29,66,03,131.21
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	2,59,62,35,391.14
कुल	2,89,28,38,522.35
घटाएं: वर्ष के दौरान समाशोधित की गई राशि	2,58,48,34,661.96
अंत: शेष	30,80,03,860.39

उचंत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 19 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम)	
प्रारंभिक शेष	1,27,68,85,111.74
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	1,40,94,49,186.11
कुल	2,68,63,34,297.85
घटाएं: वर्ष के दौरान समाशोधित की गई राशि	1,87,86,59,389.35
अंत: शेष	80,76,74,908.50

उत्तम खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 28 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	
प्रारंभिक शेष	22,55,55,748.15
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	29,16,06,342.94
कुल	51,71,62,091.09
घटाएं: वर्ष के दौरान समाशोधित की गई राशि	30,14,64,568.32
अंत: शेष	21,56,97,522.77

IX (i) पी.एम.आर.पी.वाई तथा पी.एम.पी.आर.पी.वाई:

निजी क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन के लिए पी.एम.आर.पी.वाई तथा पी.एम.पी.आर.पी.वाई सरकार की प्रमुख प्रोत्साहन योजनाएं हैं। ये योजनाएं अक्टूबर, 2016 के दौरान शुरू की गईं तथा सरकार इस उद्देश्य के लिए इंडियन बैंक के माध्यम से क.भ.नि.सं. के बैंक खाते के द्वारा सहायता- अनुदान उपलब्ध कराती है।

पी.एम.आर.पी.वाई योजना नए भविष्य निधि सदस्यों के संबंध में पेंशन अंशदान से जुड़ी नियोक्ता की जिम्मेदारी को कम करती है। क.भ.नि.सं. उपर्युक्त बैंक खाते से काटी गई राशि की सीधे प्रतिपूर्ति कर देता है।

भारत सरकार दिनांक 01.04.2018 से क.भ.नि.सं. के माध्यम से नए कर्मचारियों के लिए तीन वर्ष की अवधि और मौजूदा लाभार्थियों के लिए उनकी तीन वर्ष की शेष अवधि के लिए, समय-समय पर स्वीकार्य, नियोक्ताओं के पूरे अंशदान (क.भ.नि. और क.पें.यो. दोनों) का भुगतान करेगी। स्थापना के माध्यम से लाभार्थियों को पंजीकृत करने की आवधिक तिथि 31 मार्च, 2019 है। (पीएमपीआरपीवाई में सरकार द्वारा कार्यालय जापन संख्या डीजीई-यू-13015/01/2016 एमपी (जी) दिनांक 12.04.2018 के माध्यम से संशोधन किया गया था।) कपड़ा क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बनाई गई पीएमपीआरपीवाई योजना को बंद कर दिया गया है और खाते में पड़ी शेष राशि पीएमआरपीवाई योजना खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

पीएमआरपीवाई तथा पीएमपीआरपीवाई के लिए अनुरक्षित बैंक बचत खातों पर अर्जित ब्याज, भारत सरकार को वापस लौटा दिया गया है, जब कि दोनों योजनाओं के अप्रयुक्त, सहायता अनुदान राशि पीएमआरपीवाई तथा पीएमपीआरपीवाई के लिए अलग से इंडियन बैंक में इस प्रयोजन के लिए खोले गए खातों में पड़ी हैं। उपर्युक्त खातों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	पीएमआरपीवाई के विवरण		
1	प्रारंभिक शेष (01.04.2021)		1,08,51,67,376.00
	जोड़ें		
2	भारत सरकार से मिली निधि (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय): भारत सरकार से मिली निधि (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय): (अनुलग्नक-1)	1,90,74,66,794.00	
3	बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज	30,50,440.00	1,91,05,17,234.00

	घटाएं		
4	वित्तीय वर्ष 2021-22 के ब्याज की पीएमआरपीवाई खाते में हस्तांतरित राशि	43,48,137.00	
5	पीएमआरपीवाई खाते से इंडियन बैंक संग्रह खाते के बायफरकेशन खाते में सीधे डेबिट किए गए लाभ खाता संख्या 5 (पीएमपीआरपीवाई) खाता संख्या 11 (पीएमआरपीवाई)	87,18,61,399.00 2,04,61,97,387.00	
6	जीएफआर प्रावधान के तहत 2020-21 तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित ब्याज।	2,57,98,498.00	2,94,82,05,421.00
	अंतशेष		4,74,79,189.00

क्र.सं.	पीएमपीआरपीवाई के विवरण		
1	प्रारंभिक शेष (01.04.2021)		3,79,695.00
	जोड़ें		
2	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से प्राप्त निधि	0.00	
3	बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज	5,162.00	
4	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पीएमआरपीवाई खाते के अर्जित ब्याज से खाते में अंतरित राशि (अनुलग्नक-II)	43,48,137.00	43,53,299.00
	घटाएं		
5	नियोक्ताओं को सब्सिडी	0.00	
6	जीएफआर उपबंधों के तहत वर्ष 2020-21 तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किया गया ब्याज (अनुलग्नक-III)	47,27,832.00	47,27,832.00
	अंतशेष		5,162.00

IX (ii)- पीएमजीकेवाई:

भारत सरकार ने 26.03.2020 को पीएमजीकेवाई के तहत गरीबों को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। उक्त पैकेज के हिस्से के रूप में, शुरू में केंद्र सरकार द्वारा अगले तीन महीनों अर्थात् मार्च 2020, अप्रैल 2020, मई 2020 के लिए कभनि खातों में मासिक वेतन का 24% (कभनि अधिनियम के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं का हिस्सा) के भुगतान का प्रस्ताव है। इस योजना को जून 2020 से तीन महीनों के लिए अर्थात् अगस्त 2020 आगे बढ़ा दिया गया था।

क्र.सं.	पीएमजीकेवाई का विवरण		
1	प्रारंभिक शेष (01.04.2021)		7,01,05,692.00
	जोड़ें		
2	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से प्राप्त निधि	00.00	
3	बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज	10,15,220.00	
4.	इंडियन बैंक से त्रुटीपूर्वक प्राप्त	1,64,212.00	11,79,432.00
	घटाएं		
5	नियोक्ताओं को सब्सिडी	00.00	
6	जीएफआर उपबंधों के तहत वर्ष 2020-21 तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किया गया ब्याज	6,64,44,927.00	6,64,44,927.00
	अंतशेष		48,40,197.00

IX (iii) – एबीआरवाई:

नए रोजगार के सृजन, रोजगार के नुकसान की भरपाई के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एबीआरवाई को कभनिसं के माध्यम से 1 अक्टूबर, 2020 को आरम्भ किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार दो साल की अवधि के लिए विभिन्न शर्तों के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान को क्रेडिट करेगा।

क्र.सं.	एबीआरवाई के विवरण		
1	प्रारंभिक शेष (01.04.2021)		4,05,03,21,781.00
	जोड़ें		
2	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से प्राप्त निधि टीएसए लेखे से प्राप्त निधि	39,30,60,67,835.00	
3	बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज	2,60,06,590.00	
4.	कॉन्ट्रा एंट्री (गलती से डेबिट की गई राशि का प्रत्यावर्तन)	65,47,61,723.00	39,98,68,36,148.00
	घटाएं		
5	नियोक्ताओं को सब्सिडी एबीआरवाई योजना खाते से एसबीआई निवेश खाते 5 में सीधे डेबिट किए गए लाभ एबीआरवाई योजना खाते से एसबीआई निवेश खाते 11 में सीधे	24,63,21,86,537.00 10,73,14,50,722.00	

	डेबिट किए गए लाभ		
6	जीएफआर उपबंधों के तहत वर्ष 2020-21 तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किया गया ब्याज	3,21,781.00	
7	कॉन्ट्रा एंट्री (गलती से डेबिट की गई राशि का प्रत्यावर्तन)	65,47,61,723.00	36,01,87,20,763.00
	अंतशेष		8,01,84,37,166.00

X- केंद्रीकृत बैंक संग्रह खाते:

दिसंबर, 2016 के दौरान, क.भ.नि.सं. ने विविध बैंकों में, एक बैंक खाते में सांविधिक अंशदान के केंद्रीकृत प्राप्ति को अपनाया है जबकि पहले सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के विकेंद्रीकृत पांच एकत्रीकरण खातों में प्राप्ति की जाती थी। निधि की केंद्रीकृत प्राप्ति इस प्रकार की जाती है:

- डुप्लीकेट टी.आर.आर.एन. में त्रुटिपूर्ण जमा देयता है, जिसे भविष्य में रिफंड किया जाएगा। लेखा सुविधा के लिए इसे भविष्य निधि योजना खाते में दिखाया जाता है।
- जमा की गई असमेकित राशि को भविष्य निधि योजना खाते में देयता के रूप में देखा जा सकता है। राशि के समेकन के बाद इसे अंशदान के रूप में संबंधित खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।
- लेन-देन की जांच के लिए बैंक द्वारा किए गए जमा को आय एवं व्यय लेखे में विविध आय के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार, बैंक प्रभार को भविष्य निधि योजना के आय एवं व्यय लेखे में दर्शाया जाता है।
- एकल एकत्रीकरण लेखों के अंत शेष को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के बैंक शेष के रूप में दिखाया जाता है (अन्य योजनाएं एवं प्रशासनिक लेखों के लेन-देन का समायोजन करने के पश्चात्)।

XI. अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 24)

(क) अन्य अचल संपत्तियों में थर्मामीटर गन, पल्स ऑक्सीमीटर, टेबल ग्लास, सैनिटाइजर मशीन, कार्यालय की जमीन की बाउंड्री वॉल, अस्थायी शेड, सोनी टीवी, एसी और स्टेबलाइजर आदि जैसी संपत्तियां शामिल हैं।

(ख) जमीन जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नाम से पंजीकृत नहीं है निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	अंचल/कार्यालय का नाम	भूमि का विवरण
1	हैदराबाद	आलविन कालोनी, कुकटपल्ली पर एसवाई सं. 276/2, जीओ एमएस सं. 166 दिनांक 17.06.2016

2	मुख्यालय	क.भ.नि.सं. मुख्यालय, 14 भीकाजी कामा प्लेस, हुडको विशाला भवन में निर्मित कार्यालय स्थान हुडको से लीज़ के आधार पर लिया गया था, परन्तु आज तक लीज़ डीड क.भ.नि.सं. के नाम पर पंजीकृत नहीं हुई है। 31.03.2021 को इस भवन का बुक मूल्यहास के पश्चात् रु. 20,29,55,497.00 मात्र है।
---	----------	--

XII. स्टॉफ पेंशन-सह- ग्रेच्युटी निधि:

कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1952 के साथ पठित क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5-डी में दिए गए उपबंध के अनुसार केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. के अधिकारी एवं कर्मचारी केन्द्र सरकार के समकक्ष वेतनमान लेने वाले कर्मचारियों के समान पेंशन-सह-ग्रेच्युरिटी लाभों के पात्र हैं। सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 यथोचित परिवर्तनों सहित क.भ.नि.सं. के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. को उनके कर्मचारियों के प्रति पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान के दायित्वों का पर्याप्त रूप से निर्वाह करने में सक्षम बनाने के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 1965 से कर्मचारी पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि का सृजन किया गया था। निधि का पोषण स्थापनाओं पर लगाए गए अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार से होता है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने दिनांक 23.02.2006 को हुई अपनी 174वीं बैठक में अंशदान को मासिक अंतरण द्वारा दिनांक 23.02.2006 से पहले अंतरित कुल परिलब्धियों के 12.4% से बढ़ाकर कुल परिलब्धियों का 21% करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. ने उपर्युक्त बैठक में पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि की बीमांकक द्वारा द्विवार्षिक आधार पर मूल्यांकन करने की भी सिफारिश की।

31.03.2022 को बीमांकक मूल्यांकन की स्थिति नीचे सारणीबद्ध है:

		(रूपये करोड़ों में)
(i)	पेंशन	11,406.84
(ii)	एन.पी.एस. (मृत्यु के मामलों में परिवार पेंशन)	558.34
(iii)	ग्रेच्युटी	1,058.37
(iv)	कुल देयताएं (i)+(ii)+(iii)	13,023.55
(v)	दिनांक 31.03.2019 को उपलब्ध शेष	8,305.95
(vi)	कमी (iv) - (v)	4,717.60
(vii)	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पेंशन-सह-ग्रेच्युटी में अंतरित राशि	1,316.01
(viii)	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पेंशन-सह-ग्रेच्युटी में अंतरित राशि	1,419.88
(ix)	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पेंशन-सह-ग्रेच्युटी में अंतरित राशि	1,630.69
(x)	कमी 31.03.2022 (vi-vii-viii-ix)	351.02

बीमांकक की रिपोर्ट का अनुमोदन, केंद्रीय न्यांसी बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा दिनांक 05.03.2020 को आयोजित 226वीं बैठक में किया गया।

XIII- किसी भी शीर्ष को जोड़ना/हटाना

नीतिगत निर्णय या सांविधिक अपेक्षा के कारण कोई अनिवार्यता होने की स्थिति में, यदि नए लेखा शीर्ष को जोड़ने/हटाने की आवश्यकता होती है तो उसे सक्षम प्राधिकारी जो वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, कभनिसं होंगे, के प्राधिकार से किया जाएगा।

हस्ता/-

(हेमंत जैन)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता/-

(नीलम शर्मा राव)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

(परिशिष्ट-ए)

विलंबित भुगतान पर ब्याज का दावा करने के संबंध में ब्याज एवं परिपक्वता की बकाया चूक की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण- 31 मार्च, 2022

क्र. सं.	स्थापना का नाम	चूक में (प्रतिभूति का अंकित मूल्य) मूल	ब्याज देय, परंतु प्राप्त नहीं	वर्तमान स्थिति
1.	मैसर्स उत्तर प्रदेश वित्तिय निगम (1 अप्रैल, 2004 से)	शून्य	58,53,43,859.00	i) ईपीएफओ ने मैसर्स यूपीएफसी द्वारा जारी बांडों/प्रतिभूतियों में निवेश किया है जिसका अंकित मूल्य रु. 25 करोड़ है। जारिकर्ता 2004 से ब्याज के भुगतान में चूक कर रहा है। ii) बकाया की वसूली के लिए माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ में रिट याचिका दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने 22.02.2011 को एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसमें मैसर्स यूपीएफसी को अधिकतम छह महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को मूल राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। iii) यूपीएफसी के माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश (लखनऊ बैंच) के मूल राशि के भुगतान हेतु अंतरिम आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या 1760 द्वारा उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका फाइल की गई थी। iv) माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच, इलाहाबाद में आदेश दिनांक 27.07.2018 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पक्ष में निर्णय दिया है। v) केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (डब्ल्यू पी संख्या 1760) में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच के आदेश में दिए निर्देश का पालन करते हुए, यूपीएफसी ने 27.08.2018 को रुपये 25 करोड़ की मूल राशि का भुगतान कर दिया है। vi) स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, संरक्षक ने ईमेल दिनांक 07.09.2018 तथा क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने ईमेल दिनांक 10.09.2018 द्वारा पुष्टि की है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने यूपीएफसी सिक्योरिटीज से संबंधित 25 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। vii) इसके अलावा मैसर्स यूपीएफसी ने ईपीएफओ द्वारा दावा की गई ब्याज राशि के मुकाबले केवल 05.12.2018 को 27,60,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान

			किया है, जो कि 27.10.2018 को 54,33,03,987.16 रुपये था। viii) ईपीएफओ ने पत्र दिनांक 10.05.2019 के माध्यम से फिर से प्रमुख सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य, सिविल सचिवालय, लखनऊ को बकाया ब्याज राशि के शीघ्र भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध किया है।
2.	मैसर्स एण्ड रिचर्ड कूडास (आरसीएल) (मार्च, 2002 से)	4,47,68,281.35	i) क.भ.नि.सं. ने देयों की वसूली हेतु रिट याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता ने क.भ.नि.सं. से निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। क.भ.नि.सं. ने एस सी बी को दिनांक 25.07.2014 को पत्र द्वारा अधिवक्ता से उन कागजातों को एकत्र करने के लिए कहा जिसमें यह दिखाया गया है कि क.भ.नि.सं. ने संपूर्ण देयों की वसूली हेतु रिचर्डसन एंड कूडास लिमिटेड (आरसीएल) के संबंध में वर्ष 1992 के बीआईएफआर मामला संख्या 509 में अपना दावा फाइल किया है। ii) मामले को हल करने के लिए हमारे पत्र दिनांक 19.09.2016 तथा दिनांक 17.03.2017 द्वारा विलंबित देयों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया गया है। iii) पत्र दिनांक 22.05.2017 तथा दिनांक 09.11.2017 द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (आर एंड सी एल) के साथ और संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 31.05.2018 द्वारा बकाया ब्याज के भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले को उठाया गया है। संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को एक अनुस्मारक पत्र दिनांक 05-04-2019 को बकाया ब्याज राशि के शीघ्र भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ भेजा गया है, एससीबी, कस्टोडियन को अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

3.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी) बीआईएफ आर मामला (1996 से)	3,82,00,285.42	i) सिटी सिविल न्यायालय, बंगलौर में वसूली मुकदमे दायर किए गए हैं। एच एम टी ने एसआईसीए की धारा 22 के अंतर्गत आगे की कार्यवाही पर स्टे हेतु एक आवेदन फाइल किया है। अधिवक्ता को बीआईएफ आर पर राय प्रस्तुत करने तथा स्टे ऑर्डर को चुनौती देने और स्थिति रिपोर्ट से अवगत करवाने के लिए दिनांक 09.05.2013, 16.08.2014, 27.03.2015 तथा 05.05.2016 को पत्र जारी किया गया है। पत्र दिनांक 29.05.2018 तथा 02.05.2019 द्वारा मामले की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर को भी अनुस्मारक जारी किया गया है। मेसर्स एचएमटी लिमिटेड से देय राशि की वसूली के लिए सूट फाइलों की अद्यतन स्थिति प्रदान करने के लिए आर ओ, पीन्या को दिनांक 22.02.2022 को एक पत्र भेजा गया था। ii) पत्र दिनांक 25.02.2022 के माध्यम से, आर ओ पीन्या ने सूचित किया है कि सीबीटी, ईपीएफ द्वारा दायर किए गए मुकदमे को माननीय XXX अपर सिटी सिविल एंड सेशन जज बैंगलुरु के आदेश दिनांक 20/03/2020 द्वारा खारिज कर दिया गया है। iii) इसके अलावा, आर ओ, पीन्या ने सूचित किया है कि वह कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय, बैंगलुरु के आदेश दिनांक 20/03/2020 के खिलाफ एक और अपील यानी रिट याचिका या नियमित प्रथम अपील पैनल अधिवक्ता के परामर्श से दायर करने की संभावनाओं की तलाश कर रहा है और इस संबंध में कानूनी राय भी मांग रहा है।	
4.	मेसर्स पीएसआईडीसी (2014 से)	2,26,00,000.00	1,10,77,776.69	i) अध्यक्ष, पी एस आई डी सी को अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 12.12.2014 द्वारा चूक राशि की वसूली हेतु कहा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को लंबित देय भुगतानों को के.न्या.बो. क.भ.नि. को प्रेषित करने के लिए दिनांक 19.04.2016 को अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया है।

				ii) इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को 16.08.2016 को अनुस्मारक भी भेजा गया है। iii) चूंकि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः सभी संबंधित देय भुगतानों के तुरंत प्रेषण के लिए मैसर्स पी एस आई डी सी द्वारा जारी बांड पर उनकी गारंटी पूर्ण करने के लिए मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने के लिए आवश्यक निदेश जारी करने के लिए गवर्नर, आर बी आई को दिनांक 03.02.2017 को अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया है। iv) इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 15.03.2017, 13.07.2017 तथा 05.02.2018 को तथा 21.05.2019 द्वारा अनुस्मारक जारी किया गया है और मुख्य सचिव, वित्त, पंजाब सरकार को 05.02.2018 तथा 21.05.2019 को अनुस्मारक जारी किया गया है। दिनांक 18.03.2020 को प्रबंधन निदेशक, पीएसआईडीसी को एक अर्ध शासकीय पत्र भी जारी किया गया है। v) ईपीएफओ को देय राशि जल्द से जल्द भेजने के लिए एमडी, पीएसआईडीसी को दिनांक 03.03.2022 को एक पत्र भेजा गया था। हमारे पत्र दिनांक 03.03.2022 के प्रत्युत्तर में मैसर्स पीएसआईडीसी से दिनांक 01.04.2022 का एक पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में, मैसर्स पीएसआईडीसी ने केवल मूल राशि पर देय राशि का निपटान करने की पेशकश की।
5.	मैसर्स पंजाब फाइनेंशियल कांफ़रेंसिंग (2014 से)	57,20,000.00	9,51,876.81	i) अध्यक्ष, पी एफ सी को अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 12.12.2014 द्वारा चूक की राशि की वसूली हेतु कहा गया है। इसके अलावा सभी संबंधित देय भुगतानों को के.न्या.बो. क.भ.नि. को प्रेषित करने के लिए मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 19.04.2016 को एक अर्ध शासकीय पत्र जारी किया गया है। ii) मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 16.08.2016 को पुनः अनुस्मारक भी जारी किया गया है।

				iii) चूंकि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः सभी लंबित देय भुगतानों के तुरंत प्रेषण के लिए मैसर्स पी एफ सी द्वारा जारी बॉन्ड पर उनकी गारंटी पूर्ण करने के लिए मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए गवर्नर, आर बी आई को दिनांक 03.02.2017 को अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया है। iv) इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 27-04-2017, 19-9-2017, 13-2-2018 तथा 4-12-2018, 08.05.2019 और मैसर्स पी एफ सी को 27.04.2017, 19.09.2017, 16.02.2018, पृष्ठांकन पत्र 08.05.2019 जारी किया गया है। v) पी.एफ.सी. के चंडीगढ़ कार्यालय में दिनांक 27.05.2019 को एक बैठक हुई थी जिसमें एस.सी.बी., संरक्षक के प्रतिनिधि तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्मिक उपस्थित हुए थे, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दावे को मजबूती से रखा गया। यह निर्णय लिया गया कि पी.एफ.सी. एक सचिव स्तर की बैठक सुनिश्चित करेगा और सभी बॉन्ड धारियों को इस संबंध में सूचित करेगा।
6.	मैसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेशियल सर्विस	2,24,73,00,000.00	1,59,38,79,238.92	i) सरकार ने अक्टूबर 2018 में नए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241(2) के तहत आईएल एंड एफएस बोर्ड का अधिक्रमण कर दिया। यह खंड सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए कंपनी के बोर्ड को और कुप्रबंधन से बचाने के लिए उसका अधिक्रमण करने में सक्षम बनाता है। ii) 8 फरवरी, 2019 को कम्पनिस सहित सभी डिबेंचर धारकों की ओर से डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा एनसीएलएटी के समक्ष आवेदन दायर किया गया है। माननीय एनसीएलएटी ने दिनांक 12.03.2020 के आदेश के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित कॉर्पोरेट देनदार के वितरण योजना सहित समाधान तंत्र को स्वीकार करने के साथ-साथ धारा 53 आईबीसी की योजना के अनुसार संकल्प को बनाए जाने के कुछ लेनदारों के तर्कों को भी खारिज कर दिया।

				iii) आदेश दिनांक 12.03.2020 को हिंदुस्तान जिक कर्मचारी अंशदायी कोष ट्रस्ट द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस एल पी डायरी नं 41253/2019 और एस एल पी डायरी नं 13094/2020 में चुनौती दी गई है। उसी के परिणामस्वरूप एनसीएलएटी ने आदेश दिनांक 28.09.2020 के साक्ष्य के रूप में अंतःक्रियात्मक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। iv) अब, मामला कानूनी विभाग को सौंपा गया है कि वह कम्प्लेक्स के हितों की रक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक इम्प्लीडमेंट आवेदन दायर करे, जो प्रगति पर है।
7.	मैसर्स डीएचएफएल	6,13,06,83,830.00	1,60,39,02,860.09	i) आरबीआई ने दिनांक 20/11/2019 के आदेश के द्वारा डीएचएफएल के निदेशक मंडल को हटा दिया है और श्री आर. सुब्रमण्यकुमार को प्रशासक नियुक्त किया है। एनसीएलटी, मुंबई द्वारा दिनांक 03/12/2019 के आदेश के तहत आवेदन स्वीकार किया गया है और दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 की धारा 14 के तहत परिभाषित "स्थगन" का आदेश दिया गया है। ii) इसके अलावा, एनसीएलटी ने 07 जून 2021 के आदेश द्वारा दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के संबंध में समाधान योजना को मंजूरी दी है। iii) पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत सीओसी अनुमोदित संकल्प योजना को 18 फरवरी, 2021 को आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 13 मई, 2021 को पीरामल की संकल्प योजना को मंजूरी दी। एनसीएलटी ने 7 जून 2021 को संकल्प योजना को मंजूरी दी है। iv) समाधान योजना के अनुसार, कस्टोडियन एससीबी ने डीएचएफएल में निधियों की प्राप्ति की सूचना दी है। 29.09.2021 को प्राप्त राशि का विवरण इस प्रकार है। v) समाधान योजना के अनुसार नकद में प्राप्त कुल राशि रु. 249.25 करोड़ और समाधान प्रक्रिया से प्राप्त प्रतिभूतियों का कुल अंकित मूल्य रु. 299.45 करोड़

				30.9.2021 को निवेश की गई लेकिन प्राप्त नहीं हुई कुल राशि रु. 613.07 करोड़ और देय ब्याज की राशि लेकिन प्राप्त नहीं हुई रु.160.39 करोड़। vi) इसके अलावा, जैसा कि इसीए और सलाहकार द्वारा सुझाया गया है, डीएचएफएल में निवेश के कारण हुई मूलधन की हानि की राशि को ईपीएफ योजना के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 की आय में समायोजित किया गया है।
8.	मैसर्स रिलायंस कैपिटल	शुन्य	5,34,63,83,561.65	i) डिबैचर ट्रस्टी (डीटी) मैसर्स विस्तार ने 30 नवंबर 2019 को कंपनी के खिलाफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में मूल आवेदन दायर किया है जहां निषेधाज्ञा का आदेश दिया गया है। ii) इसके अलावा ईपीएफओ ने मामले में शामिल कानूनी जटिलताओं को उजागर किया है और एमसीए, आरबीआई, सेबी और एमओएफ को आईबीसी कार्यवाही शुरू करने और ईपीएफओ और उसके ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक ऐसी अन्य कार्रवाइयों के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए अनुस्मारक जारी किए हैं। iii) आरबीआई ने दिनांक 29.11.2021 की अधिसूचना के माध्यम से मैसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) के निदेशक मंडल को अपने लेनदारों को विभिन्न भुगतान दायित्वों और गंभीर शासन संबंधी चिंताओं को पूरा करने में आरसीएल द्वारा चूक के मददेनजर हटा दिया, जिसे बोर्ड प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम नहीं है। श्री नागेश्वर राव वाई (पूर्व कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र) को आरबीआई अधिनियम की धारा 45-आईई (2) के तहत कंपनी के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। iv) रिजर्व बैंक ने 02 दिसंबर, 2021 को दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की धारा 239 की उप-धारा (2) के खंड (जडके) के साथ पठित धारा 227 के तहत माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच में रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए एक आवेदन

				दायर किया। v) एनसीएलटी के 6 दिसंबर, 2021 के आदेश के अनुसार, आरसीएल के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ("सीआईआरपी") शुरू की गई है। vi) डिबेंचर ट्रस्टी ने सूचित किया है कि उसने सभी डिबेंचर धारकों की ओर से प्रशासक को दावे का विवरण दाखिल किया है। ईपीएफओ के संबंध में दावे की राशि रु. 3,405.63 करोड़ है। vii) लेनदारों की समिति (सीओसी) की नियमित बैठकें चल रही हैं।
9.	एनआईएनएल	2,50,000.00	13,169.86	i) ई-मेल दिनांक 20.02.2021 के द्वारा मैसर्स एससीबी ने 10.45 पीसी नीलाचल इस्पात निगम एनसीडी रेड 19 फरवरी 21 एफवी आईएनआर 1000000 के संबंध में रुपए 263,169.83 के लिए ब्याज और परिपक्वता प्राप्त न होने की सूचना दी है। ii) इंडियन बैंक, डिबेंचर ट्रस्टी ने पत्र दिनांक 02.02.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि उन्होंने 31.01.2022 को एनआईएनएल द्वारा देय राशि को लेनदेन सलाहकार, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के साथ साझा किया है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.)
के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	ईपीएफओ का उत्तर
हमने 31 मार्च, 2022 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के संलग्न तुलनपत्र और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (6) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (दायित्व, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत आय एवं व्यय लेखों तथा प्राप्तियों एवं भुगतान लेखों की लेखा परीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणियों में मुख्यालय, 22 आंचलिक कार्यालय, 136 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का.), पीडीनास, क.भ.नि.अपीलीय अधिकरण, दिल्ली शामिल हैं। इनमें से, मुख्यालय, तीन आंचलिक कार्यालय, चार क्षेत्रीय कार्यालयों, क.भ.नि.अपीलीय अधिकरण तथा एक आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान के लेखों पर की गई टिप्पणियों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया। इन वित्तीय विवरणियों पर अपने लेखा परीक्षा के आधार पर, अभिमत व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।	1. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रक्रियाओं के साथ समनुरूपता, लेखा मानक और प्रकटीकरण के मानदंड आदि से संबंधित लेखांकन निरूपण पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियाँ निहित हैं। विधि अनुपालन, नियम व विनियम (औचित्य और नियमितता) और दक्षता एवं कार्यपालन पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों, यदि कोई हों, तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्ट/सी.ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।	2. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।
3. भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि लेखा परीक्षा इस प्रकार योजना बनाकर की जाए जिससे कि वित्तीय विवरणियों में गलत विवरण न होने के संबंध में उचित आश्वासन मिल सके। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणियों में परीक्षण आधार पर प्रकटित राशियों को समर्थित करने वाले प्रमाणों को परखना शामिल है। वित्तीय विवरणियों के कुल प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के अलावा, प्रबंधकों द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों तथा लेखाकरण सिद्धान्तों का निर्धारण भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत का यथोचित आधार बनेगी।	3. टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

4. लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :- (i) रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों के अनुसार हमने सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जोकि हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक था; (ii) समेकित तुलनपत्र और आय-व्यय लेखा तथा प्राप्ति-व्यय एवं भुगतान लेखा, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार तैयार किया गया है। (iii) हमारे विचार में, क.भ.नि.सं. की लेखा बहियों एवं अन्य संगत अभिलेखों की जांच के बाद यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (5) के अनुसार इनका रख-रखाव किया जा रहा है। iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:	4. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं। ए.1 पूंजी निधि और देयताएं ए.1.1 भवन निर्माण निधि (अनुसूची-12) - ₹887.25 करोड़ इस टिप्पणी पर कार्यवाई शुरू कर दी गई है और मामले में उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद निधि को ईपीएफ प्रशासन खाते में वापस लिया जाएगा। ए.1 पूंजी निधि और देयताएं ए.1.1 भवन निर्माण निधि (अनुसूची-12) - ₹887.25 करोड़ देयताओं की अनुसूची - 12 में ₹887.25 करोड़ की भवन निर्माण निधि दिखाई गई है। ईपीएफओ ने कहा कि यह निधि कार्यालय भवनों, स्टाफ क्वार्टर आदि के निर्माण के लिए प्रावधान करने के लिए बनाई गई थी और 2013-14 तक ₹887.25 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। तत्पश्चात, कोई प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि निर्माण कार्य पर व्यय वर्ष-दर-वर्ष आधार पर प्रदान किए गए पूंजीगत बजट से पूरा किया जा रहा है। लेखापरीक्षा ने पाया कि चूंकि इस निधि का अब निर्माण कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसे लेखों में वापस लिया जा सकता है। वर्ष 2019-20 के लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, ईपीएफओ ने टिप्पणी को स्वीकार किया और उत्तर दिया कि उचित प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद शेष राशि को आय और व्यय लेखों में अंतरित करने के लिए कार्यवाई शुरू की गई है। यह मुद्दा पिछले साल भी उठाया गया था (टिप्पणी संख्या ए.1) प्रबंधन ने उत्तर दिया कि
--	---

समायोजन प्रक्रियाधीन है और अगले वर्ष समायोजित किया जाएगा। तथापि, वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में कोई परिवर्तन/सुधार नहीं किया गया है। इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधानों को ₹887.25 करोड़ से अधिक बताया गया है।																			
ए.2 परिसंपत्तियां ए.2.1 अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची -24) ए.2.1.1 ईपीएफओ के नाम पर भूमि का पंजीकरण न होना और अपर्याप्त प्रकटीकरण।	ए.2 परिसंपत्तियां ए.2.1 अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची -24) ए.2.1.1 ईपीएफओ के नाम पर भूमि का पंजीकरण न होना और अपर्याप्त प्रकटीकरण।																		
<table><tr><th>क्रम सं.</th><th>अंचल/कार्यालय का नाम</th><th>भूमि का विवरण</th></tr><tr><td>1</td><td>हैदराबाद</td><td>एसवाई नंबर 276/2, ऑल्विन कॉलोनी, कुकटपल्ली, जीओ एमएस नंबर 166 दिनांक 17.06.2016</td></tr><tr><td>2</td><td>मुख्यालय</td><td>ईपीएफओ मुख्यालय, 14 भीकाजी कामा प्लेस, हुडको विशाला भवन का निर्मित कार्यालय स्थान हुडको से लीज के आधार पर खरीदा गया था लेकिन आज तक ईपीएफओ के नाम पर लीज डीड पंजीकृत नहीं हुई है। 31.03.2021 को मूल्यहास के बाद ही इस भवन की बुक वैल्यू रु. 20,29,55,497/- है।</td></tr></table> उपरोक्त तालिका में ईपीएफओ ने हैदराबाद में संपत्ति का मूल्य और गैर-पंजीकरण के कारणों को नहीं दिखाया है। साथ ही मुख्यालय भवन के संबंध में क्रय की तिथि एवं पंजीकरण न करने का कारण नहीं दर्शाया गया है। लेखों में स्टांप शुल्क/पंजीकरण की लागत का मूल्य भी दिया जाना चाहिए था लेकिन तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है। इस प्रकार, नोट्स में प्रकटीकरण अपर्याप्त है।	क्रम सं.	अंचल/कार्यालय का नाम	भूमि का विवरण	1	हैदराबाद	एसवाई नंबर 276/2, ऑल्विन कॉलोनी, कुकटपल्ली, जीओ एमएस नंबर 166 दिनांक 17.06.2016	2	मुख्यालय	ईपीएफओ मुख्यालय, 14 भीकाजी कामा प्लेस, हुडको विशाला भवन का निर्मित कार्यालय स्थान हुडको से लीज के आधार पर खरीदा गया था लेकिन आज तक ईपीएफओ के नाम पर लीज डीड पंजीकृत नहीं हुई है। 31.03.2021 को मूल्यहास के बाद ही इस भवन की बुक वैल्यू रु. 20,29,55,497/- है।	<table><tr><th>क्रम सं.</th><th>कार्यालय</th><th>उत्तर</th></tr><tr><td>1</td><td>हैदराबाद</td><td>इस संबंध में, भूमि विवरण के संबंध में हैदराबाद कार्यालय का पत्र दिनांक 31.10.2022 प्राप्त हुआ है और लेखा परीक्षा पार्टी को उनकी अगली यात्रा पर प्रदान किया जाएगा।</td></tr><tr><td>2</td><td>मुख्यालय</td><td>भूमि और विकास कार्यालय, निर्माण भवन नई दिल्ली से एनओसी प्राप्त होने पर ईपीएफओ के कार्यालय स्थान का लीज डीड हुडको के साथ निष्पादित किया जाना है। भूमि एवं विकास कार्यालय में मामला अभी विचाराधीन है।</td></tr></table>	क्रम सं.	कार्यालय	उत्तर	1	हैदराबाद	इस संबंध में, भूमि विवरण के संबंध में हैदराबाद कार्यालय का पत्र दिनांक 31.10.2022 प्राप्त हुआ है और लेखा परीक्षा पार्टी को उनकी अगली यात्रा पर प्रदान किया जाएगा।	2	मुख्यालय	भूमि और विकास कार्यालय, निर्माण भवन नई दिल्ली से एनओसी प्राप्त होने पर ईपीएफओ के कार्यालय स्थान का लीज डीड हुडको के साथ निष्पादित किया जाना है। भूमि एवं विकास कार्यालय में मामला अभी विचाराधीन है।
क्रम सं.	अंचल/कार्यालय का नाम	भूमि का विवरण																	
1	हैदराबाद	एसवाई नंबर 276/2, ऑल्विन कॉलोनी, कुकटपल्ली, जीओ एमएस नंबर 166 दिनांक 17.06.2016																	
2	मुख्यालय	ईपीएफओ मुख्यालय, 14 भीकाजी कामा प्लेस, हुडको विशाला भवन का निर्मित कार्यालय स्थान हुडको से लीज के आधार पर खरीदा गया था लेकिन आज तक ईपीएफओ के नाम पर लीज डीड पंजीकृत नहीं हुई है। 31.03.2021 को मूल्यहास के बाद ही इस भवन की बुक वैल्यू रु. 20,29,55,497/- है।																	
क्रम सं.	कार्यालय	उत्तर																	
1	हैदराबाद	इस संबंध में, भूमि विवरण के संबंध में हैदराबाद कार्यालय का पत्र दिनांक 31.10.2022 प्राप्त हुआ है और लेखा परीक्षा पार्टी को उनकी अगली यात्रा पर प्रदान किया जाएगा।																	
2	मुख्यालय	भूमि और विकास कार्यालय, निर्माण भवन नई दिल्ली से एनओसी प्राप्त होने पर ईपीएफओ के कार्यालय स्थान का लीज डीड हुडको के साथ निष्पादित किया जाना है। भूमि एवं विकास कार्यालय में मामला अभी विचाराधीन है।																	
ए.2.1.2 चालू वर्ष की अचल परिसंपत्तियों के आदि शेष और पिछले वर्ष के लेखों के अंतर पिछले वर्ष के लेखों के अंतर शेष से अचल परिसंपत्तियों के आदि शेष के सत्यापन के दौरान,	ए.2.1.2 चालू वर्ष की अचल परिसंपत्तियों के आदि शेष और पिछले वर्ष के लेखों के अंतर शेष में अंतर इस संबंध में यह कहा गया है कि सकल संपत्ति और मूल्यहास का आदि शेष																		

निम्नलिखित अंतर देखे गए थे:

क्र.सं.	अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक		(राशि लाख ₹ में)	
		2020-21 का अंत शेष (वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन 31.03.21)	2021-22 का आदि शेष (वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन 01.04.22)	अंतर	मूल्यहास
1	भूमि				
ए	लीजहोल्ड भूमि	2,290.10	2,289.94	0.16	402.03
2	भवन				
ए	भवन-कार्यालय	23,160.04	23,104.65	55.39	4,266.36
बी	लीज होल्ड भवन - कार्यालय	7,710.34	7,984.03	(-273.69)	2,123.08
3	संयंत्र मशीनरी और उपकरण	98.88	96.84	2.04	47.27
4	वाहन और मोटर कार	194.06	191.60	2.46	100.17
5	फर्नीचर एवं फिक्सचर	2,881.66	2,873.58	8.08	799.07
6	कार्यालय उपकरण	1,137.37	1,131.97	5.4	490.15
7	कंप्यूटर/पेरिफरल्स	10,516.06	10,511.54	4.52	7,220.88
8	विद्युत इंस्टॉलेशंस	570.99	570.69	0.30	153.03
9	पुस्तकालय पुस्तकें	44.08	43.86	0.22	2.46
10	नलकूप और पानी की आपूर्ति	20.64	20.41	0.23	13.12
11	अन्य अचल परिसंपत्ति	264.98	264.14	0.84	44.28
12	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	177.13	176.97	0.16	32.33
					32.17

प्रबंधन ने कहा कि समयोजन एवं संवीक्षा अगले वर्ष से मुख्यालय स्तर पर की जायेगी। समाधान न किए गए शेषों को त्वरित कार्रवाई और औचित्य की आवश्यकता है।

पिछले वर्ष के अंत शेष से बदल दिया गया है क्योंकि पिछले वर्ष के दौरान छोड़ी गई परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है। लेकिन प्रत्येक शीर्ष की निवल परिसंपत्तियों का आदि शेष पिछले वर्ष के अंत शेष के समान है जिसे तुलन-पत्र में लेखा किया जाता है। इसलिए, लेखापरीक्षा टिप्पणी का अनुपालन किया गया है और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अगले वर्ष से, सकल मूल्य और मूल्यहास का आदि शेष भी पिछले वर्षों के समापन के समान होगा। समयोजन, यदि कोई हो, उचित प्रविष्टियों के माध्यम से किया जाएगा और मुख्यालय स्तर पर इसकी जांच की जाएगी।

वर्ष 2020-21 के लिए ईपीएफओ के लेखों पर ईपीएफओ को इसी तरह का टिप्पणी (टिप्पणी संख्या ए.2.4.1) जारी की गई थी। हालांकि, ईपीएफओ द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ए.2.1.3 स्ट्रेट लाइन विधि (एसएलएम) पर मूल्यहास प्रदान न करना और चार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अमूर्त परिसंपत्ति के मूल्यहास का प्रावधान न करना।

ईपीएफओ मुख्यालय के निर्देश दिनांक 24.06.2016 के अनुसार कंपनी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट दरों पर मूल्यहास स्ट्रेट लाइन विधि पर प्रदान किया जाना है। हालांकि, यह पाया गया कि मूल्यहास को लिखित डाउन वैल्यू (डब्ल्यूडीवी) पद्धति पर लगाया गया था जिसके परिणामस्वरूप ईपीएफओ मुख्यालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

आगे यह देखा गया कि निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 के लिए अमूर्त परिसंपत्ति (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) पर मूल्यहास प्रदान नहीं किया गया था -

(राशि ₹ में)

क्ष.का.	परिसंपत्तियों की लागत	वर्ष के दौरान शामिल	कुल	मूल्यहास दर एसएलएम @ लागत पर प्रदान की जाएगी	मूल्यहास प्रदान किया जाना है	मूल्यहास वास्तव में प्रदान किया गया	वर्ष के दौरान कम प्रावधान
चेन्नई	1276296	196792	1473088	31.67%	466527	0	466527
पॉडिचेरी	232958	0	232958	31.67%	71676	0	71676
तांबरम	1037409	47920	1085329	31.67%	343726	0	343726
बेल्लोर	566803	0	566803	31.67%	179506	0	179506

ए.2.2 असमायोजित निवेश/प्रतिभूतियां

पिछले वर्ष की रिपोर्ट में, ईपीएफओ को 'समायोजन के तहत राशि' (निवेश अनुसूची संख्या 18) शीर्ष के तहत ₹1916.12 करोड़ की राशि से संबंधित टिप्पणी नं ए.2.1 ईपीएफओ को जारी की गई थी और ईपीएफओ ने उत्तर दिया कि अंतर का विवरण समाधान प्रक्रिया के पूरा होने के बाद प्रदान किया जाएगा। चूंकि कुल दस्तावेजों के साथ मिलान प्रविष्टियों के साथ निवेश में मिलान शीर्ष के तहत समूहीकृत विवरण के साथ आंकड़ों का विवरण/श्रेणियां लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था, यह मिलान के तहत दिखाई गई राशि की सटीकता और पारदर्शिता के बारे में

ए.2.1.3 स्ट्रेट लाइन विधि (एसएलएम) पर मूल्यहास प्रदान न करना और चार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अमूर्त परिसंपत्ति के मूल्यहास का प्रावधान न करना।

क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और वर्ष 2022-23 से आगे के समेकित वार्षिक लेखों के संकलन के लिए स्ट्रेट-लाइन विधि (एसएलएम) का पालन किया जाएगा।

ए.2.2 असमायोजित निवेश/प्रतिभूतियां

वर्ष 2022 में वार्षिक लेखा 2020-21 एवं 2021-22 का अंकेक्षण पूर्ण कर लिया गया है तथा सीएजी को दिये गये आश्वासनों को वार्षिक लेखा 2022-23 में क्रियान्वित किया जायेगा।

आगे, इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि सभी अंचल कार्यालयों को 'छूट रद्द करने पर प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)' का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए थे। यह पाया गया है कि कुछ क्षेत्रीय

आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

इसके अलावा, इस टिप्पणी के संबंध में, वर्ष 2021-22 के लेखों के लेखा परीक्षा के दौरान ईपीएफओ ने उत्तर दिया कि समाधान के तहत राशि की पहचान की गई है और वार्षिक लेखों 2021-22 में सुधार किया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2021-22 के लेखों में, ईपीएफओ ने शीर्ष 'समायोजन के तहत राशि' के तहत ₹(-)151.47 करोड़ की राशि दिखाई है, जो कि शीर्ष 'छूट को रद्द करने पर प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)' में दिखाए गए ₹(-) 2067.60 करोड़ की प्रविष्टि द्वारा निकाली गई है। हालांकि, मिलान प्रविष्टियों के साथ निवेश में मिलान शीर्ष के तहत दर्ज किए गए विवरणों के साथ आंकड़ों का विवरण/श्रेणियां सहायक दस्तावेजों के साथ अभी भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

इसके अभाव में, लेखापरीक्षा मिलान के तहत दर्शाई गई राशियों की सटीकता और पारदर्शिता के बारे में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

ए.2.3 निवेश (अनुसूची - 25 और 29)

अनुसूची संख्या 25 और 29 की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विशेष जमा खाते में निवेश की राशि में अंतर था जैसा कि खातों में दिखाया गया है, और जैसा कि वेतन और लेखा कार्यालय द्वारा पुष्टि की गई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

अनुसूची संख्या	लेखों में दिखाई गई राशि	वेतन और लेखा कार्यालय द्वारा सूचित राशि	अंतर
25 -ईपीएफ प्रशासन निधि - निवेश विशेष जमा लेखा	28,828.78	28,836.40	-7.62
29 -ईडीएलआई प्रशासन निधि - निवेश विशेष जमा लेखा	3,754.41	3,752.08	2.33

(राशि करोड़ ₹ में)

इसी तरह की टिप्पणी (टिप्पणी संख्या ए.2.3) पिछले साल भी जारी की गई थी और ईपीएफओ

कार्यालयों ने 2020-21 के वार्षिक लेखा में पिछले वर्षों की कुछ प्रतिभूतियों को बुक किया है और कुछ ने बताया है कि पिछले संचय के लिए नकद में प्राप्त राशि को गलत तरीके से अनुबंध में प्रतिभूतियों के रूप में दर्ज किया गया था। उन्हें वार्षिक लेखा 2021-22 में सुधार करने का निर्देश दिया।

उपरोक्त प्रक्रिया में, कुल प्रतिभूतियां रुपये -1,650.98 करोड़ (-2,067.59+ 416.61) वर्ष 2021-22 के दौरान सूचित किया गया था, इसलिए कुल राशि रु. (-)2,067.59 करोड़ को वर्ष 2021-22 के दौरान मिलान की गई राशि के रूप में दिखाया गया था। -151.47 करोड़ (2,067.59-1916.12) रुपये के मिलान की प्रक्रिया शुरू किया गया है और उपरोक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद वार्षिक लेखा 2022-23 में आवश्यक समायोजन किए जाएंगे। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए प्रतिभूतियों का विवरण लेखापरीक्षा को उनके अगले दौर के दौरान प्रदान किया जाएगा।

ए.2.3 निवेश (अनुसूची - 25 और 29)

अनुसूची 25- ईपीएफ प्रशासन निधि निवेश- विशेष जमा लेखा के तहत 7.62 करोड़ रुपये का अंतर और अनुसूची 29- ईडीएलआई प्रशासन निधि निवेश- विशेष जमा लेखा के तहत 2.33 करोड़ रुपये का अंतर वर्ष 1989 से 1999 की अवधि से संबंधित है।

2. इस संबंध में, ईपीएफओ ने पहले ही पत्र दिनांक 16.09.2013, 26.09.2013, 30.10.2013 और 03.01.2014 के माध्यम से लेखा नियंत्रक, पीएओ (एमएस), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को उक्त अवधि अर्थात जनवरी 1989 से आगे का बैंक विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा था।

3. उपरोक्त पत्रों के जवाब में, पीएओ (एमएस), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पत्र दिनांक 07.01.2014 के माध्यम से सूचित किया कि आपके कार्यालय द्वारा आवश्यक बैंक स्टेटमेंट/क्रेडिट स्कॉल बहुत पुराने हैं और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ ट्रेस करने योग्य नहीं हैं। तथापि, उन्होंने बैंक स्कॉल और इस

ने उत्तर दिया कि शेष राशि के अंतर के समाधान के लिए मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया जाएगा। हालांकि, ईपीएफओ द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

कार्यालय द्वारा बुक किए गए ईपीएफआईएलआई लेखों के आंकड़ों के मिलान के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया।

4. तदनुसार, बैंकिंग अनुभाग के तीन संबंधित अधिकारियों को समायोजन के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। हालांकि, अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पास कोई रिकॉर्ड, स्कॉल और ब्रॉड शीट उपलब्ध नहीं है। इसलिए, ईपीएफओ ने पत्र दिनांक 17.06.2014 के माध्यम से आरबीआई के साथ मुद्दों को उठाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से अनुरोध किया।

5. ईपीएफओ के दिनांक 17.06.2014 के पत्र के जवाब में, पीएओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पत्र दिनांक 23.06.2014 के माध्यम से इस मुद्दे को सीधे आरबीआई के पास ले जाने का निर्देश दिया।

तदनुसार, ईपीएफओ ने दिनांक 01.08.2014 के पत्र के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक से उन चालानों की प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जिनके माध्यम से जनवरी 1989 से 13.05.1999 तक आरबीआई के पास राशि जमा की गई थी ताकि यह कार्यालय ईपीएफ प्रशासन में 7.62 करोड़ रुपये और ईडीएलआई प्रशासन में 2.33 करोड़ रुपये के अंतर का समाधान कर सके।

6. ईपीएफओ के पत्र के जवाब में, आरबीआई ने दिनांक 08.08.2014 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि आरबीआई के पास जमा किए गए चालान का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि चालान तुरंत आरबीआई के संबंधित विभाग को भेजे जाने थे, और इस प्रतिक्रिया को भी पत्र दिनांक 04.09.2014 के माध्यम से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, असमाशोधित राशि को समायोजित करने के लिए पहले के रिकॉर्ड को प्रदान करने के लिए इस मामले को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और पैरा को हटाने के लिए सभी उल्लिखित रिकॉर्ड ऑडिट टीम को प्रदान किए जाएंगे।

ए.2.4 लोक लेखों में निवेश (अनुसूची संख्या 20 और 22) पिछले वर्ष की रिपोर्ट में, टिप्पणी सं.2.2 लोक लेखों में निवेश से संबंधित (अनुसूची 20 और 22) ईपीएफओ को जारी की गई थी और ईपीएफओ ने वर्ष के दौरान निवेश की गई राशि या परिशोधन की लागत को सत्यापित करने के लिए सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए थे। चूंकि सभी सहायक दस्तावेजों के साथ विस्तृत अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे, उक्त राशि को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। यह भी वर्ष 2019-20 में इंगित किया गया था। इसके अलावा, इस टिप्पणी के संबंध में, वर्ष 2021-22 के लिए लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, ईपीएफओ ने केवल अनुसूची संख्या 20 पर टिप्पणी के संबंध में उत्तर दिया, हालांकि, उत्तर के साथ आवश्यक सहायक दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए हैं। इस संबंध में, उचित दस्तावेजों के अभाव में लेखापरीक्षा राशि का सत्यापन नहीं कर सका। इसे देखते हुए, लेखापरीक्षा वार्षिक लेखों की अनुसूचियों 20 और 22 में लोक लेखा में निवेश शीर्ष के अंतर्गत आने वाली राशियों की सत्यता को सत्यापित करने में असमर्थ है।	ए.2.4 लोक लेखों में निवेश (अनुसूची संख्या 20 और 22) वार्षिक लेखा 2019-20 में परिशोधन की लागत के तहत बुक की गई राशि पिछले वर्ष के लिए एक समायोजन प्रतिष्ठि थी। आगे, केंद्र सरकार ने दिनांक 01.01.2020 को पत्र के माध्यम से वर्ष 2018-19 के लिए सार्वजनिक खाते पर ब्याज राशि को संशोधित किया है, ब्याज के अंतर को वार्षिक लेखा 2020-21 में परिशोधन के तहत दर्ज किया गया था। इस संबंध में लेखापरीक्षा दल को स्पष्टीकरण सहित सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। हालांकि, सरकार से प्राप्त सभी संलग्नक और कोई अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण, यदि आवश्यक हो, तो लेखापरीक्षा को उनके अगले दौर के दौरान प्रदान किया जाएगा।
बी. आय और व्यय लेखा बी.1 ईपीएफ अपीलीय अधिकरण, दिल्ली में प्राप्ति और भुगतान लेखा संख्या 2 त्रुटिपूर्ण प्रकटीकरण अंत शेष में प्राप्ति और भुगतान लेखा संख्या 2, कैश बुक में ₹39.62 करोड़ का कैश दर्शाता है, जबकि अनुसूची संख्या 28 (वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम) में इसी राशि को भारतीय स्टेट बैंक (बैंक शेष) के शीर्ष के तहत दिखाया गया है। इस प्रकार, अनुसूची तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा में चालू परिसंपत्तियों के शेष की प्रकृति में अंतर है जिसके समाधान की आवश्यकता है।	बी. आय और व्यय लेखा बी.1 ईपीएफ अपीलीय अधिकरण, दिल्ली में प्राप्ति और भुगतान लेखा संख्या 2 में बैंक शेष का त्रुटिपूर्ण प्रकटीकरण अनुसूची -28 में कैश और अकाउंट -2 के बैंक के अंत शेष की कुल राशि को रिकॉर्ड करने के लिए केवल एक शीर्ष है, इसलिए इसे अनुसूची -28 में सही बुक किया गया है। हालांकि, प्राप्ति और भुगतान लेखा संख्या 2 में बैंक के बजाय अनजाने में कैश के अंतर्गत अंत शेष दिखाया गया था, जिसे अगले साल ठीक किया जाएगा।
बी.2 ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि (अनुसूची - 42) पिछले वर्ष की रिपोर्ट में, ईपीएफओ को ईटीएफ सिक्योरिटीज/पिछले वर्ष की एडजस्टमेंट की बिक्री पर हानि शीर्ष के तहत ₹2890.79 करोड़ की राशि से संबंधित टिप्पणी सं.बी.6 जारी की गई थी और ईपीएफओ ने उत्तर दिया कि उपरोक्त राशि ₹0.06 करोड़ के आंकड़ों का योग है (शेष राशि की प्रतिभूतियां को ब्याज आय के रूप में गिना जा रहा है), ₹2686.51 करोड़ (पहले के वर्षों के	बी.2 ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि (अनुसूची - 42) इस संबंध में, विवरण के साथ लेखापरीक्षा दल को पहले ही जवाब दे दिया गया है कि 2020-21 के वार्षिक लेखा में दिखाया गया ₹2890.79 करोड़ रुपये की राशि, पिछले वर्ष का समायोजन था। इसके अलावा, समायोजन के निम्नलिखित सहायक दस्तावेज प्राप्त किए गए हैं।

प्रकटीकरण का सुधार) और ₹204.22 करोड़ (प्रणाली के निपटान के कारण अंतर सामने आया)। ईपीएफओ के उत्तर को लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि सभी सहायक दस्तावेजों के साथ विस्तृत अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे और राशि लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं की जा सकी थी। इसके अलावा, इस टिप्पणी के संबंध में, वर्ष 2021-22 के लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान ईपीएफओ ने बिना किसी सहायक दस्तावेज के वही जवाब प्रस्तुत किया और वर्ष 2021-22 के लेखों में, ईपीएफओ ने (-) ₹201.54 करोड़ को उसी शीर्ष के तहत दिखाया है जिसे भी सहायक दस्तावेजों के अभाव में सत्यापित नहीं किया जा सका।	1. ₹0.06 करोड़ के समायोजन के संदर्भ में मैसर्स एससीबी, कस्टोडियन के साथ संचार के ट्रेल मेल दिनांक 22-03-2021 की प्रति। 2. ₹2686.51 करोड़ के समायोजन के संदर्भ में ईमेल दिनांक 03-11-2022 की प्रति यह पुष्टि करती है कि वित्त वर्ष 2017-18 में ₹2686.51 करोड़ का रिडेम्पशन हुआ था। 3. एसबीआईएमएफ से प्राप्त ईमेल दिनांक 04-11-2022 की प्रति, जिसमें पुष्टि की गई है कि 204.22 करोड़ रुपये (लागत मूल्य) की ईटीएफ का मोचन दिनांक 30-03-2022 को किया गया था और मोचन पर, 323.16 करोड़ रुपये की राशि (जिसमें 204.22 करोड़ रुपये लागत मूल्य के रूप में और 118.94 करोड़ रुपये पूंजीगत लाभ शामिल हैं) दिनांक 05-04-2022 को 204.22 करोड़ रुपये के समायोजन के संबंध में वसूल हुई थी। वर्ष 2021-22 के दौरान भी रुपये -201.54 करोड़ का समायोजन, पिछले वर्ष के समायोजन के कारण है। ये सभी दस्तावेज ऑडिट पार्टी को उनकी अगली यात्रा के दौरान प्रदान किए जाएंगे। सी. आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट्स (अनुसूची - 45) सी.1 कर्मचारी पेंशन योजना का वार्षिक मूल्यांकन सी.1.1 वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप न देना। कर्मचारी पेंशन निधि के लिए बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है: - वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए बीमांकिक मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। 3 वर्ष (अर्थात 31-03-2020, 31-03-2021 और 31-03-2022 तक) के लिए कर्मचारी पेंशन निधि के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के लिए, निविदा मंगाई गई, तकनीकी और वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया गया और मंत्रालय को एल1 बोली लगाने वाले की सिफारिश की गई है।
सी. आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट्स (अनुसूची - 45) सी.1 कर्मचारी पेंशन योजना का वार्षिक मूल्यांकन सी.1.1 वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप न देना। लेखों पर टिप्पणियों (नोट IV) की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कर्मचारी पेंशन निधि बीमांकिक मूल्यांकन अंतिम बार केवल 31 मार्च 2017 तक किया गया था। वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक का बीमांकिक मूल्यांकन विचाराधीन/ प्रक्रियाधीन बताया गया है। नोट्स में वर्ष 2021-22 के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है। ईपीएफओ ने कहा कि 2020-21 और 2021-22 के लिए पेंशन निधि के मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार, बीमांकिक मूल्यांकन से संबंधित आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया है।	

डी जनरल

डी.1 क.भ.नि.सं. द्वारा उचित लेखों का समाधान न करना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखा प्रक्रिया मैनुअल भाग-1 जनरल के पैरा 10.6 के तहत उप-पैरा II (VII) के अनुसार, देयताओं और परिसंपत्ति दोनों पक्षों में "अवर्गीकृत उचित" के तहत लेन-देन की तारीख, राशियों का संक्षिप्त विवरण सहित दिखाए गए शेष का विवरण हर साल बैलेंस शीट में संलग्न किया जाना चाहिए। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया मदों का विश्लेषण करने और उन्हें क्लियर करने के लिए जोरदार अभियान चलाया जाना चाहिए। इस बात पर जोर दिया जाता है कि अवर्गीकृत उचित के तहत देयताओं और परिसंपत्ति दोनों पक्षों में शेष राशि को न्यूनतम रखा जाना चाहिए और उन्हें क्लियर करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि उचित लेखों के अंतर्गत बहुत अधिक शेष राशि दर्शायी गई है।

डी.1.1 ईपीएफओ, मुख्यालय

वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए उचित लेख (लेखों पर नोट संख्या VIII) में रखी गई निधियों का विवरण इस प्रकार है :-

यूनिट का नाम	विवरण	अनुसूची संख्या	आदि शेष (₹ में)	अंत शेष (₹ में)
क.भ.नि.सं. मुख्यालय, नई दिल्ली (समेकित तुलन पत्र)	वर्तमान देयताएं और प्रावधान	5	65,93,66,159.87	44,09,32,360.86
	वर्तमान देयताएं और प्रावधान	15	29,66,03,131.21	30,80,03,860.39
	वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम	19	1,27,68,85,111.74	80,76,74,908.50
	वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम	28	22,55,55,748.15	21,56,97,522.77

ईपीएफओ ने कहा कि विवरण संबंधित फील्ड कार्यालयों के पास उपलब्ध और समायोजन

डी जनरल

डी.1 क.भ.नि.सं. द्वारा उचित लेखों का समाधान न करना

इन लेन-देन का विवरण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बनाया जाता है और उनके पास उपलब्ध होता है। वर्ष 2021-22 के दौरान ईपीएफ योजना के सस्पेंस बैलेंस में लगभग 40% की कमी है।

वित्तीय वर्ष		2020-21	2021-22
ईपीएफ खाता संख्या- 1	डेबिट (संपत्ति)	127.69	80.76
	क्रेडिट (देयता)	65.94	44.09

इसके अलावा, सभी सस्पेंस खातों के तहत लंबित राशि के निपटान के लिए एक अभियान शुरू किया गया है और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक नोडल अधिकारी को इस अभ्यास को चलाने और उस अवधि के दौरान मिलान की गई राशि की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट जमा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।

डी.1.1 ईपीएफओ, मुख्यालय

इस संबंध में सभी अंचल कार्यालयों को पूर्व में ही निर्देश जारी कर दिया गया है कि वे समाशोधित राशि की कार्रवाई की गई प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रस्तुत करें। हालांकि, यह भी उल्लेख किया जाता है कि ये शेष पिछले वर्षों से संबंधित गलत डेबिट/क्रेडिट हैं और इनकी पहचान की जा रही है और इनका मिलान किया जा रहा है।

संबंधित कार्यालयों द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त उचित शेषों के गैर-समाधान/समायोजन को औचित्य की आवश्यकता है।	डी.1.2 ईपीएफओ, आंचलिक कार्यालय, वजीरपुर वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ, आंचलिक कार्यालय, वजीरपुर के वित्तीय विवरणों के अनुसार उचित लेखे में रखी गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:- <table><tr><th>यूनिट का नाम</th><th>शीर्ष</th><th>अनुसूची संख्या</th><th>01.04.2021 को आदि शेष राशि (₹ में)</th><th>31.03.2022 को अंत शेष (₹ में)</th></tr><tr><td>ईपीएफओ</td><td>वर्तमान देयताएं</td><td>5</td><td>(-) 47,29,33,302</td><td>(-) 50,29,59,312</td></tr><tr><td>आं.का., वजीरपुर, नई दिल्ली</td><td>वर्तमान देयताएं</td><td>15</td><td>21,06,154.16</td><td>15,05,979.16</td></tr><tr><td></td><td>वर्तमान परिसंपत्ति</td><td>19</td><td>9,74,81,186.93</td><td>25,86,137.33</td></tr></table>	यूनिट का नाम	शीर्ष	अनुसूची संख्या	01.04.2021 को आदि शेष राशि (₹ में)	31.03.2022 को अंत शेष (₹ में)	ईपीएफओ	वर्तमान देयताएं	5	(-) 47,29,33,302	(-) 50,29,59,312	आं.का., वजीरपुर, नई दिल्ली	वर्तमान देयताएं	15	21,06,154.16	15,05,979.16		वर्तमान परिसंपत्ति	19	9,74,81,186.93	25,86,137.33
यूनिट का नाम	शीर्ष	अनुसूची संख्या	01.04.2021 को आदि शेष राशि (₹ में)	31.03.2022 को अंत शेष (₹ में)																	
ईपीएफओ	वर्तमान देयताएं	5	(-) 47,29,33,302	(-) 50,29,59,312																	
आं.का., वजीरपुर, नई दिल्ली	वर्तमान देयताएं	15	21,06,154.16	15,05,979.16																	
	वर्तमान परिसंपत्ति	19	9,74,81,186.93	25,86,137.33																	
	डी.1.2 ईपीएफओ, आंचलिक कार्यालय, वजीरपुर आंचलिक कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को पत्र दिनांक 28.09.2022 के माध्यम से राशि की पहचान करने और उचित शीर्ष के तहत रहने के कारणों की पहचान करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बड़ी संख्या में लेन-देन को ध्यान में रखते हुए, कुछ असाधारण प्रविष्टियों को उचित लेखों में तब तक रखा जाता है जब तक कि उनकी पहचान न हो जाए। वर्ष के दौरान, उचित लेखा (अवर्गीकृत) ईपीएफ अनुसूची 19(4)(ए) में ₹ 9,48,95,049.60 की प्रविष्टियों की विधिवत पहचान की गई तथा क्रमशः क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, हल्द्वानी और दिल्ली (उत्तर) द्वारा उसका समाशोधन किया गया। उचित लेखे का मिलान करने के लिए संबंधित क्षे.का. द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में, समय-समय पर अंचल के अंतर्गत सभी क्षे.का. को बैलेंस शीट के संबंधित उचित लेखे का मिलान करने के निर्देश जारी किए गए हैं।																				
	डी.1.3 ईपीएफ अपीलीय अधिकरण, दिल्ली वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली के वित्तीय विवरणों में दर्शाए अनुसार उचित लेखे में रखी गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:- <table><tr><th>यूनिट का नाम</th><th>शीर्ष</th><th>अनुसूची संख्या</th><th>31.03.2022 को अंत शेष (₹ में)</th></tr><tr><td>सीजीआईटी (ईपीएफएटी), नई दिल्ली</td><td>वर्तमान देयताएं</td><td>15</td><td>3,84,54,481.48</td></tr><tr><td></td><td>उचित लेखा (प्रशासन निधि)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम</td><td>28(3ए)</td><td>1,00,000</td></tr><tr><td></td><td>उचित लेखा (प्रशासन निधि)</td><td></td><td></td></tr></table>	यूनिट का नाम	शीर्ष	अनुसूची संख्या	31.03.2022 को अंत शेष (₹ में)	सीजीआईटी (ईपीएफएटी), नई दिल्ली	वर्तमान देयताएं	15	3,84,54,481.48		उचित लेखा (प्रशासन निधि)				वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम	28(3ए)	1,00,000		उचित लेखा (प्रशासन निधि)		
यूनिट का नाम	शीर्ष	अनुसूची संख्या	31.03.2022 को अंत शेष (₹ में)																		
सीजीआईटी (ईपीएफएटी), नई दिल्ली	वर्तमान देयताएं	15	3,84,54,481.48																		
	उचित लेखा (प्रशासन निधि)																				
	वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम	28(3ए)	1,00,000																		
	उचित लेखा (प्रशासन निधि)																				
	डी.1.3 ईपीएफ अपीलीय अधिकरण, दिल्ली अनुसूची संख्या 15 - यह राशि अधिकरण द्वारा पारित निर्देश के तहत क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7-ओ के प्रावधानों के अनुपालन में जमा की गई राशि के संबंध में संचित समेकित ब्याज से संबंधित है। अनुसूची संख्या 28 - यह राशि पिछले वर्षों से पूर्ववर्ती ईपीएफएटी की बैलेंस शीट से परिलक्षित होती है और देश भर में 22 सीजीआईटी के साथ ईपीएफएटी के विलय के बाद सीजीआईटी-सह-एलसी नंबर 1 दिल्ली द्वारा राशि की पहचान नहीं की जा सकती है।																				

डी.1.4 ईपीएफओ, आंचलिक कार्यालय, चेन्नई

ईपीएफ लेखा सं. 1 और 2 से संबंधित परिसंपत्तियां और देयताएं दोनों में उचित लेखे के तहत शेष थे -

लेखा शीर्ष	देयताएं		परिसंपत्तियां	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
उचित लेखा (क.भ.नि.)	7,01,21,583	65,02,299	2,32,35,573	2,32,27,184
उचित लेखा (क.भ.नि. प्रशासन)	2,40,48,731	2,59,20,163	23,21,387	21,69,652

इसी प्रकार, लेखा संख्या 10, 21 और 22 के अंतर्गत उचित लेखे हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है

लेखा शीर्ष	देयताएं		परिसंपत्तियां	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
उचित लेखा (क.पे.नि.)	29,45,298	27,79,323	*(-) 55,79,828	*(-) 56,48,448
उचित लेखा क.नि.स.बी.यो.	19,03,508	18,98,820	6,75,402	6,81,952
उचित लेखा क.नि.स.बी.यो. प्रशासन	2,88,141	2,88,141	3,74,881	3,74,881

ये उचित लेखे गलत क्रेडिट और डेबिट का समायोजन न करने के कारण बनाए गए थे। (*) यह भी देखा जा सकता है कि उचित लेखे के परिसंपत्ति पक्ष को एक नकारात्मक आंकड़े के रूप में दिखाया गया था। इस संबंध में ईपीएफओ मुख्यालय नई दिल्ली ने बीएससी-1(1)-2-2-21/बैलेंस शीट/मुख्य फाइल/3162 दिनांक 25.3.2021 के माध्यम से एक परिपत्र जारी किया है और सभी अंचल कार्यालयों को बैंक अधिकारियों से संपर्क करके और बैंक में अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करके वर्ष 2020-21 के दौरान विविध क्रेडिट/डेबिट, अवर्गीकृत उचित आदि के तहत अधिकतम सीमा तक आंकड़ों को कम करने का निर्देश दिया है।

डी.1.4 ईपीएफओ, आंचलिक कार्यालय, चेन्नई

क्षे.का., अंबातूर- यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान 6,600 रुपये की राशि के लेखा संख्या 2 को छोड़कर सभी लेखों में कोई उचित लेखा नहीं है, जिसे अप्रैल 2022 में क्लियर कर दिया गया था (2 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और बुक अवार्ड के रूप में दी गई 6600/- रुपये की राशि वापस कर दी गई। इसे अप्रैल 2022 के दौरान समायोजित किया गया है। उचित लेखों के आंकड़ों को पिछली अवधि से आगे ले जाया जाता है और कार्यालय उचित लेखों का पता लगाने और उन्हें क्लियर करने का प्रयास कर रहा है।

क्षे.का. तांबरम- लेखा संख्या 2 के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि:

1. अन्य क्षे.का. को प्रेषित करने के लिए कर्मचारियों से वसूली गई 12,74,572.25 रुपये की ऋण राशि को 2017 से अंतरित नहीं किया गया है।
2. साथ ही, अप्रैल 2020 के दौरान कर्मचारियों से पीएम केयर फंड के लिए वसूली गई 1,96,007/- रुपये की राशि को अंतरित नहीं किया गया है। एकत्र की गई राशि का विवरण साझा किया गया है।

3. मार्च 2022 के दौरान जीआईएस लाभ के लिए प्राप्त 65,192 / - रुपये की राशि का अप्रैल 2022 में भुगतान किया गया है। इसलिए यह राशि अगली बैलेंस शीट में क्लियर हो जाएगी। उपर्युक्त 1 और 2 की राशियाँ हर साल जोड़ी जा रही हैं और इस तरह क्रेडिट बढ़ रहा है।

लेखा संख्या 2,10,21 और 22 के संबंध में त्रुटिपूर्ण डेबिट क्रेडिट के तहत पड़ी शेष राशि के समायोजन के लिए रिकॉर्ड का सत्यापन किया जा रहा है।

क्षे.का., वेल््लोर- ने सूचित किया है कि लेखा संख्या 1,2,10,21 और 22 में त्रुटिपूर्ण डेबिट / त्रुटिपूर्ण क्रेडिट के तहत जमा शेष राशि के समायोजन के लिए पिछले वर्षों से संबंधित रिकॉर्ड का सत्यापन किया जा रहा है।

लेखा संख्या 2 में, 2021-22 की बैलेंस शीट में 30,675.67 रुपये का एक गलत डेबिट देखा गया है और एसबीआई, मुख्य शाखा, वेल््लोर को एक पत्र/सलाह जारी की गई है जिसमें उनसे प्रविष्टि को रिवर्स करने का अनुरोध किया गया है।

डी.2 वर्ष 2021-22 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त क्रेडिट

समेकित वित्तीय विवरणों की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि अतिरिक्त क्रेडिट के कई उदाहरण हैं। वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए अतिरिक्त क्रेडिट का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम सं.	विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2022 को शेष राशि (₹ में)
1	लेखा संख्या 5 में अतिरिक्त क्रेडिट (ईपीएफ अंशदान लेखा - केंद्रीय)	5 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	1,54,95,52,666.19
2	लेखा संख्या 21 में अतिरिक्त क्रेडिट (ईडीएलआई अंशदान लेखा - क्षेत्रीय)	9 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	3,55,99,097.37
3	लेखा संख्या 25 में अतिरिक्त क्रेडिट (ईडीएलआई अंशदान लेखा - क्षेत्रीय)	9 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	9,64,43,612.21
4	आरबीआई लेखों में अतिरिक्त क्रेडिट	9 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	13,44,061.55
5	लेखा संख्या 8 में अतिरिक्त क्रेडिट (स्टाफ भविष्य निधि लेखा)	15 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	3,21,85,494.88
6	लेखा संख्या 9 में अतिरिक्त क्रेडिट (स्टाफ पेंशन सह ग्रैजुएट लेखा)	15 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	8,29,780.00
7	लेखा संख्या 22 में अतिरिक्त क्रेडिट (ईडीएलआई प्रशासनिक प्रभार लेखा - क्षेत्रीय)	17 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	1,35,73,799.69
8	लेखा संख्या 24 में अतिरिक्त क्रेडिट (ईडीएलआई प्रशासनिक प्रभार लेखा - केंद्रीय)	17 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	4,83,77,675.89
कुल			1,77,79,06,187.78

डी.3 2021-22 लेखों में पिछले वर्ष की शेष राशि के कैरी-ओवर में विसंगतियां।

क.भ.नि.सं., आंचनिक कार्यालय, चेन्नई के 2021-22 के वार्षिक लेखों में, यह पाया गया कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 31.03.21 को अंत शेष और दिनांक 1.4.21 को आदि शेष के बीच विसंगतियां थीं।

(राशि ₹ में)

शीर्ष	31.03.2021 को अंत शेष	01.04.2021 को आदि शेष
ईपीएफ निवेश (अनुसूची 18)	3,21,61,32,23,874.82	3,41,61,56,67,075.39
ईपीएफ निवेश (अनुसूची 20)	00	20,22,97,84,612.14
ईपीएफ निवेश (अनुसूची 22)	00	95,90,13,723.55
ईपीएफ प्रशासन निधि (अनुसूची 25)	00	1,63,45,63,713.48
ईपीएफ प्रशासन निधि (अनुसूची 9)	00	2,15,34,578.00

डी.2 वर्ष 2021-22 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त क्रेडिट

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि 2017 से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय के आधार पर राशि एकत्रित की जाती थी। बड़ी मात्रा में लेन-देन (प्रति वर्ष लगभग 2.5 करोड़) के कारण बैंक लेखों में कुछ गलत डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियाँ हुईं, जो पिछले वर्ष की अनुसूची प्रविष्टियों में देखी जा सकती हैं और पुराने रिकॉर्ड की अनुपलब्धता और विभिन्न अन्य कारणों से अभी भी असमायोजित हैं।

इस मामले में आगे कार्यवाही और इन शेष राशियों के शीघ्र निपटान के लिए मुख्य कार्यालय के संबंधित विभाग और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक नोडल अधिकारी को प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।

डी.3 2021-22 लेखों में पिछले वर्ष की शेष राशि के कैरी-ओवर में विसंगतियां।

इस संबंध में, सूचित किया जाता है कि इन नए शीर्षों को, सामान्य प्रारूप में परिवर्तन के कारण जोड़ा गया है। पहले लेखा-10, लेखा -21 और लेखा -22 की बैलेंस शीट तैयार नहीं होती थी।

यह क्षेत्रीय लेखों से केंद्रीय लेखों (केंद्रीकृत प्राप्तियां + लेखा-1/2/10/21/22 से लेखा-5/4/11/25/24 में राशि अंतरण) और केंद्रीय लेखों से क्षेत्रीय लेखों (लेखा -5/4/11/25/24 से लेखा-1/2/10/21/22 तक) में किया गया शुद्ध अंतरण है। वर्ष 2020-21 के दौरान, इन राशियों को अनजाने में संबंधित योजनाओं की चालू परिसंपत्तियों एवं चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया था, जिसे वार्षिक लेखा 2021-22 में संशोधित किया गया है।

ई. सहायता अनुदान

ई.1 योजनाओं के तहत सहायता अनुदान

ईपीएफओ का वित्तपोषण मुख्य रूप से अंशदान से प्राप्तियों और प्रशासनिक प्रभारों की वसूली से किया जाता है। ईपीएफओ को भारत सरकार से न तो पीएमआरपीवाई और पीएमजीकेवाई (योजनाओं) का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और न ही इसका उपयोग हुआ क्योंकि योजनाएं बंद हो गईं। हालांकि, केंद्र सरकार से क.पै.यो.-1995 के तहत ₹1000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई), आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) की योजनाओं के लिए सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है।

प्राप्त और उपयोग किए गए अनुदानों का विवरण इस प्रकार है:-

राशि (करोड़ ₹ में)

योजना का नाम	01.04.2021 को आदि शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त	कुल अनुदान	अनुदान का उपयोग किया गया	अनुदान जिसका उपयोग नहीं किया गया
पीएमआरपीवाई	108.52	250.00	358.52	291.81	66.71
एबीआरवाई	405.03	4180.00	4585.03	3536.36	1048.67
क.पै.यो.-1995 (सरकार का शेयर@1.16%)	शून्य	17359.20	17359.20	17359.20	शून्य
क.पै.यो.- 1995 के तहत 1000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन	शून्य	1135.42	1135.42	1119.13	16.29 (सरकार को रिफंड किया गया)
कुल	513.55	22924.62	23438.17	22306.50	1131.67

ई. सहायता अनुदान

ई.1 योजनाओं के तहत सहायता अनुदान तथ्यात्मक होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं।

एफ. प्रबंधन पत्र वे कमियां जिन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से ईपीएफओ के प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।	एफ. प्रबंधन पत्र कोई टिप्पणी नहीं।
जी. प्रतिक्रिया की कमी ईपीएफओ का प्रबंधन, निर्धारित अवधि के भीतर मसौदा पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का जवाब देने में विफल रहा। लेखापरीक्षा के दौरान, पिछले वर्ष की टिप्पणियों पर मांगी गई नवीनतम स्थिति का उत्तर प्राप्त हुआ और रिपोर्ट में शामिल किया गया है। v. पिछले पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि बैलेंस शीट, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखे इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए लेखों की किताबों के साथ तारतम्य में हैं। vi. हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और टिप्पणी संख्या ए.2.2, ए.2.4 और बी.2, को ध्यान में रखते हुए जबकि हम इन मामलों और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों पर राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं: क. जहां तक वे 31 मार्च 2022 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मामलों की स्थिति की बैलेंस शीट से संबंधित हैं; तथा ख. जहां तक वे उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय लेखे से संबंधित हैं।	जी. प्रतिक्रिया की कमी सीएजी टिप्पणियों पर ईपीएफओ के अंतिम उत्तर, देश भर के विभिन्न संबंधित कार्यालयों से स्पष्टीकरण/जवाब प्राप्त करने के बाद संकलित की जाती हैं, जिसमें काफी समय लगता है। इसलिए, सीएजी द्वारा निर्धारित एक सप्ताह की निर्धारित अवधि के भीतर ड्राफ्ट एसएआर का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

-हस्ता-
(संजय कुमार झा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केंद्रीय व्यय)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-10-2022

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता i. ईपीएफओ मुख्यालय ने ईपीएफओ मुख्यालय सहित 103 इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई थी। 103 इकाइयों में से 94 इकाइयों की वास्तव में 2021-22 के दौरान ईपीएफओ के लेखा परीक्षा विंग द्वारा लेखा परीक्षा की गई। ii. बकाया आपति पर अनुवर्ती कार्रवाई प्रभावी नहीं थी क्योंकि 31 मार्च 2022 तक 21441 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा बकाया थे। iii. आंतरिक नियंत्रण की सार्थक प्रक्रिया के अनुसार, सिस्टम की कमियाँ और संगठन में अन्य त्रुटियाँ और कमियों का आकलन करने के लिए सभी संगठनों में आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करना आवश्यक है। इसके अलावा, जीएफआर के नियम 236(i) और 245(3) के अनुसार, लेखापरीक्षित संगठन के लेखे डीपीसी अधिनियम के तहत सीएजी द्वारा निरीक्षण के लिए और पीएओ/मंत्रालय/विभाग या अन्य संस्थान द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए भी खुले हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लेखों की लेखा परीक्षा एक आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा की जानी चाहिए। हालांकि, वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ/मुख्यालय में आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई। कुल 21441 पैरा अभी भी बकाया हैं, जिनका शीघ्र निपटान आवश्यक है। iv. ईपीएफओ द्वारा (पश्चिम) की आंतरिक लेखा परीक्षा ने 2021-22 तक लेखा परीक्षा की है। तथापि, पिछली आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 83 पैरा बकाया हैं।	1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता i. तथ्यात्मक होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं। ii. बकाया आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा को हटाने के लिए: - (i) लेखापरीक्षा प्रभाग ने समिति-बी और समिति-ए से संबंधित पैरा उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालय को एक पत्र परिचालित किया (एफआईएससी परिपत्र दिनांक 07.07.2020 के अनुसार जो पैरा को हटाने से संबंधित है) और समिति-सी के बकाया पैरा को जल्द से जल्द हटाने के लिए 31.10.2022 से पहले समिति-सी की बैठक आयोजित करने के लिए सभी जोनल कार्यालय को पत्र जारी किए जा चुके हैं। iii. अनुमोदित दौरा कार्यक्रम दिनांक 26.10.2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए मुख्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा दिनांक 01.11.2022 से 26.11.2022 तक निर्धारित की गई थी। iv. कार्रवाई की जा रही है।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता i) निवेश सॉफ्टवेयर और उसका संचालन जैसा कि पैरा में ही उल्लेख किया गया है, सॉफ्टवेयर के संचालन में मानवीय त्रुटियों को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर में अनिवार्य नियंत्रण और सत्यापन लागू किए गए हैं और इस तरह की अनिवार्य नियंत्रण और सत्यापन के लिए सॉफ्टवेयर में संशोधन किए गए हैं। ii) निवेश के नियमित समायोजन के लिए अपर्याप्त प्रणाली यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के तुलन पत्र में असमाशोधित शेष,	2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता i) निवेश सॉफ्टवेयर और उसका संचालन पिछले वर्ष के दौरान पिछले वर्षों में देखी गई त्रुटियों के लिए निवेश सॉफ्टवेयर में कुछ सुधारों के संबंध में टिप्पणी जारी की गई थी। रिकॉर्ड में निर्दिष्ट इन त्रुटियों का विवरण निवेश सॉफ्टवेयर में गलत रिपोर्टिंग और कुछ अन्य त्रुटियाँ हैं। निवेश सॉफ्टवेयर को फुल प्रूफ नहीं बताया गया था और इसमें अनिवार्य जांच और सत्यापन का अभाव था। विभाग ने उत्तर दिया कि इसी तरह की त्रुटियों को रोकने के लिए आवश्यक जांच और सत्यापन को सॉफ्टवेयर में शामिल किया गया है और समायोजन प्रक्रिया को मजबूत किया गया है। ईपीएफओ ने पिछले एसएआर के जवाब में आगे कहा कि 2 स्तरीय समायोजन शुरू किया गया है। सॉफ्टवेयर में एडिट फंक्शनलिटी, कूपन फ्रीक्वेंसी, कोड मर्जर, कस्टोडियन सिस्टम में मर्जर फीचर्स पेश किए गए हैं। ii) निवेश के नियमित समायोजन के लिए अपर्याप्त प्रणाली निवेशों में असमायोजित शेष राशि के संबंध में बार-बार लेखा परीक्षा टिप्पणियों के मददेनजर,

ईपीएफओ ने 2020-21 के दौरान इन शेष राशि का मिलान किया है। बार-बार अनुसूचका शेष के बावजूद, विभाग ने सभी निवेशों का समाधान नहीं किया है। चूंकि भविष्य में भी इसी तरह के असंगत शेषों की पुनरावृत्ति की संभावना है, इसलिए निवेश के विभिन्न खंडों के तहत शेष राशि के नियमित समाधान के लिए गवर्निंग परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित एक उचित लेखा नीति की आवश्यकता है। उपरोक्त टिप्पणियों को 2020-21 की अवधि के लिए पिछले एसएआर में भी सूचित किया गया था।	निवेश के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्रतिवेदित छूट को रद्द करने पर प्रतिभूतियों के अंतरण की राशि तथा जोनल कार्यालय द्वारा वार्षिक लेखा में प्रतिवेदित राशि के अंतर के कारण है। इस संबंध में, निवेश प्रभाग ने समाधान के लिए सभी अंचल कार्यालयों को निधि प्रबंधकों/अभिरक्षक/एसबीआई, एमएमबी से प्राप्त प्रतिभूतियों की स्वीकृति की पुष्टि के आधार पर, प्राप्त प्रतिभूतियों (स्वीकृत मूल्य) की वास्तविक प्राप्ति का विवरण प्रदान किया था। इसके अलावा, जैसा कि उपरोक्त पैरा (A.2.2 असमाधानित निवेश/प्रतिभूति) में उल्लेख किया गया है, प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है और वित्त वर्ष 2022-23 में इसका समाधान किया जा सकता है।
(iii) ईपीएफओ ने बुनियादी लेखा सिद्धांतों का पालन नहीं किया और एकल प्रविष्टि प्रणाली पर एमएस एक्सेल कार्यक्रम के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए जा रहे थे जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक लेखों में नकारात्मक प्रविष्टियां हुईं। (iv) उनकी फील्ड यूनिटों के साथ-साथ क.भ.नि.सं. मुख्यालय में ड्रायल बैलेंस और शीर्षवार लेखा बही तैयार नहीं की जा रही थी।	iii) ईपीएफओ लेखांकन के सभी बुनियादी सिद्धांतों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा स्वीकृत और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का पालन करता है। iv) ईपीएफओ लेखांकन सॉफ्टवेयर को लेने की प्रक्रिया में है। कार्य योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में इसके लागू होने की संभावना है। इसकी उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है और लेखा इकाइयों से संबंधित सभी मुद्दों को लेज़र और ड्रायल बैलेंस आदि के संबंध में ठीक से बनाए रखा जाएगा।
3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली i. ईपीएफओ मुख्यालय की अंचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन 2021-22 के दौरान आयोजित किया गया। ii. क्षेत्रा दिल्ली (पश्चिम और दक्षिण) में अंचल संपत्तियों और इन्वेंट्री / स्टोर का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।	3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली i. तथ्यात्मक होने के नाते कोई टिप्पणी नहीं। ii. क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (दक्षिण) और दिल्ली (पश्चिम) को ई-मेल दिनांक 02.11.2022 के माध्यम से अंचल संपत्तियों और इन्वेंट्री / स्टोर के भौतिक सत्यापन के कार्य को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने और समिति की रिपोर्ट सहायक दस्तावेजों के साथ, अंचल कार्यालय को भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं।
iii. 2017-18 तक जेडटीआई, चेन्नई की अंचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था 4. इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली वर्ष के दौरान ईपीएफओ मुख्यालय के संबंध में उपभोग्य सामगियों और स्टेशनरी के संबंध में भौतिक सत्यापन किया गया है।	iii. कार्यवाई की जा रही है। 4. इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली तथ्यात्मक होने के नाते कोई टिप्पणी नहीं।
5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता लेखों के अनुसार, 31.03.2022 को सांविधिक देय राशियों के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था।	5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता तथ्यात्मक होने के नाते कोई टिप्पणी नहीं।

प्रबंधन पत्र का अनुलग्नक

1. वर्तमान देयताएं और प्रावधान 1.1 ईपीएफ अंशदान निधि की अनुसूची - 5 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान) - सदस्यों के खाते में 'सरकार से विकासांग योजना के लिए अग्रिम' मद के तहत ₹44.07 लाख की राशि शामिल है। हालांकि, इस प्रावधान का पांच साल से अधिक समय से उपयोग/समायोजन नहीं किया गया है और इसलिए, अर्जित ब्याज के साथ शेष राशि सरकार को वापस कर दी जानी चाहिए। यह मुद्दा पिछले साल भी उठाया गया था लेकिन इसे अद्यतन/समाधान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।	1. वर्तमान देयताएं और प्रावधान 1.1 यह प्रस्तुत है कि विकासांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने दिनांक 24.02.2022 के कार्यालय जापन के माध्यम से सूचित किया कि पीडब्ल्यूडी के लिए योजना को कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के साथ मिला दिया गया था। इसलिए, ईपीएफओ की ओर से यह योजना भी बंद है। इसलिए, मामले में प्रक्रिया का पालन करते हुए और देय भुगतान के साथ उचित समाधान के बाद, यदि कोई राशि हो, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
1.2 क्षेत्रीय कार्यालय, ईपीएफओ, चेन्नई के समेकित वार्षिक लेखों में चालू देनदारियाँ (टीडीएस देय) के रूप में अनुसूची - 5 के तहत ₹19.72 लाख की ऋणात्मक शेष राशि प्रदर्शित की गई। टीडीएस का यह ऋणात्मक शेष वास्तव में एक चालू परिसंपत्ति है। इसे वर्तमान देयता के रूप में दिखाने के परिणामस्वरूप वर्तमान देयता को कम करके और वर्तमान संपत्ति को ₹19.72 लाख कम करके दिखाया गया है।	1.2 यह सूचित किया जाता है कि चालू माह में काटे गए टीडीएस अगले माह के पहले सप्ताह में ही जमा किए जाएंगे। भुगतान किया गया टीडीएस वर्ष 2020-21 के लिए समेकित वार्षिक लेखों में क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई में काटे गए टीडीएस से अधिक था। इसलिए, ऋणात्मक संतुलन मौजूद है और इसकी जांच की जा रही है। वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों के संकलन के दौरान आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं और आरओ, चेन्नई द्वारा सुधार किया जाएगा।
1.3 देय व्यय का प्रावधान न करना 2021-22 के लिए क्षेत्रीय, चेन्नई-1 और 2 से संबंधित बजट नियंत्रण रजिस्टर की जांच में यह पाया गया कि फरवरी 2022 तक भुगतान किया गया था और मार्च 2022 के महीने के लिए इन खर्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बिजली बिल शुल्क - ₹4.96 लाख (फरवरी, 2022) पानी का शुल्क ₹32,145/- (नवंबर, 2021 से जनवरी, 2022) आकस्मिकता से भुगतान किए गए कर्मचारियों (अन्य शुल्क) के अंतर्गत सुरक्षा और हाउसकीपिंग शुल्क का गैर-प्रावधान ₹269318+531055 (2/2022) के परिणामस्वरूप अकेले क्षेत्रीय कार्यालयों चेन्नई 1 और 2 के संबंध में ₹ 1328100 की देयता और व्यय को कम करके दिखाया गया है। अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों (अम्बतूर, वेल्लोर, पोंडी और तांबरम) के संबंध में इसी तरह के मामलों की समीक्षा नहीं की गई और समेकित वार्षिक लेखों में शामिल नहीं किया गया।	1.3 देय व्यय का प्रावधान न करना यह सूचित किया जाता है कि मार्च महीने के लिए "आकस्मिकता से भुगतान किए गए कर्मचारी" शीर्ष के तहत बिलों का भुगतान अप्रैल में किया जाता है, यानी भुगतान केवल अप्रैल के महीने के लिए होते हैं। अतः मार्च माह में बकाया राशियों को बकाया व्यय के रूप में नहीं दर्शाया गया। एजी टीम ने सलाह दी है कि बकाया खर्च एकमुअल आधार पर किया जाना चाहिए न कि देय आधार पर। अतः एजी टीम के निर्देशानुसार, संचित वार्षिक लेखों में एकमुअल के आधार पर व्यय को अगले वर्ष से बकाया देयता के रूप में दर्शाया जाएगा।

1.4 सांविधिक कटौतियों के प्रेषण के लिए देयता का प्रावधान न करना - ₹4.76 लाख
 आंचलिक कार्यालय, चेन्नई के लेखों में वर्ष 2021-22 के दौरान प्रेषण के लिए निम्नलिखित वसूली के संबंध में वसूल की गई राशि से कम प्रेषण किया गया, जैसा कि दिखाया गया है।
 तथापि, वर्ष 2021-22 के लिए देय ₹ 4.75 लाख की शेष राशि के लिए कोई देयता प्रदान नहीं की गई थी

(राशि ₹ में)

2021-22			
शीर्ष (आरएंडपी के अनुसार देय प्रेषण)	वसूल	प्रेषण	अन्तर
एलआईसी से जीआईएस लाभ	14,89,457	13,76,156	1,13,301
अन्य क्षेत्रों को प्रेषण के लिए वसूली	9,93,263	6,30,571	3,62,692
कुल	24,82,720	20,06,727	4,75,993

1.4 सांविधिक कटौतियों के प्रेषण के लिए देयता का प्रावधान न करना- ₹4.76 लाख

एलआईसी से जीआईएस लाभ- ₹ 1,13,301/-	
रु. 48,109/- (क्षेत्र. , अंबतूर से संबंधित)	एक राशि रु 48,109/- वी. सत्यनारायणन, एओ (सेवानिवृत्त) के संबंध में जीआईएस लाभ के लिए 10/03/2022 को प्राप्त हुई। हालांकि, मार्च 2022 के दौरान क्षेत्र.चेन्नई से इसकी पुष्टि नहीं मिलने के कारण उसे भुगतान नहीं किया गया है। 48,109 / - की राशि क्षेत्र.का. चेन्नई से पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही अप्रैल 2022 के दौरान उसे भेज दी गई है।
रु. 65192/- (क्षेत्र. , तांबरम से संबंधित)	2 अधिकारियों के संबंध में जीएलआईएस का अंतिम निपटान ब्लॉक वर्ष 2021-22 में 10/03/2022 (प्रतिलिपि संलग्न) को क्रेडिट किया गया है, लेकिन क्षेत्र. , चेन्नई से भुगतान विवरण 11/04/2022 को प्राप्त हुए थे (प्रतिलिपि संलग्न) और उसके बाद दो अधिकारियों को राशि जारी कर दी गई। इसलिए अंतर है।
राशि रु 3,61,692 /- में से	
रु. 1,20,663/- (क्षेत्र. , अंबतूर से संबंधित)	देय प्रेषण में दिखाई गई राशि 1,20,663/- एचबीए, कंप्यूटर और वाहन अग्रिम के एवज में उन अधिकारियों से अग्रिम की वसूली है, जिन्होंने अन्य क्षेत्र.का. (वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय - अंबतूर में तैनात) से अग्रिम लिया था। इसे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है।
रु. 2,42,029/- (क्षेत्र. , तांबरम से संबंधित)	वसूल की गई कुल राशि रु 3,10,412 में से मात्र रु 68,383 संबंधित क्षेत्र.का. (जल प्रभार, लाइसेंस फीस एवं टीए की वसूली) को अग्रिम किया गया। लेकिन अन्य क्षेत्र.का. से स्थानांतरित अधिकारियों के लिए एचबीए, वाहन अग्रिम, और कंप्यूटर अग्रिम के तहत कटौती के लिए शेष रु 2,42,029 की राशि संबंधित क्षेत्र.का. को नहीं भेजी गई

2. देयता का गलत बताया जाना - एनपीएस नियोक्ता शेर

वर्ष 2021-22 के ईपीएफओ, जेडओ, चेन्नई के लेखों में यह देखा गया कि बैलेंस शीट के देयता पक्ष के तहत एनपीएस का अंतिम शेष ₹(-) 1.03 लाख के रूप में निम्नानुसार दिखाया गया था -

विवरण	राशि ₹ में
31.3.2021 के अंत में शेष राशि	(-) 70,148
जोड़ें: वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त राशि	2,34,67,912
कुल	2,33,97,764
घटाएं: वर्ष 21-22 के दौरान भुगतान की गई राशि	2,35,01,188
31.3.2022 के अंत में शेष राशि	- 1,03,424

क) बैलेंस शीट की कार्यप्रणाली के अनुसार, ₹ 1.03 लाख के अतिरिक्त एनपीएस को प्रेषित किया गया था, जिसे देनदारी के तहत ऋणात्मक शेष के रूप में प्रदर्शित करने के बजाय चालू परिसंपत्तियों के तहत दिखाया जाना चाहिए था।

ख) यह भी देखा गया कि समेकित वार्षिक लेखों की बकाया देनदारियों (106 का पृष्ठ 14) के तहत, एनपीएस नियोक्ताओं के हिस्से के प्रति देनदारी ₹ (-) 1.41 लाख थी। इसके कारणों का खुलासा नहीं किया गया।

ग) साथ ही, वर्ष 2021-22 के लिए लेखा संख्या 2 के समेकित प्राप्ति और भुगतान लेखों के अनुसार, वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा ₹ 3.27 करोड़ एनपीएस के लिए किए गए भुगतान के रूप में दिखाया गया है। हालांकि तुलन पत्र (अनुसूची -15 उप-अनुसूची -1) के अनुसार, वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि ₹ 2.35 करोड़ के रूप में दिखाई गई है। वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा एनपीएस के लिए भुगतान की गई राशि में विसंगति का समाधान किया जा सकता है।

3. अचल संपत्तियां (अनुसूची -24)

3.1 ईपीएफओ, आंचलिक कार्यालय, वजीरपुर में अन्य अचल संपत्तियों पर ₹55,491/- के मूल्यहास का अधिक बताया जाना।

उपरोक्त में ₹82,855/- की राशि की अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं। अन्य अचल संपत्तियों पर मूल्यहास की समीक्षा करते समय, यह देखा गया कि अन्य अचल संपत्तियों के सकल ब्लॉक का मूल्य ₹82,855/- है जबकि उस पर संचित मूल्यहास ₹1,38,346/- है। मूल्यहास संपत्ति के सकल मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है। इसलिए, मूल्यहास का प्रकटीकरण सही नहीं है और व्यय

2. देयता का गलत बताया जाना - एनपीएस नियोक्ता शेर

क) देयता की अनुसूची 15 में "नई पेंशन योजना अंशदान देय" बुक करने के लिए केवल एक शीर्ष है।

ख) एनपीएस के लिए बोर्ड के शेर की बकाया राशि एनपीएस देयता के अंतिम शेष बैलेंस का 1.4 गुना है।

ग) प्राप्ति और भुगतान लेखा -2 में, ₹ 3.27 करोड़ की राशि वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा एनपीएस के लिए किया गया भुगतान है और ₹ 2.35 करोड़ की राशि वर्ष के दौरान एनपीएस (कर्मचारियों के हिस्से) के लिए भुगतान है।

ऋणात्मक शेष के संबंध में सूचित किया जाता है कि ऋणात्मक राशि के सुधार हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

3. अचल संपत्तियां (अनुसूची -24)

3.1 ईपीएफओ, आंचलिक कार्यालय, वजीरपुर में अन्य अचल संपत्तियों पर ₹55,491/- के मूल्यहास का अधिक बताया जाना।

इस पैरा के संदर्भ में यह कहा गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (पूर्व) के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय-हल्द्वानी को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि वे इसका मिलान करने के लिए उचित कदम उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए क्षेत्रीय कार्यालय-वार बैलेंस शीट में इसे दोहराया न जाए।

(मूल्यहास) को अधिक बताया गया है और अचल संपत्तियों को ₹35,491/- से कम करके दिखाया गया है।	3.2.15 लाख की राशि के लंबे समय से लंबित पूंजी कार्य प्रगति पर है और उसका गैर-पूंजीकरण क्षेत्र (पश्चिम और दक्षिण), दिल्ली के लेखों में अनुसूची 24ए 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत कार्य के रूप में ₹15 लाख की शेष राशि का खुलासा करती है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 की अनुसूची 24ए भी ₹15 लाख की शेष राशि को पूंजीगत कार्य के रूप में प्रगति पर दर्शाती है। पिछले दो वर्षों से चल रहा पूंजीगत कार्य जारी है और न कोई समायोजन किया गया है और न ही कार्य का पूंजीकरण किया गया है। पूर्ण किए गए कार्य की पहचान की जानी चाहिए और लेखा परीक्षा को विवरण प्रदान किया जाना चाहिए और पूर्ण किये गए पूंजी कार्य के लिए लेखों में समायोजन किया जाना चाहिए।																															
3.3 क.भ.नि.सं. मुख्यालय के अचल संपत्ति रजिस्टर का सत्यापन न करना नियमानुसार अचल संपत्ति की प्रत्येक प्रविष्टि को रजिस्टर रखने वाले अनुभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। क.भ.नि.सं. मुख्यालय में अनुरक्षित अचल संपत्ति रजिस्टर की संवीक्षा की गई और यह देखा गया कि निम्नलिखित मामलों में मदों की प्रविष्टियां अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित नहीं की गई थीं। इसलिए आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया है।	3.3 क.भ.नि.सं. मुख्यालय के अचल संपत्ति रजिस्टर का सत्यापन न करना आवश्यक सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसने ईपीएफओ, मुख्यालय के अचल संपत्ति रजिस्टर का विधिवत सत्यापन किया है।																															
<table><tr><th>क्र.सं</th><th>विवरण</th><th>पृष्ठ संख्या</th></tr><tr><td>1</td><td>एयर फ्रेशनर डिस्पेंसर</td><td>270</td></tr><tr><td>2</td><td>मोबाइल फोन</td><td>262</td></tr><tr><td>3</td><td>टिशु बेल्डिंग मशीन</td><td>260</td></tr><tr><td>4</td><td>सैनिटाइजर मशीनें</td><td>255</td></tr><tr><td>5</td><td>डीवीआर पोर्ट</td><td>248</td></tr><tr><td>6</td><td>वाटर डिस्पेंसर</td><td>243</td></tr></table>	क्र.सं	विवरण	पृष्ठ संख्या	1	एयर फ्रेशनर डिस्पेंसर	270	2	मोबाइल फोन	262	3	टिशु बेल्डिंग मशीन	260	4	सैनिटाइजर मशीनें	255	5	डीवीआर पोर्ट	248	6	वाटर डिस्पेंसर	243	3.4 विवरण इस प्रकार है:- <table><tr><td>क्र. सं.</td><td>नाम/ प्रगति पर कार्य की प्रकृति</td><td>31.03.2022 तक कार्य प्रगति रिपोर्ट</td><td>दी गई अग्रिम राशि रु.</td><td>एजेंसी का नाम</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	क्र. सं.	नाम/ प्रगति पर कार्य की प्रकृति	31.03.2022 तक कार्य प्रगति रिपोर्ट	दी गई अग्रिम राशि रु.	एजेंसी का नाम					
क्र.सं	विवरण	पृष्ठ संख्या																														
1	एयर फ्रेशनर डिस्पेंसर	270																														
2	मोबाइल फोन	262																														
3	टिशु बेल्डिंग मशीन	260																														
4	सैनिटाइजर मशीनें	255																														
5	डीवीआर पोर्ट	248																														
6	वाटर डिस्पेंसर	243																														
क्र. सं.	नाम/ प्रगति पर कार्य की प्रकृति	31.03.2022 तक कार्य प्रगति रिपोर्ट	दी गई अग्रिम राशि रु.	एजेंसी का नाम																												
3.4 आंचलिक कार्यालय, ईपीएफओ, चेन्नई के लेखों में यह देखा गया कि 31.03.2022 के अंत तक ₹1.79 करोड़ की राशि का कार्य प्रगति पर है। इस संबंध में, 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रगति पर कार्य की प्रकृति को वार्षिक लेखों में प्रकट किए गए कार्य-प्रगति की पृष्टि करने के लिए मांगी गई थी। तथापि, इसे आंकड़ों की पृष्टि के लिए																																

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

1	एपीएफसी और महिला सेल और पीए स्म, क्षे.का.अंबतूर कार्यालय पर नवीनीकरण और विद्युत स्थापना फिटिंग {50% अधिम}	23-06-2021 की स्थिति के अनुसार, कार्य पूर्ण हो चुका था और 24-06-2021 को अंतिम बिल का निपटारा किया गया था	2,11,350.00	एआईआर
2	ईपीएफ एएनएसक्यू पर परिसर की दीवार (पूर्वी और उत्तरी तरफ) की मरम्मत/नवीनीकरण {50% अधिम}	75 फीसदी काम पूरा हो चुका है।	38,19,014.00	सीपीडब्ल्यूडी
3	एएनएसक्यू {50% एडवांस} पर क्षतिग्रस्त मैनहोल को शिफ्ट करना/नए मैनहोल से बदलना	60 फीसदी काम पूरा हो चुका है।	12,36,000.00	सीपीडब्ल्यूडी
4	क्षे.का. अंबतूर कार्यालय में सभी शौचालयों की पहली, तीसरी मंजिल में बदलाव/उन्नयन {50% अधिम}	सभी शौचालयों के उन्नयन के लिए 90 प्रतिशत सिविल कार्य पूरे हो चुके हैं।	11,83,552.00	एआईआर
5	बी4 क्वार्टर, ईपीएफओ, अन्ना नगर, चेन्नई की मरम्मत और नवीनीकरण {50% अधिम}	शत-प्रतिशत काम पूरा हो गया।	2,82,500.00	सीपीडब्ल्यूडी
6	पीएस स्म और विजिटर्स चेंबर में एमसीबी के साथ इलेक्ट्रिकल पॉइंट और डीबी बॉक्स के लिए अतिरिक्त व्यय {50% अधिम}	बिजली का 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है।	17,018.00	एआईआर
7	क्षे.का. अंबतूर, चेन्नई की पहली मंजिल और तीसरी मंजिल के कार्यालय भवन के लिए आंतरिक और बाहरी पेंटिंग कार्य {50% अधिम}	पेंटिंग का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है।	9,04,692.00	एआईआर

सी.पी.डी.आई.

8	पीवीसी मैल्वनाइज्ड आयन प्रोफाइल शीट के साथ मौजूदा शेड ट्रेस को कवर करना और क्षेत्र. अंबतूर के कार्यालय भवन के लिए विट्रिफाइड फर्श सहित दरवाजे की खिड़कियां लगाना {50% अग्रिम}	कवर किए गए मौजूदा शेड का 80% कार्य पूरा हो गया था।	4,05,004.00	एआईआर
9	टाइप IV क्वार्टर, ईपीएफ एनएसक्यू अन्ना नगर, चेन्नई के बी / 2,3 और 5 फ्लैटों की मरम्मत और नवीनीकरण कार्य {50% अग्रिम}	सीपीडब्ल्यूडी को 02/2022 को कार्यदेश एवं राशि जारी। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा एक ठेकेदार को दिनांकित कार्य सौंप दिया गया है।	7,76,000.00	सीपीडब्ल्यूडी
10	ईपीएफ कार्यालय, अंबतूर, चेन्नई में चेकर टाइल फर्श सहित पीआरओ के लिए नाम बोर्ड, पूरी तरह से कवर शेड प्रदान करना {50% अग्रिम}	85 फीसदी काम पूरा हो चुका है।	6,55,777.00	एआईआर
11	पहली और तीसरी मंजिल के सभी शौचालयों का संशोधन और उन्नयन और महिला शौचालय की दूसरी किस्त (25%)	90 फीसदी सिविल वर्क पूरा हो चुका है।	5,91,776.00	एआईआर
12	बी ब्लॉक की बाहरी मरम्मत और पेंटिंग कार्य, टाइप IV ईपीएफ एनएसक्यू अन्ना नगर, चेन्नई (50% अग्रिम)	सीपीडब्ल्यूडी को 03/2022 को कार्यदेश एवं राशि जारी। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा एक ठेकेदार को आज की तारीख में कार्य सौंप दिया	10,68,000.00	सीपीडब्ल्यूडी

		गया है।		जोड़		1,11,50,683.00	
जैसे ही और जब कार्य पूरा हो जाएगा, उसे "वर्ष के दौरान पूंजीकृत" में शामिल किया जाएगा।							
4. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम							
4.1 चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम राशि के 4.47 लाख के आरम्भिक और अंतिम शेष में अंतर							
क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (दक्षिण) और (पश्चिम) (संयुक्त) की बैलेंस शीट की हस्ताक्षरित प्रति में, वाहन अग्रिम के तहत सही राशि रु 2,23,882/- दर्शाई गई है और यह (-) 2,23,882/- रुपये नहीं है। इस प्रकार, आरम्भिक शेष को सही तरीके से लिया गया है और 4,47,764/- रुपये का कोई अंतर नहीं है। रुपये 2,23,882/- की सही राशि लेने के बाद, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 28) की कुल वर्तमान संपत्ति अर्थात रु. 1,10,55,12,556/- भी सही थी चालू संपत्ति, ऋणों और अग्रिमों की राशि में आरम्भिक शेष और अंतिम शेष में रु. 4.47 लाख का अंतर नहीं है।							
4.2 ईपीएफओ, आंचलिक कार्यालय, वजीरपुर, दिल्ली द्वारा किए गए अधिक भुगतान और अनियमित भुगतान							
यह प्रस्तुत है कि 1,09,841/- रुपये का अधिक भुगतान वर्तमान देनदारियों के तहत अनुसूची 5(2सी) के तहत दिखाया गया है और वर्तमान संपत्ति के रूप में अनुसूची 19(4सी) में भी बुक किया गया है। राशि रु. 1,09,841/- में क्रमशः क्षेत्रीय (केंद्रीय) (रु. 46,081/-) और क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून (रु. 63,760/-) का अधिक भुगतान शामिल है। क्षेत्रीय (मध्य) के संबंध में अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 18.11.2019 को जिला न्यायालय, द्वाका में सीबीटी बनाम पवन वर्मा नामक सूट संख्या 1300/2019 के तहत एक सिविल सूट दायर किया गया है। प्रतिवादी के आगरा पते पर भेजे गए सम्मन और प्रतिवादी की सेवा रिपोर्टों पर विचार के संबंध में रिपोर्ट की प्रतीक्षा में 19.03.2020 को मामला सूचीबद्ध किया गया था। इसके अलावा, मामले को 19.11.2020, 20.02.2021, 07.09.2021, 21.12.2021, 28.02.2022 और 13.07.2022 को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया। आगे की सुनवाई के लिए उक्त अदालत के समक्ष सुनवाई की अगली तिथि 03.09.2022 है।							

4. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम							
4.1 चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम राशि के 4.47 लाख के आरम्भिक और अंतिम शेष में अंतर वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्रीय (पश्चिम और दक्षिण), दिल्ली के लेखों की अनुसूची - 28 (वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम) की शेष राशि को ₹ 110,55,12,556/- के रूप में दिखाया गया था जबकि वर्ष 2021-22 के लिए शेष ₹ 110,50,64,792/- दर्शाया गया है। अंतर के समाधान की जरूरत है।							
4.2 ईपीएफओ, आंचलिक कार्यालय, वजीरपुर, दिल्ली द्वारा किए गए अधिक भुगतान और अनियमित भुगतान							
ईपीएफओ, आंचलिक कार्यालय, वजीरपुर ने क्रमशः ₹ 1.10 लाख के अधिक भुगतान और ₹ 31.04 लाख अनियमित भुगतान को दर्शाया है।, विवरण इस प्रकार है:-							
अनियमित भुगतान का विवरण							
क्रम सं.	विवरण	अनुसूची संख्या	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष राशि (₹ में)	31.03.2022 के अंतिम शेष राशि में (₹ में)			
1	वर्तमान देनदारियाँ	5	31,04,716.50	31,04,716.50			
2	वर्तमान संपत्ति	19	31,04,716.50	31,04,716.50			
अधिक भुगतान का विवरण							
क्रम सं.	विवरण	अनुसूची संख्या	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष राशि में	31.03.2022 के अंतिम शेष राशि में			

सभी कार्यालयों को अनियमित भुगतानों के समाधान के लिए नियमित रूप से निर्देश जारी किए जा रहे हैं और इन्हें लेखा प्रक्रिया नियमावली के अनुसार वार्षिक लेखों में दर्ज किया जा रहा है।	चूंकि ये सदस्यों को अधिक भुगतान/अनियमित भुगतान के उदाहरण हैं, इसलिए इन्हें केवल चालू संपत्ति ऋण और अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।			
4.3 ₹4.47 लाख की राशि के वाहन अग्रिम के प्रारंभिक और अंतिम शेष में अंतर क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (दक्षिण) और (पश्चिम) (संयुक्त) की बैलेंस शीट की हस्ताक्षरित प्रति में, वाहन अग्रिम के तहत सही राशि ₹ 2,23,882/- दर्शाई गई है और रुपये (-)2,23,882/- नहीं है। इस प्रकार, आरम्भिक शेष को सही तरीके से लिया गया है और 4,47,764/- रुपये का कोई अंतर नहीं है। रुपये 2,23,882/- की सही राशि लेने के बाद, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 28) की कुल वर्तमान संपत्ति अर्थात ₹. 1,10,55,12,556/- भी सही थी. चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों की राशि में आरम्भिक शेष और अंतिम शेष में ₹. 4.47 लाख का अंतर नहीं है।	4.3 ₹4.47 लाख की राशि के वाहन अग्रिम के प्रारंभिक और अंतिम शेष में अंतर ईपीएफओ, आरओ (पश्चिम और दक्षिण), दिल्ली ने वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों की अनुसूची - 28 में अग्रिम (स्टाफ) के रूप में ₹(-)2.23 लाख की राशि दिखाई है और उसी राशि को वर्ष 2020-21 लेखों में दिखाया गया था। इस संबंध में लेखापरीक्षा को कोई समायोजन नहीं दिखाया गया जिससे राशि में परिवर्तन हुआ। इससे अलावा, 2020-21 में कुल वसूली योग्य अग्रिम (स्टाफ) ₹ 99.73 लाख थे, लेकिन वर्ष 2021-22 में वाहन अग्रिमों के नकारात्मक संतुलन के कारण कुल वसूली योग्य अग्रिम ₹ 95.25 लाख हो गए, जिससे ₹ 4.47 लाख का अंतर आया। वाहन अग्रिमों के संबंध में 2020-21 में ₹2.23 लाख के धनात्मक शेष के 2021-22 में ₹2.23 लाख ऋणात्मक शेष में परिवर्तन और अंतर ₹4.47 लाख का था। लेखापरीक्षा को प्रदान की गई वसूली योग्य अग्रिमों को दर्शाने वाले पृष्ठ की प्रति पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिसके औचित्य की आवश्यकता है।			
5. आय और व्यय लेखा 5.1 प्राप्त और भुगतान लेखों में दर्शाए गए प्रशासनिक प्रभारों में विसंगति ईपीएफ प्रशासन शुल्क में कोई अंतर नहीं है जिसे सही ढंग से ₹ 112.20 करोड़ के रूप में दिखाया गया है। लेखा परीक्षा पार्टी ने उप-शीर्ष क्रेडिट गैर-प्राप्त चालान (जेडए- (वी)) के तहत लेखा संख्या 2 की प्राप्ति और भुगतान के तहत परिलक्षित राशि को नहीं जोड़ा है। जो रुपये 9,29,156/- की राशि है। यह प्रशासनिक शुल्क का एक हिस्सा है और इसे प्रशासन शुल्क प्राप्ति के लिए जोड़ा जाता है। विस्तृत गणना 112.20 रुपये है = {(-25.95) + 0 + 112.37 + 9.29}	5. आय और व्यय लेखा 5.1 प्राप्त और भुगतान लेखों में दर्शाए गए प्रशासनिक प्रभारों में विसंगति ईपीएफओ, क्षेत्र.का. (पश्चिम और दक्षिण), दिल्ली के वार्षिक लेखों की अनुसूची - 38 की जांच से पता चला कि वर्ष के दौरान प्राप्त ईपीएफ प्रशासन शुल्क ₹112.20 करोड़ था। इस संबंध में, यह कहा गया है कि लेखा संख्या 2 में जमा के तहत प्रशासन शुल्क ₹(-) 25.95 लाख है और केंद्रीकृत प्राप्ति के तहत प्रशासन शुल्क ₹112.37 करोड़ है जैसा कि प्राप्ति और भुगतान लेखों में दिखाया गया है। प्राप्ति और भुगतान लेखों के इन दो आंकड़ों का कुल योग ₹112.11 करोड़ आता है। यह राशि ₹ 112.20 करोड़ की राशि के ईपीएफ प्रशासन शुल्क में दिखाए गए आंकड़ों से मेल खाना चाहिए। हालांकि, ₹9 लाख का अंतर है, जिसके समाधान की जरूरत है।			
6. ईपीएफओ, आंचलिक कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों में विसंगतियां। लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और सभी कार्यालयों को	6. ईपीएफओ, आंचलिक कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों में विसंगतियां। वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ (क्षेत्र.का. दिल्ली पश्चिम और दक्षिण, क्षेत्र.का. दिल्ली उत्तर और मध्य) (आंचलिक कार्यालय वजीरपुर, दिल्ली, आंचलिक कार्यालय मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, आंचलिक कार्यालय, पुणे, आंचलिक कार्यालय, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश, आंचलिक कार्यालय			

झारखण्ड एवं बिहार से संबंधित बैलेंस शीट, प्राप्ति और भुगतान खातों, आय और व्यय लेखे, अनुसूचियों और उप-अनुसूची सहित वित्तीय विवरणों की जांच के दौरान देखा गया कि लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए इन दस्तावेजों के कई पृष्ठों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। हालांकि, प्रत्येक पृष्ठ पर समेकित वित्तीय लेखों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वार्षिक लेखा तैयार करने की सुदृढ़ वित्तीय प्रथा के अनुसार, सभी पृष्ठों का सत्यापन और अधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इसके अलावा, लेखों पर टिप्पणियों को आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित तुलन पत्र में संलग्न नहीं किया गया है। इसे बैलेंस शीट के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इन विसंगतियों के कारण अहस्ताक्षरित पृष्ठों की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकती।	निर्देश जारी किए जाएंगे।																									
7. लंबे समय से लंबित ऋणात्मक शेष का समाधान/समायोजन न करना सुदृढ़ वित्तीय व्यवहार के अनुसार, लेखों में ऋणात्मक शेष नहीं होने चाहिए। कार्यालय आदेश नं. बीएससी-1(1)2021-22/बैलेंस शीट/6221 दिनांक 17.03.2022 ने अपने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (क्रमांक 10) में कहा कि ऋणात्मक शेष दर्शाने वाले सभी देय लेखों का मिलान किया जाए और सुधारात्मक उपाय तुरंत किए जाएं।	7. लंबे समय से लंबित ऋणात्मक शेष का समाधान/समायोजन न करना क्षेत्रीय कार्यालयों और आंचलिक कार्यालयों में लेखांकन के प्रारूप में परिवर्तन के कारण नकारात्मक आंकड़े सामने आए। सभी क्षेत्रों को अगले वार्षिक लेखों में पुनरावृत्ति न करने के निर्देश जारी किए जाएंगे और इसकी निगरानी और जांच अंचल कार्यालय और मुख्य कार्यालय स्तर पर भी की जाएगी।																									
7.1 क.भ.नि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय, वजीरपुर, दिल्ली के वित्तीय विवरणों की संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित ऋणात्मक शेष पाए गए:-	7.1 इस पैरा के संदर्भ में, यह प्रस्तुत है कि संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को पत्र दिनांक 28.09.2022 के माध्यम से इसका समाधान करने के लिए उचित कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि इसे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में न दोहराया जाये।																									
<table><tr><th>कार्यालय का नाम</th><th>विवरण</th><th>अनुसूची सं</th><th>01.04.2021 को प्रारंभिक शेष राशि (₹ में)</th><th>31.03.2022 को अंतिम शेष राशि (₹ में)</th></tr><tr><td>ईपीएफओ आंचलिक कार्यालय, वजीरपुर, नई दिल्ली</td><td>व्याज खाता - ईपीएफ अंशदान कोष</td><td>4</td><td>(-) 3,25,17,82,33,397.63</td><td>(-) 3,83,47,50,07,791.04</td></tr><tr><td></td><td>टीडीएस देय - दावा निपटान पर कटौती।</td><td>5</td><td>22,22,053.00</td><td>(-) 54,29,861</td></tr><tr><td></td><td>लेखा संख्या 10 (ईपीएस अंशदान खाता - क्षेत्रीय)</td><td>7</td><td>(-) 1,50,88,368.61</td><td>(-) 1,51,88,947.91</td></tr><tr><td></td><td>स्टाफ भविष्य निधि व्याज खाता</td><td>11</td><td>(-) 74,51,17,676.65</td><td>(-) 83,17,19,687.10</td></tr></table>	कार्यालय का नाम	विवरण	अनुसूची सं	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष राशि (₹ में)	31.03.2022 को अंतिम शेष राशि (₹ में)	ईपीएफओ आंचलिक कार्यालय, वजीरपुर, नई दिल्ली	व्याज खाता - ईपीएफ अंशदान कोष	4	(-) 3,25,17,82,33,397.63	(-) 3,83,47,50,07,791.04		टीडीएस देय - दावा निपटान पर कटौती।	5	22,22,053.00	(-) 54,29,861		लेखा संख्या 10 (ईपीएस अंशदान खाता - क्षेत्रीय)	7	(-) 1,50,88,368.61	(-) 1,51,88,947.91		स्टाफ भविष्य निधि व्याज खाता	11	(-) 74,51,17,676.65	(-) 83,17,19,687.10	
कार्यालय का नाम	विवरण	अनुसूची सं	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष राशि (₹ में)	31.03.2022 को अंतिम शेष राशि (₹ में)																						
ईपीएफओ आंचलिक कार्यालय, वजीरपुर, नई दिल्ली	व्याज खाता - ईपीएफ अंशदान कोष	4	(-) 3,25,17,82,33,397.63	(-) 3,83,47,50,07,791.04																						
	टीडीएस देय - दावा निपटान पर कटौती।	5	22,22,053.00	(-) 54,29,861																						
	लेखा संख्या 10 (ईपीएस अंशदान खाता - क्षेत्रीय)	7	(-) 1,50,88,368.61	(-) 1,51,88,947.91																						
	स्टाफ भविष्य निधि व्याज खाता	11	(-) 74,51,17,676.65	(-) 83,17,19,687.10																						

7.2 ईपीएफओ आंचलिक कार्यालय (बिहार और झारखंड) के वित्तीय विवरणों में नकारात्मक शेष ईपीएफओ आंचलिक कार्यालय (बिहार और झारखंड) के वित्तीय विवरणों की जांच से पता चला कि वित्तीय विवरणों की अनुसूची 4 और 11 में, निम्नलिखित नकारात्मक शेष का खुलासा किया गया है:- <table><tr><th>क्र.सं</th><th>विवरण</th><th>अनुसूची सं</th><th>राशि (₹ में)</th></tr><tr><td>1</td><td>ब्याज लेखा - ईपीएफ अंशदान कोष अंतिम शेष</td><td>4</td><td>-61,78,28,22,320.35</td></tr><tr><td>2</td><td>कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज खाता अंतिम शेष</td><td>11</td><td>-44,38,33,859.66</td></tr></table>	क्र.सं	विवरण	अनुसूची सं	राशि (₹ में)	1	ब्याज लेखा - ईपीएफ अंशदान कोष अंतिम शेष	4	-61,78,28,22,320.35	2	कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज खाता अंतिम शेष	11	-44,38,33,859.66	7.2 ईपीएफओ आंचलिक कार्यालय (बिहार और झारखंड) के वित्तीय विवरणों में नकारात्मक शेष इस संबंध में सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों/अंचल कार्यालयों की कोई ब्याज आय नहीं है क्योंकि अंशदान से प्राप्त राशि का निवेश मुख्य कार्यालय स्तर पर किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए वार्षिक लेखा सीएजी और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य प्रारूप में तैयार किया गया था, जहां ईपीएफ ब्याज की अनुसूची -4 और एसपीएफ ब्याज की अनुसूची -11 देयता पक्ष पर है। इसलिए, ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव है और ईपीएफओ के सभी कार्यालयों में इसका पालन किया गया है। यह भी सूचित किया जाता है कि ईपीएफओ के समेकित वार्षिक लेखों में इन अनुसूचियों का शेष धनात्मक है।
क्र.सं	विवरण	अनुसूची सं	राशि (₹ में)										
1	ब्याज लेखा - ईपीएफ अंशदान कोष अंतिम शेष	4	-61,78,28,22,320.35										
2	कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज खाता अंतिम शेष	11	-44,38,33,859.66										
7.3 ईपीएफओ आंचलिक कार्यालय (पंजाब और हिमाचल प्रदेश) के वित्तीय विवरणों में ऋणात्मक शेष ईपीएफओ आंचलिक कार्यालय (पंजाब और हिमाचल प्रदेश) के वित्तीय विवरणों की जांच से पता चला कि वित्तीय विवरणों की अनुसूची 4 और 11 में, निम्नलिखित नकारात्मक शेष का खुलासा किया गया है:- <table><tr><th>क्र.सं</th><th>विवरण</th><th>अनुसूची सं</th><th>राशि (₹ में)</th></tr><tr><td>1</td><td>ब्याज लेखा - ई.पी.एफ अंशदान कोष अंतिम शेष</td><td>4</td><td>-19,123,32,91,938.28</td></tr><tr><td>2</td><td>कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज खाता अंतिम शेष</td><td>11</td><td>-74,82,15,461.06</td></tr></table>	क्र.सं	विवरण	अनुसूची सं	राशि (₹ में)	1	ब्याज लेखा - ई.पी.एफ अंशदान कोष अंतिम शेष	4	-19,123,32,91,938.28	2	कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज खाता अंतिम शेष	11	-74,82,15,461.06	7.3 ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय (पंजाब और हिमाचल प्रदेश) के वित्तीय विवरणों में ऋणात्मक शेष इस संबंध में सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों/अंचल कार्यालयों की कोई ब्याज आय नहीं है क्योंकि अंशदान से प्राप्त राशि का निवेश प्रधान कार्यालय स्तर पर किया जाता है। आंचलिक कार्यालयों को केवल दंडात्मक हर्जाने और 7Q ब्याज की आय होती है जो सदस्यों को दिए जाने वाले ब्याज से कम है। इस प्रकार, यह नकारात्मक है। वर्ष 2020-21 से, वार्षिक लेखा सीएजी और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य प्रारूप में तैयार किए जा रहे हैं, जहां ईपीएफ ब्याज की अनुसूची -4 और एसपीएफ ब्याज की अनुसूची -11 देयता पक्ष पर है, इसलिए समापन शेष नकारात्मक है। यह भी सूचित किया जाता है कि ईपीएफओ के समेकित वार्षिक लेखों में इन अनुसूचियों का शेष धनात्मक है।
क्र.सं	विवरण	अनुसूची सं	राशि (₹ में)										
1	ब्याज लेखा - ई.पी.एफ अंशदान कोष अंतिम शेष	4	-19,123,32,91,938.28										
2	कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज खाता अंतिम शेष	11	-74,82,15,461.06										
7.4 ईपीएफओ आंचलिक कार्यालय (पुणे) के वित्तीय विवरणों में ऋणात्मक शेष मुख्यालय में ऑडिट पार्टी को प्रदान किए गए ईपीएफओ आंचलिक कार्यालय (पुणे) के वित्तीय	7.4 ईपीएफओ आंचलिक कार्यालय (पुणे) के वित्तीय विवरणों में ऋणात्मक शेष सूचित किया जाता है कि ऋणात्मक शेष राशि ₹(-) 1,09,887 शुद्ध शेष है, केवल												

विवरणों की जांच से पता चला कि वित्तीय विवरणों की अनुसूची 28 में वेतन के अग्रिम को रु (-) 1,09,887 ऋणात्मक शेष राशि के रूप में दर्शाया गया है। लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ऋणात्मक शेष को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समायोजित किया जाना चाहिए और वित्तीय विवरणों में नहीं रहना चाहिए।	क्षे.का. कोल्हापुर में ऋणात्मक शेष राशि रु.(-)240176 है। क्षे.का. कोल्हापुर ने पत्र दिनांक 28.10.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि राशि रु। (-)240176/-वर्ष 2015-2016, 2017-18 और 2018-19 में उन कर्मचारियों के वेतन से वसूल की गई राशि से संबंधित है, जिन्हें अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों से क्षे.का. कोल्हापुर में स्थानांतरित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप क्षे.का. कोल्हापुर के लिए ऋणात्मक शेष था और वसूल की गई राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया था। यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अवधि के दौरान किसी भी अधिकारी को क्षे.का.कोल्हापुर द्वारा कोई अग्रिम वेतन नहीं दिया गया।												
7.5 ईपीएफओ आंचलिक कार्यालय (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) के वित्तीय विवरणों में ऋणात्मक शेष मुख्यालय में लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराए गए आंचलिक कार्यालय (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) के वित्तीय विवरणों की जांच से पता चला कि वित्तीय विवरणों की अनुसूची 28 में, निम्नलिखित ऋणात्मक शेष का खुलासा किया गया है:- <table><tr><th>क्र.सं</th><th>विवरण</th><th>अनुसूची सं</th><th>राशि (रु में)</th></tr><tr><td>1</td><td>टीए/डीए का अग्रिम</td><td>28 (5)/h</td><td>- 34,188</td></tr><tr><td>2</td><td>विविध भुगतान</td><td>28 (5)/m</td><td>- 53,078</td></tr></table>	क्र.सं	विवरण	अनुसूची सं	राशि (रु में)	1	टीए/डीए का अग्रिम	28 (5)/h	- 34,188	2	विविध भुगतान	28 (5)/m	- 53,078	7.5 ईपीएफओ आंचलिक कार्यालय (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) के वित्तीय विवरणों में ऋणात्मक शेष इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि क्षे.का. सागर द्वारा बैलेंस शीट में प्राप्ति और भुगतान- II लेख में गलत प्रविष्टि के कारण ऋणात्मक शेष राशि उत्पन्न हुई है, रु. 34,188 टीए/डीए और रुपये 52,078/- विविध भुगतान और क्षे.का. जबलपुर में रु. 1,000/- में विविध भुगतान, जो वेतन से विविध वसूली से संबंधित है, जो बाद में चुकाया जाता है क्योंकि इसे अनजाने में वसूल किया गया था और उसी के लिए वर्ष 2022-23 के बैलेंस शीट में सुधार किया जाएगा।
क्र.सं	विवरण	अनुसूची सं	राशि (रु में)										
1	टीए/डीए का अग्रिम	28 (5)/h	- 34,188										
2	विविध भुगतान	28 (5)/m	- 53,078										
7.6 वर्ष 2021-22 के ईपीएफओ, आंचलिक कार्यालय, चेन्नई के लेखों में निम्नलिखित ऋणात्मक आंकड़े दर्शाए गए हैं:- क) प्रशासनिक प्रभार प्राप्तियों को लेखा संख्या 1 के प्राप्ति और भुगतान लेख में रु 61.44 लाख के ऋणात्मक आंकड़े के तहत दिखाया गया था (प्राप्ति पक्ष के तहत)। चूंकि प्राप्ति और भुगतान केवल एक समेकित रोकड़ बही है, इसमें कोई ऋणात्मक आंकड़े नहीं दर्शाने चाहिए। ख) लेखा संख्या 10 में जमा किए गए अंशदान के तहत प्राप्ति और भुगतान लेखा संख्या 10 में रु 44.75 करोड़ के ऋणात्मक शेष का खुलासा ग) वर्ष के दौरान लेखा संख्या 21 में जमा किए गए अंशदान की प्राप्ति पक्ष के तहत रु (-) 19.93 लाख के रूप में प्रकट किया गया था। चूंकि प्राप्ति रोकड़ इनफ्लो है इसलिए इसे ऋणात्मक आंकड़े के रूप में दिखाना गलत है।	7.6 ऋणात्मक शेष राशि पर स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं:- क) वर्ष 2021-22 के लिए प्राप्त ईसीआर अस्वीकृति/पुनरीक्षण मामलों के कारण बैलेंस शीट 2021-22 में प्रशासनिक शुल्क का ऋणात्मक शेष है। ख) और ग) राशि वर्ष 2021-22 के दौरान ईसीआर अस्वीकृतियों से संबंधित है। नियोक्ताओं द्वारा किए गए सभी अंशदान को मुख्य कार्यालय के लेखों में जमा किया जाता है और ईसीआर अस्वीकृति (गलत प्रेषण/ईसीआर डेटा में त्रुटि के कारण नियोक्ताओं को वापस किया गया प्रेषण) केवल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बनाए गए लेखा संख्या 10 और 21 से डेबिट किया जाता है। इन डेबिट को अंशदान के अंतर्गत ऋणात्मक अंक के रूप में दिखाया जाता है क्योंकि इसे दर्ज करने के लिए भुगतान पक्ष पर कोई अन्य शीर्ष नहीं है।												

घ) लेखा संख्या 1, 10 और 21 से संबंधित प्राप्त और भुगतान लेखों में बैंक में आरम्भिक और अंतिम नकदी को नकारात्मक आंकड़े के रूप में प्रकट किया गया है। (राशि ₹ में) <table border="1"> <thead> <tr> <th>लेखा शीर्ष</th><th>बैंक में आरम्भिक रोकड़</th><th>बैंक में अंतिम रोकड़</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>लेखा सं 1</td><td>(-) 19,71,91,892</td><td>(-) 12,22,85,278</td></tr> <tr> <td>लेखा सं 10</td><td>(-) 8,37,79,667</td><td>(-) 9,67,61,065</td></tr> <tr> <td>लेखा सं 21</td><td>(-) 65,93,505</td><td>+ 9,43,305</td></tr> </tbody> </table>	लेखा शीर्ष	बैंक में आरम्भिक रोकड़	बैंक में अंतिम रोकड़	लेखा सं 1	(-) 19,71,91,892	(-) 12,22,85,278	लेखा सं 10	(-) 8,37,79,667	(-) 9,67,61,065	लेखा सं 21	(-) 65,93,505	+ 9,43,305	घ) यह अंतिम शेष पूरे साल जमा नहीं होता है, यह सिर्फ आखिरी दिन का शेष होता है। शेष राशि को लेखों में नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसे प्रत्येक दिन के अंत में स्थानांतरित करना होता है। यदि अंतिम दिन का भुगतान प्राप्त से अधिक है, तो यह ऋणात्मक होगा।														
लेखा शीर्ष	बैंक में आरम्भिक रोकड़	बैंक में अंतिम रोकड़																									
लेखा सं 1	(-) 19,71,91,892	(-) 12,22,85,278																									
लेखा सं 10	(-) 8,37,79,667	(-) 9,67,61,065																									
लेखा सं 21	(-) 65,93,505	+ 9,43,305																									
7.7 बैलेंस शीट में कर्मचारी के वसूली योग्य अग्रिमों का गलत लेखा-जोखा - आंचलिक कार्यालय, चेन्नई के समेकित वार्षिक लेखों में, यह देखा गया था कि कर्मचारियों को दिए गए निम्नलिखित वसूली योग्य अग्रिम की शेष राशि गलत तरीके से दर्ज की गई थी और ऋणात्मक शेष नीचे दिखाए गए अनुसार प्रदर्शित किए गए थे: वर्ष 2021-22 <table border="1"> <thead> <tr> <th>वाहन अग्रिम</th><th>2021-22</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आरम्भिक शेष</td><td>(-) 16,56,389.00</td></tr> <tr> <td>जोड़ें: भुगतान किए गए आगे के अग्रिम</td><td>0</td></tr> <tr> <td>कुल</td><td>(-) 16,56,389.00</td></tr> <tr> <td>घटा : वर्ष के दौरान वसूली</td><td>16,665.00</td></tr> <tr> <td>अंतिम शेष</td><td>(-) 16,73,054.00</td></tr> </tbody> </table> हाउस बिल्डिंग एडवांस <table border="1"> <thead> <tr> <th>2021-22</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आरम्भिक शेष</td><td>(-) 32,75,475.00</td></tr> <tr> <td>जोड़ें: भुगतान किए गए आगे के अग्रिम</td><td>16,32,476.00</td></tr> <tr> <td>कुल</td><td>(-) 16,42,999.00</td></tr> <tr> <td>घटा : वर्ष के दौरान वसूली</td><td>2,60,336.00</td></tr> <tr> <td>अंतिम शेष</td><td>(-) 19,03,335.00</td></tr> </tbody> </table> वेतन अग्रिम <table border="1"> <thead> <tr> <th>2021-22</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आरम्भिक शेष</td><td>(-) 2,66,723.00</td></tr> </tbody> </table>	वाहन अग्रिम	2021-22	आरम्भिक शेष	(-) 16,56,389.00	जोड़ें: भुगतान किए गए आगे के अग्रिम	0	कुल	(-) 16,56,389.00	घटा : वर्ष के दौरान वसूली	16,665.00	अंतिम शेष	(-) 16,73,054.00	2021-22	आरम्भिक शेष	(-) 32,75,475.00	जोड़ें: भुगतान किए गए आगे के अग्रिम	16,32,476.00	कुल	(-) 16,42,999.00	घटा : वर्ष के दौरान वसूली	2,60,336.00	अंतिम शेष	(-) 19,03,335.00	2021-22	आरम्भिक शेष	(-) 2,66,723.00	7.7 बैलेंस शीट में कर्मचारी के वसूली योग्य अग्रिमों का गलत लेखा-जोखा - यह सूचित किया जाता है कि ऋणात्मक शेष उन कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली है जिन्हें अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों से इस कार्यालय में स्थानांतरित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ऋणात्मक शेष राशि पिछले वर्षों से संबंधित है और हर साल जमा भी की जा रही है।
वाहन अग्रिम	2021-22																										
आरम्भिक शेष	(-) 16,56,389.00																										
जोड़ें: भुगतान किए गए आगे के अग्रिम	0																										
कुल	(-) 16,56,389.00																										
घटा : वर्ष के दौरान वसूली	16,665.00																										
अंतिम शेष	(-) 16,73,054.00																										
2021-22																											
आरम्भिक शेष	(-) 32,75,475.00																										
जोड़ें: भुगतान किए गए आगे के अग्रिम	16,32,476.00																										
कुल	(-) 16,42,999.00																										
घटा : वर्ष के दौरान वसूली	2,60,336.00																										
अंतिम शेष	(-) 19,03,335.00																										
2021-22																											
आरम्भिक शेष	(-) 2,66,723.00																										

जोड़ें: भुगतान किए गए आगो के अग्रिम <table border="1"> <tr> <td>कुल</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) 2,66,723.00</td> </tr> <tr> <td>घटा : वर्ष के दौरान वसूली</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>अंतिम शेष</td> <td>(-) 2,66,723.00</td> </tr> </table>	कुल	00		(-) 2,66,723.00	घटा : वर्ष के दौरान वसूली	00	अंतिम शेष	(-) 2,66,723.00	
कुल	00								
	(-) 2,66,723.00								
घटा : वर्ष के दौरान वसूली	00								
अंतिम शेष	(-) 2,66,723.00								
7.8 क्षेत्रीय कार्यालय, ईपीएफओ, चेन्नई के समेकित बैलेंस शीट की जांच से पता चला कि अनुसूची 4 के तहत - वर्तमान देयताएं - मार्च 2022 के अंत में ईपीएफ अंशदान निधि पर संचित ब्याज लेखा ₹(-)33560.63 करोड़ (लेखा संख्या 1) के रूप में दिखाया गया था। इसी प्रकार अनुसूची 11 के तहत - चालू देयताएं - कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज लेखा 31.3.3022 के अंत में संचित शेष राशि को भी ₹ (-) 37.24 करोड़ (लेखा संख्या 2) के ऋणात्मक आंकड़े के रूप में दिखाया गया था।	7.8 इस संबंध में सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों/अंचल कार्यालयों की कोई ब्याज आय नहीं है क्योंकि अंशदान से प्राप्त राशि का निवेश मुख्य कार्यालय स्तर पर किया जाता है। आंचलिक कार्यालयों को केवल दंडात्मक हर्जाने और 7क्यू ब्याज की आय होती है जो सदस्यों को दिए जाने वाले ब्याज से कम है। इस प्रकार, यह नकारात्मक है। वर्ष 2020-21 से, वार्षिक लेखा सीएजी और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य प्रारूप में तैयार किया जा रहा है, जहां ईपीएफ ब्याज की अनुसूची -4 और एसीपीएफ ब्याज की अनुसूची -11 देयता पक्ष पर है, इसलिए समापन शेष ऋणात्मक है। यह भी सूचित किया जाता है कि ईपीएफओ के समेकित वार्षिक लेखों में इन अनुसूचियों का शेष धनात्मक है।								
7.9 ईपीएफ प्रशासनिक निधि लेखों के समेकित आई एंड ई लेखों के तहत आंकड़े का खुलासा - ₹1.99 करोड़ उपलब्ध बजट शीर्ष केवल स्थापना का वेतन है जबकि क्षे.का. चेन्नई ने वर्ष 2020-21 के लिए बकाया व्यय प्रस्तुत करते समय 1,99,98,012 रुपये की राशि स्थापना के वेतन के बजाय अधिकारियों के वेतन के तहत सूचित की है। यही राशि वर्ष 2021-22 में भी अधिकारियों के वेतन मद में बकाया व्यय पीवाई के प्रत्यावर्तन में दर्शायी गयी थी। इसे नोट किया जाता है। वर्ष 2022-23 के समेकित वार्षिक लेखों के संकलन के दौरान आवश्यक संशोधन किया जायेगा।	7.9 ईपीएफ प्रशासनिक निधि लेखों के तहत ऋणात्मक आंकड़े का खुलासा - ₹1.99 करोड़ आंचलिक कार्यालय, ईपीएफओ, चेन्नई के वार्षिक लेखों में वर्ष 2021-22 के समेकित आय और व्यय लेखों से देखा गया कि स्थापना व्यय के तहत ईपीएफ प्रशासनिक निधि से संबंधित ₹ 98.66 करोड़ की राशि दर्ज की गई है जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और ₹68.21 करोड़ का बोनस शामिल हैं। व्यय की उप अनुसूची की संवीक्षा से पता चला कि राशि की गणना निम्नानुसार की गई थी: <table border="1"> <thead> <tr> <th>शीर्ष</th><th>राशि रूप में</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अधिकारियों को भुगतान</td><td>(-) 1,99,98,012</td></tr> <tr> <td>स्थापनाओं का वेतन</td><td>52,64,30,297</td></tr> <tr> <td>झीर</td><td>13,88,78,860</td></tr> </tbody> </table>	शीर्ष	राशि रूप में	अधिकारियों को भुगतान	(-) 1,99,98,012	स्थापनाओं का वेतन	52,64,30,297	झीर	13,88,78,860
शीर्ष	राशि रूप में								
अधिकारियों को भुगतान	(-) 1,99,98,012								
स्थापनाओं का वेतन	52,64,30,297								
झीर	13,88,78,860								

<table><tr><td>छुट्टी नकदीकरण</td><td>2,44,12,027</td></tr><tr><td>छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान</td><td>13,65,751</td></tr><tr><td>बोनस</td><td>1,11,03,635</td></tr><tr><td>कुल</td><td>68,21,92,558</td></tr></table>		छुट्टी नकदीकरण	2,44,12,027	छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	13,65,751	बोनस	1,11,03,635	कुल	68,21,92,558	
छुट्टी नकदीकरण	2,44,12,027									
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	13,65,751									
बोनस	1,11,03,635									
कुल	68,21,92,558									
उपरोक्त नकारात्मक आंकड़ा क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई द्वारा बुक किया गया था।										
7.10 ईपीएफ प्रशासन निधि-निवेश में ऋणात्मक शेष- ₹(-)3,05,74,278.81 31.3.22 को अनुसूची-25-ईपीएफ प्रशासन निधि-निवेश के विरुद्ध ₹3.05 करोड़ का ऋणात्मक शेष है। निवेश के प्रति ऋणात्मक शेष राशि का खुलासा करने के कारणों की व्याख्या की जा सकती है। साथ ही, 31.03.21 को ईपीएफ प्रशासन निधि-निवेश के खिलाफ अंतिम शेष 0 (शून्य) के रूप में दिखाया गया था। तथापि, अनुसूची-25 से यह देखा गया है कि इस लेखों के प्रति 1.4.21 को प्रारंभिक शेष राशि ₹(-)1,50,93,515.45 के रूप में ली गई है।	7.10 ईपीएफ प्रशासन निधि-निवेश में ऋणात्मक शेष- ₹(-)3,05,74,278.81 यह अवलोकन और राशि अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आंचलिक कार्यालय चेन्नई और क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित नहीं है। इसलिए, हम कार्यालय की पहचान करने में असमर्थ हैं। तथापि, प्रस्तुत है कि यह आंकड़ा फॉर्मेट के बदलाव के कारण प्रकट हुआ है। यह क्षेत्रीय लेखों द्वारा केंद्रीय लेखों में किए गए अंतरण की राशि है (केंद्रीकृत प्राप्ति + लेखा -2 से लेखा -4 में राशि अंतरण) और केंद्रीय से क्षेत्रीय लेखों में (लेखे -4 से राशि अंतरण लेखे -2) 7.11 इस संबंध में सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों/अंचल कार्यालयों को कोई ब्याज आय नहीं है क्योंकि अंशदान से प्राप्त राशि मुख्य कार्यालय स्तर पर निवेश की जाती है। आ.का. को केवल दंडात्मक हर्जाने और 7क्यू ब्याज की आय होती है जो सदस्यों को दिए जाने वाले ब्याज से कम है। इस प्रकार, यह नकारात्मक है। वर्ष 2020-21 से, वार्षिक लेखा सीएजी और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य प्रारूप में तैयार किया जा रहा है, जहां ईपीएफ ब्याज की अनुसूची -4 और एसपीएफ ब्याज की अनुसूची -11 देयता पक्ष पर है, इसलिए समापन शेष नकारात्मक है। हालांकि, ईपीएफओ के समेकित वार्षिक लेखों में इन अनुसूचियों का संतुलन सकारात्मक है।									
8. भुगतान बीमा शुल्क का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया ईपीएफओ, आंचलिक कार्यालय, चेन्नई के वार्षिक लेखों में, 2021-22 की अवधि के लिए बीमा प्रभार शीर्ष के अंतर्गत दर्ज व्यय शून्य था। यह देखा गया कि जिन पांच क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए जोनल कार्यालय समेकन की तैयारी कर रहा है, उनमें तीन स्टाफ कारें हैं, जिनमें से	8. भुगतान बीमा शुल्क का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया क्षेत्रीय कार्यालय- यह सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टाफ कार प्रदान की जाती है और वाहन के लिए बीमा "मोटर वाहनों के रखरखाव और मरम्मत" के तहत बुक किया गया है। रुपये 5,469/- की राशि का भुगतान मैसर्स									

प्रत्येक में चेन्नई क्षे.का., तांबरम क्षे.का. और पुडुचेरी क्षे.का. हैं। वर्ष 2021-22 के लिए तीन कारों के लिए भुगतान की गई बीमा राशि को बीमा शुल्क के तहत बुक किया जाना चाहिए। उक्त तीन वाहनों के लिए बीमा शुल्क और कोई अन्य बीमा, यदि कोई हो, जैसे कि इस कार्यालय के तहत किसी भी कार्यालय द्वारा भुगतान किया गया अग्नि बीमा का विवरण मांगा गया था और इसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। विवरण प्रस्तुत न करने के कारण वाहन बीमा के प्रति बकाया देयता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 19.11.2021 से 18.11.2022 की अवधि के लिए बीमा प्रीमियम के रूप में किया गया है। स्टाफ कार के लिए बीमा शुल्क बजट मद "स्टाफ कार पर रखरखाव व्यय" के तहत प्राप्त और भुगतान लेखा संख्या 2 में दिखाया गया था। 9. कर्मचारी पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि के संबंध में अनुचित सूचना। लेखापरीक्षा का अवलोकन अनुपालन के लिए नोट किया गया है और वार्षिक लेखा 2022-23 में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। 9. कर्मचारी पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि के संबंध में अनुचित सूचना। लेखा संख्या XII (स्टाफ पेंशन सह ग्रेच्युटी फंड) पर टिप्पणियों के अनुसार, केंद्रीय न्यायी बोर्ड (सीबीटी), ईपीएफ ने 23.02.2006 को आयोजित अपनी 174 वीं बैठक में कुल परिलब्धियों के 21 प्रतिशत के योगदान को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। मासिक हस्तांतरण के माध्यम से 23.02.2006 से पहले कुल परिलब्धियों का 12.4 प्रतिशत स्थानांतरित किया जा रहा है। उक्त बैठक में सीबीटी, ईपीएफ ने सिफारिश की थी कि पेंशन सह ग्रेच्युटी फंड का मूल्यांकन बीमांकक द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर किया जा सकता है। हालांकि, बीमांकक रिपोर्ट दो साल में एक बार यानी द्वािवार्षिक तैयार की जा रही है। 31.03.2022 को बीमांकक मूल्यांकन की स्थिति उपरोक्त नोट में दिखाई गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान पेंशन सह ग्रेच्युटी में हस्तांतरित राशि को ₹1630.69 करोड़ के रूप में दर्शाया गया है। आगे बताया गया कि एकचुअरी की रिपोर्ट को सीबीटी, ईपीएफ द्वारा दिनांक 05.03.2020 को आयोजित अपनी 226वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है। इस संबंध में यह कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेंशन सह ग्रेच्युटी को हस्तांतरित राशि व्यावहारिक रूप से उस रिपोर्ट में शामिल करना संभव नहीं है जिसे 05.03.2020 को अनुमोदित किया गया था अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 के बंद होने की तारीख से दो साल पहले। बीमांकक रिपोर्ट दो साल में एक बार यानी द्वािवार्षिक तैयार की जा रही है। हालांकि, नोट में यह दिखाया गया है कि रिपोर्ट अर्धवार्षिक आधार पर तैयार की जा रही है जिसका अर्थ है कि वर्ष में दो बार। इस प्रकार, नोट में सुधार की आवश्यकता है।
---	---